C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. XXII, Eleventh Session, 2017/1938 (Saka)
No. 5, Tuesday, February 7, 2017/ Magha 18, 1938 (Saka)

SUBJECT	PAGES
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
[*]Starred Question Nos. 61 to 64 and 71	11-59
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 65 to 70 and 72 to 80	60-135
Unstarred Question Nos. 691 to 920	136-636

[*] The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 638-652

STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT
13th and 14th Reports 653

STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE
88th and 89th Reports 654

ELECTIONS TO COMMITTEES

(i) Committee on Estimates 655
(ii) Committee on Public Accounts 656-657
(iii) Committee on Public Undertakings 658-659
(iv) Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes 660-661

MATTERS UNDER RULE 377 663-688

(i) Need to construct dams on rivers in Himachal Pradesh and Haryana

Shri Rattan Lal Kataria 664

(ii) Need to reconsider the introduction of National Medical Commission

Shrimati Rakshatai Khadse 665

(iii) Need to accord approval to the proposed National Highway No. 58E from Udaipur-Som-Deya via Jhadol to border areas of Gujarat

Shri Arjun Lal Meena 666

(iv) Need to accord approval to the gauge conversion of Pulgaon-Arvi-Amla railway line and also provide funds for the purpose

Shri Ramdas C. Tadas 667

(v) Need to include Bagahi Bhelwa village under Ghorasahan Block of East Champaran district, Bihar in Gandhi Circuit and also develop the site as a tourist place

Shrimati Rama Devi 668

(vi) Need to include 'Kohri' caste of Madhya Pradesh in the central list of OBC

Shri Bodh Singh Bhagat 669

(vii) Need to rollback the increase in price of railway platform ticket

Shri D.S. Rathod 670

(viii) Need to develop Mahamaya Temple, Ratanpur in Bilaspur district of Chhattisgarh and also provide facilities to the pilgrims visiting the temple

Shri Lakhan Lal Sahu 671

(ix) Need to provide adequate wages to Aanganwadi workers

Dr. Bhola Singh 672

(x) Need to provide funds for irrigation projects in Rajasthan

Col. Sonaram Choudhary 673-674

(xi) Need to include and develop places of historical and tourist importance in Chatra parliamentary constituency, Jharkhand under SWADESH DARSHAN and PRASAD Scheme

Shri Sunil Kumar Singh 675-676

(xii) Need to construct a Railway Over Bridge at Jugsalai in Jamshedpur Parliamentary Constituency, Jharkhand

Shri Bidyut Baran Mahato 677

(xiii) Need to construct a National Highway from Gwalior to Kalpi to commemorate the sacrifice of Rani Laxmibai

Dr. Bhagirath Prasad 678

(xiv) Need to provide adequate compensation to farmers whose land has been acquired for construction of bridge on Sone River between Daudnagar and Nasariganj in Aurangabad

Shri Sushil Kumar Singh 679

(xv) Need to inquire into and keep a check on the sale of packaged water bottles at exorbitant price at railway stations in Jhansi Division in Uttar Pradesh

Shri Bhairon Prasad Mishra 680

(xvi) Need to help Asian games gold medalist boxer

Dr. Thokchom Meinya 681

(xvii) Regarding disbursal of amount of subsidy through bank accounts of farmers in Supaul parliamentary constituency, Bihar

Shrimati Ranjeet Ranjan 682

(xviii) Need to increase the Minimum Support Price of Coconut and Arecanut

Shri S.P. Muddahanume Gowda 683

(xix) Regarding allotment of Tentulati Coal Block to Odisha Thermal Power Corporation Limited

Shri Nagendra Kumar Pradhan 684

(xx) Regarding release of commemorative postage stamp in honour of Dr. K. R. Narayanan, former President of India

Shri P. K. Biju 685

(xxi)	Need to ensure quality of construction work at Munger railway station as per specified norms and also improve passenger facilities at the station	
	Shri Jay Prakash Narayan Yadav	686
(xxii)	Need to develop Rajgir in Bihar as a tourist place of international importance	
	Shri Kaushalendra Kumar	687
(xxiii)	Need for proper utilization of land vested with HPCL at Edapallycottah in Kollam, Kerala	
	Shri N. K. Pramachandran	688

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS	692-800
Shri Hari Manjhi	692-693
Shri Vinod Lakhmashi Chavda	694-695
Shrimati Ranjeet Ranjan	696-697
Shri Sunil Kumar Singh	698-699
Dr. Kulmani Samal	700-701
Shri S.P. Muddahanume Gowda	702-704
Shri Chandra Prakash Joshi	705
Shri D.K. Suresh	706-709
Shri Lakhan Lal Sahu	710
Shrimati Rakshatai Khadse	711-713
Shrimati Santosh Ahlawat	714-716
Dr. Bharatiben D. Shyal	717
Shri Rodmal Nagar	718-719
Shri Alok Sanjar	720-723
Shrimati Anju Bala	724-726
Dr. Ratna De (Nag)	727-729

Shrimati Supriya Sule	730-731
Shri Devji M. Patel	732-734
Shri Gajendra Singh Shekhawat	735-736
Shri Ramcharan Bohra	737-738
Dr. Kirit P. Solanki	739-740
Shrimati Rama Devi	741-742
Shrimati Poonamben Maadam	743-747
Shri Rahul Kaswan	748-749
Shri Prem Singh Chandumajra	750
Shri Varaprasada Rao Velagapalli	751-755
Shri Ram Kumar Sharma	756-758
Shri Vishnu Dayal Ram	759-760
Dr. Prabhas Kumar Singh	761-763
Shri Narendra Modi	764-793
Amendments –Negatived	794-800
Motion – Adopted	800

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF PAYMENT OF WAGES (AMENDMENT) ORDINANCE, 2016
AND
PAYMENT OF WAGES (AMENDMENT) BILL, 2017 801-846

Shri N.K. Premachandran	801, 804-810, 845
Shri Bandaru Dattatreya	801-803, 840-844
Dr. Virendra Kumar	811-813
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	814-818
Shri Dushyant Chautala	819-820

Dr. Tapas Mandal	821-822
Dr. Ravindra Babu	823-825
Dr. Kulmani Samal	826-827
Shri Sankar Prasad Datta	828-829
Dr. Varaprasad Rao Velagapalli	830-831
Shri Jai Prakash Narayan Yadav	832
Dr. Sanjay Jaiswal	833-835
Kumari Sushmita Dev	836-837
Shri Rajesh Ranjan	838-839
Resolution – Withdrawn	846
Clauses 2, 3 and 1	846
Motion to Pass	846

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF SPECIFIED BANK NOTES (CESSATION OF LIABILITIES) ORDINANCE, 2016
AND
SPECIFIED BANK NOTES (CESSATION OF LIABILITIES) BILL, 2017

Shri N.K. Premachandran	847, 851-865 976-979
Shri Arun Jaitley	847-850, 950-975
Shri Gajendra Singh Shekhawat	867-876
Dr. Shashi Tharoor	877-890
Prof. Saugata Roy	891-901
Shri Muthamsetti Srinivasa Rao (Avanthi)	902-904
Dr. A. Sampath	905-908
Shri Y. V. Subba Reddy	909-912
Shrimati Supriya Sule	913-918
Shrimati Ranjeet Ranjan	918-925

Shri Jagdambika Pal	926-932
Shri Kaushalendra Kumar	933-934
Shri Jose K. Mani	935-936
Shri Dushyant Chautala	937-939
Shri Gaurav Gogoi	940-943
Shri Rajesh Ranjan	944-947
Adv. Joice George	948-949
Resolution–Negatived	979
Motion to Consider	980
Clauses 2 to 13 and 1	980-983
Motion to Pass	983

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	984
Member-wise Index to Unstarred Questions	985-990

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	991
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	992

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA

Tuesday, February 7, 2017/ Magha 18, 1938 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWRES TO QUESTIONS

HON. SPEAKER:Now Question Hour, Q. No. 61- Shri Sanjay Dhotre.

(Q. 61 and 71)

श्री संजय धोत्रे: अध्यक्ष महोदया, मैंने टमाटर और बाकी नैशनल फल, सब्जियों के बारे में प्रश्न पूछा था। कभी-कभी इनका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाने के कारण इनके दाम गिर जाते हैं। कभी कम प्रोडक्शन हो जाने के कारण दाम बढ़ जाते हैं। इनके दाम बढ़ने के बाद किसान इनकी ज्यादा बोआई करते हैं। टमाटर का उत्पादन करने वाला किसान कई बार दाम गिरने के कारण टमाटरों को सड़क पर फेंक देता है। इस साल यह हालत हुई कि उसने टमाटर के पौधे और उसकी बेलें तक उखाड़ कर फेंक दीं। सरकार इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि यह जल्दी खराब होने वाली फसल है। इस वजह से इसके ऊपर एम.एस.पी. का भी कोई प्रावधान नहीं है। आपके माध्यम से मेरी सरकार से यह मांग है कि इसके प्रोडक्शन के ऊपर नियंत्रण रखा जाए कि इसका कितना सोइंग हो रहा है। हमारे देश के अलग-अलग राज्यों में टमाटर की खेती होती है। क्या सरकार इसकी कोई व्यवस्था करने जा रही हैi इसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। क्या सरकार की ऐसी कोई व्यवस्था है कि इसकी कितनी बोआई होनी चाहिएi कौन-कौन से एरिया में इसकी कितनी डिमांड रहती है, ताकि इसमें केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकार भी कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकेंi

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, कितनी बोआई हो, इसकी कोई व्यवस्था निश्चित नहीं की जा सकती है। भारत सरकार की एक योजना है, बाजार हस्तक्षेप योजना। इस योजना के तहत जो बागबानी जिंस हैं, उनके लिए राज्य सरकारों को इस योजना के अंतर्गत स्पष्ट निर्देश है कि जिस किसी भी बागबानी फसल का समर्थन मूल्य नहीं है, उसका दाम यदि नीचे आता है, तो बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत वह राज्य प्रस्ताव दे सकता है। उसमें उसकी खरीददारी यदि 10 फीसदी के औसत उत्पादन से ज्यादा हो गई हो और उसका 10 प्रतिशत मूल्य गिर गया हो, तो वे भारत सरकार को प्रस्ताव दें। भारत सरकार इसमें उनकी मदद करती है। इस प्रकार से पिछले वर्षों में जो बागबानी फसलें या अन्य जिंस, जिनका समर्थन मूल्य नहीं है, उनका कई राज्यों, जैसे कि नागालैंड, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना ने लाभ उठाया है, लेकिन पिछले ढाई-तीन वर्षों में इसमें हमारे पास जो प्रस्ताव आये हैं, वे अनानास, आलू, मिर्च, सेब, अदरक, अंगूर और सुपारी के ही आये हैं। टमाटर का प्रस्ताव किसी भी राज्य से हमारे पास नहीं आया है। यदि यह आएगा, तो हम इस योजना का उपयोग कर सकते हैं।

श्री संजय धोत्रे: महोदया, सरकार ने इसके लिए जो उपाय किये हैं, मंत्री जी द्वारा दिये गये जवाब में उसकी जानकारी दी गयी और उसमें कहा गया कि टमाटर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी उपाय कर रहे

है, लेकिन जो समस्या आती है, वह ओवर प्रोडक्शन के कारण ही आती है। किसान उसके लिए पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नोलॉजी, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन आदि करते हैं, क्योंकि यह पेरिसेबल आइटम होने के कारण इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, खास करके ट्रेन या रेफ्रिजरेटेड वैन में, तो इसका भी लाभ हो सकता है।

प्रोसेसिंग के लिए कई योजनाएँ तो हैं, लेकिन उनका जो कार्यान्वयन हो रहा है, सरकार को उसकी समीक्षा करनी होगी और उसमें जो भी कमियाँ हैं, उनको दूर करना होगा। इसलिए सरकार इसके लिए क्या कदम उठाने जा रही है, मैं इसकी जानकारी चाहता हूँ।

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, इस दृष्टि से देश में कोल्ड स्टोरेज, पैक हाऊस, रिपेनिंग चेम्बर्स, रेफर व्हिकल्स, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, होलसेल मार्केट और रूरल प्राइमरी मार्केट को विभिन्न प्रकार की सहायता दी जाती है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि पिछले ढ़ाई-तीन वर्षों में 644 कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हुआ, जिनकी क्षमता 26 लाख मीट्रिक टन है। इसी प्रकार से, पैक हाऊसेज़ की संख्या, जो वर्ष 2012-13 और वर्ष 2013-14 में मात्र चार थी, अब इनकी संख्या 2147 हो गयी है। रिपेनिंग चेम्बर्स की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। सरकार इस पर मिशन मोड में काम कर रही है।

HON. SPEAKER: Dr. Satyapal Singh—not present.

Shri M.K. Raghavan.

SHRI M.K. RAGHAVAN: Though the Government may not agree that there has been large scale distress sale of agricultural produces across the country after the demonetization which has affected our agri-sector in a major way, I would like to know this from the Government. With the drought situation looming large across the country, what steps the Government will take to ensure to compensate the farmers considering both the distress sale and the drought situation?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, सरकार ने एक राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना प्रारंभ की है। अभी तक देश में ढ़ाई सौ मार्केट इससे जुड़े हैं। राज्यों ने बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत टमाटर में कोई सहायता नहीं ली है, लेकिन जो राष्ट्रीय कृषि मंडी का निर्माण हुआ है और इसके तहत किन-किन मण्डियों में टमाटर की खरीद की जाए, इसमें मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय कृषि मण्डी के अंदर, जिन जिन्सों की सूची बनायी है, उसमें टमाटर को भी रखा गया है और राज्यों से जो जानकारी दी गयी है, उसमें आंध्र प्रदेश ने 01.11.2016 से 6 फरवरी तक एक लाख 73 हजार क्विंटल टमाटर की खरीद की है, गुजरात ने 40 हजार क्विंटल टमाटर की खरीद की है, हिमाचल प्रदेश ने 311 क्विंटल टमाटर की खरीद की है और उत्तर प्रदेश ने 1,07,394 क्विंटल टमाटर की खरीद की है। इस

प्रकार से, देश में कुल 3,27,000 क्विंटल टमाटर की खरीद हुई है और इसका एवरेज़ कीमत, जो राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से मिली है, वह लगभग छः रुपये प्रति किलो है।

HON. SPEAKER: We can link Question 71 also with this Question. Raghavan Ji has already asked the question.

Now, Devji M. Patel

श्री देवजी एम. पटेल: माननीय अध्यक्ष महोदया, टमाटर वाला विषय बहुत ही गंभीर है। जैसा कि श्री धोत्रे जी ने बताया, मेरे क्षेत्र में भी औने-पौने दाम पर टमाटर बिकता है। दूसरी समस्या यह होती है कि उसे जानवरों के लिए फेंकना पड़ता है।

आपके माध्यम से, मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि इसके लिए कोल्ड स्टोरेज वगैरह तो बन नहीं सकता है, लेकिन उसे किसी प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा सॉस में रूपांतरित करके या जहाँ पर टमाटर का उत्पादन हो रहा है, वहाँ पर सरकार की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर किसानों को इससे राहत देने की कोशिश की जाएगीi

श्री राधा मोहन सिंह : इस दिशा में जो प्रयास हुए हैं, मैने पहले भी बताया कि प्राइमरी प्रॉसेसिंग यूनिट्स और फूड प्रॉसेसिंग यूनिट्स बड़े पैमाने पर देश में स्थापित हो रही हैं और सरकार इस पर मिशन मोड पर काम कर रही है।

माननीय अध्यक्ष : मोहम्मद सलीम जी।

श्री मोहम्मद सलीम: धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया जी। धन्यवाद इसलिए भी कि आपने 61 के साथ 71 को भी जोड़ दिया और यह सिर्फ टमाटर नहीं, बल्कि कृषि उपज, खासकर जो सब्जियां शीतकाल में होती हैं, सीजनल और पेरिशेबल, उनकी कीमत किसानों को नहीं मिली। मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह कहा कि कुछ राज्यों ने लाभ उठाया, इस सरकार ने कुछ प्राइस स्टैबिलिटी फण्ड बनाए। हमने सोशल मीडिया में देखा कि स्पेन में जैसे टमाटर लेकर 'ला टमाटिनो' खेल होता है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में किसानों ने टमाटर सड़क पर फेंके हैं और उसके ऊपर ट्रक चल रहे हैं। आप के राज्यों के नाम के अंदर छत्तीसगढ़ का नाम नहीं आया। यह सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश का, पूर्वोत्तर भारत का भी प्रश्न है। मैं बंगाल से आता हूँ, वहां सब्जियां बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन 71 का सवाल यह भी है कि विमुद्रीकरण के कारण, क्योंकि कैश नहीं था, इसलिए मण्डियों में सब्जी ले जाने के बाद भी उनकी बिक्री नहीं हुई। आप जैसे राष्ट्रीय मण्डी की बात कर रहे हैं। राज्य सरकार भी मण्डियों की बात करते हैं, लेकिन किसान और मण्डियों के अंदर संपर्क न होने के कारण, बीच में नोट न होने के कारण और कीमत के बारे में सरकार के, चाहे वह राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार, किसी की तरफ से कोई तवज्जो न होने के कारण किसानों

का जो नुकसान हुआ है तो आप कृषि के साथ-साथ किसान कल्याण मंत्रालय के भी जिम्मेदार हैं। किसान के कल्याण की आपकी क्या योजना है, इस सीजन में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे होगीi

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, पहले तो मूल्य स्तरीकरण फण्ड, जिसकी आपने चर्चा की उसका इससे कोई संबंध नहीं है। बाजार हस्तक्षेप योजना है और मैने बताया कि कई राज्यों ने इसका लाभ उठाया है और जब औसत उत्पादन में 10 प्रतिशत की बढोत्तरी होती है और दाम में 10 प्रतिशत की गिरावट होती है तो राज्य सरकार प्रस्ताव बनाकर भेजती है और हम उसमें आधी राशि की मदद करते हैं। राज्य सरकार और भारत सरकार की कमेटी है, जो एक उचित मूल्य तय करती है। दाम गिर गए हैं तो उचित मूल्य तय करेगी, उसकी खरीददारी करेगी।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज आप बीच में मत बोलिए।

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, इन्होंने प्राइस स्टैबिलिटी फण्ड की चर्चा की है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। मार्केट इन्टर्वेंशन स्कीम है, वह उपभोक्ताओं के लिए है। इसका उपयोग राज्य सरकारें कर रही हैं, पहले तो बिल्कुल नहीं करती थीं, लेकिन इधर तीन वर्षों में इसका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, जहां तक किसान कल्याण की योजनाओं का सवाल है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2004-05 में हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों ने फील्ड ट्रायल करके, जिस कृषि मंत्रालय का आप नाम ले रहे हैं, उस मंत्रालय को दिया कि यूरिया को नीम कोटेड कर दिया जाए तो किसानों को उचित समय पर सही मूल्य में मिलेगा और इसका दुरुपयोग रुकेगा। पहले यूरिया किसान को बड़ा महंगा मिलना, लाठी खाना, अश्रु गैस का गोला झेलना और फिर भी ब्लैक में खरीदना आम बात थी। सरकार ने सबसे पहले यह काम किया और 10 वर्ष तक वह फाइल में पड़ा रहा। 5 मई को वैज्ञानिकों ने एक निर्णय दिया था। सबसे पहला काम हमने नीम कोटेड यूरिया का किया है, जिससे किसानों की लागत कम और उत्पादन ज्यादा हुई है। मैने अभी राष्ट्रीय कृषि बाजार की चर्चा की कि राष्ट्रीय कृषि बाजार की वर्ष 2004-05 में कमेटी बनी थी। उस समय जो सरकार होगी, उसने कमेटी बनायी। सिर्फ कर्नाटक ने इसका थोड़ा बहुत लाभ लिया, लेकिन इसका लाभ बाकी कहीं भी इस देश में नहीं हुआ। यह सरकार आने के बाद एक कृषि बाजार और उसमें ढाई सौ मार्केट जुड़े हैं और मैने आपको बताया कि किस प्रकार से किसानों ने 6 फरवरी तक टमाटर की बिक्री की है, हमने उसके आंकड़ें दिए है। किसान कल्याण के लिए सरकार क्या कर रही है, अगर अलग से किसी दिन आप चर्चा करें तो हम निश्चित रूप से आपको बताएंगे, जिससे आपको ज्यादा जानकारी मिल पाएगी।

श्री मोहम्मद सलीम: आप यह बताये कि इस सीजन में हुए नुकसान की भरपाई किसानों को कैसे हो पायेगी?

श्री राधा मोहन सिंह : मैंने आपको बताया कि जिन-जिन राज्यों में कृषि बाजार से मार्केट जुड़े हैं, मैंने उनके आंकड़े बताये हैं और इसका लाभ किसानों को मिल रहा है।

श्री रत्न लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि जब टमाटर किसान के घर में होता है तो उसकी कीमत दो रुपये किलो होती है और उसी टमाटर को जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी खरीदकर ले जाती है और ऐश्वर्या राय जैसी किसी फिल्मी स्टार की एड लगा देती है तो उसी टमाटर की चटनी चार सौ रुपये किलो हो जाती है। क्या यह सही है?

इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूंगा कि देश के अंदर पेरिशेबल गुड्स 18 से 25 परसैन्ट तक नष्ट हो जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं इन्हें बचाने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, इस देश में जो अनाज है, निश्चित रूप से उसका उत्पादन होने से मुंह तक आने में दस प्रतिशत का नुकसान होता है और जो फल और सब्जियां हैं, उनका उत्पादन होने से हमारे मुंह तक पहुंचने के दौरान 22 प्रतिशत तक का नुकसान होता है। इसीलिए सरकार ने कोल्ड स्टोरेज से लेकर फूड प्रोसेसिंग आदि की योजनाओं को तेज किया है और मिशन मोड में तेज किया है, ताकि इन्हें बचाया जा सके और ये कम से कम नष्ट हों। इस दिशा में सरकार पूरी सजगता से काम कर रही है।

श्री हरीश मीना: अध्यक्ष महोदया, मैं राजस्थान से आता हूं। राजस्थान में खास तौर से मेरे चुनाव क्षेत्र दौसा में लघु एवं सीमांत किसान निवास करते हैं। इस साल खाद्य उत्पादन के जो भाव हैं, वे बहुत कम हो रहे हैं। खास तौर से जिन लोगों ने सब्जियां और फल उगाये हैं, वे बहुत कम भाव में बिक रही हैं। इस वजह से किसान उन्हें नष्ट करने पर मजबूर हो रहे हैं।

मैं आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने ऐसे किसानों को मुआवजा देने का कोई प्रावधान किया है? क्या सरकार इसका सर्वे करायेगी, ताकि इन गरीब, लघु एवं सीमांत किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, आपदाओं के कारण यदि कहीं नुकसान होता है तो इसके लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, प्रधान मंत्री मौसम आधारित बीमा योजना है और उसके तहत किसानों को मुआवजा दिया जाता है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि यह जो बीमा योजना है, यह मौसम आधारित फल, सब्जियों के लिए है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सिर्फ अपना उत्तर दीजिए, बीच में कुछ मत सुनिये।

श्री राधा मोहन सिंह : इसमें बीच में कैपिंग था, जिसके कारण उसके लागत मूल्य का भी भुगतान नहीं हो पाता था। नई प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का लाभ यह हुआ कि पिछले वर्ष खरीफ में इस देश में 3 करोड़ 15 लाख किसानों ने बीमा कराया था। इनमें तीन करोड़ वे किसान थे, जो लोन लेते थे, उनकी

मजबूरी है, क्योंकि लोन लेना है तो बीमे का पैसा कटेगा, लेकिन इनमें से गैर-ऋणी मात्र 15 लाख किसानों ने बीमा कराया था। इस बार खरीफ में जो नई कृषि बीमा योजना आई है, इसमें उन्हें पूरा मुआवजा मिल रहा है। इस बार 1 करोड़ 10 लाख गैर-ऋणी किसानों ने बीमा कराया है। इससे यह साबित होता है कि किसानों का इसमें आकर्षण बढ़ा है। वर्तमान में मुआवजे की स्थिति यह है। अब राज्य सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत यदि किसी भी फल, सब्जी का प्रस्ताव देती है, यदि औसत उत्पादन दस फीसदी से ज्यादा हुआ है और मूल्य में दस फीसदी की कमी है, जैसे अभी कर्नाटक से सुपारी के बारे में प्रस्ताव आया था, हमने तुरंत उसकी मंजूरी दी है। कोई भी राज्य सरकार यदि प्रस्ताव भेजेगी तो हम उसे मंजूरी देंगे, हम उसे सहायता देंगे, ताकि किसान का नुकसान न हो।

(Q. 62)

ADV. JOICE GEORGE: Madam, wildlife is precious, but human life is more precious than the beast. Unfortunately, nowadays, the man-animal conflict is growing and we have not adopted any scientific method to contain the population of wildlife within the wildlife sanctuaries also.

In other countries, they have a mechanism to assess the carrying capacity of each sanctuary, forest and other protected areas. But unfortunately, we do not have it. They also have a mechanism to contain the wildlife population within the carrying capacity of each and every sanctuary. But here, the wildlife population is spilling out of all the sanctuaries and coming to the human habitats and posing threat to the human life and their livelihood options also.

Madam, my question to the hon. Minister is whether the Government has got any policy to assess the carrying capacity of our wildlife sanctuaries, our protected areas and reserve forests, and contain the wildlife population within the carrying capacity of each sanctuary.

SHRI KIREN RIJIJU: The hon. Member has put a very important question. I also agree that human lives are precious, but at the same time, animals are also equally precious because we have to have a balanced eco-system for a better environment for everybody.

The carrying capacity of a particular wildlife sanctuary or reserve area, as the hon. Member has mentioned, has been defined in various categories. The forest department has identified many areas, network of protected areas for the assessment or a place where animals can habitat. These are national parks, sanctuaries, conservation reserves and community reserve areas. There are various categories, as per the scheduled thing mentioned there.

I would like to inform the hon. Member that to ensure that a particular area is suitable for a particular species, certain steps are taken, and the Government of India has also issued various advisories to the State Governments to take various

steps so that the animals are confined to their areas and they do not venture outside of their inhabited areas. When they come out of their inhabited areas, they come in conflict with the human beings thereby causing a huge loss to the human lives and their properties.

So, each defined areas where those species live, the wildlife live, must be protected. For that, there are stringent measures being issued from time to time. These guidelines are very well-known and very well defined. I hope that each State Government is also taking good care as per the advisories being issued by the Government of India from time to time.

ADV. JOICE GEORGE: Thanks to the Minister for the answer, but there is some lack of clarity on whether the Government is going to assess the carrying capacity.

My second point is that the victims of man-animal conflict are always the poor people belonging to the weaker strata of our socio-economic ladder. When the breadwinner of a family loses his life, it may affect the entire survival of the family and it will affect the education of the people also. If women lose their livelihood, the children will have to take care of the family and that will affect their educational prospects also. Once the crops are damaged, it will impact the very livelihood of the poor farmers also.

Unfortunately, there is no mechanism to compensate the victims of the man-animal conflict in a better way. The most important thing is the Central Government and the State Governments are spending a lot of money for protecting the wildlife and minimizing the man-animal conflict. Unfortunately, nothing is happening on the ground. I would say that a vast amount of this money is being looted by somebody else. It is also a matter which should be inquired into.

My specific question is whether the Government has got any proposal to adequately compensate the victims of the man-animal conflict and whether the Government is planning to put in place a mechanism to compensate them in time, without any delay.

SHRI KIREN RIJIJU: With regard to compensation for loss of life and property, there are provisions. The latest revised rate is Rs. 2 lakh per death or permanent incapacitation. … (*Interruptions*)

SHRI ANTO ANTONY : Why only Rs. 2 lakh?

SHRI KIREN RIJIJU: The hon. Members from Kerala are saying this. Comparatively, Kerala is a prosperous State, and the Kerala State Government can enhance the compensation. … (*Interruptions*)

SHRI ANTO ANTONY: 'Forests' come under the control of the Ministry of Environment and Forests of the Central Government. It is a Central subject. … (*Interruptions*)

SHRI KIREN RIJIJU: I would like to say that Rs.2 lakh is being given as *ex gratia* to the State Governments. Some State Governments have given extra also. … (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: What is the contribution of the Central Government?

SHRI KIREN RIJIJU: I think, you have not heard it. A sum of Rs. 2 lakh is already being given. You have to understand that the Government of India is to provide relief or *ex gratia* as per the rates being fixed. These rates are not static. It is being revised from time to time. I am giving you the figure which is presently being fixed. If it is to be revised in future course of time, it will be. At the same time, I am saying that the State Governments are also given the authority or freedom to pay on their own. This is not just one figure which is limited only to be given as compensation to the families those who have lost their family members or to those who have lost their properties. Besides that, there are compensations for grievous injury, minor injury and the property. So, there are the provisions for this.

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER: Madam Speaker, I thank you very much. I also join with the hon. Member Shri Joice about what he has remarked. In my constituency also, wide-spread attacks are happening day by day and deaths due to such attacks are increasing. Last month in January, one young man, aged 48

years was attacked by the wildlife elephant and killed. He left behind two young daughters, wife, mother and a handicapped brother. Everybody was dependent on him. He died because of the attack by the wildlife elephant. This week again, an *Adivasi* of 65 years age with eight children, who was working on contract was also attacked by the wildlife elephant and brutally killed. There were four others also who were attacked. I would like to urge upon the Government to give minimum of Rs.10 lakhs to the victims. I would like to ask through you, whether the Minister and the Government are ready to help the *Adivasi* and one Shri Biju who was killed recently. These incidents took place only recently. I would like to know whether the Government is ready to give a minimum compensation of Rs.10 lakhs to save the families.

SHRI KIREN RIJIJU: Madam Speaker, the hon. Member has particularly pointed out an incident which is unfortunate. As per the record from the Project Elephant Division of the Ministry of Environment and Forests, the total number of deaths due to elephant attack last year was 20. This year, up to present time, the number is six.

SHRI TATHAGATA SATPATHY: How many elephants have died?

SHRI KIREN RIJIJU: It is unfortunate that such incidents take place. There are various steps being taken. I need not elaborate them. But, with regard to the compensation, I had mentioned earlier also that there is a provision in the rules and the rate has been fixed. I cannot comment at this point of time about the amount of Rs.10 lakhs which the hon. Member has pointed out. But, I would certainly request the State Government also to add on to the amount which the Central Government has fixed. if possible, help should also be extended for medical, education and for other necessary things required in the family. If the deceased is the sole bread-earner of the country, definitely the help should be extended.

डॉ. बंशीलाल महतो: महोदया, मैं कोरबा क्षेत्र से आता हूं। वह जंगली इलाका है, आदिवासी लोग वहां पर कबीलों में अलग-अलग स्थानों पर निवास करते हैं। वहां हाथियों के झुण्ड 35-35, 70-70 की संख्या में

आते हैं और लोगों को चार बजे रात या पांच बजे सुबह के समय में अक्सर मारता है। उसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। वहां राज्य सरकार जरूर कोशिश करती है और वन विभाग उस पर ध्यान देता है। हम लोग करीब 25-30 सालों से 'एलीफैंट प्रोजेक्ट' की बात सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई 'एलीफैंट प्रोजेक्ट' वहां पर नहीं बना है और कोरबा इलाके में उस प्रोजेक्ट की बहुत ही आवश्यकता है। उसके संबंध में मंत्री महोदय क्या कहना चाहते हैंi

श्री किरेन रिजीजू : अध्यक्ष महोदय जी, देश में कुल मिलाकर 29 एलीफैंट रिजर्व्स हैं और ये 21 राज्यों में है। माननीय सदस्य जी ने कोरबा इलाके के बारे में जिसका ज़िक्र किया है, उसके बारे में मंत्रालय में हम जरूर अध्ययन करेंगे। यहां पर मैं इसके बारे में कोई कमिटमेंट इसलिए नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त हमारे पास परिस्थिति नहीं है। लेकिन, हाथियों का बहुत ही बड़ा झुण्ड जब लोगों के गांवों में, और जहां लोग बसते हैं, उसके आस-पास आता है तो वहां पर तबाही जरूर होती है। इससे जान-माल का बहुत बड़ा नुकसान होता है और इससे बचने के लिए क्या-क्या करना है, इसकी डिटेल मैं पहले भी बता चुका हूं। लेकिन, हम और क्या-क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं माननीय सदस्य को भी आमंत्रित करूंगा कि आपकी जो पर्टीक्युलर डिमांड है कि उस एरिया को आकर देखना है तो आप लिखित रूप में दीजिए। मंत्रालय में उस पर अध्ययन किया जाएगा।

SHRI R. DHRUVANARAYANA: Madam Speaker, human-wildlife conflict is a matter of serious concern. In the State of Karnataka, in the last three years 97 people died and 197 people were severely injured in such conflicts. Karnataka stands first in tiger population with more than 300 tigers there. Fund allocation for the Centrally-sponsored scheme of Integrated Development of Wildlife Habitat is very less. To Karnataka, the Central Government has given Rs.351 lakh in 2013-14, Rs.480 lakh in 2014-15, and suddenly reduced it to Rs.262 lakh in 2015-16. In my Constituency we have two tiger projects – Bandipur and BRT – but lesser funds are being given. To avoid this human-animal conflict, more barbed wire fencing, solar fencing, and boundary walls have to be constructed for which money is needed. Fund allocation from the Central Government is very less. I would like to ask the hon. Minister why the Government does not release more funds and adopt other measures to tackle this problem.

SHRI KIREN RIJIJU: Madam, financial assistance is provided to the States under the Centrally-sponsored schemes of Integrated Development of Wildlife Habitat

and Project Tiger for voluntary relocation of villages from within the protected areas. There is a provision under CAMPA also where fund can be augmented. I would like to inform the hon. Member that Karnataka has rich reserve forest areas which are conducive for the wildlife to exist, especially the tigers. So, the Government of India has recently announced a huge amount under the CAMPA scheme under which the point which the hon. Member has mentioned can be taken care of. So, I would like to request him to come over or if he has any specific suggestion write, and the Ministry will definitely look into that. … (*Interruptions*) I cannot comment on the exact amount of money right now.

DR. KULMANI SAMAL: Madam Speaker, I have gone through the reply tabled by the hon. Minister and I find that nearly 200 people have lost their lives due to human-animal conflict in Odisha. The hon. Minister has replied that it is the State Governments which have to take care of this. Management of human-animal conflict is handled by the State Governments but I find the Central Government is not giving funds for afforestation. The Forest Department lacks manpower, training and infrastructure. Therefore, will the Central Government start Central sector schemes in these areas specifically targeting those States where fatalities are more?

SHRI KIREN RIJIJU: The hon. Member comes from Odisha and he has rightly mentioned the point. Like Karnataka, Odisha is very rich in wildlife and the casualties in Odisha are also high as per the report which shows that there is a greater number of exchanges of humans into wildlife areas or wildlife into human areas. That is why this conflict has arisen.

I am not saying that only the State Government has to take care of it. The State Government is primarily responsible for that but assistance is being provided by the Government of India. I have mentioned earlier also that under the CAMPA provision, there is a huge budgetary support that is being provided and there is a method for that. I cannot explain right now how this money has to be adjusted;

this is a procedural matter. But there is a provision and the States are only going to benefit.

श्री उदय प्रताप सिंह: धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष जी, मैं जंगली जानवर और खेतों में नुकसान के बारे में कहना चाहता हूं। ये घटनाएं लगातार हमारे मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों में हो रही हैं। खासकर जंगली जानवर, जो बाहर निकल कर मानव पर अटैक करने का काम करते हैं। इस बारे में हमारे कई माननीय सदस्यों ने प्रश्न किया हैं। सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं पश्चिम बंगाल में हुईं, जिनमें 40 मौतें पिछले चार सालों में हुई हैं और मध्य प्रदेश का दूसरा नंबर है, लगभग 25 के आस-पास मौतें जानवरों के आक्रमण से हमारे राज्य में हुई हैं। सतपुड़ा टाइगर फॉरेस्ट रिजर्व, मेरे संसदीय क्षेत्र होशंगाबाद में आता है और विंध्याचल में भी हमारे टाइगर फॉरेस्ट रिजर्व है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना है, चूंकि हमारे ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय तोमर साहब भी बैठे हुए हैं। मेरा मंत्रालय से अनुरोध है कि जंगली जानवर खेतों में और जहां पर हमारे गांव है, वहां पर न जाएं। नेशनल हाईवे पर जो पशु होते हैं, वे खेतों को नुकसान करते हैं। क्या मंत्रालय वन मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, मनरेगा आदि से आपस में चर्चा करके कोई मैकेनिज्म तैयार करा कर फैंसिंग आदि काम कराने के लिए तैयार है, जिससे जानवर गांवों में न आएं और जो आवारा पशु नेशनल हाईवे तथा स्टेट हाईवे पर घूमते रहते हैं और खेतों का नुकसान करते हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह की कोई फैंसिंग लगाकर लोगों की मदद करने का काम हमारी सरकार करेगीi

श्री किरेन रिजीजू : मैडम, माननीय सदस्य महोदय ने जो सवाल पूछा है और हमने जो उत्तर दिया है, उसमें भी इसका उत्तर दिया गया है। माननीय सदस्य ने जो स्टेपस उठाने के लिए सुझाव दिया है, हम लोगों ने उसको उठाया है। अब इसका कैसे इम्पलीमेंटेशन करना है और राज्य सरकार के साथ भी तालमेल रखना है। इसमें barbed wire fence, solar power electric fence, bio-fencing using cactus, बाउंड्री वाल्स इत्यादि बहुत सारे प्रोविजन्स बनाए गए हैं। इससे वाइल्ड लाइफ अपनी सीमा तक ही सीमित रहे, जहां उनको रहना है और जहां खेती-बाड़ी है, जहां लोग रहते हैं, गांव-शहरों में न आएं।

इसके लिए प्रोविजन किया गया है। इसके अतिरिक्त और भी कदम उठाये गये हैं और काफी चीजें भी की गई हैं, जैसे खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था आदि। जहां जानवर रहते हैं, वहां पानी और उनके खाने की व्यवस्था जैसे घास वगैरह खत्म हो जाएंगे तो वे भटकते हुए गांव और शहर में आ सकते हैं। इसके लिए भी प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष : मानव और पशु की बहुत घालमेल हो रही है। इस बारे में बहुत लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं।

(Q. 63)

श्री ओम प्रकाश यादव : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे देश में उत्पादन तो होते हैं, लेकिन भंडार क्षमता के अभाव में काफी नुकसान होता है और करीब-करीब 25 परसेंट उत्पादन के बाद भी बर्बाद हो जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भंडार क्षमता की मांग और आपूर्ति का अंतर क्या है और कब तक उसे पूरा किया जाएगाi

साध्वी निरंजन ज्योति: माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है, यद्धपि उस प्रश्न से संबंधित सारा विषय नहीं आया है, फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगी कि जो हमारा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय और कृषि मंत्रालय से सम्बद्ध होकर काम करता है। सरकार ने शीत श्रृंखला और फसलोपरांत भंडारण सहित और अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को वित्तीय सहायता देने के लिए व्यवहार्यता अंतर निधियन (वीजीएफ) स्कीम बनाई है। पीपीपी मोड के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कोई भी शीत श्रृंखला/ भण्डागार परियोजना स्थापित नहीं की गई।

जो माननीय सदस्य ने सवाल किया है, मैं उसका जवाब जरूर देना चाहूंगी। बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों की फसलोपरांत हानियों को नियंत्रित करने और खेत से लेकर उपभोक्ता तक अथवा उत्पादन स्थल से बाजार तक एकीकृत शीत श्रृंखला एवं परिरक्षण अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्र एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य वृद्धि अवसंरचना स्कीम चला रहा है। यह स्कीम मूलतः निजी क्षेत्र से प्रेरित है, जिसमें देश में शीत श्रृंखला अवसंरचना की स्थापना करने के लिए प्रति परियोजना अधिकतम दस करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में हम लोगों ने सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न करके दिया है।

श्री ओम प्रकाश यादव: महोदया, मंत्री महोदया ने विस्तृत उत्तर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय अच्छा काम कर रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि निजी उद्योगपतियों को भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिए, भण्डारगृह लगाने के लिए क्या कोई सब्सिडी या कोई सुख-सुविधा सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही हैi

साध्वी निरंजन ज्योति : महोदया, भारत सरकार के फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की तरफ से प्राइवेट सैक्टर में कोई आवेदन करता है तो हम उसे सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। जो इसे लगाने वाले हैं, उनको असुविधा के लिए भी प्रश्न पूछा गया, उसका जवाब देना मैं समझती हूं कि उचित है। यह क्योंकि अधिकतर राज्य सरकारों से संबंधित है, जब वहां से वह मानक पूरा करके आता है, तब हम उसको सुविधा देते हैं। कोल्ड चैन से संबंधित कोई आवेदन करता है, तो हमारा मंत्रालय सुविधा देने के लिए तैयार है।

DR. RATNA DE (NAG): Madam, wastage of fruits and vegetables is reported in the Press. There is a need to ensure more investment is made in improving the cold chain and preservation infrastructure across the country to stop loss of fruits and vegetables. Would the Minister state the benefits accrued in the last two years – or, since the implementation of the Central Sector Scheme for cold chain – and value addition infrastructure which was made by stopping loss of fruits and vegetables.

साध्वी निरंजन ज्योति : महोदया, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2015 में एक सर्वेक्षण करवाया था। उस सर्वेक्षण में बहुत सारी जगहें थीं, जहां कोल्ड चेन की व्यवस्था नहीं थी, उसके आधार पर हमने अपने मंत्रालय में बदलाव भी किया है। जहां सब्जी, साग, फल उपलब्ध होते हैं, उस एरिया के लिए हम विशेष ध्यान देते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष तौर पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं।

मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2014 के बाद 335 कोल्ड चेन, जिनमें 81 कोल्ड चेन चालू हालत में हैं और इस वर्ष 2017-18 में हम लोग देश के लिए 100 कोल्ड चेन और देने जा रहे हैं। यदि कोई आवेदक आता है तो हम उसे सब्सिडी भी देते हैं। यदि कोई कोल्ड चेन के लिए अकेले आवेदन करता है तो हम उसे 35 प्रतिशत सब्सिडी देते हैं और कोल्ड चेन में प्रोसेसिंग की व्यवस्था करता है तो हम उसे 50 प्रतिशत सब्सिडी देते हैं। जो पहाड़ी एरिया है, वहां यदि कोई कोल्ड चेन के लिए आवेदन करता है, तो कोल्ड चेन के लिए 50 पर्सेंट और यदि प्रोसेसिंग की व्यवस्था करता है, तो हम वहां 75 पर्सेंट सब्सिडी मंत्रालय की तरफ से देते हैं।

(Q.64)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI: The Minister has given a very detailed response to my question but I still have a question to ask. The terrestrial borders are controlled by ITBP, BSF and several such agencies and there is a very firm control on the terrestrial border. On the coastal front, India has a very long coastal line but in spite of that the State police controls various coasts and coastguards are only operating in the international waters. Is there a plan to have a cohesive policy and hand over the entire border area to the coastguard?

SHRI KIREN RIJIJU: Madam, the question being put by the hon. Member is related to our security. India's total coastline is 7516.6 kms. long. So, it is definitely a huge challenge for the authorities to ensure fool proof security to the entire coastal area.

The Government of India has three-tier security system to ensure that there is absolute coordination between all the agencies in the coastal belt. We have a three-tier structure in place for the coastal security; patrolling by the coastal police, the Indian Coastguard and the Indian Navy. The hon. Member may very well know that we have up to 12 nautical miles the territorial water and up to 24 nautical miles is the contiguous zone. Up to the contiguous zone the Indian Coastguard takes care of the entire operation and beyond that the responsibility is that of the Indian Navy. As it relates to the law and order, the State Police has to take care if there are any incidents. So, we have Coastal Police Stations being installed in all the coastal areas with the involvement of all the relevant people. We have the existing structure from the national level up to the State level and district level which is headed by the DM of the particular district in the coastal region. So, things are being maintained.

The hon. Member has pointed out why should we not hand it over to the Indian Coastguard for overall security, I would like to say that it is the Indian Coastguard who is actually looking over entire security. But we need to have

some more agencies of the State Government. So, the State Police is also being integrated into the affairs. We need the support of the Indian Navy also. It is a question of coordination. We cannot have one single agency to look after the entire issue.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI: Madam, the integrated approach is very welcome but the issue still remains about the State agencies handling the coastguard, their capacity building and handing over the proper equipment to them so that the incidents like 26/11 do not happen.

SHRI KIREN RIJIJU: This is a very well thought of question. Capacity is one important issue without which we cannot really deal with our challenges. The Government of India has launched the Central support for the coastal security in two phases. The first phase is complete. Now, the process of the second phase is continuing. The Cabinet in a recent meeting has extended the phase two of the Coastal Security Scheme up to 2020. So, all the coastal States are being provided with the fund, which I feel is a good amount of fund being supported by the Central Government.

We recently had a meeting with all the Chief Ministers of the coastal States. Today also, while I am speaking here in the Lok Sabha, a meeting has been called to update the entire progress which has to be carried out by the State Government. The Ministry of Home Affairs, the Secretary Border Management is taking a meeting and I am sure that all the Chief Secretaries have come over here. They will be able to ensure that all the provisions being identified in the Cabinet's decision will be implemented.

DR. SHASHI THAROOR: Thank you Madam Speaker. I have studied the answer of the hon. Minister attentively. He has talked about the integrated Coastal Security Scheme, the National Committee for Strengthening Maritime and Coastal Security, about lots of figures of how many check posts are there but he has never mentioned the fishermen community who live on the coast. The fact is that the entire fishing population of our country, up and down the coast of India, would be

a great asset in terms of information and intelligence sharing and in instituting a collaborative early warning system against coastal and maritime threats. But, this community, Madam, is reeling under the effects of demonetisation right now. The Kerala Government has appointed a Committee to study the impact of demonetisation. They found that because of the lack of cash, this community has severely been hit. As a result of this, normally where 20 or 30 boats were coming to the harbour in a specified time-frame, these days, since 8th November, 2016, the new normal pattern is 20 and 30 boats. So, my point is that the ability of these people to see what is happening and be a source of useful intelligence to the Government, has been hampered by the current economic realities.

Therefore, I would like to ask the Minister whether the Government is willing to consider the direct employment of youth from the fishing communities under the coastal security scheme of the Government, including in the Marine Police Stations or other monitoring schemes and promote a greater community outreach targeting these groups, particularly the young fishermen, so that you can set up a collaborative information and intelligence sharing system in the future and also mitigate the disastrous financial consequences of demonetisation for the fishing community.

HON. SPEAKER: It is a suggestion.

SHRI KIREN RIJIJU: Hon. Speaker Madam, as hon. Member has mentioned that I have written about every issue and given a lengthy answer, if I had mentioned about the question which he has put, it would have become too lengthy. So, we should keep some scope for the oral answer here also.

The Community integration of the fishermen is absolutely important. That cannot be ignored. The fishermen are ears and eyes and are integral part of the whole of our project. So, I would like to inform my honourable esteemed colleague, Shri Shashi Tharoor Ji that the fishermen are being provided with biometric id-cards. They are very important and integral part of our project.

Now, the Indian Coast Guard, in coordination with the Department of Animal Husbandry of each State Government, are working jointly to ensure that our fishermen are provided with all the facilities and at the same time, they become very important part of our security concerns. So, they have been assisted and integrated into our security concern. Besides this, various steps have been taken. If I read it out, hon. Member will understand it, but I would just like to mention here that the colour coding, different size of boats, etc., are various issues which we need to understand and high sea is in off-shore. This is a very difficult zone and they are operating in a difficult situation. So, that is why, the fishermen's concern is an integral part of the economy also. Let them work where they are. We will support them. But, at the same, time, in terms of the security concerns, they are part of the whole security efforts being put by us and in the future also, they will remain as our eyes and ears for the security matter.

श्री गोपाल शेट्टी: अध्यक्षा जी, जब हम कोस्टल सिक्युरिटी की बात करते हैं तो इसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, 183 कोस्टल पुलिस स्टेशंस हैं, 97 चेकपोस्ट्स हैं, 58 आऊटपोस्ट्स हैं, 30 बैरकस हैं, 204 बोट्स हैं, 280 फोर व्हीलर्स हैं, 546 टू व्हीलर्स हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं और जब डिस्कशन होती है तो इनमें और बढ़ोत्तरी की जाती है। नेवी के लोग निगरानी करते हैं, स्टेट के लोग देखते हैं और लोकल पुलिस भी देखती हैं। 26/11 की बात की जाती है, कसाब जैसा एक व्यक्ति मुंबई शहर में आकर इतने सारे लोगों की जान ले लेता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना हो गई, जबकि इतनी सारी व्यवस्थाएं थीं, जो सिक्युरिटी लैप्सस हुआ है, क्या ऐसे अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है या कार्रवाई करने की कोशिश की गई हैं। क्या कोई रिपोर्ट मांगी गई है, देश के लोग को मंत्री जी ब्योरा दें। मुंबई में इनती बड़ी घटना हो गई तो ऐसे कितने अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई हैं।

श्री किरेन रिजीजू: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने मुम्बई की घटना के बारे में जिक्र किया है, यह बहुत बड़ी घटना है। इसके बाद जो सिक्योरिटी अपडेट हुई है, उसे एक वाटर शेड भी माना जाता है। आपको पता ही है, हम इस हाउस में सदस्य थे, इसके बाद एनआईए का गठन हुआ। उसके बाद कोस्टल सिक्योरिटी को देखने के तरीके और अंदाज में बदलाव आया।

जहां तक कार्रवाई का सवाल है, कानूनी कार्रवाई तो होगी, लेकिन ऐसी और घटना न हो, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद भारत सरकार की ओर से जो भी कदम उठाए गए हैं, उसके कारण मैं यह कह सकता हूं कि कोस्टल सिक्योरिटी सिस्टम में बहुत ही इज़ाफा हुआ है और यह बताना निश्चित है कि

इसके बाद भारत में ऐसी घटना दोबारा नहीं हुई। इससे यह पता चलता है कि हम लोगों ने काफी कदम उठाए हैं। मैं यह नहीं कहता कि जितने कदम उठाए हैं, वे काफी हैं। हमें और भी अपडेट करते रहना चाहिए लेकिन कन्सर्न तो है।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, the concept of having the Coastal Police Stations was suggested at the time of Mr. P. Chidambaram during the UPA regime. The first Coastal Police Station was started in my constituency, Kollam, Kerala. Most of the modern equipment for coastal security like high speed boats and other equipment are there. But unfortunately, all these equipment are lying idle.

I would like to know from the hon. Minister whether the functioning of the Coastal Police Stations will be reviewed. How many crimes have already been registered in the Coastal Police Stations throughout the country? Twelve nautical miles is the jurisdiction of one Coastal Police Station. So, the number of crimes is very limited. I would like to know whether the jurisdiction of the Coastal Police Station will be reviewed and the functioning of the Coastal Police Stations will also be reviewed.

SHRI KIREN RIJIJU: Madam, as regards jurisdiction, it is very well defined and it is defined internationally. So, I cannot make a proposal here to change it. But security audit has to be updated from time to time.

With regard to the Kerala where the hon. Member comes from, definitely Kerala has been given a very good and active support in terms of cooperation. There has not been any major incident in the coastal region of Kerala.

With regard to Coastal Police Station, it deals with the law and order situation. If anything happens in the territorial jurisdiction of our country with regard to that State, it comes to the police station only. So, we have taken various steps to strengthen the local police station, *i.e.*, the Coastal Police Station. All the necessary support is being provided. In my statement, I have given details of money being provided for boats, speed boats, buildings and other equipment. The Cabinet Committee has extended the Coastal Security Scheme Phase – II up to

2020. It will also take care of all the concerns which the hon. Member has expressed.

SHRI R.K. SINGH: Madam, I would just like to supplement to what the hon. Minister has said and also ask one question.

As a supplement to what the hon. Minister has said, I would like to inform the House that apart from setting up the Coastal Police Stations and providing them boats, we have also almost doubled the size of our Coast Guards. We have added a large number of ships. We have set up a chain of stations for observation. Apart from aerial observation, we have observation by radar and by electro optics all along the coast line so that the surveillance is complete.

I have a question for the hon. Minister. There was a project to provide transponders on fishermen's boats. That is a very essential requirement because Pakistani boats try to sneak in. To distinguish Pakistani boats from our fishermen's boats, we had decided that fishermen's boats will be provided with transponders. A pilot project was also started for that. I would like the hon. Minister to let the House know as to what has been the progress of that project.

SHRI KIREN RIJIJU: Madam, the hon. Member is a distinguished Member. He is a former Home Secretary of India. So, I take his suggestion seriously. The coastal mapping which we are dealing with concerns all the issues which are necessary to be dealt with. The tracking of vessels and boats which the hon. Member has mentioned is being given due priority. The Indian Navy and Indian Coast Guards are in close coordination with the Ministry of Shipping. They are taking all the steps necessary to ensure that each vessel and boat is tracked and monitored and if there are any threats pertaining to the security are being taken care of. So, all the security agencies are working in tandem to deal with all the issues which we feel are threat to our security.

माननीय अध्यक्ष : मैं आप सबको धन्यवाद और बधाई देती हूं, क्योंकि कल आप सबके सहयोग से बहुत अच्छे ढंग से डिसकशन हुआ। आज के क्वश्चेन ऑवर के लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद देती हूं। बहुत अच्छा लग रहा है।

Now Papers to be laid on the Table.

12.00 hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): On behalf of Shri Rajnath Singh, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs (Volume I) for the year 2017-2018.

(2) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs (Volume II) (Union Territories) for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 6329/16/17]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष महोदया, मै निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) वर्ष 2017-2018 के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6330/16/17]

(2) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6331/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of AYUSH for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 6332/16/17]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Siddha, Chennai, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Siddha, Chennai, for the year 2015-2016.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 6333/16/17]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Unani Medicine, Begaluru, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Unani Medicine, Begaluru, for the year 2015-2016.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

[Placed in Library, See No. LT 6334/16/17]

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Ayurveda, Jaipur, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Ayurveda, Jaipur, for the year 2015-2016.

(7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

[Placed in Library, See No. LT 6335/16/17]

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Homoeopathy, Kolkata, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Homoeopathy, Kolkata, for the year 2015-2016.

(9) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (8) above.

[Placed in Library, See No. LT 6336/16/17]

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Academy of Ayurveda, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Academy of Ayurveda, New Delhi, for the year 2015-2016.

(11) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (10) above.

[Placed in Library, See No. LT 6337/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): On behalf of Shri Anil Madhav Dave, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 6338/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): On behalf of Shri Faggan Singh Kulaste, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the HLL Lifecare Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the HLL Lifecare Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6339/16/17]

(b) (i) Review by the Government of the working of the HSCC (India) Limited, Noida, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the HSCC (India) Limited, Noida, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6340/16/17]

(c) (i) Review by the Government of the working of the HLL Biotech Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the HLL Biotech Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6341/16/17]

(d) (i) Review by the Government of the working of the HLL Infra Tech Services Limited, Noida, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the HLL Infra Tech Services Limited, Noida, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6342/16/17]

(e) (i) Review by the Government of the working of the Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited, Pernem, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited, Pernem, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Five statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6343/16/17]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata, for the year 2015-2016.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata, for the year 2015-2016, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata, for the year 2015-2016.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 6344/16/17]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Speech and Hearing, Mysore, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Speech and Hearing, Mysore, for the year 2015-2016.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 6345/16/17]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi, for the year 2015-2016.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi, for the year 2015-2016, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi, for the year 2015-2016.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 6346/16/17]

(9) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Health and Family Welfare for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 6347/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Parliamentary Affairs for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 6348/16/17]

(2) A copy each of the following statements (Hindi and English versions) showing Action Taken by the Government on the assurances, promises and undertakings given by the Ministers during various sessions of Thirteenth, Fourteenth, Fifteenth and Sixteenth Lok Sabhas:-

THIRTEENTH LOK SABHA

1. Statement No. 36 Eleventh Session, 2002

[Placed in Library, See No. LT 6349/16/17]

FOURTEENTH LOK SABHA

2. Statement No. 32 Fifth Session, 2005

[Placed in Library, See No. LT 6350/16/17]

3. Statement No. 35 Sixth Session, 2005

[Placed in Library, See No. LT 6351/16/17]

FIFTEENTH LOK SABHA

4. Statement No. 29 Second Session, 2009
[Placed in Library, See No. LT 6352/16/17]

5. Statement No. 24 Fifth Session, 2010
[Placed in Library, See No. LT 6353/16/17]

6. Statement No. 23 Sixth Session, 2010
[Placed in Library, See No. LT 6354/16/17]

7. Statement No. 21 Seventh Session, 2011
[Placed in Library, See No. LT 6355/16/17]

8. Statement No. 21 Eighth Session, 2011
[Placed in Library, See No. LT 6356/16/17]

9. Statement No. 20 Ninth Session, 2011
[Placed in Library, See No. LT 6357/16/17]

10. Statement No. 19 Tenth Session, 2012
[Placed in Library, See No. LT 6358/16/17]

11. Statement No. 17 Eleventh Session, 2012
[Placed in Library, See No. LT 6359/16/17]

12. Statement No. 16 Twelfth Session, 2012
[Placed in Library, See No. LT 6360/16/17]

13. Statement No. 15 Thirteenth Session, 2013
[Placed in Library, See No. LT 6361/16/17]

14. Statement No. 13 Fourteenth Session, 2013
[Placed in Library, See No. LT 6362/16/17]

15. Statement No. 11 Fifteenth Session, 2013-2014
[Placed in Library, See No. LT 6363/16/17]

SIXTEENTH LOK SABHA

16. Statement No. 10 Second Session, 2014
[Placed in Library, See No. LT 6364/16/17]

17. Statement No. 9 Third Session, 2014
[Placed in Library, See No. LT 6365/16/17]

18. Statement No. 8 Fourth Session, 2015
[Placed in Library, See No. LT 6366/16/17]

19. Statement No. 6 Fifth Session, 2015
[Placed in Library, See No. LT 6367/16/17]

20. Statement No. 5 Sixth Session, 2015
[Placed in Library, See No. LT 6368/16/17]

21. Statement No. 3 Seventh Session, 2016
[Placed in Library, See No. LT 6369/16/17]

22. Statement No. 3 Eighth Session, 2016
[Placed in Library, See No. LT 6370/16/17]

23. Statement No. 2 Ninth Session, 2016
[Placed in Library, See No. LT 6371/16/17]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर कॉपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर कॉपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर कॉपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6372/16/17]

(3) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1937 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन चिरोंजी श्रेणीकरण चिह्नांकन नियम, 2016, जो 19 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का. नि. 1154(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6373/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Citizenship (Amendment) Rules, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.1168(E) in Gazette of India dated 23rd December, 2016 under sub-section (4) of Section 18 of the Citizenship Act, 1955.

[Placed in Library, See No. LT 6374/16/17]

(2) A copy of Notification No. S.O.4132 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 23rd December, 2016 reducing the amount of application fees and delegating powers to the SDMs in the absence of DMs to accept the Oath of Allegiance furnished by the applicant and an Order regarding delegation of powers to District Collectors of 16 Districts and 7 States for processing and grant of Citizenship and to State Governments for remaining Districts for a period of 2 years issued under Section 16 of the Citizenship Act, 1955.

[Placed in Library, See No. LT 6375/16/17]

(3) A copy of the Notification No. S.O.3436(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 11th November, 2016, appointing the Chief Immigration Officer, Haridaspur as the “Civil Authority” for the purpose of Foreigners Order, 1948 for the jurisdicition of the Immigration Check Post located

at Haridaspur falling under district of North 24 Parganas in the State of West Bengal with effect from 15.11.2016 in supersession to earlier Notification No. S.O. 2851(E) dated 26th November, 2010 issued under sub-clause (2) of Clause 2 of the Foreigners Order, 1948.

[Placed in Library, See No. LT 6376/16/17]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under sub-clause (2) of Clause 2 of the Foreigners Order No. 1948 sub-rule (b) of Rule 3 of the Passport (Entry into India) Rules, 1950:-

(i) S.O.4190(E) published in Gazette of India dated 28th December, 2016, designating Nalabasti, Lawngtlai District, in Mizoram State along Indo-Bangladesh Border as an authorized Immigration Check Post on temporary basis for one year for entry into/exit from India with valid travel documents for BGB troops/laborers.

(ii) S.O.4191(E) published in Gazette of India dated 28th December, 2016, appointing Foreigners Registration Officer, Mizoram as the “Civil Authority” for the purpose of the said order for the Immigration Check Post located at Nalabasti, Lawngtlai District, in the jurisdiction of Government of Mizoram with effect from 1.1.2017.

(iii) S.O.4192(E) published in Gazette of India dated 28th December, 2016, designating Silkor (Silgur) Lunglei district, in Mizoram State along Indo-Bangladesh Border as an authorized Immigration Check Post on temporary basis for one year for entry into/exit from India with valid travel documents for BGB troops/laborers.

(iv) S.O.4193(E) published in Gazette of India dated 28th December, 2016, appointing Foreigners Registration Officer, Mizoram as the

"Civil Authority" for the purpose of the said order for the Immigration Check Post located at Silkor (Silgur) Lunglei District, in the jurisdiction of Government of Mizoram with effect from 1.1.2017.

[Placed in Library, See No. LT 6377/16/17]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : अध्यक्ष महोदया, मैं श्री कृष्ण पाल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) (एक) नेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6378/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI BABUL SUPRIYO): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Limited and the Department of Heavy Industry for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 6379/16/17]

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of

the HMT Limited, Bangalore, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the HMT Limited, Bangalore, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6380/16/17]

(b) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Instrumentation Limited, Kota, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Instrumentation Limited, Kota, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(3) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 6381/16/17]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Fluid Control Research Institute, Palakkad, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Fluid Control Research Institute, Palakkad, for the year 2015-2016.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

[Placed in Library, See No. LT 6382/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Hindustan Antibiotics Limited and the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 6383/16/17]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Pesticide Formulation Technology, Gurgaon, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Pesticide Formulation Technology, Gurgaon, for the year 2015-2016.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 6384/16/17]

(4) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Kolkata, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Kolkata, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6385/16/17]

(5) A copy of the Drugs (Prices Control) Third Amendment Order, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 4100(E) in Gazette of India dated 21st December, 2016 under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955.

[Placed in Library, See No. LT 6386/16/17]

(6) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Chemicals and Fertilizers for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 6387/16/17]

12.04 hours

STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT
13th and 14th Reports

SHRI PINAKI MISRA (PURI): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Urban Development (2016-2017):-

(1) Thirteenth Report on Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the Tenth Report (16th Lok Sabha) on Demands for Grants (2016-2017) of the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation.

(2) Fourteenth Report on Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the Eleventh Report (16th Lok Sabha) on Demands for Grants (2016-2017) of the Ministry of Urban Development.

12.04 ¼ hours

STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE

88th and 89th Reports

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): I beg to lay the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice:-

(1) Eighty-eighth Report on the Action Taken on Eighty-fourth Report on Demands for Grants (2016-17) pertaining to the Ministry of Law and Justice.

(2) Eighty-ninth Report on the Action Taken on Eighty-fifth Report on Demands for Grants (2016-17) pertaining to the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

12.04 ½ hours

ELECTIONS TO COMMITTEES

(i) Committee on Estimates

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :--

> "कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2017 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2018 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें।"

HON. SPEAKER: The question is:

> "That the members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (1) of rule 311 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, thirty members from amongst themselves to serve as members of the Committee on Estimates for the term beginning on the 1st May, 2017 and ending on the 30th April, 2018."

The motion was adopted.

<u>12.05 hours</u>

(ii) Committee on Public Accounts

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): I beg to move:

> "That the Members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (1) of rule 309 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, fifteen Members from amongst themselves to serve as Members of the Committee on Public Accounts for the term beginning on the 1st May, 2017 and ending on the 30th April, 2018."

HON. SPEAKER: The question is:

> "That the Members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (1) of rule 309 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, fifteen Members from amongst themselves to serve as Members of the Committee on Public Accounts for the term beginning on the 1st May, 2017 and ending on the 30th April, 2018. "

The motion was adopted.

PROF. K.V. THOMAS: I beg to move:

> "That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate seven Members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts on the House for the term beginning on the 1st May, 2017 and ending on the 30th April, 2018 and do communicate to this House the names of the Members so nominated by Rajya Sabha."

HON. SPEAKER: The question is:

> "That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate seven Members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts on the House for the term beginning on the 1st May, 2017 and ending on the 30th April, 2018 and do communicate to this House the names of the Members so nominated by Rajya Sabha."

The motion was adopted.

12.07 hours

(iii) Committee on Public Undertakings

श्री शान्ता कुमार (कांगड़ा): अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

" कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2017 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2018 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें। "

HON. SPEAKER: The question is:

> "That the Members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (1) of rule 312B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, fifteen Members from amongst themselves to serve as Members of the Committee on Public Undertakings for the term beginning on the 1st May, 2017 and ending on the 30th April, 2018. "

The motion was adopted.

श्री शान्ता कुमार: अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2017 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2018 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे। "

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate seven Members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Undertakings of the House for the term beginning on the 1st May, 2017 and ending on the 30th April, 2018 and do communicate to this House the names of the Members so nominated by Rajya Sabha. "

The motion was adopted.

12.09 hours

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD): I beg to move:

"That the Members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (1) of rule 331B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, twenty Members from amongst themselves to serve as Members of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the term beginning on the 1st May, 2017 and ending on the 30th April, 2018."

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (1) of rule 331B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, twenty Members from amongst

themselves to serve as Members of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the term beginning on the 1st May, 2017 and ending on the 30th April, 2018."

The motion was adopted.

DR. KIRIT P. SOLANKI: I beg to move:

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate ten Members from Rajya Sabha to associate with the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the House for the term beginning on the 1st May, 2017 and ending on the 30th April, 2018 and do communicate to this House the names of the Members so nominated by Rajya Sabha."

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate ten Members from Rajya Sabha to associate with the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the House for the term beginning on the 1st May, 2017 and ending on the 30th April, 2018 and do communicate to this House the names of the Members so nominated by Rajya Sabha."

The motion was adopted.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from Shri Jai Prakash Narayan Yadav, Shri Rajesh Ranjan, Prof. Saugata Roy, Shri P. Karunakaran, Dr. A. Sampath, Shri K. Suresh and Shri K. C. Venugopal on different issues.

The matters, though important, do not warrant interruption of Business of the day. The matters can be raised through other opportunities. I have, therefore, disallowed all the notices of Adjournment Motion.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है। आज शून्यकाल नहीं लिया जाएगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या बात है? क्या बोलना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): मैडम, हमें बोलने दीजिए।…(व्यवधान) Please allow me to speak. Yesterday, at Kolkata in a public meeting, the BJP leaders…

माननीय अध्यक्ष : वहां की बात यहां ऐसे नहीं उठाते।

…(व्यवधान)

<u>12.11 hours</u>

MATTERS UNDER RULE 377*

HON. SPEAKER : Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within 20 the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

… (*Interruptions*)

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to construct dams on rivers in Himachal Pradesh and Haryana

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि मानसून आने पर हमारे देश में जहां कृषि क्षेत्र को काफी फायदा होता है वहीं पर हर वर्ष जन-धन की व्यापक हानि होती है और कई राज्य बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। मैं मांग करता हूँ कि मानसून आने से पहले युद्धस्तर पर जल प्रबंधन व बाढ़ के खतरे को टालने के प्रबंध किये जाये। प्रधानमंत्री जी ने वर्षा के पानी की एक-एक बूंद बचाने का आह्वान किया है। मैं आदरणीय जल प्रबंधन मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूँगा कि मेरे अम्बाला लोक सभा क्षेत्र का 100 कि.मी. से भी अधिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र के साथ लगता है। मेरे क्षेत्र के यमुनानगर जिले में जिस प्रकार से पाँच राज्यों ने मिलकर हथिनीकुंड बैराज बनाया हुआ है अगर इसी प्रकार से हिमाचल में रेणुका व किसाऊ नदी पर बांधों का निर्माण कर दिया जाता है और हरियाणा में यमुना नदी और सहायक नदियों पर बांधों का निर्माण कर दिया जाता है तो हरियाणा, राजस्थान व दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों की जल समस्याओं का समाधान हो सकता है और वर्षा का जो 85 प्रतिशत से भी अधिक जल बेकार चला जाता है उस जल का संचय करके हम हाइड्रो पावर का निर्माण कर सकते हैं। मैं मांग करता हूँ कि उपरोक्त बांधों के अतिरिक्त मेरे लोक सभा क्षेत्र के साथ लगती नदियों में आ रहे वर्षा के जल प्रबंधन के लिए भी छोटे-छोटे डैम बनाए जायें ताकि हम अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

(ii) Need to reconsider the introduction of National Medical Commission

SHRIMATI RAKSHATAI KHADSE (RAVER): Government has appointed a special panel to overhaul the reforms of Medical Sector and made a new draft to bring a nominated National Medical Commission (NMC) to revamp Medical Council of lndia (MCI) in order to bring in more Doctors, Professionals in the medical field. As MCI is an elected body, well known medical practitioners in the country can vote in electing the body of MCI apart from few nominated Members but from Medical profession only, while NMC may nominate any persons/professional on the NMC board. Bringing non—medicos into NMC is an attempt at denying doctors the privilege of self-regulation in contrast with some professional bodies working in the Country like Bar Council of India and Institute of Chartered Accountants of India. Hence, through this august House, I request the Minister to reconsider the induction of NMC and scrapping of MCI.

(iii)Need to accord approval to the proposed National Highway No. 58 E from Udaipur-Som-Deya via Jhadol to border areas of Gujarat

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर) : मेरा लोक सभा क्षेत्र उदयपुर महाराणा प्रताप एवं राणापूजा की पुण्य कर्मस्थली है। उदयपुर शहर लगभग 5 लाख की आबादी वाला शहर है। यह शहर राजस्थान के कश्मीर के नाम से भी मशहूर है और इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। विश्व पर्यटन मानचित्र पर उदयपुर एक विशेष स्थान रखता है। यहां प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक सड़क मार्ग, वायु मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा भ्रमण हेतु आते हैं।

राजस्थान से एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने के लिए प्रमुख मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 है जो दिल्ली , हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से भी गुजरता है। यह मार्ग मेरे लोक सभा क्षेत्र उदयपुर से गुजरात सीमा रतनपुर-डूंगरपुर बॉर्डर से भी गुजरता है। इस मार्ग पर ट्रैफिक दबाव भारी संख्या में रहता है जिसकी वजह से यात्रा में समय अधिक लगता है। दुर्घटनाएँ और जन हानि अधिक होती है। उदयपुर-साम-देया वाया झाड़ोल (फलासिया) से गुजरात सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 ई का डी.पी.आर. भारत सरकार के पास मंजूरी के लिए प्रस्तावित है और पूर्व सरकार ने इसे मंजूर भी कर लिया तथा यह मार्ग बनाने की घोषणा भी कर दी जो लगभग 108 कि.मी. है। अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि उदयपुर-सोम-देया वाया झाड़ोल (फलासिया) से गुजरात सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 ई लगभग 108 कि.मी. बनाने के लिए अतिशीघ्र बजट आवंटित कर इस मार्ग का कार्य शुरू कराने की कृपा करें , जिससे आम जनता, पर्यटकों व व्यवसायियों को इसका लाभ मिल सके।

(iv) Need to accord approval to the gauge conversion of Pulgaon-Arvi-Amla railway line and also provide funds for the purpose

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : माननीय रेल मंत्री का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र पूलगांव-आर्वी-आमला की छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित करने की ओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि आजादी के पूर्व की अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई छोटी रेल लाईन है, जिस पर पूलगांव एवं आमला में दो आर्मी के डिपो हैं। साथ ही साथ इस रेल लाईन से प्रतिदिन लाखों यात्रियों एवं कपास उत्पादक क्षेत्र होने से समान ढुलाई होती है। देशभर में छोटी रेल लाईन को समाप्त कर ब्रॉडगेज में बदलने की योजना रेल मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। इस लाईन को समाप्त कर ब्राडगेज में बदलने का सर्वे का कार्य होने के बाद बड़ी लाईन की निविदा भी निकाली गई थी लेकिन इसके बाद कोई नैरोगेज लाईन को ब्राडगेज बदलने हेतु विस्तार नहीं किया गया जिस कारण जनता परेशान है। जहाँ देशभर में नई रेल लाईन बनाने का काम जोरों पर है, वहीं इस महत्वपूर्ण लाईन के नवीनीकरण एवं दोहरीकरण हेतु सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है।

अतः माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि शीघ्र इस छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित करने हेतु स्वीकृति देते हुए धन की व्यवस्था करने का कष्ट करे जिससे कि आम जनता को राहत मिले।

(v) Need to include Bagahi Bhelwa village under Ghorasahan Block of East Champaran district, Bihar I Gandhi Circuit and also develop the site as a tourist place

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : मेरे बिहार का चम्पारण जिला का नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा चलाये गये सत्याग्रह आंदोलन एवं उसमें चम्पारणवासियों के सहयोग के लिए इतिहास में स्वर्णित अक्षरों में दर्ज है। मेरे संसदीय क्षेत्रांतर्गत पूर्वी चम्पारण जिला का सिकरहना जो कि अभी अनुमंडल है, आजादी की लड़ाई में शिरकत करने वाला ऐसा क्षेत्र है जहां पर महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा किसानों पर किये गये अत्याचारों के विरूद्ध बिगुल फूंका था परंतु इतिहास में कई कारणों से आजादी की लड़ाई में सिकरहना का जिक्र नहीं है। अंग्रेजों के विरूद्ध ग्रामीणों में चेतना एवं निर्भीकता पैदा करने के उद्देश्य से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 13 नवंबर, 1917 को सिकरहना के बड़हरवा लखनसेन ग्राम में आये थे जहां उन्होंने बुनियादी विद्यालय सह आश्रम की स्थापना की। उसके बाद किसानों के आग्रह पर घोडासहन प्रखंड के बगही भेलवा पंचायत के भेलवा ग्राम में आये तथा यहां रात्रि विश्राम भी किया। भेलवा में निलहा कोठी तथा अंग्रेजों द्वारा नील उत्पाद हेतु जो प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता था उसके डैम्प के अवशेष आज भी वहां मौजूद हैं। अंग्रेजों द्वारा नील की खेती में चलाये गये तीन कठिया प्रणाली का विरोध भी भेलवा ग्राम से ही शुरू हुआ था। उक्त भेलवा ग्राम में लगभग 50 एकड़ के क्षेत्रफल में बापू द्वारा स्थापित गांधी उच्च विद्यालय एवं बुनियादी विद्यालय में आज भी पठन-पाठन का काम चल रहा है। आगामी वर्ष 2017 में सरकार पूरे देश में चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह मनाने जा रही है परंतु बड़े खेद के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त घोडासहन प्रखंड के भेलवा ग्राम को गांधी सर्किट में शामिल नहीं किया गया है जबकि समय-समय पर यहां के बुद्धिजीवी एवं आम लोग आंदोलन व धरना प्रदर्शन कर इसकी मांग करते रहे हैं।

अतः सरकार से अनुरोध करती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्रांतर्गत पूर्वी चम्पारण जिला के घोडासहन प्रखंड के भेलवा ग्राम को गांधी सर्किट से जोड़ते हुए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाये जिससे कि महात्मा गांधी जी से जुड़े इस धरोहर एवं इससे जुड़े लोगों को सम्मान मिल सके।

(vi) Need to include 'Kohri' caste of Madhya Pradesh in the central list of OBC.

श्री बोध सिंह भगत (बालाघाट) : मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला एवं अन्य जिलों में कोहरी जाति के लोग अत्यधिक संख्या में निवास करते हैं। यह जाति मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल है, किंतु भारत सरकार के पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल नहीं होने के कारण इस जाति के लोगों को भारत सरकार की शासकीय सेवाओं में किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है जबकि यही जाति महाराष्ट्र प्रदेश में भारत सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल है। इस जाति के लोग काफी गरीब, पिछड़े तथा आर्थिक रूप से कमजोर हैं जिन्हें केन्द्र की शासकीय सेवाओं में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अतः मैं भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की कोहरी जाति (अन्य पिछड़ा वर्ग) को भारत सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया जाए।

(vii) Need to rollback the price of railway platform ticket.

श्री डी.एस. राठौड़ (साबरकांठा) : हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा प्लेटफार्म टिकट 20 रूपया प्रति दो घंटे कर दिया गया है। मेरी विनती है कि यह बढ़ोतरी रद्द करके मूल पांच रूपये प्रति घंटे रखना चाहिए क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट कोई प्रॉफिट बढ़ाने के लिए नहीं है। कोई भी नागरिक बिना कारण रेलवे स्टेशन में न आए इसलिए प्लेटफॉर्म टिकट का एक सिस्टम बनाया गया है और सभी लोग इसका महत्व समझें इसलिए न्यूनतम कीमत होनी चाहिए।

माननीय रेल मंत्री जी इस बारे में जल्द-से-जल्द फैसला लें, ऐसी मेरी मांग है।

(viii) Need to develop Mahamaya Temple, Ratanpur in Bilaspur district of Chhattisgarh and also provide facilities to the pilgrims visiting the temple.

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर) : छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बिलासपुर अंतर्गत महामाया मंदिर (भद्राकाली), रतनपुर में 12वीं शताब्दी से स्थित छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य मंदिरों में से एक है। जिसके साथ अनेकों मंदिर भी स्थित हैं, जो आस्था का केंद्र हैं। जिसमें साल भर देश-विदेश से सैलानियों की आवाजाही लगी रहती है। केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से उक्त मंदिर के उन्नयन के साथ-साथ दर्शनार्थियों के रूकने के लिए अतिशीघ्र विश्रामालय भी बनवाया जाए, सुरक्षा-संरक्षा की भी अति आवश्यकता है, जिससे उपयुक्त व्यवस्था संभव हो सकेगी। दर्शनार्थियों को होने वाली परेशानियों से बचाया जा सकेगा।

अतः पुनः अनुरोध है कि उक्त विषय को सरकार द्वारा गंभीरता से लेते हुए कार्य को अतिशीघ्र सम्पन्न कराए, जनता की माँग एवं जन कल्याण की दृष्टि से मैं यह माँग करता हूँ ।

(ix) Need to provide adequate wages to Aanganbadi workers.

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : देश भर में लाखों आंगनबाड़ी सेविकाएं बेबसी की जिंदगी संपूर्ण देश में ढो रही हैं। ये आंगनबाड़ी सेविकाएं ग्रामीण जीवन में जीवन-मृत्यु के साथ अन्य सारी सामाजिक सांस्कृतिक चेतना की वाहक हैं, पर स्वयं उनका जीवन आंसुओं में डूबा हुआ है। मात्र 3000 रूपए मानदेय के आधार पर आंगनबाड़ी केंद्रों में ये सेविकाएं अलख जगा रही हं। इससे न इन्हें पेट की रोटी प्राप्त होती है, न अपने बच्चों का ख्याल कर पाती हैं, न ही अपने परिवार की देखभाल कर पाती है। आज जब सरकार दैनिक मजदूरों को प्रतिदिन 250-300 रू. दैनिक मजदूरी देने का प्रावधान किए हुए हैं, वहाँ आंगनबाड़ी सेविकाएं मात्र 3000 रूपए मानदेय पर अपनी गुजर-बसर करते हुए अथक परिश्रम करती हैं। इन्हें विभाग के पदाधिकारियों को भी, पर्यवेक्षिकाओं को भी इसी 3000 रूपए में उन्हें नियमित रूप से देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। केंद्र सरकार जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने गरीबों, मजलूमों के लिए जिंदगी के आसमान का द्वारा खोला है, वहीं आंगनबाड़ी सेविकाएं यथोचित पारिश्रमिक नहीं मिलने से व्यथित हैं। यह विरोधाभास जनतांत्रिक व्यवस्था में दुखदायी है। इन आंगनबाड़ी सेविकाओं को सरकारी कर्मचारी की मान्यता देकर इनकी जिंदगी में खुशियाँ लाने के लिए सरकार अविलंब कदम उठाए और इस प्रताड़ित जीवन से उन्हें छुटकारा देने के लिए यश का भागी बने।

(x) Need to provide funds for irrigation projects in Rajasthan

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर) : जैसलमेर-बाड़मेर, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है। जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 60,000 वर्ग कि.मी. एवं जनसंख्या 33 लाख है। मेरे लोक सभा क्षेत्र का कुल 743 कि.मी. का क्षेत्र पश्चिम में भारत-पाक सीमा से सटा है। यहाँ आर्मी, एयरफोर्स एवं बी.एस.एफ. के सैनिक भी तैनात हैं। थार मरूस्थल होने के नाते यदि गत 60 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो 40 साल का अकाल पड़ा है। इस साल भी 17 तहसीलों में से 10 तहसीलों में बरसात की एक बूंद भी नहीं पड़ी है और यह क्षेत्र 85 प्रतिशत डार्क जोन है तथा शेष क्षेत्र में पानी जमीन में 400 से 1000 फीट नीचे है। साथ ही जो पानी है वह 2000-3000 टी.डी.एस. है। डब्ल्यू.एच.ओ. के अनुसार पानी पीने योग्य ही नहीं है। इस पानी के पीने से लोगों को बीमारियाँ लग गई हैं। इस प्रकार से इस क्षेत्र में पेयजल की भयंकर समस्या है। ऐसी स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के प्रयासों से 1995 में प्रारम्भ इन्दिरा गाँधी नहर जैसलमेर में सीमावर्ती क्षेत्र तक पहुँची एवं नर्मदा नहर बाड़मेर पहुँची। इस पर आधारित बड़ी पेयजल योजनाएँ बनाई गई हैं। नर्मदा नहर परियोजनाओं को चालू करने में हमारे प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब बड़ा सहयोग मिला जिसके लिए मैं उन्हें क्षेत्रीय जनता की ओर से धन्यवाद देता हूँ। दोनों नहरों पर 2003 से 2008 तक भाजपा सरकार द्वारा योजनाएँ बनाई गई थी। परन्तु 2008 से 2013 तक की अवधि में इस ओर ध्यान नहीं देने के कारण योजनाओं को गति नहीं मिल पाई तथा तत्कालीन सरकार ने 4 साल तक इन योजनाओं में बजट नहीं दिया। बाड़मेर-जैसलमेर जिले की जनता को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु **इन्दिरा गाँधी नहर पर आधारित-** (1) राजीव गाँधी लिफ्ट नहर (उम्मेदसागर-धवा-समदडी-खण्डप) राशि 585.40 करोड़ रू. (2) आर.डी. नाचना (पोखरण-फलसुण्ड-पोखरण-सिवाना) राशि 1454.20 करोड़ रू. (3) आर.डी. मोहनगढ़ (बाड़मेर लिफ्ट परियोजना की प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ चरण)- राशि 1716.01 करोड़ रू., **नर्मदा नहर आधारित-** (4) चोहटन एवं गुडामालानी योजना- राशि 1467.08 करोड़ रू. (5) एच.आर. गुडामालानी योजना- राशि 160.00 करोड़ रू. (6) रामसागर- शिव एवं चोहटन- राशि 160.7 करोड़ रूपये **कुल-राशि 5993.00 करोड़ रू.**। यदि इन नई पाँचों योजनाओं में आगामी 3-4 साल में माँग के अनुसार पूरी राशि दी जाए तो क्षेत्र की 85 प्रतिशत जनता पाईप लाइन के माध्यम से पेयजल से लाभान्वित हो जाएगी। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की घोषणा और मोदी जी के सपनों को साकार करने की ओर एक अहम कदम होगा। इस संबंध में हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री श्री वसुन्धरा राजे जी ने दिनाँक 11.08.2015 को माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं पेयजल मंत्री श्री वीरेन्द्र सिंह जी को एक डी.ओ. लेटर लिखकर 28881 करोड़ रू. की राशि की माँग की है। जिनमें से 6000 करोड़ रू. मेरे क्षेत्र से

ही संबंधित है। इस संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक 10.05.2015 को नियम 193 के तहत चर्चा में एवं 16.12.2015 को नियम 377 के तहत संसद की कार्यवाही में सरकार का ध्यान आकर्षित भी किया था। इस संबंध में राजस्थान की जलदाय मंत्री श्रीमती किरण माहेश्री जी ने भी दिनांक 04.07.2014 को केंद्र सरकार को राशि आवंटित करने हेतु आग्रह किया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं जल संसाधन मंत्री जी से विशेष निवेदन करता हूँ कि जो उक्त योजनाएं बजट के अभाव में बंद हैं। उन 5 योजनाओं के लिए 6000 करोड़ रू. के बजट का इंतजाम केंद्र सरकार के एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. या अन्य सेंट्रली फंडेड स्कीम से कराये या राज्य सरकार को वर्ल्ड बैंक से राशि उपलब्ध करवाने में सहयोग प्रदान कर इस क्षेत्र हेतु विशेष पैकेज जारी करायें, ताकि सदियों से अभावग्रस्त जनता को राहत मिल सके।

(xi)Need to include and develop places of historical and tourist importance in Chatra Parliamentary Constituency, Jharkhand under SWADESH DARSHAN and PRASAD Scheme.

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठायें हैं। वर्ष 2014-15 में दो नई योजनाएं लागू की गई। प्रथम स्वदेश दर्शन- थीम आधारित पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास करना और दूसरी प्रसाद- तीर्थ स्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान। प्रथम स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकास हेतु तेरह थीम आधारित परिपथों की पहचान की गई हैं। परन्तु इन परिपथों में एक भी झारखण्ड राज्य का कोई भी स्थल पर्यटक विकास के लिए शामिल नहीं किया गया है। जबकि झारखंड राज्य को प्रकृति ने अप्रितम सौंदर्य और असीमित पर्यटन स्थलों से नवाजा है। सदियों से प्राकृतिक खूबसूरत झरने, नदी, पहाड़, पठार और वन्य प्रदेश शामिल हैं। कई मानव निर्मित उद्यान, मंदिर और प्राचीन कला स्थल आदि हैं। झारखंड क्षेत्र विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों एवं धर्मों का संगम क्षेत्र है। यहां का प्राकृतिक सौन्दय्र व संस्कृति देश-विदेश के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जंगल, पहाड़, घाटी, झरने, वन्य प्राणी, इतिहास, सभ्यता-संस्कृति में धनी झारखण्ड धरती पर स्वर्ग के एक हिस्से के रूप में खड़ा है। भारत सरकार के अतुल्य भारत (इंक्रेडिबल इंडिया) के सहयोग से इण्डिया टुडे टूरिज्म अवार्ड फरवरी, 2017 में वन्य जीव अध्याय में झारखण्ड के बेतला वन का उल्लेख है। जिसमें साल और बांस का जंगल है एवं यह वनस्पतियों और जीवों की विविधता के लिए मशहूर हैं। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा पा चुका यह जंगल बाघ, चीते, हाथियों और इंडियन गौर समेत कई पशुओं का घर है। बेतना नेशनल पार्क (पलामू टाईगर रिजर्व), लावालॉग वाइल्डलाइफ सेंचुरी एवं माहुदानर वॉल्फ सेंचुरी आदि को स्वदेश दर्शन की वन्यजीव परिपथ या जनजातीय परिपथ में शामिल किया जाये।

झारखण्ड के चतरा जिला अंतर्गत ईटखोरी शैव, शात, वैष्णव, जैन एवं बुद्ध मतावलंबियों को समाहित करता धार्मिक विविधता एवं सहिष्णुता के साथ-साथ सांस्कृतिक एकता का दिग्दर्शन कराता है। इसमें संस्कृति, विरासत, आध्यात्मिकता और ईको-पर्यटन का विवेकपूर्ण मिश्रण है। इंडिया टुडे के अंक (8 फरवरी, 2017) में झारखण्ड के पारसनाथ मंदिर, गिरिडीह, (झारखण्ड की सबसे ऊँची पहाड़ी पर 4480 फुट पर स्थित पारसनाथ मंदिर को जैनियों के सबसे पवित्र स्थलों में एक दर्जा हासिल हैं) का जिक्र विरासत स्थल में किया गया है। अतः ईटखोरी, भद्रकाली मंदिर, कौलेश्वरी मंदिर, भवानी मठ चतरा, नगर भवानी प्राचीन मंदिर, चदंवा, लातेहार, श्रीकेदाल मंदिर व झारखंडी मंदिर, पारसनाथ मंदिर आदि मंदिरों को एक परिपथ में जोड़कर विकसित किया जाये। राजा मेदनी राय द्वारा निर्मित पलामू किला एवं नावागढ़ किला प्राचीन धरोहर है। अतः इन मंदिरों एवं किलों को स्वदेश दर्शन की जैन, बौद्ध परिपथ/ आध्यात्मिक परिपथ/ विरासत परिपथ/ईको परिपथ या ग्रामीण परिपथ में से किसी में सम्मिलित कर विकसित किया जाये।

चतरा संसदीय क्षेत्र के तमासीन एवं लोध जल प्रपात, कमलदह झील सहित विभिन्न जल प्रपात एवं अन्य मनोहर घाटियां, ईटखोरी और कौलेश्वरी पहाड़ियां आदि के लिए पर्यावरण आधारित पर्यटन विकसित करना चाहिए। नेतरहाट को पर्वतीय पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में पर्यटन विकसित होने से पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा। स्वदेश दर्शन के पर्वतीय परिपथ/जनजातीय परिपथ/ईको परिपथ या ग्रामीण परिपथ में से किसी एक में सम्मिलित कर विकसित किया जाये।

प्रसाद योजना के अंतर्गत धार्मिक महत्व के स्थलों के विकास के लिए झारखण्ड राज्य से एकमात्र स्थान देवघर का चयन किया गया है। जबकि झारखण्ड में कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं जिनका विकास किया जाना आवश्यक है। केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2016-17 के लिए झारखंड को पर्यटन विकास हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि झारखण्ड के चतरा जिलान्तर्गत ईटखोरी प्रखण्ड स्थित ""माँ भद्रकाली " मंदिर एवं हण्टरगंज प्रखण्ड स्थित "कौलेश्वरी " मंदिर, चतरा का भवानी मठ, नगर भवानी प्राचीन मंदिर, चदंवा नगर मंदिर, लातेहार, श्रीकेदाल मंदिर व झारखंडी मंदिर आदि प्राचीन एवं धार्मिक महत्व के मंदिरों के विकास के लिए प्रसाद योजना में शामिल कर राशि आवंटित की जाये।

(xii) Need to construct a Railway Over Bridge at Jugsalai in Jamshedpur Parliamentary Constituency, Jharkhand.

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर के जुगसलाई आर.ओ.बी. (रेलवे ओवर ब्रिज) को 5 वर्ष पूर्व ही स्वीकृति मिल चुकी है। इस रेलवे ट्रैक से दिल्ली एवं मुम्बई जाने वाली मुख्य ट्रेन चलती है तथा माइन्स एरिया होने के कारण गुड्स टेन भी चलती है, यह औद्योगिक क्षेत्र है। टाटा स्टील जैसे कई बड़ी-बड़ी कंपनियां स्थापित हैं तथा लगभग हज़ारों थोक विक्रेता दुकानदार है, जिनको प्रतिदिन रेलवे ट्रैक पार करना पड़ता है, जिससे लोगों का आना-जाना लगा रहता है। यह लाइन काफी व्यस्त रहती है जिसके कारण 30-40 लोगों की प्रतिवर्ष लाईन पार करने में कट कर मृत्यु हो जाती है। इस आर.ओ.बी. (रेलवे ओवर ब्रिज) का बनना जनहित एवं लोकहित में व्यापक जरूरी है। लेकिन 100 प्रतिशत लोगों का कहना है कि यहां पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग होने के कारण सीधी-सीधी आर.ओ.बी. (रेलवे ओवर ब्रिज) बन ही नहीं सकता क्योंकि सीधी होने पर एवं मकान टूटने पर मुआवजा 300 करोड़ रूपये की लागत आयेगी। ये पैसा न रेलवे के पास है और न ही राज्य सरकार के पास जबकि 30 किलोमीटर एवं 20 किलोमीटर की दूरी पर यूटर्न आर.ओ.बी. (रेलवे ओवर ब्रिज) काण्ड्रा एवं घाटशिला में बन चुका है। राज्य सरकार ने विगत 50-60 साल से अतिक्रमण की शिकार रेलवे जमीन को इसके लिए खाली करवाया है कि यूटर्न आर.ओ.बी. (रेलवे ओवर ब्रिज) बन सके, जिससे कि लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो सके। इस आर.ओ.बी. (रेलवे ओवर ब्रिज) के निर्माण को निचले स्तर के रेलवे पदाधिकारियों के द्वारा टाल कर रखा गया है।

अतः माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि उपरोक्त विषय को देखते हुए अविलम्ब जुगसलाई आर.ओ.बी. (रेलवे ओवर ब्रिज) के निर्माण कार्य को चालू किया जाये।

(xiii) Need to construct a National Highway from Gwalior to Kalpi to commemorate the sacrifice of Rani Laxmibai

DR. BHAGIRATH PRASAD (BHIND): During the first War of Independence in 1857, Rani Laxmi Bai of Jhansi led the most crucial movement to oust British regime in India. The most decisive drive from Kalpi to capture Gwalior was observed keenly all over the world. The success of Rani could have changed the fate of India. India could have been independent 90 years before, in 1857. Indians could have been saved from slavery of Britishers for almost a century.

The valour, commitment and sacrifice of Rani could not receive the due recognition and appreciation in the history. It is now high time to give her a due place in the history of the first war of independence. Though she could not succeed but she laid the foundation of a freedom struggle which culminated into the independence of India in 1947.

I request the Government of India to construct a national highway from Gwalior to Kalpi to commemorate the great sacrifice of Rani Jhansi who conducted a valorous journey from Kalpi to Gwalior.

(xiv)Need to provide adequate compensation to farmers whose land has been acquired for construction of bridge on Sone River between Daudnagar and Nasariganj in Aurangabad.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : समाहर्ता, जिला औरंगाबाद, बिहार की अध्यक्षता में छः सदस्यीय समिति द्वारा वर्ष 2016 में दाउदनगर-नासरीगंज के बीच सोन नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच पथ के लिए मौजा तरारी अवस्थित भूमि के किस्म के सर्वेक्षण के पश्चात् उक्त पंचायत में आम सभा आहूत कर किसानों को उचित दर पर मुआवजा भुगतान करने का निर्णय लिया गया और किसानों द्वारा सहमति दी गई।

निर्णय के आलोक में 30 किसानों को मुआवजा भुगतान किया गया और शेष किसानों को निर्णय के आलोक में मुआवजा भुगतान न करने की बात की गई अर्थात् मुआवजा राशि को कम कर दिया गया। जिला समाहर्ता द्वारा किसानों को मुआवजा नहीं देकर विकास कार्य बाधित किया जा रहा है जो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के आचरण, कर्तव्य और दायित्व के विरूद्ध है।

आग्रह है कि मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए किसानों को समुचित मुआवजा भुगतान कराने की कृपा की जाए।

(xv) Need to inquire into and keep a check on the sale of packaged water bottles at exorbitant price at railway stations in Jhansi Division in Uttar Pradesh.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : मेरे संसदीय क्षेत्र के बांदा एवं चित्रकूट स्टेशनों सहित महोबा, झाँसी, आगरा आदि पूरे झांसी डिवीजन के रेलवे स्टेशनों पर पानी की बोतलें निर्धारित रेट 15 रूपए की जगह 20 रूपये की बेची जा रही है। इस प्रकार से रोज लाखों रूपये अवैध रूप से यात्रियों से वसूले जाते हैं। कई बार शिकायत की गई। क्षेत्र के लोग सैकड़ों शिकायत कर चुके हैं। मैं भी करीब एक दर्जन बार लिख चुका हूं लेकिन इस पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। कृपया इसे रोकने हेतु निर्देश देने की कृपा करें एवं समुचित उपाय कराएं।

(xvi) Need to help Asian games gold- medalist boxer

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): 1998 Asian Games gold medalist boxer Dingko Singh is battling liver cancer. At the time of his retirement in 1998, Dingko did not know that his biggest fight lay ahead of him in the form of a battle with liver cancer. The 38 year old Manipuri who became a National hero after returning from Bangkok has been diagnosed with cancer. He underwent a procedure in January during which 70 per cent of his liver had to be removed. For it a huge amount of money was needed. Dingko was discharged on Republic Day from the Institute of Liver and Biliary Sciences, Delhi. Dingko's chemotherapy cycle will begin soon. Dingko as always hasn't given up. He has the heart for a fight, all he is asking for is a helping hand. Hence, I urge upon the Union Government and the Ministry of Youth Affairs & Sports in particular to come forward and help the Boxer in whatever way possible.

(xvii) Regarding disbursal of amount of subsidy through bank accounts of farmers in Supaul Parliamentary Constituency, Bihar.

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : मैं अपने संसदीय क्षेत्र सुपौल (बिहार) में किसानों के साथ हो रही परेशानी के बारे में बताना चाहती हूँ।

सुपौल में कृषि विभाग की शिथिलता के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीते कई माह पहले किसानों ने अनुदानित दर पर गेहूं का बीज क्रय किया था, जहां पर उक्त बीजों के क्रय किये जाने के समय किसानों ने विभाग द्वारा निर्धारित राशि जमा किया। किसानों ने कृषि विभाग द्वारा चिन्हित क्रय केंद्र से बीज खरीदा एवं उक्त समय उन लोगों को जानकारी दी गयी कि किसानों को अनुदान का लाभ पाने के लिए आवेदन के साथ पहले पूरी राशि जमा करानी होगी एवं एक सप्ताह में संबंधित किसानों को अनुदान स्वरूप मिलने वाली राशि आर.टी.जी.एस. के माध्यम से संबंधित किसानों के खातों में भेज दिया जाएगा, लेकिन महीनों गुजर जाने के बाद भी किसानों को मिलने वाली अनुदान की राशि किसानों के खातों में नहीं आयी है। इस कारण किसानों की खेती पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इस तरह से सरकार के द्वारा किसानों को कृषि कार्य करने एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उर्वरक एवं कृषि उपकरण पर भी अनुदान देती है, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण उन लोगों को अनुदान की राशि नहीं मिल पाती है। सरकार के द्वारा विभाग को ससमय योजना मद की राशि उपलब्ध करवायी जाती रही है, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण उन लोगों को अनुदान की राशि समय पर नहीं मिल पाती है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि किसानों से पूर्ण राशि जमा कराये जाने के बजाय अनुदान काट कर ही जमा लिया जाना चाहिए ताकि अनुदान की राशि के लिए किसानों को चक्कर काटने पर विवश न होना पड़े।

अतः मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जटिल नियमों एवं अफसरशाही के चंगुल से किसानों को बचाने एवं कृषक हित को देखते हुए ऐसा नियम बनाया जाये कि किसानों से पूर्ण राशि जमा कराये जाने के बजाय अनुदान की राशि को काटकर ही जमा लिया जाना चाहिए ताकि अनुदान की राशि के लिए किसानों को चक्कर काटने पर विवश न होना पड़े।

(xviii) Need to increase the Minimum Support Price of Coconut and Arecanut

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): The coconut and arecanut growing farmers in the country, more particularly in Karnataka are put to great hardship and financial crisis due to steep fall in the prices of copra, coconut and arecanut in the market. In addition to this, the farmers are also suffering due to depletion of underground water as well as continuous drought situation which is prevailing in the whole country more so in Karnataka. Illegal entry of coconut and arecanut from the neighbouring countries to the Indian market is aggravating the situation. Import of these agricultural products are also adding fuel to the fire.

The prevailing market value of copra per quintal is approximately Rs.7,000/-; coconut per quintal is Rs.1,600- and arecanut per quintal is about Rs.18,000/-. With these prices for all these agricultural products, the farmers cannot sustain the cost of production. Steep fall in the prices of these agricultural products is forcing the farmers to commit suicide.

Hence, I urge upon the Union Government to come to the rescue of coconut and arecanut growing farmers by ensuing remunerative prices to the growers by increasing the MSP by fixing Rs.20,000/- per quintal for copra; Rs.3,000/- per quintal for coconut and Rs.40,000/- per quintal for arecanut.

(xix) Allotment of Tentulati Coal Block to Odisha Thermal Power Corporation Limited

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN (SAMBALPUR): Tentulai Coal Block has been allocated to OTPCL. The cost of extracting coal from this mine will be very high. OTPCL is a State Undertaking. However, local people of Chhndipad I and II are opposing for allotment in favour of private concerns. Here the good quality and huge stock of coal is reserved. Therefore, mine may be allotted in favour of OPTCL which will produce 3500 MW power to cater to the need of Odisha.

(xx) Release of commemorative postage stamp in honour of Dr. K. R. Narayanan, former President of India

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Dr. K.R. Narayanan is regarded as an independent and assertive President who set several precedents and enlarged the scope of the highest constitutional office. Elected as the9th Vice-President in 1992, Dr. Narayanan went on to become the President of India in 1997. Dr. Narayanan initiated many revolutionary steps in the field of education and was of firm opinion that none should be deprived of basic education. He exhibited best administrative capabilities with a smile on his face and had been referred to as the 'best diplomat". The 10th President was a person who never misused his powers to attain success & worked without reservations to empower the marginalized sections. The postal Department has released stamps of all presidents except him.

I urge the Government to release a postage stamp in his honour.

(xxi)Need to ensure quality of construction work at Munger railway station as per specified norms and also improve passenger facilities at the station.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : बिहार राज्य में पूर्व रेलवे के अधीन मुंगेर रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य व अन्य यात्री सुविधा के लिए निरीक्षण क्रम में मुझे निम्नलिखित कमियों की ओर सरकार व रेल मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करते हुए निम्नलिखित कार्यों का किया जाना अपेक्षित हैः-

1. मुंगेर रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य में गुणवत्ता का अभाव।
2. यात्री सुविधा के तौर पर दिव्यांगजनों के लिए रैम्प का निर्माण किया जाना।
3. आरक्षण खिड़की की संख्या में बढ़ोतरी।
4. शुद्ध पेयजल की सुविधा दिया जाना।
5. महिला शौचालय का निर्माण किया जाना।
6. पूर्व की भांति पार्सल बुकिंग की सुविधा दिया जाना।
7. गुड्स यार्ड एवं वाशिंग पिट का निर्माण किया जाना।
8. रेलवे कर्मचारियों हेतु रेल आवास का बनाया जाना।

उपरोक्त कार्य हेतु स्टेशन के नज़दीक रेलवे की जमीन उपलब्ध है।

(xxii) Need to develop Rajgir in Bihar as a tourist place of international importance

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : बिहार के गर्भ में इतिहास की अमूल्य धरोहरें हैं। उन्हीं में राजगीर एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थल है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। यह स्थल कभी राजगृह, वसुमतिपुर, बृहद्रथपुर, गिरिब्रज और कुशग्रपुर आदि नाम से भी जाना जाता था, ऐसे जिक्र पौराणिक साहित्य में है। राजगीर ब्रह्मा जी की पवित्र यज्ञ-भूमि और संस्कृति और वैभव का केन्द्र तथा जैन तीर्थंकर महावीर और भगवान बुद्ध की साधना भूमि रही है। राजगीर का जिक्र ऋग्वेद, अथर्वेद, तैत्रीय उपनिषद्, वायु पुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण आदि में आता है। यह स्थल जरासंध, श्रेणिक, बिम्बिसार, कनिष्क आदि प्रसिद्ध शासकों का निवास स्थान था। ज्ञान की नगरी और प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा यहीं अवस्थित था। अतः इस ऐतिहासिक महत्व के स्थल राजगीर को राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से विकसित तो कर रही है, किन्तु इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए केंद्र सरकार का पूर्ण सहयोग आवश्यक है। राजगीर पंच पहाड़ियों एवं घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। यहाँ पर सभी दर्शनीय स्थलों यथा-गृद्धकूट पर्वत, वेणू-वन, स्वर्ण भण्डार गुफा, जैन मंदिर, तपोधर्म आश्रम, सप्तवर्णी गुफा, जीवकर्म, कर्णदा टैंक, मनियार मठ, मराका कुक्षी, रणभूमि, विश्वशांति स्तूप, पुराने दुर्ग के खण्डहर, बिम्बिसार कारागृह, जरासंध का अखाड़ा, पाण्डु पोखर, 52 गर्म जलस्रोत, लक्ष्मी नारायण मंदिर आदि का यदि समुचित विकास होता है तो मलमास मेले के लिए तीर्थ यात्रियों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की जाए, तो राजगीर देश के मानचित्र पर एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल एवं पर्यटन का केन्द्र बनेगा। इससे वहाँ के स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही सरकार को भी राजस्व की कमाई है। राजगीर में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एवं पुस्तकालय स्थापित करने की भी आवश्यकता है। राजगीर को बौद्ध सर्किट से जोड़ने की भी आवश्यकता है। यहाँ काफी विदेशी पर्यटक साल भर आते रहते हैं। अतः वहाँ एक स्टेडियम और पर्यटन विभाग का पाँच सितारा होटल खोलने की भी आवश्यकता है। राज्य सरकार काफी समय से नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करने की योजना केंद्र सरकार के पास भेज चुकी है।

अतः केंद्र सरकार राजगीर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सभी प्रकार की आर्थिक मदद प्रदान करे और इसे विश्व हेरीटेज साईट के लिए जो भी प्रक्रिया हो, अविलंब प्रारम्भ करने की कृपा करे।

(xxiii) Need for proper utilization of land vested with HPCL at Edapallycottah in Kollam, Kerala

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): A piece of land measuring 27 Acres is vested with HPCL at Edapallycottah, Kollam. The property is situated in the prime location adjacent to National Highway. The property is not properly protected and there is a chance of encroachment. It is not fair and proper to give up prime property of HPCL. As we know, Central Public Undertakings are facing many difficulties to find out land for their development. It is highly essential to find out a project for utilisation of the land. If HPCL is not in a position to utilize the land for development, it is reasonable to hand over the land for the development of Central Government project.

Hence I urge upon the Government to implement a project immediately to utilize the land vested with HPCL at Edapallycottah, Kollarn either through the HPCL or some other Central Government agencies.

12.11 hours

(*At this stage, Shri Idris Ali, Kalyan Banerje and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I would request all of you to please go to your seats.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What is it that you wanted to say? I don't understand.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर वापस जाइए। ऐसा नहीं होता है। अभी तो मैंने सबको धन्यवाद दिया है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या इश्यू है? ऐसा नहीं होता है। मेरा धन्यवाद बेकार हो गया। ठीक है, बोलिए।

…(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Yesterday in a public meeting the BJP leaders including the observers of BJP in West Bengal have said that all leaders of the Trinamool Congress would be arrested by the CBI and landed up in Bhubaneshwar. It has been said that the Chief Minister, Kumari Mamata Banerjee would be arrested. How can the BJP and the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi use the CBI as a weapon to take vengeance against the Trinamool Congress? We are protesting against such activities. The BJP cannot use the CBI as its tool. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

…(Interruptions)… *

---

* Not recorded.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): I would like to invite the kind attention of the Government to an issue of serious concern regarding the abduction of a Catholic priest from Kerala- Father Tom Uzhunnalail by ISIS in Yemen.

Father Tom was kidnapped during a terror raid on a Missionaries of Charity-run old age home in Aden in Yemen on March 4. At least 16 people including four nuns were killed in the attack. The Father was working with the Missionaries of Charity for last two years.

He has been abducted almost a year ago and till now his whereabouts are not clear. Four months after his abduction by Islamic State militants in Yemen, video clippings of Father Tom Uzhunnalil -- surfaced on the Facebook page of the priest. In the clippings, the blind-folded priest was seen getting thrashed by unidentified men in a secret location. It was clear from the visual that he has been brutally thrashed and tortured. There were reports that the priest was crucified by his abductors. Later news surfaced that he was alive in militants' custody. Even Pope Francis also made a fervent plea to abductors to release the priest.

Two months back External Affairs Minister Shrimati Sushma Swaraj also said the priest was safe. However till now there is no official clarification on the exact details of his whereabouts and safety.

This is a serious matter which needs urgent intervention from the Government. I am sorry the Home Minister of India has told the media that he was not aware of the fact. That was sad. I would request the Government to use all possible diplomatic and other amenities in the Middle East to rescue Fr. Tom. I would also demand the Government to appoint a Cabinet Minister to coordinate the rescue mission of Fr. Tom. Thank you.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam Speaker, the hon. Prime Minister is here. We want a reply from the Government on this matter.

HON. SPEAKER: No. No reply is needed.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Madam, I would like to associate.

HON. SPEAKER: You can send slips to the Table.

S/Shri P.K. Biju, Jose K. Mani, Mullapally Ramachandran, Anto Antony, M.K. Raghavan, M.I. Shanavas, Kodikunnil Suresh, Prof. K.V. Thomas and Adv. Joice George are permitted to associate with the issue raised by Shri K.C. Venugopal.

12.16 hours

Motion of Thanks on the President's Address.....Contd

*__श्री हरि मांझी (गया) :__ हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य है गरीबी उन्मूलन तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास एवं नई योजनाओं को अमल में लाना, जिससे "स्वस्थ भारत का निर्माण हो। " साथ ही साथ, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का उत्थान हो सके, हम इस पर विचार एवं योजना का स्वागत करते हैं तथा पूर्ण समर्थन करते हैं।

माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानवता दर्शन में अंत्योदय की परिकल्पना का उल्लेख है, जिसका उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक अवसर प्रदान करते हुए उसे सशक्त करना है। माननीय राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण के अनुसार सरकार के सभी कार्यक्रम अंत्योदय के सिद्धांत पर आधारित हैं। यह सरकार गरीबों की उन्नति, किसानों की समृद्धि और युवाओं को रोज़गार दिलाने पर केन्द्रित है। यह सरकार खाद्य सुरक्षा, सबके लिए आवास एवं ऐसी सब्सिडियों पर अधिक ज़ोर देती है, जो सबसे अधिक जरूरतमंद को तब जरूर मिले जब उसे उनकी सर्वाधिक आवश्यकता है। गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत लगभग 25 करोड़ से भी अधिक खाते खोले गये, जिनमें 15 करोड़ खाते चालू हालत में हैं और इनमें कुल मिलाकर 32 हज़ार करोड़ रूपए जमा हैं। यह सरकार सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए तीन नई योजनाएं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना लाई है, जो समाज के अब तक वंचित वर्गों को बीमा सुरक्षा एवं पेंशन मुहैया कराएगी।

सरकार ने नई यूरिया नीति 2015 अधिसूचित की है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी उत्पादन और ऊर्जा के सही उपयोग को बढ़ावा देना है। इससे अगले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष 17 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया का उत्पादन होगा। इससे यूरिया के अवैध प्रयोग पर रोक लगेगी। वर्ष 2016 में यूरिया का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है।

इस सरकार ने भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लगाया है और भ्रष्टाचारियों को दंड देने में नरमी नहीं बरती है और भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम में कड़े संशोधन भी किए जा रहे हैं। इस सरकार ने कोयला क्षेत्र में गतिशील और व्यापक सुधार किए हैं और पारदर्शी नीलामी प्रणाली द्वारा 70 से अधिक कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया है। आने वाले वर्षों में इससे पूर्वी राज्यों को अत्यधिक लाभ होगा। कोयला

* Speech was laid on the Table.

उत्पादन को बढ़ाने पर अत्यधिक बल देने के कारण कोल इंडिया के कोयला उत्पादन में रिकॉर्ड 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है।

चार दशकों पुरानी मांग-एक लाख सात हजार करोड़ प्रतिवर्ष के भारी वित्तीय भार के बावजूद यह सरकार सैनिकों के हित में एक ऐतिहासिक कदम- एक रैंक-एक पेंशन योजना लागू करके एक महान साहसी कार्य करने में सफल रही है। इससे देश के सभी सैनिकों के दिल की मुराद पूरी हो गई है।

सरकार का ध्येय होगा कि 2022 तक सभी परिवार वालों का पक्का घर तथा बिजली आपूर्ति की सुविधा मुहैया कराई जाये, जो अत्यंत सराहनीय कदम है।

यह सरकार रेलवे के आधुनिकीकरण के साथ-साथ आंतरिक संरचना में सुधार को लेकर एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। सरकार ने रेलवे के आमान-परिवर्तन, नई रेल लाईन बिछाने, विद्युतीकरण कार्य एवं रेलवे में क्षमता वृद्धि संबंधी कार्यों तथा स्वच्छ भारत मिशन को ध्यान में रखते हुए सफलता प्राप्त की है एवं हमारी सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हरेक गरीब परिवार को रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त में दे रही है। साथ ही साथ, एक व्यापक चुनाव सुधार प्रणाली पर चर्चा करनी चाहती है जिससे चुनावी प्रक्रिया में सुधार हो सके।

*__श्री विनोद लखमाशी चावड़ा (कच्छ) :__ मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए देश की गौरवप्रद आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था की सही तस्वीर सामने रखी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जिस प्रकार गाँव, गरीब, किसान, नवजवानों और महिला सशक्तीकरण के लिए कदम उठायें, इस अभिभाषण में हमारी सरकार की नीतियां एवं भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा का दस्तावेज है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एन.डी.ए. सरकार द्वारा तैयार की गई नीति की तस्वीर है। देश के सभी क्षेत्र, सभी बिन्दुओं पर प्रकाश डाला है। सरकार ने प्रशासन में आते ही देश में सुशासन स्थापित करके अनेकों योजनाएं लागू करके लोगों में उत्साह व ऊर्जा का संचार किया है। उस अभिभाषण में वह सब कुछ है जो देश को विकास के पथ पर आगे ले जाने वाला है।

मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने अत्यंत अल्प समय में भारत को विकास के दीर्घकालीन मार्ग पर अग्रसर किया है। आज देश की जनता के बीच हमारी सरकार के प्रति अत्यंत विश्वास और श्रृद्धा है। इस सरकार की बुनियाद इतनी मजबूत है कि कृत्रिम झंझावतों से इस पर कोई असर नहीं होने वाला है।

मैं अत्यंत विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि देश सेवा का जो जज्बा है इससे भारत न केवल आंतरिक स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी क्षमताओं का ध्वज लहरा रहा है। हमारी सरकार विश्वास का सिद्धांत "सबका साथ-सबका विकास ", "गरीबों की उन्नति ", "किसानों की समृद्धि " और "युवाओं को रोज़गार " देने पर प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नीतियों का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना, जो विश्व की सबसे सफल वित्तीय समावेशन योजना बन चुकी है, के माध्यम से देश के वंचितों और गरीबों के 21 करोड़ से अधिक बैंक एकाउंट खोले गए। इसमें करीब मेरे संसदीय क्षेत्र कच्छ में 3,09,263 एकाउंट खुले हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक सबकी आवास की मूलभूत आवश्यकता पूरी हो। इस कार्यकाल में मेरे संसदीय क्षेत्र में 294 आवास बन चुके हैं। सरकार ने 9 करोड़ अधिक रकम की ग्रांट भी दे दी है और 13979 आवास बनाने का सर्वेक्षण किया गया है।

वित्तीय समावेशन के साथ सामाजिक सुरक्षा और गरीबों के प्रति अति मानवीय चरित्र का प्रदर्शन करते हुए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना शुरू की हैं। उसके तहत मेरे संसदीय विस्तार में प्रधानमंत्री जन-धन योजना अंतर्गत 30,9,263 एकाउंट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत 60231 एकाउंट, सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत 189003 एकाउंट और अटल पेंशन योजना अंतर्गत 6500 और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत

---

* Speech was laid on the Table.

77161 शौचालय बनाने का काम 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। यहां की जनता की माँग थी कि भुज-नालिया ब्रॉडगेज बने, वह काम भी अतिवेग से चलता है, जो इस साल के आखिरी समय तक पूर्ण हो जायेगा। मेरे क्षेत्र के बरसों से रूके हुए घदुली-सांतलपुर हाईवे का काम पूरे जोश में चालू है। पासपोर्ट सेवा केंद्र को मंजूरी दे दी गई है। अत्यंत आनंद के साथ बताना चाहूँगा कि हमारे विस्तार में एफ.एम. रेडियो सेवा शुरू हो चुकी है।

मेरे मत क्षेत्र में दो बड़े महा बंदरगाह, अनगिनत छोटी-बड़ी इंडस्ट्रीज, विपुल खनिज क्षेत्र हैं। जिसे सरकार ने लक्ष्य दिया और पालनपुर-गांधीधाम डबल ट्रैक, नेशनल हाईवे 6 लेन का काम पूर्णता की ओर अग्रसर हैं। महाभूकंप में जर्जर जवाहर नवोदय विद्यालय का डुमरा नया बनाने के लिए तीन करोड़ से अधिक मंजूर करके जनहित और प्रजावत्सल होने का सबूत दिया है।

राष्ट्रीयता मानव जाति के उच्चतम आदर्शों, सत्यम् शिवम् सुन्दरम से प्रेरित हमारी सरकार के अभिगम का महामहिम राष्ट्रपति जी ने निरूपण किया है। इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ।

[*]**श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) :** राष्ट्रपति के अभिभाषण में आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्य करने वाली सहायिका एवं सेविका के मानदेय कम से कम 15000 (पंद्रह हजार रूपये) करने एवं सेविका के कार्यों की महत्ता को देखते हुए स्थायीकरण,आंगनबाड़ी केन्द्रों में मिलने वाली आहार की गुणवत्ता एवं पौष्टिकरण के लिए बजट बढ़ाने, आशा एवं ममता कर्मी के मानदेय बढ़ाने,सर्वशिक्षा अभियान के तहत कार्य करने वाले कर्मियों के मानदेय बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सांसदों की सहभागिता के उद्देश्य से शुरू की गई सांसद स्थानीय विकास योजना मद की राशि बढ़ाने, कृषि उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का डेढ़ गुना बढ़ाए जाने, कोसी महासेतु से सटे सुरक्षा गाइड बांध जो डाउन स्ट्रीम पूरब और पश्चिम में मात्र 500 मीटर बनाकर छोड़ दिया गया है, इसे सुरक्षा की दृष्टि से 12-15 किलोमीटर करने की आवश्यकता, केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के सभी रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरे जाने की आवश्यकता, केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के सभी रिक्त पड़े पदो को तत्काल भरे जाने की आवश्यकता, बिहार के कोसी नदी पर बाढ़ से स्थाई निवारण एवं किसानों के अच्छी सिंचाई के साथ-साथ विद्युत उत्पादन के लिए हाई डैम बनाने के लिए विशेष पैकेज उपलब्ध करान, खेल एवं खिलाड़ी को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट बढ़ाने, देशभर में खतरनाक स्तर पर पहुँच चुकी प्रदूषण की समस्या से निपटने तथा देशभर में भण्डारण के अभाव में प्रत्येक साल बर्बाद हो रहे अन्न की बर्बादी को रोकने के लिए भण्डारण क्षमता बढ़ाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

---

[*] Speech was laid on the Table.

***श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) :** मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर हो रही चर्चा में अपनी बात रखना चाहता हूँ। माननीय राष्ट्रपति जी का दिनांक 31 जनवरी, 2017 को अभिभाषण हुआ। परम्परानुसार सबसे पहले अभिभाषण पर धन्यवाद के लिए चर्चा होती है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार का सभी क्षेत्र में आगामी वर्ष के लिए एजेंडा होता है।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सभी प्रमुख विषयों का समावेश किया गया है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आतंकवाद, कालाधन, नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, चुनाव सुधार आदि विषयों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना की है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से स्पष्ट है कि श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, किसान, श्रमिक और युवाओं के कल्याण के लिए काम कर रही है।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार "सबका साथ-सबका विकास " की विचारधारा के तहत आगे बढ़ रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा प्रतिपादित "एकात्म मानवता दर्शन में अंत्योदय " सिद्धांत पर काम कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में गरीबों के लिए कई योजनाएं चला रही हैं।

सरकार ने 26 करोड़ से अधिक जन-धन खाते खोले और लोगों को बैंकिंग व्यवस्था में जोड़ा गया। सरकार ने युवाओं को स्वरोज़गार के लिए प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 5.6 करोड़ ऋण के जरिए दो लाख करोड़ रूपये से ज्यादा उपलब्ध कराया। सरकार, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम ब्याज दरों पर आवास ऋण प्रदान कर बेघर परिवारों को घर उपलब्ध करवाने की दिशा में काम कर रही है। वर्ष 2022 तक सभी को घर देने का लक्ष्य रखा गया है।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा संख्या 13 में स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ गरीब घरों को एल.पी.जी. गैस कनेक्शन निःशुल्क उपलबध कराए जा रहे हैं। सरकार देश के सभी गाँवों में बिजली पहुंचाने के लिए काम कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 11000 गाँवों में आज़ादी के बाद पहली बार बिजली पहुंचाई है।

सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम कर रही है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा राशि को दो गुना किया गया है। ई-राष्ट्रीय कृषि बाज़ार के माध्यम से किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिलेगा। किसानों के लिए सस्ता ऋण, बीज एवं उर्वरकों की आपूर्ति, सिंचाई सुविधाओं एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से बेहतर उत्पादन करने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी पहुंचाने की दिशा में सरकार काम कर रही है।

* Speech was laid on the Table.

किसान क्रेडिट कार्ड को रूपे डेबिट कार्डों में बदला जायेगा जिससे किसानों को पैसा निकालने के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में जिक्र किया है कि सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए कई योजनाएँ चला रही है, चाहे वह "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं योजना " हो या "सुकुन्या समृद्धि योजना "। इसके अलावा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का काम सरकार कर रही है।

युवाओं को रोज़गार प्रदान करने के लिए एन.डी.ए. सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चला रही है और प्रधानमंत्री युवा योजना भी प्रारंभ की गई है, जिसमें शिक्षण एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। सरकार 6000 करोड़ के पैकेज से 1.1 करोड़ रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है।

जनजातीय आबादी, आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में जहां पर खनिज संपदा पर्याप्त है, सरकार ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना लागू की है। इस योजना से देश के कई क्षेत्रों में तथा मेरे संसदीय क्षेत्र चतरा के आदिवासियों और गरीबों के लिए कई काम करवाये जा रहे हैं। सरकार ने जनजातीय कल्याण के लिए "वन बंधु कल्याण योजना " लागू की है, जिससे देश के चौदह क्षेत्रों के जनजातीय लोगों को फायदा होगा। सरकार ने प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना चालू की है। इस योजना के तहत जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना को पूरा किया जायेगा।

सरकार ने एक भारत-श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम शुरू किया है। एन.डी.ए. सरकार ने अपने दो साल के कार्यकाल में कई योजनायें लागू की हैं। "एक राष्ट्र-एक कर " के लिए वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम पारित किया है और इसे शीघ्र लागू किया जायेगा।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के अनुरूप सरकार द्वारा 01 फरवरी 2017, बसंत पंचमी के दिन आम बजट प्रस्तुत किया गया है। सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उल्लेखित बिंदुओं के साकार करने वाला बजट पेश किया गया है। इन सभी योजनाओं के आधार पर देश उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। दलित, अल्पसंख्यक, युवाओं, किसानों, गरीब, शोषित, वंचित व मजदूरों के लिए "सबका साथ-सबका विकास " की अवधारणा में पूर्ण भागीदारी प्राप्त होगी। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार के मुख्य उद्देश्यों को प्रदर्शित करता है, जिससे भारत पूर्ण विकास और आत्मनिर्भरता हासिल करेगा। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

***DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR):** Hon'ble President has mentioned so many achievements of this Government in his address. In this regard, I would like to emphasize upon certain aspects. It is noteworthy to be mentioned here tat this Government through the President's address has highlighted the achievements, it has come across during the period of more than two and half years. First of all, the Government has taken a lot of initiatives for welfare and development of poor and disadvantaged groups by introducing plans, policies and programmes. The most important among all the programmes the Government has shown interest is Mahatma Gandhi National Rural Employment guarantee Act under which the budgetary allocation for 2016-17 financial year is almost double. In this regard, I suppose it is because of the adverse impact of demonetization process on poor and disadvantaged people of our country. The Government has made the allocation twice compared to that of last financial year only to control the damage it faced due to demonetization. The intension to move demonetization process of Government might be to check black money, fake currency, terror financing or to facilitate digitalization in transaction process. But ultimate sufferer is poor since they had to face the wrath of the process. Because the poor labourer class engaged in urban areas and depending upon daily wages were being paid in cash and due to demonetization process they were unable to be paid by the employers thereby being forced to go back to the rural native places in search of survival. So, when the Government realized that the demonetization process has affected the poor and disadvantaged mostly in rural areas, they without any second thought enhanced the allocation under MGNREGA having intention to manage the adverse effect inflicted on poor and disadvantaged groups. Secondly, I would like to put emphasis upon one of the gravest problems that we are facing currently over two years is cross border terrorism, especially from the areas along the border of Pakistan. Our relation with our neighboring countries is not at par with our status of a strong nation in South Asia. Our relation with our

* Speech was laid on the Table

traditional friend that is Russia, the country which had always backed us during the time of need whether from the view point of defence or technology, is no more cordial because of the faulty diplomatic policy of this Government. So, my earnest request is along with having cordial relationship with USA, we should also extend healthy relationship with Russia only to keep China and Pakistan in control. We have given emphasis on Make in India, Stand up India, Skill India type of slogans but implementation to fulfill the dreams under these policies is not being made appropriately. The slogan 'Sabka Saath Sabka Vikash' is also not at its end because the very concept or ideology behind these words have been defeated by the scrupulous intention of this Government which has been resulted in the initiative of 'Ghar Wapsi', religious conversion, riots etc. We can see the incidents of atrocities on Women, SCs and STs have increased manifold over the period of last two years in various parts of the country. So, at this juncture when we are talking about development of all, it is necessary to think in part of the Government to overcome the insecurity that has been generated since long due to inequality among the people. Under the Vanbandhu kalyan Yojana, various welfare measures are being taken for development of tribal people. For educational development of the tribal girls and boys, the ashram schools has been established in backward tribal areas of the country. But those schools are not fulfilling the basic aim to inculcate education which would make them to earn their livelihood. The menace of Naxalism is also increasing inspite of various steps taken by the Government to check it. So, emphasis over implementation of programmes meant for tribal people of Odisha should be made with heart rather than pen and paper. It is necessary to bring the tribal youth to the mainstream society with a view to avoid their entrance into such terror outfit.

The Government is talking about cooperative federalism which is a clear eyewash. For political mileage, it has interfered in affairs of so many States which is derogatory to the federal structure which has been enshrined in our constitution.

However, inspite of certain loopholes, the Government has initiated enormous steps unlike the previous Government to curb black money, corruption, to check terror activities, to have transparency in economic transaction, to develop sports activities with heart and soul. Hence, I wholeheartedly support the motion of thanks on Presidents Address.

* **SHRI S. P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR):** The people of the country have a lot of hopes on the President's Address because this document is the roadmap, resolution and intentions of the Government.

The President's speech does not mention most of the imprtant issues facing the nation. There is no mention in the President's speech as to how he will fight the shadow or proxy war in Kashmir. The President's speech does not even mention a word about the sad death of these 150 people who have died as a result of demonetization. There is not a word mentioned in the President's speech about the persons dying in various railway accidents.

First, I would like to come to the merger of Railway Budget with General Budget. The Government has failed to give proper reason for merging of Railway Budget with General Budget. Most of the people failed to understand the reasons for the merger of Rail Budget with the General Budget. Railway is a public service institution, not a commercial service organization. 92-93 years old practice was suddenly discontinued. It is not the objective of the Railway to earn revenue for the department of finance, whereas its objective is to provide maximum facilities to the common men by charging minimum fare. They said that a bullet train will be started from Ahmedabad to Mumbai with a corpus of Rs. 1 lakh crore, but no concrete work has been undertaken in this direction. A budgetary provision of Rs. 10 thousand crore has been made even without acquiring land for this purpose. The Government have badly failed to deliver on promises made by them. There is no mention in the President's Address about the frequent railway accidents. 62 rail derailments took place last year which is more than 70 per cent as compared to the previous year. Moreover, efforts are not being made to avert the accidents. The autonomy of the Railway should have been kept intact.

Secondly, I would like to state that the Government's decision on Demonetization is one of the most senseless, cruel, heartless and reckless step

* Speech was Laid on the Table

taken by any Government since 70 years of Independence. It has disrupted our economy. It was said that the aim of demonetization is to prevent black money. What is the need to kill the whole economy to control black money? What success did the Government have in bringing black money stacked abroad? The Government has destroyed the lives of poor people.

The President has talked about the banks. They are in a worst condition. The total non-performing assets of the banks are Rs. 8,00,000 crore. The Government has failed to reveal the names of those who are big debtors from the banks. I urge upon the government to do the same immediately.

The Country is today facing jobless growth. Lack of jobs is the biggest problem. Even after the Demonetization, the position of unemployment has increased than ever before. The President does not mention the word unemployment in his speech.

On the one hand, the NDA Government talks of according top priority to the welfare of farmers, and on the other hand, the NDA Government wants to acquire their land forcibly. This has created fear in their mind and, it is the duty of the Government to assure them in this regard.

The NDA Government talks of country's GDP growing at 7.75% and food inflation are at a record low. But what about the plight of poor, disadvantaged people? What is the policy initiative of the Government towards ameliorating the pain and agony of poor and downtrodden? In spite of petrol prices decreased drastically, the prices of essential commodities, vegetables, fruits have gone up.

As far as water disputes in the country are concerned, it has not been mentioned in the President's Address. It is a matter of great concern that the entire country is facing great difficulty in sharing waters between various States. I would like to state burning issue in this context that recent happening in the Cauvery dispute is causing great disturbance in Southern States, particularly between Karnataka and Tamil Nadu. When it comes to inter-State water issue, Karnataka has always been meted out with injustice. Now, the point is that Tamil Nadu is

insisting the Union Government to constitute Cauvery Management Board to ensure release of Cauvery water. On the other hand, there are large parts of Karnataka facing drought like situation. So, this has been the case for the last few years. The matter is sub-judice in the Apex Court. In this context, the Government of Karnataka has made a request not to constitute the Cauvery Management Board. I would like to impress upon the Union Government that it should not constitute any such Board because water is a State subject, as per the constitution. If the Centre sets up a Management Board, then it would affect the very federal structure of our nation. These problems should be dealt with a national point of view. Since we do not have a national policy on Water to deal with the disputes of water sharing, such issues are being raised every now and then. Sometimes, it would create law and order situation and end up with grave situation like damaging public property and killing of innocent lives. That is why, I would like to suggest that the need of the hour is to have a national policy for water sharing between the states concerned. So, there should be a permanent solution to such contentious issues. The Union Government should take all necessary steps in this regard.

On the issue of improving relations with our immediate neighbours especially Pakistan, the Government must outline the policy.

There is absolutely no mention in this address how the concerns of minorities will be addressed with their education, religious freedom etc. will be preserved. Communal harmony is shaky since this NDA Government took over the reins of the country. It has failed to instill confidence among minorities on communal harmony and peace. This Government has not taken into confidence the minorities, the backward classes and the scheduled castes of this country. This Government has done nothing for them so far.

Another point I would like to mention is that a number of States in our country have repeatedly facing drought of famine conditions. The Union government has opened the Food corporation of India to rescue the affected people

by distributing the foodgrains from the FCI. Whereas cattle and other livestock's are concerned, there is no such Fodder Bank which are to be set up to rescue them at the time of distress. Therefore, I would like to urge upon the Union Government to earmark adequate funds for setting up of Food Bank at every cluster of villages to rescue our livestock's during drought and other natural calamities.

I hope that the Union Government will come up to the expectation and aspirations of the people of our nation.

*__श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) :__ राष्ट्रपति द्वारा अपने अभिभाषण में सरकार की कार्य योजनाओं, सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों और भविष्य में की जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। हमारी सरकार ने बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रस्तुत किया गया, उसमें प्रमुख रूप से हमारी सरकार ने सिर्फ घोषणा ही नहीं बल्कि उसे कार्यान्वित भी कर दिखाया है। हमारे 70 साल की आज़ादी के बाद भी 18452 गांवों में बिजली नहीं थी, लेकिन हमारी सरकार ने मात्र 2 सालों के अंदर 11 हज़ार गांवों में बिजली पहुंचा दी। जन-धन योजना के तहत 26 करोड़ 68 लाख खाते खुले, जिनमें से 21 करोड़ पर रूपे डेबिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। 9 करोड़ 90 लाख लोगों द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रतिभाग किया है, तीन करोड़ व्यक्तियों द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत प्रतिभाग किया है, जिसमें 54 हज़ार दावे हमें प्राप्त हुए और 50000 दावों का भुगतान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दो करोड़ 45 लाख व्यक्तियों को 81 हज़ार 310 करोड़ रूपये के ऋण स्वीकृत किये जा चुके है। इस बात से पता चलता है कि हमारी सरकार सिर्फ वादे ही नहीं उसे पूरा भी करती है।

* Speech was laid on the Table.

[*]SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): The Central Government has prepared a totally wrong statement to hide their failure in all spheres of common man's life of the country due to their anti-poor policies and its implementation. The Government overruled the existing precedence and customs by adopting un-ethical policies and practices. Modi Government failed to deliver on promises of economic growth and job creation. The President Pranab Mukherjee's address to Parliament is "verbose" with the Modi Government.

I would like to point out that His Excellency President did not mention in his speech about the hardship faced by the poor. Due to unilateral decision of Hon'ble Prime Minister to ban Rs. 500 and Rs. 1000 Notes on November 8, 2016, about 100 people have died for various reasons owing to this act of demonetization. Hon'ble President has not even condoled or mentioned a single word on the tragic death of over 100 people and even not announced adequate compensation to the families of those who lost their lives while standing in queue to withdraw their own hard earned money from banks/ATMs. Hon'ble President applauded the decision of demonetization, but has not mentioned how much black money has been seized/recovered through demonetization.

Demonetization has been the most hotly debated topic since November 8, when Prime Minister announced that the high denomination notes then in circulation would cease to be legal tender. In a single stroke, nearly 86% of the currency in an economy powered by cash transactions, with 54% people without bank accounts, was wiped out. The move disrupted the lives of ordinary people, led to widespread hardship for the poor, major job losses and over a hundred deaths. Despite the huge distress and disruption, the Government is still highlighting the decision. One of Mr. Modi's big campaign promises was to end corruption. But that did not happen. There is growing criticism of the Government's failure to deliver on the promises of bringing back black money

[*] Speech was Laid on the Table.

stashed abroad and depositing Rs. 15 lakh into every bank account as promised at the time of Lok Sabha polls.

The Economic Survey made it clear that the Indian economy was in the "doldrums" and on a "downword trajectory" on account of mismanagement by the Modi Government. Lack of financial acumen and understading of Indian economy's strength and fault lines by Prime Minister Narendra Modi and his team have led to the sorry state reflected in the Economic Survey of falling exports, vanishing jobs, reduction in credit growth, depleting capital formation and massive downslide in demands and corporate sales. The President's address was misleading as the current economic situation of the country and facts in the Address were a mismatch. The Address creates a false impression about the achievements whereas the fundamentals of the Indian Economy are very weak.

Unfortunately, there was no word on the continuous attacks on dalits/scheduled castes and schedules tribes in various parts of the country. University campuses are having no freedom of expression and who raise slogans against the communal forces are being harassed and forced to commit suicide. Even world renowned Jawaharlal Nehru University of Delhi is also facing serious threat on student's rights and expression of opinion. Hon'ble President does not mention anything about this in his speech. Lack of freedom of opinion will lead to a type of anarchism in the country and it gradually develops anti--social group's involvement in the society. The Government has not spared any word in the dictionary- Dalits, exploited, suffering, deprived, farmers, soldiers, youth have been used in the President's Address.

The Government is trying to make a general climate of fear, the Government's intolerance of dissent, to deter people from expressing opposition against Government's anti-people policies. Government is always offered the trope of nationalism so that anyone opposing demonetization is denounced as corrupt and anti-national. The Hyper-nationalism and grandiloquent rhetoric are constant responses of this Government, every time it finds itself on the defensive.

I would like to point that the President's Address did not spell out about the farmers committing suicide due to agricultural crisis in the country. Thousands of farmers are committing suicide due to the burden of farm loan and crop failure due to natural calamities in many parts of the country especially in the state of Karnataka. The state has cultivated area of 122.67 lakh hactare. Agricultural crops are cultivated more in rained condition as the irrigated area is very less in the state. My Parliamentary constituency Bangalore Rural is located in the hailing distance from the state capital Bengaluru. All the regions in my constituency receive very scanty and unevenly distributed rainfall. Most of the districts in the state of Karnataka including my Lok Sabha constituency depend on surface water resources for irrigation and drinking water needs. However, majority of the regions of the state have been reeling under drought condition for the last one and a half decade. As a result, surface water is not available on the one hand and on the other hand ground water table has gone down drastically. This has led to the failure of the crops and hundreds of farmers committed suicide in the state. However, there is no word on sanction of drought relief to the drought hit farmers in the country including Karnataka. There is not even a mention of the drought in the State. The interest of farmers of the country have been completely neglected in the" President's Address,"

Hon'ble President in his Address to the joint Session of the Parliament in the year 2016 indicated that Government was committed to giving high priority to ensure water security in the country. However, the President's address this year remains silent on inter-linking of rivers. India is one of the few countries in the world gifted with considerable water resources. Being a monsoon country, the land frequently witnesses erratic rainfall causing considerable damage to social, economic, ecological conditions of the country.

Recent tensions between Karnataka and Tamil Nadu over sharing of Cauvery River waters, is a better example to understand the problem. In the year 2015-16 season alone, more than 10 major states like Karnataka, Maharashtra,

Uttar Pradesh were hardly hit by drought. Hence there is an urgent need of taking some urgent measures to solve the water disputes between many states in the country including Karnataka and Tamil Nadu. Against this backdrop, the Interlinking of Rivers Programme should be given top priority by the Union Government in order to address twin problems of floods and droughts.

With regard to Farm Loan Waiver, I would like to state that our farmers are already reeling under drought, crop loss and suicides. They expect some big announcements for the agriculture sector. Farmers are demanding the waiver of all crop loans sanctioned by nationalized banks. As per the available data, farmers of the Karnataka availed about Rs. 29000 crores loan from Nationalized Banks. However, the President in his Address has not mentioned any scheme for waiving the farm loan availed by our farmers from the Nationalised Banks.

I would also point out that there is no word about implementing the M.S. Swaminathan Commission recommendations on fixation of farm produce price for providing 50% profit over and above the cost of production. It shows that the Government do not want to do anything concrete to solve the problems of farmers of the country by accepting the recommendations of renowned scientist and experts in the field concerned.

There is no mention of ensuring remunerative prices for farm produces. Farmers are putting hard work to produce fruits, vegetables, and cash crops, but do not get at least the cost of expenditure made on raising these crops as he has to sell the produce at throw away prices. However, the President in his Address to the Parliament has not mentioned anything to provide remunerative prices for farm produces. Therefore, I would like to urge that the Government should take steps to ensure adequate remunerative prices to all the farm produces to encourage our farmers;

I expect this Government to be apologetic about demonetization and hope to see some signs of remorse. But even in the President's Address they are gloating about demonetization. RBI made some sort of a Guinness record by issuing 135

circulars within 50 days. Experts were not consulted, ATMs ran dry. There is reverse migration from cities to remote villages. The ruling party was aware of the decision of demonetization that is why they bought land with cash in so many places just days before demonetization.

The Government seems chastened after the debacle of demonetization and has not done anything reckless or disruptive. The demonetization and inevitable consequences have demoralized the Government. Government has retreated from reforms and has no answer to the severe challenges faced by the economy.

The Government must take immediate steps to control the attacks on backward communities of the country and ensure communal harmony among all sections of the society. The President's Address the report card of the present Government is a total failure.

[*]**श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर) :** अभिभाषण के माध्यम से न सिर्फ सदनों को, वरन देश-विदेश को भारत के गौरव, गरिमा से अवगत कराया गया है, देश के उत्तम विकास की गतियों एवं भारत के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, उसकी पूर्ति करने के प्रयास और उसका एक विस्तार से बयान, सम्माननीय राष्ट्रपति जी ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं उनको श्रृद्धापूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

सबका साथ-सबका विकास के तहत माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्तमान सरकार की अनेकों विकास योजनाओं को एक सर्वोच्च कदम बताया गया है। जन-धन से जन-सुरक्षा की ओर बढ़ती हुई सरकार की उपलब्धि करीब 13 करोड़ गरीब जनता को अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल किया गया है।

देश के विभिन्न क्षेत्रों में डाक नेटवर्क बहुत व्यापक है, ऐसे डाक घर पोस्टल बैंक के रूप में काम करेंगे। बैंकों द्वारा नियुक्त 1 लाख से अधिक बैंक-मित्रों के साथ-साथ ढाई लाख ग्राम डाक सेवक भी बैंक की सेवाएं देंगे।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 2 लाख 56 हज़ार करोड़ रूपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिससे जरूरतमंद लोगों को कर्ज देकर व्यवसायों को प्रोत्साहन दिया गया। इस योजना का 70 प्रतिशत लाभ महिला उद्यमियों ने उठाया है।

स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से गरीबों का स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। इस मिशन से 3 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लक्ष्य गरीब परिवारों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और धुआँ भरी रसोई और ईंधन इकट्ठा करने में लगने वाले समय के दुष्परिणामों से बचाना है। 5 करोड़ गरीब घरों को गैस कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराये जा रहे हैं। मौजूदा वर्ष 1.5 करोड़ कनेक्शन उपलब्ध कराये गए हैं।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत स्वतंत्रता से अब तक अंधेरे में रह रहे 18000 गांवों में से 11000 गांवों में रिकॉर्ड समय पर बिजली पहुँचाई गई है। साथ ही, 20 करोड़ से अधिक एल.ई.डी. बल्ब वितरित किए जा चुके हैं जिससे गरीबों के बिजली बिलों में 10000 करोड़ रूपए की बचत हुई है।

उपरोक्त जैसे अनेकों योजनाओं को सभी वर्ग के लिए ध्यान में रखकर खाका तैयार किया गया है।

[*] Speech was laid on the Table.

*[*]**श्रीमती रक्षाताई खाडसे (रावेर) :** संसद के दोनों सदनों की साझा बैठक के समक्ष दिनांक 31 जनवरी, 2017 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर सदन में माननीय सदस्य तथा संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. महेश शर्मा जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा, उसका मैं समर्थन करती हूँ। भारत की चिरकाल सभ्यता- सहनाववतु, सह नौ भुनक्तु सिद्धांत से प्रेरित है, को याद करके हमारी सरकार ने "सबका साथ-सबका विकास " का एक आलोकित पथ, सामाजिक परिवर्तन और सुधार का पथ, जो सबके लिए प्रकाश स्तंभ है, सरकार के लिए प्रेरणादायी बनाया है। जन-धन के 26 करोड़ खाते खोलने का जिक्र करते हुए सरकार की तारीफ करके इतने सारे गरीबों को बैंक से जुड़ने की व्यवस्था इस सरकार ने बहुत ही थोड़े समय में की और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ जोड़ लिया गया तथा यह सुविधा तुरंत गांव-गांव तक पहुँचाने के लिए बैंक क्षेत्रों को डाक सेवा के साथ जोड़ दिया गया। सरकार ने एक और ऐतिहासिक कदम विमुद्रीकरण का उठाया है, जिसमें 500 एवं 1000 के करेंसी नोट को बंद किया गया है। इससे कैशलेस व्यवहार करने वालो को प्रोत्साहन मिला तथा डाक सेवा से बैंकिंग सेवा देने से कैशलेस व्यवहार के लिए सुलभ होगा। इस कैशलेस सुविधा को सर्वरूप से सशक्त बनाने, बैंकिंग सेवा को मजबूत बनाने, इंटरनेट सुविधा विशेष रूप से नेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने और इन सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार को इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। इस कैशलेस सुविधा से साइबर क्राइम भी अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश करेगा, जोकि सरकार को रोकनी होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार इस चैलेंज का सही उपाय तथा इस तरह के काम करने के लिए कटिबद्ध है।

हमारी सरकार ने किसान के जीवन में बदलाव लाने के लिए कई कदम उठाए, जिससे किसानों को अपने उत्पाद को बेचने के लिए ई-राष्ट्रीय कृषि बाज़ार की व्यवस्था, जमीन के रख-रखाव हेतु मृदा स्वास्थ्य कार्ड हर किसान की जमीन के लिए, जिससे किसान अपनी उपजाऊ जमीन की अच्छी निगरानी करके अपना अगला उत्पाद सुनिश्चित कर सकता है और अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। किसान के उत्पाद को जोखिम से बचाने के लिए बीमा राशि को दोगुना किया और इसलिए बीमा राशि के लिए किश्त भी न्यूनतम स्तर पर लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मेरे क्षेत्र में केले का उत्पाद देश में सबसे ज्यादा होने से, इस उत्पाद पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवरेज भी कम से कम प्रीमियम के साथ जोखिम लागू करने की मांग मैं किसानों की प्रगति के लिए सरकार के सामने रखती हूँ और केले को फल का दर्जा देकर उसे नेशनल हॉर्टीकल्चर मिशन में शामिल करने की मांग करती हूँ। नेशनल हॉर्टीकल्चर मिशन के तहत हॉर्टी ट्रेन तथा वी.पी.यू. गुड्स रैक किसानों को कन्सेशनल टैरिफ रेट में उपलब्ध करने से मेरे जिले के किसान अपनी फसल, केले के उत्पाद को भारत की बड़ी फल मंडी में बेचने के लिए ला

[*] Speech was laid on the Table.

सकते हैं जिसका उचित दाम किसान को मिलने से किसान के कल्याण में राष्ट्र की समृद्धि जैसी हमारी सरकार की सोच को और भी बढ़ावा मिलेगा। इसलिए मेरे क्षेत्र से गुड्स ट्रैन की योजना, भुसावल रेल मंडल के अंतर्गत कार्यरत करने की मांग करती हूँ। हर बूंद अधिक फसल तथा हर खेत को पानी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मेरे क्षेत्र की सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु ज्यादा उचित राशि आवंटित करने की मांग में करती हूँ।

हमारी सरकार ने नारी शक्ति को देश की विभिन्न विकास यात्राओं का अभिन्न अंग बनाया है। इस नींव को और आगे मजबूत करने के लिए महिला किसानों को पूर्ण रूप से सशक्त बनाने हेतु ऐसी महिलाओं के लिए भी कृषि क्षेत्र में उचित योजना, जिसमें केले एवं अन्य फलों की खेती करने वाली महिलाओं को विशेष रूप से उर्वरकों की आपूर्ति एवं सस्ता ऋण उपलब्ध करने की योजना बनाने का सुझाव रखती हूँ।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कई लाख युवकों को प्रशिक्षित करने से युवक बेहतर रोज़गार से लाभांवित हुए हैं। इस नींव को और अधिक मजबूत करने के लिए 2012 से 2016 तक रेलवे भर्ती की नई पॉलिसी, जोकि 21 जून, 2016 से कार्यान्वित की है। इसके पूर्व पास अप्रेन्टिस जो कि आई.टी.आई. की विभिन्न ट्रेडों से पढ़े हुए तथा रेल की स्टेबलिशमेंट में अप्रेन्टिसशिप किये हुए युवकों को रेलवे की बढ़ती हुई स्किल कामगार की मांग और कई रिक्त पदों में जल्द से जल्द सरकारी सेवा में शामिल करने की मांग करती हूँ जिससे कौशल विकास योजना और भी मजबूत होगी और युवकों में देश के प्रति विश्वास दृढ़ होगा।

आधारभूत संरचना व अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के सृजन पर हमारी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है, इसे आगे मजबूत करने के लिए रेलवे के आधुनिकीकरण के अंतर्गत नैरोगेज का बदलाव करके ब्रॉडगेज के तहत मेरे क्षेत्र में 1918 में कार्यांवित नैरोगेज पाचोरा-जामनेर रेलवे लाइन को विश्व में प्रसिद्ध अजंता गुफा तक और आगे बोदबड़ होकर मलकापुर तक बढ़ाने से इस क्षेत्र को रेल की कनेक्टिविटी की मांग में सरकार से करती हूँ जिसका फायदा विश्वभर से आने वाले टूरिस्ट को होगा। छोटे नगरों को वायुयान से कनेक्टिविटी को मेरी सरकार ने अत्यधिक गति दी है। इस राष्ट्रीय नागर विमानन के अंतर्गत जो एयरपोर्ट संरचना कॉमर्शियल ट्रैफिक हैंडल करने के लिए सर्वरूप से तैयार है, जैसे जलगाँव एयरपोर्ट मेरे क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में तुरंत जोड़ने तथा इस मार्ग पर जल्द से जल्द वायुयान यातायात शुरू कराने की माँग करती हूँ जिसका उचित फायदा माइक्रो व स्मॉल इंडस्ट्री, ग्रामीण क्षेत्र एवं किसानों को मिलेगा।

हमारी सरकार किसानों के कल्याण हेतु व कौशल विकास के लिए कटिबद्ध है, जिसके अंतर्गत सरकार ने बहुत उचित कदम उठाए है। मेरे रावेर क्षेत्र से केला फल देशभर में अधिक मात्रा में सप्लाई होते हैं और इसे और मजबूत करने हेतु केला फल के लिए एक संशोधन केंद्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित करने तथा इस क्षेत्र में कपास की खेती ज्यादा होती है जिसके चलते इस क्षेत्र में कॉटन जिनिंग व स्पीनिंग बहुत

अधिक स्थापित है। इस कपास की खेती को बढ़ावा देने हेतु कपास संशोधन केंद्र इस क्षेत्र में विकसित करने की मांग करती हूँ।

सरकार का ऐतिहासिक निर्णय, जो ग्रामीण भारत से एक नई कैशलेस इकॉनोमी तथा डिजिटल इंडिया की तरह उभर रहा है, जिसके चलते भारत की इकॉनोमी यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) जैसे देश को सरपास करके विश्व में पांचवें स्थान पर ले जाने में हमारी सरकार को सफलता मिली है। हमारी सरकार किसान, वर्कर्स, गरीब, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, महिला तथा समाज के असुरक्षित घटकों की उन्नति के लिए लगातार प्रयत्नशील है और रहेगी, यह पूरा विश्वास मुझे है। इसलिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर सदन में माननीय सदस्य डॉ. महेश शर्मा जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, उसका पुनः समर्थन करती हूँ।

[*]**श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझनू) :** मैं गर्व के साथ कह रही हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन के मौजूद सभी सदस्य चाहे वे पक्ष में है या विपक्ष में- एक बात सब जानते और मानते हैं कि देश प्रगति की ओर अग्रसर है।

मुझे खुशी है कि हमारी सरकार द्वारा चलायी जा रही सभी योजनाएँ "सबका साथ-सबका विकास " के सिद्धांत पर है, कारण बड़ा साफ है- हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी- जिन्होंने समाज के सभी पहलुओं को बड़े करीब से देखा, महूसस किया और जिया है।

वर्तमान सरकार की किसी भी योजना को उठाकर देख ले आप को चार-पाँच बातें देखने को जरूर मिलेंगीः-गरीबों का उत्थान, किसानों की समृद्धि, युवाओं का विकास, भ्रष्टाचार मुक्त देश, मजबूत विदेश नीति और मजबूत आर्थिक नीति।

वर्तमान सरकार की सफलता का मूलमंत्र है कि यदि देश का विकास करना है तो यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकार देश के हर उस नागरिक तक पहुंचे जो समाज के सबसे निचले स्तर पर है। वर्तमान सरकार की नीतियों का केंद्र बिंदु गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, किसान, श्रमिक और युवाओं का कल्याण करना है और यही कारण है कि आज देश में करीब 1.2 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं ने रसोई गैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ी है, जिससे वंचित लोगों को रसाई गैस कनेक्शन मुहैया कराये गये। यह देशवासियों का सरकार में विश्वास ही है जिसके द्वारा हाल में देश में हुई नोटबंदी में सरकार को सफलता मिली। यह देशवासियों का सरकार में विश्वास ही है जिसने स्वच्छ भारत मिशन को एक जन आंदोलन में बदला और देश के 1.4 लाख गांव, 450 से ज्यादा शहर, 77 जिले और 3 राज्य खुले में शौच से मुक्त हो पाए।

वर्तमान सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए मजबूत वित्तीय ढांचे को खड़ा करने का काम किया है। 26 करोड़ से अधिक जन-धन खाते खोलकर लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से पहली बार जोड़ा गया है, कैशलेस भुगतान के लिए 20 करोड़ से अधिक रूपे डेबिट कार्ड जारी किए गए। " जन-धन से जन-सुरक्षा " की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए लगभग 13 करोड़ गरीबों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल करना सरकार की देश में गरीबी कम करने की इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

महिलाओं की सुरक्षा, विकास और सम्मान की बात करे तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। सरकार पहले दिन से ही महिलाओं के विकास और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वचनबद्ध दिखी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 2 लाख करोड़ रूप के 5.6 करोड़ ऋण में सत्तर प्रतिशत लाभ महिला उद्यमियों को देने की बात हो या दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत महिलाओं, विशेष रूप से वंचित समुदायों की महिलाओं को

[*] Speech was laid on the Table.

सशक्त बनाने के लिए सोलह हज़ार करोड़ रूपए का प्रावधान करना हो, सरकार ने महिलाओं को मजबूत करने का काम किया है।

मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगी कि सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को धुएं भरी रसोई से निज़ात दिलाते हुए 1.5 करोड़ गरीब घरों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जिसमें 37 प्रतिशत उज्ज्वला लाभार्थी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों में से है।

घटते चाइल्ड सेक्स रेशियो के समाधान हेतु शुरू की गई बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं योजना के अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगे हैं। मुझे सदन को यह बताते हुए हर्ष महसूस हो रहा है कि हाल ही में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं योजना के अंतर्गत देश के 10 जिलों को सराहनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया जिसमें मेरा संसदीय क्षेत्र झुंझनू भी एक था। सरकार द्वारा लड़कियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को सक्षम चिकित्सा परिचरों द्वारा एंटेनेटल केयर की सुविधाएं प्रदान करना तथा मातृत्व सुविधा अधिनियम में संशोधन और प्रसूति अवकाश अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह सरकार की महिलाओं के प्रति सम्मान को दर्शाता है।

भारत की प्रगति सदैव से किसानों की प्रगति पर निर्भर रही है और इस बात को हमारी सरकार ने भली-भांति समझा है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसी का एक जीवंत उदाहरण है। किसानों के लिए सबसे कम प्रीमियम दर पर फसल बीमा देने के लिए सरकार का सबसे बड़ा अंशदान है और अब देश के अन्नदाता को और अधिक मजबूती देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जोखिम कवरेज को विस्तृत किया गया है, बीमा राशि को दोगुना किया गया है और किसानों के लिए प्रीमियम राशि को अब तक के न्यूनतम स्तर पर लाने का काम किया है। किसान क्रेडिट कार्डों को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से मौजूदा कार्डों के अलावा तीन करोड़ कार्डों को जल्द ही रूपे डेबिट कार्डों में बदलना तथा नाबार्ड निधि की राशि को दोगुना करके सभी किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध करने का जो काम वर्तमान सरकार ने किया है वह एक सराहनीय कदम है।

मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने भारतीय जनमानस को विकास से जोड़ा है। आज भारत इन योजनाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ है।

मेरा संसदीय क्षेत्र झुंझनू सैनिकों का ज़िला है, झुंझनू ज़िले से सर्वाधिक सैनिक देश की सीमाओं पर तैनात हैं। अगर शहीदों की बात करें तो झुंझनू ज़िले का कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसमें एक या दो शहीद न हो। वर्तमान सरकार ने सैनिकों के महत्व को समझा और सम्मान देते हुए चार दशक पुरानी मांग-

पूर्व सैनिकों की "एक रैंक- एक पेंशन " (ओ.आर.ओ.पी.) को पूरी करने का काम किया है जिसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है।

क्षेत्रीय संप्रभुता के बार-बार उल्लंघन करने का मुँहतोड़ जवाब देने के लिए वर्तमान सरकार ने निर्णयात्मक कदम उठाए हैं। आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ रोकने के लिए 29 सितंबर, 2016 को हमारे रक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा पर अनेक लांच पैड पर सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक किया। हमारे रक्षा कर्मियों के इस अदम्य साहस और पराक्रम पर हमें गर्व है और हम उनके प्रति कृतज्ञ और ऋणी है।

*[*]**डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर) :** हमारी सरकार ने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया है। गरीबों को जिनको अब तक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं थी, उन आम लोगों को जन-धन बैंकिंग से जोड़ा और अब उनके लिए जन-धन से जन-सुरक्षा की ओर तेजी से कार्य बढ़ाया जा रहा है। हमारी सरकार में गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित और वंचितों के कल्याण हेतु अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं। आज मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल प्रयासों के कारण भारत दुनिया में सुपर पावर देश बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार लगभग-लगभग समाप्त होने की दिशा में बढ़ रहा है, लोगों ने प्रधानमंत्री जी के निर्णयों में आस्था जताई है और ईमानदारी की ओर जनता प्रेरित हो रही है। मैं केंद्र सरकार के कैशलेस को बढ़ावा देने के निर्णय का स्वागत करती हूँ, जितना कैशलेस का चलन बढ़ेगा उतना भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता चला जाएगा।

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, फसल बीमा योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आदि अनेकों योजनाओं के सफलतापूर्वक परिणामों के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देती हूँ।

[*] Speech was laid on the Table.

*__श्री रोड़मल नागर (राजगढ़) :__ मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। वर्तमान सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय विचाराधारा के मार्ग दर्शन पर चल रही है। जो आम जन मानस के विकास और उन्नति के लिए सुगम और सहज है।

इस सरकार ने गांव, गरीब, मजदूर, किसान, युवा, महिला सशक्तिकरण के हित में जो कार्य किये हैं वे अभूतपूर्व हैं। प्रत्येक गांव को बिजली देने का संकल्प, पक्की डामरीकृत सड़कें, हर खेत को पानी के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, खेती को घाटे के धंधे से ऊपर उठाकर 5 वर्ष में उसकी आमदनी दोगुनी करना, बिजली, खाद, मिट्टी परीक्षण के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ना, नुकसान 50 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत करना, उसकी आमदनी को बढ़ाने का कार्य किया है, जन-धन योजना के माध्यम से हर गरीब को बैंक से जोड़ने का कार्य हमारी सरकार ने कर दिखाया है। हाल ही में नोटबंदी के समर्थन में हमारे देशवासियों ने विशेषकर गरीब एवं ईमानदार तबके के लोगों ने काले धन के विरूद्ध संघर्ष में असाधारण शक्ति का और सहनशीलता का परिचय दिया है। भीम एप के माध्यम से हमारी सरकार ने कैशलेस व्यवस्था को सुगम और सरल बनाने का प्रयास किया है।

माननीय प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर देश के लगभग 1 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं ने रसोई गैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ी है। जिसके माध्यम से 5 करोड़ गरीब घरों को गैस कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारी सरकार के कार्य को सफल बनाने के लिए जनशक्ति ने स्वच्छ भारत मिशन को एक जन आंदोलन में बदल दिया है। अब तक 1 लाख गांवों, 450 से ज्यादा शहरों, 77 जिलों एवं 3 राज्यों ने अपने क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। "इन्द्रधनुष मिशन " के द्वारा हर बच्चे को हर जगह निवारणीय बीमारियों से टीकाकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

हमारी सरकार ने हर बूंद अधिक फसल तथा हर खेत को पानी ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कवरेज बढ़ाया है। 12 लाख हैक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था की गई है। अगले चार वर्षों में एक करोड़ युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए 12 हज़ार करोड़ के बजट परिव्ययन के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रारंभ की गयी है। जिसके माध्यम से 20 लाख से अधिक युवाओं को लाभांवित किया जा चुका है। आने वाले समय में हमारी सरकार के द्वारा चुनाव प्रक्रिया में सुधार करते हुए एक साथ चुनाव करवाना अनुकरणीय है। हमारी सरकार 1159 अप्रासांगिक कानूनों को समाप्त कर वित्तीय समायोजन एवं संस्थागत सुधारों का पर्याय बन चुकी है।

भारत नैट प्रोजेक्ट के तहत "ऑप्टिकल फाइबर केबिल " के माध्यम से अब तक 75,700 से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंचाया जा चुका है। सरकार ने प्रयास करके एक देश-एक टैक्स और एक देश-एक बाज़ार के माध्यम से बढ़ावा देते हुए संसद के दोनों सदनों में जी.एस.टी. पारित कर 17 राज्यों ने बहुत

* Speech was laid on the Table.

कम समय में सहमति दी है। हमारी सरकार ने आवासहीन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 2022 तक आवास उपलब्ध कराने का कार्य प्रारंभ कर दिया है।

अंत में मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा........

चलो जलाएं दीप वहां,

जहां अभी भी अंधेरा है।

*__श्री आलोक संजर (भोपाल) :__ बसंत ऋतु के पावन अवसर पर राष्ट्रपति महोदय के श्रीमुख से बजट पूर्व अभिभाषण सुनने का सौभाग्य मिला। वास्तव में बसंत मन में एक सुरूचिपूर्ण सौन्दर्य बोध जगाता है, हवा

* Speech was laid on the Table.

के बदलते ही मन बदलने लगता है। बसंत पंचमी से एक ऋतु आरंभ होती है-सहजता से, शांति से, सौम्यता से प्रेम करने की दिशा में ।

इस अभिभाषण को सुनकर एहसास हुआ कि वर्तमान समय नये युग के सृजन करने को आतुर है, देश एक नयी सकारात्मक दिशा में तीव्र गति से कदमों को बढ़ा रहा है, इस भव्य नारे के साथ " सबका साथ-सबका विकास " उस अभिभाषण में एक विशेष बात सुनने को मिली कि हमारी पुरानी परंपरा, पुरानी सभ्यता के प्रतीक हमारे महान संतो, महापुरूषों व चिंतकों की जयंती पर सरकार दृढ़ संकल्पित है सुधार पथ पर-विकास की राह सबल हो । किसी ने ठीक कहा है किः-

बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती,
सुखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती,
जो झुक जाये भारत माता के चरणों में,
उसकी झोली कभी खाली नहीं होती ।।

देश के प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2014 को संसद को इस लोक तंत्र को मात्र एक भवन नहीं माना बल्कि इस भवन को लोकतंत्र का मंदिर माना और अपने कर्तव्य को पूजा । मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं जब प्रथम बार प्रधानमंत्री सदन में आये तो लोकतंत्र के मंदिर की प्रथम सीढ़ी पर उन्होंने प्रथम चरण नहीं रखा वरन् दुनिया को दिखाया कि हमारा लोकतंत्र, हमारे कानून, हमारी व्यवस्था, हमारा देश उनकी निगाह में कितना महत्वपूर्ण है और उन्होंने प्रथम सीढ़ी पर अपना मस्तक रख दिया । तभी से देश एक दिशा में चल पड़ा है ।

तभी से देश की दशा और दिशा पर आमजन चर्चा कर रहा है । 70 साल में "" देश की दशा अर्थात्- " द " से दयनीय "शा" से शासन । दयनीय शासन के कारण देश बदहाल था और विकास अवरूद्ध था, सपने दिखाये गये और सिर्फ दिखाये ही गये । गरीबी हटाने जैसे लोक लुभावन नारे अनेकों प्रश्नों के साथ खड़े रह गये । वहीं " देश की दिशा " अर्थात् " दि " से दिव्य और "शा" से शासन, आज देश दिव्य शासन के साथ प्रगतिशील कदमों के सहारे बढ़ रहा है । पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दिव्य मंत्र " चैरेवेति-चैरेवेति " के साथ वर्तमान सरकार मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की कार्यशैली समझ आयी है - देश दुनिया स्वागत कर रही है कि कार्यशैली में सपनों का पुलिंदा नहीं है, कार्यशैली आमजन के हितों की कार्यशैली है । राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में स्पष्ट था कि वर्तमान सरकर गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, श्रमिकों की सरकार है, माताओं-बहनों की सरकार है, विद्यार्थियों व युवाओं की सरकार है, सीमा पर तैनात सैनिकों की सरकार है, सभी वर्गों के लोगों के भविष्य की चिंता करने वालो की सरकार है। तभी तो यह सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अन्त्योदय विचारधारा

के मार्गदर्शन पर चल रही है, चल ही नहीं बल्कि उनकी जयंती वर्ष में जनशताब्दी वर्ष के रूप में " गरीब कल्याण वर्ष " के रूप में मनाने जा रही है ।

विश्व की छठे हिस्से से भी अधिक आबादी वाले देश के तौर पर हमारे देश का अपना एक अलग महत्व और वजन है लेकिन वर्ष 2013 के एक लेख में शीर्षक याद आता है - " भारत की कमजोर विदेश नीति " । उस लेख में लिखा गया था कि तत्कालीन सरकार के कारण, उनकी नीतियों के कारण, उनकी कार्यशैली, कार्य क्षमता के कारण भारत किस तरह अपनी प्रगति में खुद ही बाधक है और किस तरह राजनैतिक दूरदर्शिता की कमियों के कारण खुद ही अनेक अनुतरित प्रश्नों की श्रृंखला के साथ खड़ा है।

वर्ष 2014 में एक नयी सुबह हुई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने उन प्रश्नों के जवाब अपनी कार्यक्षमता व दूरदर्शिता से देना प्रारंभ किया । सबसे पहले जन जन का विश्वास जीता, जनधन खाते खुलवाये, देश के लगभग 26 करोड़ देशवासियों को बैंकों से जोड़ा, आज अधिकांश लोग कैशलेस भुगतान के रूपये डेबिट का उपयोग करने लगे हैं । स्वच्छता अभियान के साथ-साथ गरीबों को आवास, सस्ता स्वास्थ्य संरक्षण, आदि की चिंता करने वाली सरकार ने 3 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण करवाया है, लोगों को नये युग से जुड़ने की प्रेरणा दी है । प्रधानमंत्री उज्जवला योजना गांव-शहर की माता बहनों के लिए सौगात है, वह भी सपना देखा करती थी कि कब इस जान लेवा धुआं, बीमारियों की सौगात देने वाले धुएं से मुक्ति पायेगा। आज प्रशंसा करनी चाहिये इस योजना की कि गैसे के 1.5 करोड़ गैस कनेक्शन प्राप्त करने के बाद वह सभी माता-बहनें देश की सरकार को देश के प्रधानमंत्री जी को आर्शीवाद दे रही है, मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रही है ।

पूर्व की सरकारों ने लुभावने वादे किए सपने दिखाये, लेकिन नीति और नीयत खराब होने के कारण सपने-सपने ही रह गये या चकनाचूर हो गये । उसके विपरीत मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने सपने नहीं दिखाये, बिना सपना दिखाये उन गरीबों की मनोकामना को पूरा करने का काम किया है । कितनी बार आरोप प्रत्यारोंपों को हमने सुना है, प्रशंसा करने वाले सूक्ष्म अध्ययन चिंतन के बाद प्रशंसा कर रहे हैं । किसी ने लिखा है कि:-

" विश्वास करो तुम मोदी पर,
वह नव युग का निर्माता है,
ऐसा नेता इस मातृभूमि पर,
युगो-युगों के बाद आता है ।
अगर-समझ गये इन बातों को,
गुणगान तुम्हारा भी होगा,
यह मौका गर बीत गया तो,
नुकसान हर हाल में तुम्हारा होगा ।।

विपक्ष जो कभी सत्ता में था, सत्ता जाने के बाद सत्ता पाने की लालसा में अनर्गल प्रलाप कर रहा है, नकारात्मकता की पतवार से झूठ के भंवर में फंसी नाव को किनारे लाने का असफल प्रयास कर रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि-

" जो जस करहि, सो तस फल चाखा "

जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है । विपक्ष के नेता अपने भाषणों में यशस्वी प्रधान मंत्री जी पर लक्ष्य विहीन शब्द बाणों से प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन माननीय मोदी जी का विकास कवच इतना मजबूत है कि सभी बाण बेकार हो गये है बल्कि उनका तरकश भी शून्य हो गया है । यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ एक बाण चलाया, " विमुद्रीकरण का बाण " ऐसा सश्क्त बाण क्या चलाया कि देश के आंतरिक और बाहरी दुश्मन और उनकी ताकते क्षीण हो गयी, सबकी नींद हराम हो गयी , अभी भी वह बिलबिला रहे हैं, प्रयास में हैं कि विकास की आंधी को रोका जाये । लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि परवाह नहीं, चाहे जमाना कितना भी खिलाफ हो, चलूंगा, उसी राह पर, जो राष्ट्र हित में, सीधी और साफ हो । सर्जिकल स्ट्राईक के बाद, देश की सरकार के काम करने की शक्ति बढ़ी है, देश का सर उंचा हुआ है, देश की सीमा पर तैनात भारत माता के वीर सपूतों का मनोबल भी बढ़ा है । दुश्मन देश हतोत्साहित है, आतंकवाद के बढ़ते कदम शिथिल हो गये हैं, हिम्मत टूट गयी है । विमुद्रीकरण भी उसी सिक्के का दूसरा पहलू है, देश के विकास की दिशा में सार्थक कदम है, देश के अंदर की नकारात्मक शक्ति का नाश हुआ है । देश की आम जनता की सराहना करनी चाहिए कि विमुद्रीकरण के समय जनता ने अपनी परेशानियों को देश के आंतरिक बाहरी संकट से बहुत छोटा माना । देश के राष्ट्रपति के भाषण में देश के सुंदर भविष्य, हमारी सभ्यता, संस्कृति के साक्षात् दर्शन हुए हैं, आने वाला समय देश के विकास का समय है, गरीबों को उत्थान का समय है, किसानों की प्रगति का समय है । अंत में अभिभाषण का स्वागत व समर्थन करते हुए, आदरणीय मोदी जी के लिए दो लाइन कहता हूं कि

माना तेरी नजर में काबिल नहीं हूं,

जाकर पूछ उनको, जिनको हासिल नहीं हूं ।

[*]**श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) :** मैं माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण का स्वागत और समर्थन करती हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में न केवल सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख होता है, अपितु उसमें भविष्य के भारत की तस्वीर भी होती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो हमें इस अभिभाषण में एक बेहतर और उज्ज्वल भारत की तस्वीर दिखाई दे रही है।

माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह देश में बड़े पैमाने पर आर्थिक बदलाव हो रहे हैं। किस तरह देश के 20 करोड़ से अधिक लोगों को पहली बार जन धन खाते खोलकर बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। देश की वित्तीय व्यवस्था में इन लोगों का समावेश करने से इन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन की कमी और वृक्षों तथा वनों के न के बराबर होने से वहां जलावन की लकड़ी और ईंधन की भयंकर समस्या थी। हमारी सरकार ने समय रहते इस समस्या की ओर ध्यान दिया और अनुसूचति जाति तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य निर्धन परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए। इससे ग्रामीण महिलाओं को काफी राहत ली है और उन्हें प्रदूषण मुक्त स्वच्छ ईंधन उपलब्ध हुआ है। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने जिस स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी और उसे अंजाम तक पहुंचाने का अपना संकल्प व्यक्त किया था, अभिभाषण में उसका भी उल्लेख है।

विगत ढाई वर्षों में देश के एक लाख चालीस हजार गांवों, 450 से अधिक शहरों, 77 जिलों और तीन राज्यों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। इस दिशा में शेष भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार ने देश की जनता के कल्याण और विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है ताकि 'सबका साथ सबका विकास' का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके । प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, दीनदयाल अन्त्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री युवा योजना, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, वनबंधु कल्याण योजना, निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं । इन योजनाओं से देश के प्रत्येक वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचेगा । चाहे दिव्यांगजन हों, चाहे बेरोजगार हों, चाहे किसान या खेतिहर मजदूर हों, चाहे वृद्ध और बीमार हों, चाहे गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु हों, चाहे आदिवासी और जनजातीय लोग हों, या फिर निर्धन, असहाय और अशक्त हों, इन योजनाओं से सभी लोगों को लाभ पहुंचेगा और देश में खुशहाली आयेगी ।

---

[*] Speech was laid on the Table.

सरकार ने देश में कालाधन के खिलाफ एक जंग छेड़ी हुई है । इसके लिए प्रभावी कदम उठाये गये हैं । इसी के तहत सरकार ने नवंबर, 2016 से पांच सौ और एक हजार के पुराने नोटों को बंद करने का निर्णय लिया । सरकार ने अज्ञात विदेशी आय और बेनामी संपत्तियों को जब्त करने संबंधी कानूनों में बदलाव कर इन्हें और सख्त बनाया है ।

सरकार ने गरीबों के हित में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लिए वर्ष 2016-17 में सैंतालीस हजार करोड़ रूपये आवंटित किये ताकि गाँवों में स्थायी परिसंपत्तियों के साथ-साथ ग्रामीण आधारभूत संरचना तेयार की जा सके । सरकार ने डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा के लिए कई कदम उठाये हैं । गरीबों के मसीहा बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक मोबाइल-एप-भीम लाया गया है । इससे पैसों का भुगतान करने में काफी सहूलियत होगी ।

सरकार ने देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं । वर्षों से रूकी पड़ी रक्षा उपकरणों की खरीद में तेजी लाई गई है और देश के सैनिकों के कल्याण की दिशा में कदम उठाए गए हैं ।

उपरोक्त सभी कदमों के मद्देनजर में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करती हूं और हृदय से स्वागत करती हूं ।

* **DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY):** India is facing an uphill task of bringing back economy on growth path after demonetization. The forecast of the Economic Survey is that economy would grow between 6.75% and 7.5% in the next financial year. But it is uncertain due to growing NPAs and the decision of Donald Trump administration concerning H-1B visas which would immensely affect India's IT industry. With this background, no one can hazard a guess that economy would be in good shape in the coming months when growth rate is slipping. Budget presented by our Finance Minister painted a rosy picture of the economy.

Inequalities have grown enormously if we go by what is stated officially by the government - that only 76 lakh Indians make over Rs. 5 lakh per year officially. There is a need to ensure that the growth and development reaches the poor and downtrodden who are at the lowest rung of society. At present, it is not so. Rich are getting richer and poor are getting poorer.

It is astonishing to find out that the Budget seeks to provide a record Rs. 10 lakh crore in loans to farmers, boost funds for rural employment guarantee programme and bring one crore households out of poverty and promised to build one crore houses by 2019. This is no doubt aimed at farmers in Uttar Pradesh to influence the voters. On the ground, where is the money? May I know from the Government as to what it has done on these counts for the past 2 and a half years? We could see rise in farmers suicides under this Government with no sight of any policy or programme to address the issues concerning farmers or to pay compensation to the family of farmers who have committed suicide or to waive off their loans with the result the Supreme Court asked the Centre to formulate a policy to address the farmers suicides. Is it not a fact that farmers suicides have gone up by a 45 per cent during the 2 years rule of NDA II under Modi ji? What would be the Government's response on farmers suicides.

* Speech was laid on the Table

What about providing jobs to the youth? Modi ji promised heavens to the youth and got elected. Immediately after that, he has forgotten the youth and a paltry 1.5 lakh jobs were created in 2015-16 but promised 5 core jobs in 5 years. Youth were stranded with unemployment on the rise. Government has failed miserably in providing jobs. There is no policy to address youth unemployment.

The Government claims that economy is on the right path and it would grow. The IMF has recently slashed its India growth project for the current fiscal year by a full point to 6.6 per cent. Would the Government respond to the slashing of IMF specifically without giving jugglery of figures to bring home the point?

There is a cap on cash donation to parties at Rs. 2,000 from the earlier Rs. 20,000 and poll bonds were proposed. Unless we could get to know the details of the scheme on poll bonds one cannot jump to the conclusion as to how this would bring transparency or what is the intention of the Government on these aspects.

It seems only the Government is appreciating the Budget and a few of its partners not one Opposition party welcomed the Budget. Shiv Sena, an ally of BJP, wanted to know where is acche din, which was promised by the BJP? Left parties alleged that the figures highlight by the Government do not match the reality on the ground. This budget would further shrink economic activity and would not boost demand. Lalu Prasad described Mr. Modi as a 'twin brother' of new US President Donald trump, who is now famous for 'taking wayward decisions'.

Our leader, Kumari Mamata Banerjee remarked that this Budget is not only clueless and action-less but also heartless for various reasons. This Budget is full of jugglery of numbers and hollow words and hence misleading, according to our leader.

This Budget has promised a lot. For example, boosting employment and the idea of infrastructure development. But where is the money.

With the Budget provided to the Railways, it would take a long time for the Bullet Train to come on the track. Instead of focusing on safety and security of

railway passengers, more than 4 major accidents have taken place in the recent past, this Government is directionless, and started making tall claims of bringing Bullet Train in the country. How can it be possible without huge finances at the disposal of the Railways?

There is nothing concrete on black money in the Budget. I wish the Government before it completes its tenure would come out with a scheme which would ensure basic income to every person below the poverty line. The allocations made to the HRD is a mere Rs. 79,686 crore; and Ministry of Women and Child Development is Rs. 22,095 crore, and Health and Family Welfare is Rs. 48,853 crore. Is this enough when we for sure know the plight on these three counts? Government needs to explain a lot in this regard. I hope the hon. Minister would make attempts to hike the allocations to these important Ministries which would go a long way in ensuring education, safety and growth of women and children, and health sector getting a much needed boost. Much emphasis needs to be paid to health and education. I hope the hon. Finance Minister would look into these aspects, along with the welfare, safety and security of women and children in these days of upheavals heaped on them.

[*]**SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI):** I would like to thank the President for addressing the members of the Parliament in a joint session on 31st January, 2017. The address summarised the achievements of the Government and briefed about the progress in various social indicators for the financial year 2016-17.

But I regret that some crucial issues which are central to the welfare of the farmers, rural economy and common man in general were missed out.

The farmers' suicides continued to increase in 2016-17 due to drought. According to the National Crime Records Bureau statistics, Maharashtra contributes to more than half the total suicides by the cultivators, with Marathwada and Vidarbha regions being affected the most. The Special Task Force on agrarian crisis appointed by the Maharashtra Government estimated that the suicides in the first four months of 2016 were more than 400. Given the intensity of the matter, it should have been mentioned in the President's address and so are the policies of the Government for the bereaved families of the farmers.

The year 2016 was conspicuous by the fluctuations in the prices of the farm output. Be it the high price rise of grams, vegetables during the monsoon season; or the drastic fall in the prices because of abundant rainfall and bountiful crop (especially onions) in September and October, 2016.

To cap it all, the demonetisation happened at the crucial juncture when the rural economy was reeling under the stress of falling prices. The rural economy and the informal sector, which deal majorly in cash were hit hard. The prices of the perishables fell dramatically in the days following the demonetisation announcement. Farmers had to default on the loan repayments and undertaking of new loans for the Rabi sowing. Also, with the last week of October to the first week of November being the Kharif harvest season, the farmers found themselves with wads of cash, which has lost its value as a store of account and medium of exchange. Since the cooperative banks are restricted from accepting loan

---

[*] Speech was laid on the Table

repayments in old currency, the interest rate on the past loans keeps accumulating. The hardships faced by the cultivators and the common man, the measures taken to neutralise its effects found no mention in the Address. The Address does not accept any of these ill impacts of demonetisation.

The minutes of the RBI meeting that decides on the demonetisation are not in the public domain. In fact the Reserve Bank of India has rejected the RTI application to asking for the proceedings of the meeting.

The Government has come up with schemes like Skill India to train the youth with employable skills. But nowhere in the President's Address is a mention of the employment growth of the youth from these initiatives. How and where the Centre plans to employ these youth skilled through the Government initiatives, is something that the Address must have contained.

MGNREGA is a social welfare scheme that provides dignity in labour and livelihood to the households in rural India. But there are arrears in the payment of wages for the current financial year 2016-17 that are being carried forward to the next year. Developmental works like improving the rural roads, digging of tanks for water storage, de-silting the canals are being undertaken under MGNREGA. The Union Government increased the number of days of guaranteed employed under MGNREGA by 50 days to 150. But despite this, according to the Rural Development Ministry, the average number of work days for 2015-16 is only 47.8 work days. Also, the funds required for the payment of wages are not devolved to the States promptly, leading to delay in the payment of wages and pile up of arrears. An estimate of the expenditure needed for the payment of the arrears and the average number of work days finds no mention in the Address.

The state of the farm ponds and other works, constructed under MGNREGA, the progress of the works undertaken should have been included in the President's Address.

Investment as proportion to GDP has been stagnant for the past two years. I would like to ask the Government how it plans to stimulate investment.

The Government and the Judiciary are stuck in an impasse over the process of judicial appointments. This has delayed the filling of vacancies for the various posts of judges in the high Courts and the Supreme Court. This is an issue that needs urgent attention, as justice delayed denies the fundamental right of every citizen to speedy justice.

The Government has promulgated many Ordinances during 2016-17 like The Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Ordinance, The payment of Wages (Amendment) Ordinance; and even repromulgated the Enemy Property (Amendment and Validation) Fifth Ordinance. This undermines the Legislature as it seeks to bypass the democratic legislative process of the Parliament.

The above important issues find no mention in the President's Address and should have been included in it.

*श्री देवजी एम. पटेल (जालौर) : यह एक ऐतिहासिक संयुक्त सत्र है, जिसमें स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट सत्र के निर्धारित समय को इस वर्ष आगे लाया गया है एवं आम बजट के साथ रेल बजट का विलय किया जा रहा है। हम एक ऐसे लोकतंत्र के उत्सव के लिए पुनः एकत्र हुए हैं, जिसके मूल्य और संस्कृति इस देश के लंबे इतिहास के हर दौर में फलते-फूलते रहे हैं। वास्तव में इसी संस्कृति ने मेरी सरकार को सबका साथ-सबका विकास की ओर प्रेरित किया है। हमारी सभ्यता चिरकाल से ही सहनाववतु, सह नौ भुनक्तु जैसे महान सिद्धांत से प्रेरित रही है जिसका अर्थ है कि हम परस्पर दोनों साथ-साथ एक दूसरे की रक्षा करें, हम दोनों का साथ-साथ पोषण करें। इस वर्ष महान सिख गुरू गोविंद सिंह जी की तीन सौ पचासवीं जयंती है। हम महान संत दार्शनिक रामानुजाचार्य की सहस्रवीं जयंती भी मना रहे हैं। इन महान विभूतियों द्वारा दिखाया गया आलोकिक पथ सामाजिक परिवर्तन और सुधार का पथ, जो सबके लिए प्रकाश स्तंभ है, मेरी सरकार के लिए प्रेरणादायी है।

हमारे देश के नागरिकों ने, विशेषकर गरीब तबके के लोगों ने, हाल ही में काले धन के विरूद्ध संघर्ष में असाधारण शक्ति और सहनशीलता का परिचय दिया है। रसोई गैस के मामले में गिव ईट अप अभियान की सफलता के पीछे भी यही प्रेरक भावना रही है। 1.2 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं ने रसोई गैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ी है, जिससे वंचित लोगों को रसोई गैस कनेक्शन मुहैया कराने में बहुत मदद हुई है। इसी "जनशक्ति " ने स्वच्छ भारत मिशन को एक जन आंदोलन में बदल दिया है। 1.4 लाख गाँवों, 450 से ज्यादा शहरों, 77 जिलों तथा 3 राज्यों ने अपने क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया है। मेरी सरकार जनशक्ति को शत-शत नमन करती है और प्रण करती है कि हम इस शक्ति का राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक प्रयोग करेंगे। गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, किसान, श्रमिक और युवाओं का कल्याण ही मेरी सरकार की नीतियों का केंद्र बिंदु है।

मेरी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय विचारधारा के मार्गदर्शन में चल रही है। उनकी जन्म शताब्दी को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। गरीब और अब तक जिनको बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं ऐसे लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए भारतीय डाक भुगतान बैंक (इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक) प्रारंभ किया गया है। भारत में डाक नेटवर्क बहुत व्यापक है, जिसमें डेढ़ लाख डाक घर गांव-गांव तक फैले हुए हैं। ये डाक घर पोस्टल बैंक के रूप में कार्य करेंगे। बैंकों द्वारा नियुक्त किए गए एक लाख से अधिक बैंक मित्रों के साथ-साथ, ढाई लाख ग्राम डाक सेवक भी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेंगे।

---

* Speech was laid on the Table.

मेरी सरकार ने किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमारा ध्यान कृषि क्षेत्र के संपूर्ण विकास पर केंद्रित है जैसे सस्ता ऋण उपलब्ध कराना, बीज और उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करना, सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाना, व्यापक जोखिम सुरक्षा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से बेहतर उत्पादकता, ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एन.ए.एम.) के माध्यम से उत्पाद के लिए सुनिश्चित बाजार और लाभकारी कीमतें आदि। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जोखिम कवरेज को विस्तृत किया गया है, बीमा राशि को दोगुना किया गया है और किसानों के लिए प्रीमियम राशि को अब तक के न्यूनतम स्तर पर लाया गया है। 2016 खरीफ फसल की अवधि के दौरान लगभग 3.66 करोड़ किसानों के लिए 1.4 लाख करोड़ की राशि का बीमा किया गया। किसान क्रेडिट कार्डों को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से मौजूदा कार्डों के अलावा तीन करोड़ कार्डों को जल्द ही रूपे डेबिट कार्डों में बदला जाएगा। नाबार्ड निधि की राशि को दोगुना करके इकतालीस हज़ार करोड़ किया गया है ताकि सभी किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके। हर बूंद अधिक फसल तथा हर खेत को पानी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कवरेज बढ़ाया गया है। पिछले दो वर्षों के दौरान 12.7 लाख हैक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था की गई है। हमारी सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए वचनबद्ध है। किसानी के साथ-साथ डेयरी का समुचित विकास हो इसके लिए लगातार प्रयासरत है। लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए दुग्ध व्यवसाय आय का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। रोज़गार प्रदान करने और आय के साधन पैदा करने में दुग्ध व्यवसाय की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई है। देश के लगभग 7 करोड़ ग्रामीण परिवार दुग्ध व्यवसाय में लगे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 70 प्रतिशत मवेशी छोटे, मझौले और सीमांत किसानों के पास हैं, जिसकी पारिवारिक आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा दूध बेचने से प्राप्त होता है। इस सैक्टर की प्रगति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अधिक संतुलित विकास होगा। दूध ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा के साथ ही जीवन की सुरक्षा भी देता है। दूध देने वाली एक गाय या भैंस पालना किसानों को आत्महत्या करने तक से बचा सकता है। हमारी सरकार ने डेयरी के विकास के लिए आज़ादी के पहली बार अलग से आगामी तीन वर्षों में 8000 करोड़ रूपये की संचित निधि से नाबार्ड में एक दुग्ध प्रसंस्करण एवं संरचना निधि स्थापित की है। आज डेयरी किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देश में सबसे अधिक ग्रोथ के साथ भारत का डेयरी सेक्टर दुनिया के किसी भी देश में चलाए गए एग्रो इकोनॉमिक प्रोग्राम से अधिक सफल रहा है। इतना कार्य होने के बावजूद समय की मांग है कि डेयरी की आय को कृषि आय घोषित किया जाए जिससे हमारा डेयरी व्यवसाय विश्व में नं. 1 बन सके।

आज हमारी सरकार ने सुरक्षा के लिए किसी प्रकार से समझौता नहीं करने का संकल्प लिया है। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है तथा देश में जगह-जगह आतंकी वारदातें हो

रही थी। हमारे सैंकड़ों सैनिक व आम नागरिक इन आतंकी हिंसा के शिकार हो रहे थे। हर जगह यह चर्चा थी कि हमारी सरकार इस सिलसिले में कोई कड़ा कदम उठाने में असफल रही है। परंतु इन सभी अफवाहों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए हमारी सरकार ने सेना को पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने का निर्देश जारी किया तथा हमारी जाबांज सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर सैकड़ों आतंकवादियों तथा उनके कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया।

चिकित्सा क्षेत्र में बच्चों को अनेकों बीमारियों से छुटकारा दिलाने व टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए इन्द्रधनुष कार्यक्रम लागू किया जा रहा है तो दूसरी ओर आम जनता को सस्ती कीमत पर दवाईयां उपलब्ध करवाने के लिए जन-औषधि केंद्र खोले गए हैं। देश में भ्रूण हत्या की घटनाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं योजना को पूरी प्रतिबद्धता से लागू किया है तथा साथ ही साथ उनके सशक्तिकरण हेतु सुकन्या समृद्धि योजना तथा सुरक्षित मातृत्व अभियान जैसी योजना लागू की हैं। इस प्रकार सरकार देश के सभी वर्गों के कल्याण के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है ताकि सबका साथ-सबका विकास के उसके नारे को मूर्त रूप दिया जा सके। निश्चय ही हमारी सरकार इन सभी योजनाओं के लिए बधाई की पात्र है।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मेरे सहयोगी डॉ. महेश शर्मा द्वारा पेश किए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

*__SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT (JODHPUR):__ The honourable President in his Address mentioned about the season of Basant being a time of renewal and resurgence.

---

* Speech was laid on the Table

Basant is indeed as a time of transition, winter transiting to spring, the long cold nights transition into sunny mornings. It is indeed a time to recognise and honour the spirit of new and remember and take lessons from the past. 2016 shall always be known as a time when the cashless era began. With the commencement of Basant season, I can say that the country has transitioned from old to new, a transformation from old cash based economy to a vibrant and digitised one. I salute the people who showed such resilience during this great movement, those who participated in this as our Prime Minister calls it, The Maha Yagna. I thank the President of having mentioned the "Give it up" campaign where 12 million people willingly gave up LPG subsidy. Years from now if someone asks me to pick out two things to explain the true spirit of Indian people, it is undoubtedly going to be the patience and commitment of my people during the demonetisation drive and the give it up campaign. These are the things that give meaning to India, rare occasions when one's head bows down with humility yet it goes up with pride as well. I thank the president for having mentioned both these topics in his address.

Last year shall be known as a year when a Government gave new definition to the word bold. The surgical strikes showed to the world that India is a country that shall right the wrong done to its soldiers. While the surgical strikes and crack down on corruption were some of the tough stance taken by the Government, there were plenty of calibrated steps taken by this Government to empower people at the bottom of the pyramid to live an honourable life. Our Government has constantly pursued increasing the standard of living for the poor and downtrodden. Imagine a country where the government gives so much importance to sanitation that the Swachh Bharat Abhiyan finds its place in the new notes. I am proud to say that this Government is such a government that places sanitation at such a high pedestal in its policy frameworks. Empowering the Girl child through Beti Bachao, Beti Padhao Abhiyan, The Deen Dayal Antyodaya Yojana to empower women through Self Help Groups, Mission Indradhanush to vaccinate every child,

The Pradhan Mantri Jan Aushadhi program to give the poor access to medicines. These policies are some of the examples of how this Government has included every section of the society, every one, the Garib, Dalit, Peedit, Shoshit, Vanchit, Kisan, Shramik and Yuva, everyone is now the main character of the story of growth, Sabka Saath Sabka Vikas is not just a tagline, it is the main motivation behind the Government. I thank the president for having mentioned these aspects.

A great saying goes like this "Create with the heart; build with the mind." At the heart of this Government there is a passion to reach out to the unreached, to touch the untouched, to give service to the not serviced and on the mind of this government is a vision to actualise the words and thoughts of the great social reformer, Pandit Deen Dayal Upadhaya. I thank the president for having pointed out the various ways by which the Government is trying to create a strong yet inclusive country. I hope that his words shall act as a guide for the policy makers of this country who shall do everything in their ambit to stand up to the high ideals set by Honourable President's speech.

*[*] **श्री रामचरण बोहरा (जयपुर शहर) :** मेरी नज़र में यह एक ऐतिहासिक बजट सत्र है, जिसमें कई बोल्ड स्टैप्स हमारी सरकार द्वारा लिये गये और यह पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के इतिहास में एक संयुक्त बजट जिसमें आम बजट व रेल बजट साथ मिलकर पेश किया गया है, वह भी करीब एक महीने पहले। इससे बजट में किये गये प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए सरकार को ज्यादा समय मिलेगा।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विमुद्रीकरण जैसे साहसी कदम उठाने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। इस कदम से न केवल काले धन पर नकेल कसी गयी है बल्कि आतंकवाद व भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगी है। मुद्रा विमुद्रीकरण की संपूर्ण विश्व ने प्रशंसा कर इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। यह बिल्कुल सही है कि विमुद्रीकरण से अल्प अवधि में आम जनता को कई तकलीफे आयी हैं जिनको आम जनता ने देश के हित में खुशी-खुशी स्वीकार किया, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार एवं समूचा भारतवर्ष ऋणी रहेगा। मगर इसी विमुद्रीकरण के दीर्घकालीन अवधि में कई फायदे होंगे और भारत के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।

हमारी सरकार का मुख्य लक्ष्य एकात्म मानववाद के प्रेणता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय विचारधारा को लागू कर आमजन, गरीब, असहाय, निःशक्तजन एवं पिछड़े वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर रोज़गार के साधन सृजन करना है।

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र जयपुर शहर में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से करीब 56,487 युवा प्रत्यक्ष रूप से लाभांवित हुए हैं और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 1.50 लाख युवा लाभांवित हुए हैं और इसी तरह जन-धन योजना के द्वारा राजस्थान प्रदेश ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग प्रणाली से सीधे तौर पर जुड़े हैं। पूरे भारत में करीब 26 करोड़ जनता को जन-धन योजना के माध्यम से बैंकिंग खाते खुलवाये गये हैं।

भारतीय जनता पार्टी का मुख्य लक्ष्य शहर ही नहीं अपितु गांव के विकास, जिसमें प्रत्येक गांव में बिजली, शुद्ध पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना है। इसी दिशा में विचार रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 2018 में संपूर्ण गांव के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि इससे गांव रोशन होगा तो देश स्वतः ही रोशन होगा।

माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा हाल ही में पेश किये गये बजट के दौरान फ्लोराईड युक्त पानी के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है जिससे मुख्य तौर पर राजस्थान जो कि फ्लोराईड युक्त पानी की समस्या से ग्रस्त है। इन प्रावधानों से राजस्थान प्रदेश की इस विकट समस्या से निज़ात मिलेगी। मैं

[*] Speech was laid on the Table.

इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही आग्रह करता हूँ कि राजस्थान को फ्लोराईड मुक्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा राशि का आवंटन करायें।

इसी के साथ मैं सभी सदस्यों से अपील करना चाहूँगा कि वे सदन को सुचारू रूप से चलने में सहयोग प्रदान करें तथा साथ ही माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर उनका आभार व्यक्त करता हूँ।

*डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : मैं आपका आभारी हूं कि मुझे आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी । राष्ट्रपति जी का भाषण, सरकार आगे आनेवाले वर्ष में किन मुद्दो पर आगे बढ़ेगी और सरकार का रोडमैप क्या रहेगा उसे उजागर करता है।

मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूं, हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने कुछ सदियों में एक बार लेनेवाले अहम निर्णय, विमुद्रीकरण का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है । उस प्रकार की राजकीय ईच्छाशक्ति के लिए धन्यवाद करता हूं । इस निर्णय की बजट से कालेधन पर रोक लगेगी । और भ्रष्टाचार पर नकेल लगेगी तथा आतंकवाद, नक्सलवाल तथा फेक करेंसी समाप्त होगी । मैं सरकार को अभिनंदन करता हूं कि, इतना बड़ा निर्णय होते हुए भी, देश की जनता ने मुसीबतों को झेलकर भी उस निर्णय का समर्थन किया है । यह निर्णय इस देश के आम आदमी और गरीब इंसान के हित में लिया गया है । पूरे देश की जनता, खासकर गरीब लोग इस निर्णय से खुश है और उन्होंने कठिनाईयां झेलकर भी इस निर्णय का स्वागत किया है। आनेवाले समय में इस निर्णय की वजह से देश की वित्तीय व्यवस्था और मजबूत होगी, कालेधन पर रोक लगेगी और ज्यादा से,ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आएंगे । जिससे जो धन सरकार की तिजोरी में जमा होगी, उसका उपयोग गरीबों के कल्याणकारी योजना में किया जाएगा। उनके लिए, "गरीब कल्याण कोष " बनेगा और पंडित दिन दयाल जी के जन्म शताब्दि वर्ष जो " गरीब कल्याण वर्ष " के तहत मनाया जाता है उससे सामान्य लोगों के लिए बहुत सारे आयाम बनेंगें ।

जहां तक " केश लेस" सोसायटी और डीजिटल बैंकिंग का सवाल है, आनेवाले समय में उसको बढ़ावा मिलेगा । हमारे प्रधानमंत्री जी ने, डा0 बाबा साहब आंबेडकर जी के नाम से "भीम एप " बनाई है, उसकी वजह से गरीब ग्रामीण और अनपढ़ लोगों को भी थंब इम्प्रेशन की वजह से नेट बैंकिंग की सुविधा मिलेगी । महामहिम राष्ट्रपति जी ने लोक सभा तथा विधानसभा के चुनाव साथ रखने का प्रस्ताव रखा है । मैं उसका स्वागतम करता हूं तथा इसकी वजह से चुनावी रीफार्म होगा और चुनाव सुविधायुक्त होगा तथा चुनावी खर्च भी बहुत कम होगा ।

मैं राष्ट्रपति जी के भाषण का स्वागत करता हूँ और समर्थन भी करता हूँ ।

---

* Speech was laid on the Table.

[*]**श्रीमती रमा देवी (शिवहर) :** माननीय राष्ट्रपति जी ने इस वर्ष राज्य सभा एवं लोक सभा के संयुक्त अधिवेशन में जो अभिभाषण दिया है, उससे सबका साथ-सबका विकास का उद्देश्य पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि देश में वर्तमान सरकार के गठन के बाद देश के विकास को तेज करने के लिए अथक प्रयास किये गये हैं इससे देश के जो क्षेत्र पिछड़े हैं, उनको विकास के अवसर मिलेंगे साथ ही जो वर्ग राष्ट्रीय विचाराधारा से पीछे रह गये है उनको भी राष्ट्रीय विचाराधारा में शामिल करने में सहायता मिलेगी।

हमारा भारत देश दूसरे देशों की सुरक्षा का हितैषी है इसके लिए जरूरतमंद देशों की रक्षा एवं अपनी रक्षा करने के लिए सदियों से प्रयासरत है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र में काम करने वाले महापुरूषों को सदैव याद किया है और उनकी राह पर चलने का प्रण भी किया है इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। इस वर्ष चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी का आयोजन वर्तमान सरकार कर रही है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा दी थी। इस सत्याग्रह ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों में नई शक्ति प्रदान की थी जिससे देश की आज़ादी की लड़ाई में तेजीपन लाया गया। इस शताब्दी से हम उन शूरवीरों को याद करेंगे जिनकी मदद से भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी।

पिछले साल नवंबर के महीने में नोटबंदी के अंतर्गत 500 रूपए एवं 1000 रूपए के पुराने नोटों का विमुद्रीकरण करने का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाया गया जिससे देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके एवं काले धन की समांतर सरकार का खात्मा किया गया है। देश के गरीब, किसान, व्यापारी ने नोटबंदी से उत्पन्न किल्लत में अदम्य सहनशीलता का परिचय दिया जिसका सीधा मतलब है कि देश की जनता प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सुधार के साथ है। जब जनता को फायदा होगा तभी तो समर्थन करेगी। इस नोटबंदी से कई भ्रष्ट अफसरों का पता लगा, काले धन का पता लगा और देश में भ्रष्टाचार फैलाने वालो का पता लगा।

देश की वर्तमान सरकार ने गरीब, वंचित, शोषित एवं सुविधा से वंचित लोगों के कल्याण के लिए विशेष कदम उठाये हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के हार्दिक निवेदन पर देश में स्वेच्छा से एल.पी.जी. की सब्सिडी छोड़ने वालों की संख्या 1.2 करोड़ रही। इससे गरीब परिवार की महिलाओं को धुएं के वातावरण में काम करने से छुटकारा मिला। तीन साल पूर्व देश में खुले में शौच करने से व्याप्त गंदगी होती थी और महिलाओं को खुले में शौच करने में काफी दिक्कत महसूस होती थी इस समस्या के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्तमान सरकार की बागडोर संभालने के बाद तीन महीनों में स्वच्छ भारत अभियान की उत्साहपूर्वक शुरूआत की। यह स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया है। अब तक देश के 1.4 लाख गांव, 450 से ज्यादा शहरों में लोगों को खुले में शौच करने से मुक्ति मिली है क्योंकि इन

[*] Speech was laid on the Table.

क्षेत्रों के लोगों के लिए 3 करोड़ शौचालय बन गये हैं। भारत में सफाई के लिए जो प्रयास किये हें उसमें देश के लोग सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं।

देश के किसान, गरीब, पीड़ित, शोषित एवं वंचित युवा वर्ग एवं निर्धन वर्ग की महिलाओं को समुचित सम्मान मिले इसके लिए कई कल्याणकारी कार्य किये जा रहे है साथ ही पंडित दीनदयाल द्वारा किये गये सामाजिक कल्याण संबंधी कार्य को आधार बनाने के लिए पंडित दीनदयाल जन्म शताब्दी पर हमारी सरकार द्वारा गरीब कल्याण वर्ष का आयोजन किया जा रहा है। देश में नारी को सम्मान दिलाने और उनके योगदान को देश के विकास से जोड़ने के लिए इस सरकार ने कई कार्य किये हैं। देश में महिला शक्ति की कामयाबी से विश्व में खेलकूद में भारतीय महिलाओं ने कई पदक जीते हैं और भारत की लाज बचाई है। आज महिलाओं को सही सशक्तिकरण मिले तो नारी प्रतिभा एवं नारी कौशल का उपयोग राष्ट्रहित में कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं कार्यक्रम नारी के बढ़ते कदम को दर्शा रहा है। इस सरकार ने भारतीय महिलाओं की दशा सुधारने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना एव प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आरंभ किया है जिससे गर्भवती महिलाआं को कार्य स्थल पर सहायता दी जा सकेगी। देश में आंगनबाड़ी कार्यक्रम से महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे गांव में बाल विकास कार्य अच्छे ढंग से चलाये जा सके। सरकार से मेरा अनुरोध है कि आंगनबाड़ी में कार्यरत महिलाओं को कम वेतन मिलता है उनका वेतन बढ़ाया जाना चाहिए।

देश के विकास के लिए समुचित वित्तीय व्यवस्था एक आवश्यक घटक है। अच्छी व्यवस्था से देश की गरीबी को दूर कर सकती है और देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है और काले धन के प्रचलन को रोका जा सकता है। भ्रष्टाचार और काला धन देश के विकास के रास्ते को रोकने का काम करता है। इसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल नवंबर के महीने में नोटबंदी का ऐतिहासिक एवं साहसिक कदम उठाया और देश की जनता ने उसमें बिना किसी संकोच के साथ समर्थन किया।

इस देश की जनता को पूरा विश्वास है कि नोटबंदी से देश के बेईमान लोगों का पर्दाफाश किया जा सकता है इसके लिए नोटबंदी से होने वाली दिक्कतों को दिल से सामना किया और अपनी सहनशीलता का परिचय दिया है। देश के डाकघरों को वित्तीय कार्य में धीरे-धीरे लगाया जा रहा है जिससे ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था को एक नया आयाम मिलेगा जो ग्रामीण विकास में योगदान करेगा।

राष्ट्रपति अभिभाषण का सारांश भारत देश के तीव्र विकास की ओर संकेत है और सरकार ने अपने द्वारा किये वायदे को निभाया है, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ।

***SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR):** I extend my sincere thanks to the Hon'ble President of India for delineating the road map for India's future and also emphasising how far we have come in accomplishing our goal of "sabka saath sabka vikas." I am glad that the Government's resolve has been underlined and emphasised through his address.

The people of the country have a lot of hope on the President's Address because this outlines the resolution and intentions of the Government. It was particularly exemplary that the Address reflected on the spirit of cooperative federalism restored by the present Government - a relationship that had been diluted in previous years. I am sure such cooperative federalism would be very useful in furthering the development agenda of States and the nation as a whole.

My starting point to the motion will refer to the historic moment that our nation witnessed, when our Hon'ble Prime Minster Shri Narendra Modi ji waged a war against black money, corruption and terrorism. The currency demonetization has mostly won a accolades across India, albeit the criticism by the opposition.

I take this opportunity to congratulate the Prime Minister for taking such a brave step. I believe his step against black money is no less than a surgical strike. It will not only be deterrent to those keeping black money, but also give a major blow to those indulging in the business of fake currency. And people, who are still questioning the demonetization move, should remind themselves, that right from the start our Government has been committed to fight black money and corruption. However, a transformation in any society or any country takes time but will give long term gains. The present "reset" button of the economy which was marred by corruption and coal scam and 2G scam and Commonwealth scam. The list can go on .... but what is important here, is to focus on the Indian economy that has been provided a new lease of life with a economic growth estimated to be stable at 7.1 percent in the current fiscal and with GST on the anvil, India is already on the cusp of higher growth in the medium to long term.

* Speech was laid on the Table.

The Government has adopted transformational policy measures in the last 3 years courtesy which India is ranked third in the list of top prospective host economies for 2016-18 as per the World Investment Report 2016. To mention a few of these initiatives, the Government's priority for financial inclusion has been the key to poverty alleviation. An unprecedented 26 crore plus Jan Dhan accounts have been opened for the unbanked. Over 20 crore Rupay debit cards have been issued to enable cashless payments. Moving swiftly from "Jan Dhan to Jan Suraksha" close to 13 crore poor have been covered under various social security schemes. The Government has also launched 'Digi Dhan Abhiyan' to provide financial literacy and educate 1 crore citizens from rural India on cashless transactions.

Hand in hand with the economic sector, the Government is committed to the agricultural sector, which is the backbone of our nation. The 'Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana' has been successfully running ensuring lowest ever premium rates for farmers to end the farm distress. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana expanded the ambit of risk-coverage, doubled the sum insured, and facilitated lowest-ever premium for the farmers. During kharif 2016, around 3.66 crore farmers were insured for a sum of Rs. 1.4 lakh crore.

With the objective of digitisation of all the live Kisan Credit Cards, another three crore cards will be converted into RuPay debit cards soon The corpus of NABARD fund has been doubled to Rs. 41 thousand crore to ensure easy credit access to farmers. The National Agriculture Market is working towards setting up a common e-market platform to connect 585 wholesale markets across the country. Both the new digital agri-market platform and crop insurance scheme are welcome initiatives.

However, reforms are still needed in the agriculture sector. Two-thirds of our people live in rural areas and agriculture is the main source of livelihood for majority of our people. The economic contribution of agriculture to India's GDP is steadily declining with the country's broad-based economic growth. Still,

agriculture is demographically the broadest economic sector and plays a significant role in the overall socio-economic fabric of India. In the past, we have seen our farmers committing suicides die to a drought and other adverse situations like insufficient or risky credit system, difficulty of farming in semi-arid regions, poor agricultural income, absence of alternative income opportunities and the absence of suitable counseling services. This government has recognized these issues and as my suggestion I would request the Government to increase investment in agricultural spending and deploy scientific practices, by streamlining the pricing and procurement procedure, by implementing crop insurance and post-harvest management by setting up of food processing industries.

I am sure that this Government will usher in the second green revolution which will bring the much needed smile to our farmers.

With a view to trickle down benefits to the economically weak, the 'Give-It-Up campaign' along with the 'Give Back programme' has provided subsidized fresh connections to BPL families. Over 1.2 crore consumers have voluntarily given up their LPG subsidy, which has helped the underprivileged in accessing LPG connections.

Pradhan Mantri Awas Yojana is committed to provide shelter to every houseless poor through the scheme with appropriate interest subvention on housing credit.

This scheme will benefit slum dwellers, urban poor and people from economically weaker section of society.

For rural development: Shyama Prasad Mukherji Urban Mission has been launched for 300 rural clusters, out of which 'Vadinar' village of my constituency Jamnagar has also been adopted. The Mission will aid skill development and local entrepreneurship, in addition to providing infrastructure amenities. Under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana rural habitations are to be connected with all-weather

roads. Construction of 73,000 Kilometres of road has been done so far in rural areas.

I would like to highlight this Government's promise of ensuring that our women are empowered and safe. The President has already highlighted in his speech about our commitment to "Beti Bachao- Beti Padhao". Female feticide is heinous sin. The root cause for female feticide lies within the cultural norms as well as the socio-economic policies of this country. In India, the number of girls per 1000 boys was on a decline, however, with the Government's timely intervention sex ratio has improved significantly in critical states. This disparity may prove critical for the country's development in political, economic and social spheres. As per my suggestion, further to strengthen programmes like 'Beti Bachao Beti Padhao' we have to take initiatives to introduce programmes in schools where children are engaged, exposed and introduced to concepts like equality and consent. Also we have to run gender sensitization programmes across cities and villages regarding 'the right to consent' and respecting women and their choices.

For the first time ever, minimum wages have been increased by 42 percent in both agricultural and non-agricultural sectors. Workers employed in the informal sector will benefit the most from the Government's decision to enable employers to pay wages to their employees through banks. This will increase compliance of payment of minimum wages.

The Government realises that rural and urban development has to go parallel and accordingly, the Government is taking steps to cater to the nation's development needs. Over Rs 2 Lakh Crore has been provided through 'Pradhan Mantri Mudra Yojana' for small and medium enterprises.

While referring to MSMEs; it is my duty to uphold some reflections of my Parliamentary Constituency, Jamnagar. After registering a decade long of nominal growth, the Jamnagar based brass parts industry has witnessed a turnaround on the back of increased exports recently.

Surged European export orders have revived the Jamnagar brass industry. Apparently, five years ago, total exports formed a mere 3-4% of the industry's overall business.

However, the same has gradually increased to almost 20% in the last two years. In 2014-15, the industry registered exports of about Rs. 2,000 crore to regions like USA and Europe, along with African countries. Exports have also extended to Asian countries like UAE, Saudi Arabia.

However, this was made possible with the timely help and intervention of our very own Prime Minister, Shri Narendra Modi ji and the Finance Minister, Shri Arun Jaitley ji.

The Government of India had reduced the earlier levied 4% SAD on import of Brass Scraps to 2%. The Government has reduced SAD on imports of brass scrap even at the cost of huge revenue outgo to benefit the Jamnagars Brass Industries. The benefits of duty reduction would go directly towards the efforts of revenue generation through manufacturing activities to the working class people engaged in the sector.

There are 4,000 brass-making units in Jamnagar, over 80 per cent of them in the small-scale category. The industry employs over 200,000 people, directly and indirectly.

On behalf of the people, I take this opportunity to wholeheartedly acknowledge the efforts of present Government to strongly revive Indian manufacturing sector and MSME.

India's young population cares about jobs and economic opportunities. They believe in the leadership of Shri Narendra modi ji. Our honourable Prime Minister is known as a man, who rose from humble beginnings by his own efforts. Young generation wants to see India as a strong nation and as a man of his words our Hon'ble Prime Minister and the Bharatiya Janta Party have prioritized external and internal defence of our country; and as the Hon'ble President has rightly

highlighted that the surgical strikes were a befitting reply to cross border terror and in our national interest.

Against this backdrop and track record of the Government, I can confidently say that very soon India will emerge as an economic super-power under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, There has been tremendous economic transformation and the holistic approach to development as adopted by the Government will take this country to greater heights. The Government is creating a policy environment which is predictable, transparent and fair. I firmly believe that the era of change has begun. A change from despair to hope; a hope ignited by the vision of our Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji, a vision that would bring a smile on the face of every Indian; a smile of contentment, honour and dignity but to achieve this, each one of us will have to contribute to the cause of nation-building and put together the India of our dreams.

[*] **श्री राहुल कस्वां (चुरू) :** मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भारत की जनता को अवगत कराया गया। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि भारत सरकार का एक मात्र उद्देश्य गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, किसान, श्रमिक एवं युवा का कल्याण करना है। भारत सरकार माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा दिये गये अंत्योदय की विचारधारा का निर्वहन करते हुए देश एवं समाज कल्याण की योजनाओं पर कार्य कर रही है। यह इस देश का सौभाग्य है कि भारत में सरकार अंतिम व्यक्ति तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है जैसा कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने भारत सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए देश को बताया कि किस प्रकार भारत सरकार आम जन के विकास एवं कल्याण की योजनाओं को क्रियान्वित करने में अग्रसर है।

भारत सरकार की अनेक योजनाएँ देश को प्रगति के पथ पर ले जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पिछले 2 सालों में अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारम्भ एवं क्रियान्वयन किया गया, जे.ए.एम./जनधन, आधार व मोबाइल तीनों ने मिलकर इस देश को जनधन से जनसुरक्षा की ओर ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नोटबंदी जैसा बेहतरीन व क्रांतिकारी कदम उठाकर देश के प्रधानमंत्री ने बताया कि देश को अब नगदी का कम प्रयोग करते हुए देश को आगे बढ़ाना है। इस कार्य में जनधन, आधार व मोबाइल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देश को कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा अनेक युवाओं को रोज़गार व उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दिया गया। हमारे देश की 65 प्रतिशत जनसंख्या युवाओं की है और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य युवाओं को प्रगति के पथ पर ले जाने का है। जिसके लिए कड़ी से कड़ी मिलाते हुए युवाओं को कौशल विकास से शुरू कर उन्हें उद्यमिता एवं रोज़गार के क्षेत्र में ले जाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत भारत सरकार ने अगले तीन सालों में एक करोड़ युवाओं के कौशल विकास का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैण्ड-अप इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया जैसी योजनाओं के द्वारा रोज़गार देने का कार्य भी भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि मंडी एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना व किसान क्रेडिट कार्ड को रूपे डेबिट कार्ड से जोड़ने की योजना के क्रियान्वयन से किसानों को सीधे फायदा पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास भी अत्यंत सराहनीय है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2016 के लिए 3.66 करोड़ किसानों के लिए 1.4 लाख करोड़ की

---

[*] Speech was laid on the Table.

राशि आवंटित की गई है जिससे कि निश्चित तौर पर देश के आम किसान को सीधा फायदा पहुंचेगा। "पर ड्रोप-मोर क्रोप " व हर खेत को पानी के विचार पर ध्यान देते हुए अगले दो वर्षों में 12.7 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो एक अनुकरणीय कार्य है। भारत सरकार द्वारा दलहन की कीमतों को नियंत्रित करते हुए आम आदमी को तो फायदा पहुंचाया है लेकिन साथ ही किसान को भी पूरा हक दिलाने का प्रयास किया है।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की योजना को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरूआत की और बेटियों के नाम पर देश में आम जन के द्वारा एक करोड़ से अधिक खाते खोले गये जिसमें बच्चियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा सर्वाधिक फायदा दिया जा रहा है। सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में कमी लाने हेतु योग्य चिकित्सा अधिकारियों की देखरेख में प्रसव करवाये जा रहे हं एवं कार्यरत महिलाओं को भी 12 से 26 सप्ताह का मातृत्व छुट्टियां दी जा रही है। मिशन इन्द्रधनुष योजना के तहत देश के भी बच्चों को टीकाकरण द्वारा असाध्य रोगों की रोकथाम हेतु उन्हें दवाईयां उपलब्ध करवाई जा रही है।

मैं पुनः महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देश की प्रगति के लिए लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाएँ राष्ट्र को उन्नति की ओर अग्रेसित करेगा।

*SHRI PREM SINGH CHANDUMAJRA (ANANDPUR SAHIB): Prem Singh Chandumajra: I want to bring my views on behalf of my party S.A.D. on the President's Address.

President Address has shown a clear indication of the Government policies in the coming years.

I want to suggest that Agriculture is the backbone of our country. It should be considered on priority basis. To make agriculture more profitable and sustainable, Government should implement the Swaminathan Commission's Report specially in regard to fixation of M.S.P. Irrigation sector should be taken in infrastructure sector.

To solve unemployment, there should be a permanent solution. Small units based on agriculture sector in villages should be taken on priority.

Border areas like Punjab should be given priority and there should be special incentives for border States.

Shri Anandpur Sahib is the most suitable place for tourism specially in the religion sector.

---

* Speech was laid on the Table.

*SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): I am tabling my written speech to thank the Hon. President for his address to the Parliament on 31.1.2017 as I have not got an opportunity to speak in the Lok Sabha due to paucity of time.

I thank the Hon. President for his speech which highlighted several government projects and schemes enacted by the Government like Indian Postal Payment Bank, Mudra yojana, Anthyodaya Yojana, Indradhanush Fasal Bima Yojana and Beti Bacchao Beti Padhao.

But I have few reservations on the following issues and request the Government to take my views into consideration and bring in modifications while implementing the schemes/projects to benefit the vulnerable sections.

ODF (Open Defecation Free) claims by the Government at the Centre and the State are false and amounting to fooling the people.

I have visited nearly 1000 habitations belonging mostly to SC/ST/OBC communities during last 2 and a half years. My onset observation is that not even one habitation from these weaker sections has total individual household latrines (1HHL) in each house to prevent them open defecation. Where a few latrines are completed, the payment is not made and many latrines are half completed. I have a feeling that the money meant for the 1HHL is being diverted by the State Government for other purposes. Hence, without the provision of the 1HHL, declaring the villages/mandals ODF is only fake and unrealistic.

Provision of free gas connection to SC/ST families of 55,000 is too small and inadequate when compared to their needs and population levels.

While I appreciate the admiring of the Nari Shakthi for Women (Ms. Sindhu, Sakshi and Deepa) for getting medals in Rio Olympics, the Government is not taking any steps to create exclusive infrastructure in rural areas to bring more nari shakthi to limelight.

---

* Speech was laid on the Table.

Opening of 26 crore Jan Dhan accounts is welcome, but till date no purpose has been served through these accounts except to use them as conducts to convert black money into white. Because these accounts were opened at Government pressure and the holders have no money to operate the accounts on day to day basis.

Stand-up India Scheme is good in concept but in allocation of funds and sanctioning of loans to SC/ST and women of 2 ½ lakhs is grossly inadequate. It comes to only 50,000 for SC/STs. Hence the allocation and sanctioning of loans may be enhanced matching need and requirements of these sections.

Merging of Railway budget with the General Budget will lead to lack of focus and autonomy in Railways. Since it is the most important single department of Government, a separate budget for Railways is ideal to help the common man.

Allocation of Rs. 48,000 crore to MNREGA scheme is grossly inadequate and claiming that it is the highest allocation is misleading. Because, during last year the spending under this Scheme is Rs. 47,000 crore and by increasing a paltry sum of Rs. 1,000 crore makes the latter claims misleading taking the inflation into consideration.

Further, often the State Government is diverting the funds from MNREGA meant for food for work and livelihood in villages to other State schemes like CC roads and digging of tanks using machines and without using manpower.

No single mandal in my Tirupali Constituency has provided 100-150 man days employment in a year to the needy poor to the full extent. The worst affected are the SC & ST sections in this process.

The mindless unplanned demonetization has done more harm to the poor, daily wagers, small/medium industries than good. This act has knocked off all the monetary authority and autonomy of the RBI and made the latter just another wing of Government which is suicidal in the long run.

It only has benefited the rich and super rich and corporates and harmed the poor.

Hence, expressing a word of sympathy by the Government towards the people will assuage the wounds of the affected.

The real black money is with politicians, corporates, businessmen, gold operators, hawala operators, in real estate and in foreign assets. Demonetising the poor will not bring out any black money nor stopped counterfeit notes.

Since, the terrorists can get their booty from the above black money hoarders, terrorism is also not curtailed.

Hence, it did not serve any useful purpose except torturing the poor and the small businessmen and farmers.

Merging of plan and non-plan expenditure exercise without adequate planning has done great harm to the weaker sections like the ST and ST people.

This has resulted in discontinuance of 38 schemes for SCs and 46 for STs like the rehabilitation and settlement of bonded labour and manual scavengers. The amount lost in this process is Rs. 44,246 crore for SCs and Rs. 18,073 crore for STs.

Hence, allocation in this budget (2017-2018) of Rs. 52,393 crore for SCs and Rs. 31,920 crore STs is less and the claims of the Government that it is highest allocation is misleading the nation. The allocation for these sections after merging the Plan and non-plan should have been above Rs. 96,000 cr. For SCs and Rs. 49,000 or for STs. This is nothing but doing injustice to the SC/STs.

Making it compulsory the biometric aadhaar for distribution of ratio and other subsidies is causing havoc as the finger prints are not matching in the villages depriving them of their legitimate ration. The poor can not fight with the officials and the ration dealers.

Since, the poor in villages are not yet ready, making biometric compulsory needs further examination taking the illiteracy into consideration.

Adequate focus and attention has not been given to the youth. 65% of the Indian population is below 35 years old. Adequate employment opportunities are not created for the youth although the claims of the government are very high.

Similarly, adequate measures are not contemplated for the development of women in villages. There are no steps taken to mitigate the problems of the farmers and to stop their suicides in villages, weaker sections like weavers and fishermen are not protected.

The Government has made tall promises of houses for all houseless by 2020. No house are being constructed in ST & ST habilitations. The gap between the rich and the poor already existing in India is widening further. Hence adequate focus and allocation may be done in housing for the poor in urban schemes and in rural areas.

Last but not least is the absence of declaration of special status to the State of Andhra Pradesh. This amounts to cheating of the people of Andhra Pradesh. Hence the announcement may be done immediately declaring special status to the State of Andhra as promised by all prominent national parties and leaders.

Similarly, as enshrined in the Andhra Pradesh State Reorganization Act, a separate Railway Zone may be created at VIZAG in Andhra Pradesh at once.

Hence, I urge upon the Union Government to show more action for the development of the rural areas and uplift the weaker sections *viz* SC/ST/BC and minorities, women and the farmers than coining more slogans and making rhetorics.

I thank the Chair for giving me this opportunity.

*[*] **श्री राम कुमार शर्मा (सीतामढ़ी) :** वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के संयुक्त अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रपति जी के भाषण से सत्र शुरू करने की यह परंपरा के पीछे एक उद्देश्य है कि सरकार अपनी रीति, नीति एवं समस्याओं के समाधान हेतु प्राथमिकताएं स्पष्ट करती है ताकि आम जनता उनसे परिचित होने के साथ-साथ उनमें सहयोग कर सके।

इसलिए मैं महामहिम राष्ट्रपति के भाषण को सरकार की रीति-नीति का आईना मानता हूँ। मेरी दृष्टि से भारत का यदि सर्वांगीण विकास करना है तो हमें कृषि क्षेत्र को विकसित करना होगा। किसानों की दोगुनी आय आगामी वर्षों में करने के लक्ष्य का मैं स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूं कि सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस रचनात्मक कार्य योजना क्रियान्वित करें।

आज यह स्पष्ट है कि देश में खाद्यान्न उत्पादन की मात्रा तो निश्चित रूप से बढ़ रही है किंतु इस उत्पादन वृद्धि का लाभ उत्पादक को नहीं हो रहा है। किसान आज भी कर्ज के तले दबकर आत्महत्याएं करने को विवश हैं। इन भयानक परिस्थितियों के कारण देश के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में हस्तक्षेप कर सरकार को आगाह किया है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की आत्महत्याओं की समस्या पर नीति बनाएं। देश में कैसी विडंबना है कि कृषि उत्पादन में काम आने वाली सभी सामाग्रियों के कारोबार वर्ष दर वर्ष बढ़ोत्तरी पर है चाहे वह बीज हो या रासायनिक खाद व कीटनाशक। किंतु इनकी सहायता से उत्पादन होने वाले खाद्यान्न आज अलाभकारी बनकर रह गया है।

मेरी सोच से इसी समस्या को प्राथमिकता देकर समाधान करना आवश्यक है कि किस प्रकार कृषि उत्पादन की लागत को कम किया जाए। कृषि उत्पादन की लागत कम होगी तभी किसान के लाभ में बढ़ोत्तरी संभव है। इसके साथ देश में खाद्यान्नों की उत्पादन दर भी बढ़ानी होगी। भारत कृषि प्रधान देश होने के बावजूद उत्पादन दर की दृष्टि से भारत विश्व में निचले पायदान पर है।

राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में एक स्थान पर स्वच्छता को देश के गरीब वर्ग से जोड़ते हुए कहा है कि देश में गरीबी होने का एक कारण अस्वच्छता भी है। इस दोष को देश से दूर करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत स्वच्छता अभियान की शुरूआत लगभग दो वर्ष पूर्व की थी और इस अभियान के अंतर्गत देश में शौचालय निर्माण करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए। सरकारी सूत्रों से पता चलता है कि अभी तक तीन करोड़ शौचालय का निर्माण हो चुका है और भी भविष्य में निर्माण होंगे इसमें संदेह नहीं।

परंतु मेरा इस अभियान के अंतर्गत एक सुझाव है कि जब तक देश में स्थानीय स्तर पर स्वच्छता का माहौल पैदा नहीं होगा स्वच्छता के अभियान की सफलता संदिग्ध रहेगी। मैं देखता हूँ कि स्थानीय निकाय इस अभियान के लिए माहौल नहीं बना रहे हैं। इस कारण जो धरातल पर स्वच्छता का जो असर

---

[*] Speech was laid on the Table.

दिखना चाहिए वह नहीं दिख रहा है। गांव में या शहरों में जो नए शौचालय निर्माण हो रहे हैं उनमें उत्पन्न होने वाला मानव अपशिष्ट की निकासी की योजना के क्रियान्वयन पर बल नहीं है। गांव में और छोटे शहरों में अभी भी खुले नाले-नालियां हैं, उनमें बहने वाला गंदा जल और कूड़ा-कचरा के निष्पादन के प्रभावी व्यवस्था के अभाव में यत्र-तत्र बिखरा आज भी दिखाई देता है। मेरी यह सोच है कि जब तक स्वच्छता अभियान में इस कुप्रबंधन को बल नहीं जाएगा स्वच्छता का माहौल नहीं बन सकता और निर्धनों के मलिन बस्तियों का सपना अधूरा रह जाएगा।

बेरोज़गारी आज देश की विकट समस्या है। देश में 65 प्रतिशत से ज्यादा लोग युवा है जिन्हें रोज़गार चाहिए। रोज़गार के अभाव में देश के परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इस तथ्य से स्पष्ट है कि आज भारत के प्रत्येक निवासी 38,000 रूपए के कर्ज के बोझ से दबा है। निश्चित ही देश की स्थिति भयावह है। इस भयावह स्थिति को लाने में बेरोज़गारी अहम भूमिका निभा रही है। मेरी सोच है कि देश के नौजवानों की वृहद् आबादी को सरकार रोज़गार नहीं दे सकती बल्कि वह देश में वातावरण जरूर पैदा कर सकती है कि देश में काम चाहने वाले नवयुवकों को रोजी-रोटी उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान कर सकें। भारत कृषि प्रधान देश और कृषि यहां का पारंपरिक उद्योग है।

अतः कृषि के ईर्द-गिर्द आर्थिक गतिविधियां चाहे वह सेवा क्षेत्र की हो या पिर उद्योग क्षेत्र की जो प्रोत्साहन देने वाली नीति क्रियान्वित हो। पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, औषधि उत्पादन और खाद्यान्नों पर आधारित ग्रामीण अंचलों में सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने का प्रयत्न किया जाए।

आज कृषि क्षेत्र के विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने की नीति चल रही है किंतु यह नीति देश में गत 25 वर्षों से लागू है। धरातल की वास्तविकता यह है कि यह नीति देश के किसान को लाभान्वित करने में सफल नहीं हुई। इसलिए जरूरत है इस नीति में बदलाव लाने की। मेरा सुझाव है कि देश में कृषि उत्पादों के आधार पर सूक्ष्म उद्योग लगाने को बढ़ावा दिया जाए ताकि अधिकतम रोज़गार के अवसर सृजन हो जिनमें असंगठित क्षेत्र के परंपरागत श्रमिकों को भी रोज़गार मिल सके और पूंजी प्रधानता को इस क्षेत्र में नियंत्रित करने के लिए इस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया जाए।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि देश में भ्रष्टाचार मुख्य समस्या है और सरकार ने जो इसे समूल नष्ट करने का संकल्प लिया है, वह सराहनीय है उसका सभी ओर से समर्थन होना चाहिए। यहां पर एक बात गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि भारतीय समाज दान देने में आगे हैं। आप देखें मंदिरों में, गुरूद्वारों में, मकबरों पर दान देने वालों का तांता लगा हुआ है। मुझे संकोच नहीं है कहने में कि इन संस्थाओं में जो दान के माध्यम से धन उपलब्ध होता है वह सरकार के राजस्व से ज्यादा है। देश का नागरिक स्वेच्छा से

बिना किसी दबाव के प्रसन्नतापूर्वक सहज भाव में धन का त्याग करता है किंतु वही नागरिक सरकारी खज़ाने में अपनी जिम्मेदारी में क्यों पीछे रह जाता है।

यद्यपि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस जन शक्ति की मनोभावना को विकसित करने की बात कही गई है।

मैं चाहता हूँ कि सरकार मेरे इस उपरोक्त कथन पर गंभीर रूप से विचार करेगी तो निश्चित रूप से देश में भ्रष्टाचार समूल नष्ट हो जाएगा।

अंत में, मैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ।

*__श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) :__ महामहिम राष्ट्रपति जी ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों और भविष्य में इसके क्रियाकलापों की जो तस्वीर रखी है उससे एक बात स्पष्ट है कि देश की जनता को दशकों बाद ऐसा नेतृत्व मिला है जिसके इरादों पर जनता को पूर्ण रूप से भरोसा है और जिसके आग्रह को जनता देशहित में सर आँखों पर लेती है। हाल ही में काले धन के विरूद्ध संघर्ष में असाधारण सहनशीलता, रसोई गैस के मामले में "गिव ईट अप " अभियान की सफलता के पीछे की प्रेरक भावना, स्वच्छ भारत मिशन का एक जनांदोलन बनना इस बात का मजबूत प्रमाण है। मैं ऐसी जनशक्ति को शत-शत नमन करता हूँ।

मैंने इस सदन में विपक्ष के लोगों को इस अभिभाषण पर सवाल उठाते हुए सुना। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से उन लोगों को समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ-:

चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गयी होंगी,
यहीं इल्जाम हम पर लगा है बेवफाई का,
पर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने पैरों से,
वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का।

सत्तर साल में देश को गरीब बनाये रखने वाली नीतियों पर चलने वाले लोगों को हमारी सरकार की गाँव, गरीब, किसान, युवा, मजदूर, व्यवसायी, शोषित, वंचित को केंद्र में रखकर बनाई गई नीतियाँ पसंद नहीं आना स्वाभाविक है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से स्पष्ट है कि गरीबी मिटाने के लिए हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदा विचारधारा के मार्गदर्शन में चल रही है। वित्तीय समावेशन गरीबी उन्मूलन की कुंजी है। इसी के मद्देनज़र जन-धन खाते खोलकर 26 करोड़ से अधिक लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना, 20 करोड़ से अधिक रूपे डेबिट कार्ड जारी करना, 13 करोड़ गरीबों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल करना अभूतपूर्व उपलब्धि है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 2 लाख करोड़ रूपए के 5.6 करोड़ जरूरतमंद उद्यमियों को बिना कोई ऋणाधार ऋण उपलब्ध करा छोटे व्यवसायियों को प्रोत्साहन देना, दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को 16 हज़ार करोड़ का प्रावधान विशेषकर वंचित समुदाय के महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु चालू वित्त वर्ष में करना, आवास, किफायती स्वास्थ्य संरक्षण, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं अन्य माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता से गरीबों की जीवन शैली बेहतर बनाने के लिए अनेक उपाय, गरीबों की स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने की कड़ी में 3 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत स्वतंत्रता से अब तक अंधेरे में रह रहे 18000 गांवों में से 11000

---
* Speech was laid on the Table.

गांवों में बिजली पहुंचाना, अपने देश के प्रत्येक नागरिक के लिए विशेषकर गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ सुगम एवं किफायती बनाने के लिए इन्द्रधनुष मिशन, जन-औषधि परियोजना का प्रारंभ, ये सब दर्शाता है कि सरकार गरीबों को अपने एजेंडे में प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है।

कृषि क्षेत्र के संपूर्ण विकास हेतु सस्ता ऋण उपलब्ध कराना, बीज एवं उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करना, सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के गंभीर और तीव्र प्रयास, व्यापक जोखिम फसल बीमा, मृदा कार्ड के माध्यम से उत्पाद के लिए सुनिश्चित बाज़ार और लाभकारी कीमतें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कवरेज बढ़ाना, सरकार की हमारे अन्नदाताओं के जीवन को उन्नत बनाने की सोच की दृढ़ता का दर्पण है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं, सुकन्या समृद्धि योजना, मातृत्व सुविधा अधिनियम, युवा ऊर्जा के प्रभावी उपयोग के लिए हर हाथ को हुनर के उद्देश्य से उन्हें कुशल बनाने और रोज़गार के योग्य बनाने के लिए कई कदम उठाना जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना एवं प्रधानमंत्री युवा योजना आरम्भ करना दर्शाता है कि यह सरकार युवा सशक्तिकरण के लिए लगातार ठोस प्रयास कर रही है।

देश में राज्य की विधानसभाओं और लोक सभा के चुनाव एक साथ कराने, जिससे बार-बार चुनाव से होने वाले आर्थिक और अन्य संसाधनों की क्षति से बचा जा सके हेतु सरकार द्वारा पहल और प्रयास, सर्जिकल स्ट्राइक से दुश्मनों को दहशत और दुनिया को रिसर्च करने के लिए मजबूर करने वाले हमारे सैनिकों को वन रैंक-वन पेंशन, महिलाओं, दिव्यांग-जन, श्रम, प्रशिक्षुओं, फैक्ट्रियों, बेनामी लेन-देन, आवास, सहयोगपूर्ण संघवाद की भावना को एक राष्ट्र-एक कर और एक राष्ट्र-एक बाज़ार के माध्यम से मजबूती प्रदान करने के लिए सबसे बड़े कर सुधार का कानून वस्तु एवं सेवा कर संसद के दोनों सदनों में पारित करवाना तथा बेनामी सम्पदा (रियल एस्टेट) आदि क्षेत्रों से संबंधित कानून सरकार के पारदर्शिता तथा सामाजिक न्याय के वादे पर अमल करने का प्रमाण है।

राष्ट्रपति जी ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र के संबोधन में जो बातें कहीं है, उनसे स्पष्ट है कि सरकार सामाजिक न्याय की अवधारणा पर चलकर सबका साथ-सबका विकास के सिद्धांत के दृष्टिगत देश में चल रहे अच्छे दिन को भविष्य में भी संरक्षित करने हेतु मजबूती और तेजी से सही दिशा में अग्रसर है और सरकार ने जनता के भरोसे को बरकरार रखते हुए इसे और भी मजबूती दी है।

मैं, महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति सरकार के सर्वग्राह्य और सबके साथ से सबका विकास करने वाली नीतियों और कार्यों को अपने संबोधन के माध्यम से देश के सामने रखने के लिए आभार प्रकट करता हूँ तथा धन्यवाद देता हूँ।

*DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH): I would like to lay the following in respect of the Motion of Thanks in respect of Hon'ble President's Address on the eve of the Budget Session 2017-18. I may please be allowed for the same.

I appreciate the high sounding slogans of the NDA Government like Sabka Saath, Sabka Vikas, welfare measures for garib, dalit, vanshit, kisan, saamik, Swachh Bharat Mission, Jan Dhan Yojana, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, Har Ghar Khet ko Pani, Beti Bachao Beti Padao, Deen Dayal Gram Jyoti Yojana etc. But I am in doubt about the implementation of those welfare schemes in letter and spirit.

I also like to thank for celebration of 350th Birth anniversary of the Great sikh Guru Gobind Singhji, 300th Martyrdom anniversary of Baba Banda Singh Bahadur.

My special thanks due to celebration of 1817 Pink Rebellion launched by Bakshi Jagabandu of Odisha. However I would be more happy if we celebrate the sacrifices made by National Hero Veer Surendra Sae of odisha, Shaheed Madho Singh and others who have spent more than 37 years in jails.

The steps taken for containing black money including demonetization is a welcome step but the Government should have taken proper preparatory measures before taking such decision. The people should not suffer to get their white money. Banking facilities in the rural areas, National Banks should have opened branches in the Gram Panchayat levels.

I appreciate the presentation of Budget on 1st February, 2017 and bringing Railways along with the General Budget. It not only bring harmony with Railways but also bring synergy with other mode of transportation like Airways, Roads, waterways etc.

In respect of Agriculture, the welfare measures taken for the farmers is not sufficient. When the Government is planning for increasing the agricultural

---

* Speech was laid on the Table.

production double in 5 years at the same time MSP of Paddy should be increased to Rs. 2500 per quintal. MSP of other agricultural products should be increased as per the recommendations of Dr. Swaminathan Committee report.

River Mahanadi Dispute between Odisha and Chhatisgarh should be resolved with the appointment of Tribunal. Constitution of multiple dam in upstream of river Mahanadi in Chhatisgarh should be stopped immediately. Mahanadi is the life line of Odisha. Hon'ble Prime Minister should intervene in the matter and bring solution keeping in mind the interest of both the States.

I highly appreciate the idea of conducting the election of Lok Sabha and State Assemblies simultaneously. Proper focus should be given for employment of youth.

I would like to thank Hon'ble President for his address to both the Houses of Parliament.

प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) : आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने संसद के दोनों सदनों को वर्ष 2017 के प्रारम्भ में ही सम्बोधित किया। भारत किस तेजी से बदल रहा है, देश की जनशक्ति का सामर्थ्य क्या है, गांव, गरीब किसान की जिन्दगी किस प्रकार से बदल रही है, उसका एक विस्तार से खाका सदन में रखा था। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

इस चर्चा में आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन जी, श्री तारिक अनवर जी, श्री जयप्रकाश नारायण जी, तथागत सत्पथी, श्री कल्याण बनर्जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया इत्यादि कई वरिष्ठ महानुभावों ने चर्चा को प्राणवान बनाया। कई पहलुओं को उजागर करने का प्रयास किया है और मैं इसके लिए चर्चा में शरीक होने वाले सभी आदरणीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं।

कल भूकंप आया। इस भूकंप के कारण जिन-जिन क्षेत्रों में असुविधा हुई है, मैं उनके प्रति अपनी भावना व्यक्त करता हूं। केन्द्र सरकार राज्य के पूरे सम्पर्क में है। स्थिति में कोई आवश्यकता होगी तो और कुछ टीमें वहां पहुंच भी गई हैं, लेकिन आखिर भूकंप आ ही गया।...(व्यवधान) मैं सोच रहा था कि यह भूकंप आया कैसे ? ...(व्यवधान) क्योंकि धमकी तो बहुत पहले सुनी थी। कोई तो कारण होगा कि धरती मां इतनी रूठ गई होगी।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

...(Interruptions)... *

माननीय अध्यक्ष : केवल प्रधान मंत्री जी का भाषण रिकार्ड में जाएगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कल्याण जी, यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : कल्याण जी, आपका सी.आर. ठीक हो रहा है, आपका कल्याण होगा। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

...(Interruptions)... *

HON.SPEAKER: Kalyanji, this is not the way. Please take your seat.

... (*Interruptions*)

श्री नरेन्द्र मोदी : कल का भूकम्प...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : यह ठीक नहीं है, आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हैं¡ आप थोड़ी शांति रखिए।

…(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : देश के प्रधानमंत्री जी के सामने ऐसे बोलते हैं।…(व्यवधान) सदन की गरिमा होती है।…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Mr. Kalyan Banerjee, this is not the way.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Madam, he cannot interrupt like this… (*Interruptions*) We have heard you. Now, please do not interrupt… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Mr. Kalyan Banerjee, please. This is not the way. Now, I am warning you.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, please take your seat.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप ऐसा न करें। कल आपने अच्छा भाषण दिया था, सबने उसे सुना। आज आप बिल्कुल शांति से रहें।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, please take your seat.

… (*Interruptions*)

श्री नरेन्द्र मोदी : अध्यक्ष महोदया, मैं सोच रहा था कि आखिर भूकंप आया क्यों¡ जब कोई स्कैम में भी सेवा का भाव देखता है, स्कैम में भी नम्रता का भाव देखता है तो सिर्फ मां ही नहीं, बल्कि धरती मां भी दुःखी हो जाती है और तब जा कर भूकंप आता है।…(व्यवधान) इसलिए, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जनशक्ति का ब्योरा दिया है। हम यह जानते हैं कि कोई भी व्यवस्था, लोकतांत्रिक हो या अलोकतांत्रिक, जनशक्ति का मिजाज कुछ और ही होता है। कल मल्लिकार्जुन जी ने कहा था कि कांग्रेस की कृपा है कि

अब भी लोकतंत्र बचा है और आप प्रधानमंत्री बन पाये। वाह! क्या शेर सुनाया है। ...(व्यवधान) आपने इस देश पर बहुत बड़ी कृपा की है, लोकतंत्र बचा लिया है, कितने महान लोग हैं, लेकिन उस पार्टी के लोकतंत्र को देश भली-भाँति जानता है। पूरा लोकतंत्र एक परिवार को आहूत कर दिया गया है।...(व्यवधान)

वर्ष 1975 का कालखंड, जब देश पर आपातकाल थोप दिया गया था, हिन्दुस्तान को जेलखाना बना दिया गया था, देश के गणमान्य वरिष्ठ नेता जयप्रकाश बाबू समेत लाखों लोगों को जेल की सलाखों में बंद कर दिया गया था, अखबारों पर ताले लगा दिये गये थे, लेकिन उन्हें अंदाज नहीं था कि जनशक्ति क्या होती हैi लोकतंत्र को कुचलने के ढेर सारे प्रयासों के बावजूद भी इस देश की जनशक्ति का सामर्थ्य था कि लोकतंत्र पुनः प्रस्थापित हुआ।

यह जनशक्ति की ताकत है कि गरीब माँ का बेटा भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। राष्ट्रपति जी ने जनशक्ति का उल्लेख करते हुए कहा है कि चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी का वर्ष है। इतिहास सिर्फ किताबों की अटारी में पड़ा रहे, तो समाज जीवन को प्रेरणा नहीं देता है। हर युग में इतिहास को जानने का, इतिहास को जीने का प्रयास आवश्यक होता है। उस समय हम थे या नहीं थे, हमारे कुत्ते भी थे या नहीं थे, औरों के कुत्ते हो सकते हैं। हम कुत्तों वाली परम्परा से पले-बड़े नहीं हैं, लेकिन देश के कोटि-कोटि लोग थे। जब कांग्रेस पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था, वर्ष 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देश के लोगों ने जान की बाजी लगाकर लड़ा और सभी ने मिलकर लड़ा था। सम्प्रदाय की कोई भेद रेखा नहीं थी, तब भी कमल था और आज भी कमल है।...(व्यवधान) यहां ऐसे बहुत-से लोग हैं, जो मेरी तरह आजादी के बाद पैदा हुए है और हमारे में से बहुत लोग हैं, जिनको आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन देश के लिए जीने का तो सौभाग्य मिला है और हम जीने की कोशिश कर रहे हैं।...(व्यवधान) देश ने अपार जनशक्ति के दर्शन किए हैं।

लाल बहादुर शास्त्री जी की अपनी गरिमा थी। युद्ध के दिन थे। हर हिंदुस्तानी के दिल में भारत विजय के भाव से भरा हुआ माहौल था और उस समय जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, तब देश ने अन्न त्याग के लिए पहल की थी। सरकार बनने के बाद आज के राजनीतिक वातावरण को हम जानते हैं, ज्यादातर राज व्यवस्थाओं ने, राजनेताओं ने, राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने जन सामर्थ्य को करीब-करीब पहचानना छोड़ दिया है और यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय भी रहता है। मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति ने बातों-बातों में कह दिया था कि जो अफोर्ड कर सकते हैं, वे गैस की सब्सिडी छोड़ दें। जब हम जनता से कट जाते हैं, जन-मन से कट जाते हैं, वर्ष 2014 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे तब एक दल इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा था कि एक साल में 9 सिलेंडर देंगे या 12 सिलेंडर देंगे। हम 9 और 12 सिलेंडर की चर्चा को कहां ले गए, हमने कहा कि जो अफोर्ड कर सकते हैं, क्या वे सब्सिडी छोड़ सकते हैं। हमने सिर्फ कहा था और इस देश के एक करोड़ बीस लाख से ज्यादा लोग गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए

आगे आए। यह विषय इस सरकार और यहाँ बैठे हुए लोगों के गर्व तक सीमित नहीं है। यह सवा सौ करोड़ देशवासियों की शक्ति का परिचायक है। राष्ट्रपति जी के उद्धबोधन के माध्यम से मैं इस सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं और देश के राजनीतिक जीवन में निर्णायक की अवस्था में बैठे हुए निर्णय प्रक्रिया के भागीदार सबका आवाह्न करता हूँ कि, हम हमारे देश की जनशक्ति और उसके सार्मथ्य को पहचानें। हम भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जनांदोलन की अवधारणा लेते हुए एक सकारात्मक माहौल बनाकर देश को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आप देखिए जो परिणाम हमें पहले नहीं मिले, उनसे ज्यादा परिणाम अब मिलेंगे। इसके कारण देश की ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, जो आने वाला कल बुरा देखना चाहता है या हिंदुस्तान का बुरा चाहता है। हर कोई यह चाहता है कि गरीब का भला हो। हर कोई चाहता है कि गाँव, गरीब और किसान को कुछ मिले। मैं ऐसा कहने वालों में से नहीं हूँ कि किसी ने पहले प्रयास नहीं किए।

मैं इस सदन में यह बार-बार कह चुका हूँ। मैं लाल किले से भी बोल चुका हूँ कि अब तक जितनी सरकारें आईं और जितने प्रधानमंत्री आए, हर किसी का इसमें अपना-अपना योगदान है। उस तरफ बैठे हुए लोगों से कभी यह सुनने को नहीं मिला है कि इस देश में कोई चाफेकर बंधु भी हुआ करते थे, जिनकी आजादी में शहादत थी। इनके मुँह से कभी सुनने को नहीं मिला है कि कोई सावरकर जी भी थे, जिनके काला पानी की सजा भुगतने के बाद यह देश आजाद हुआ है। इनके मुँह से कभी सुनने को नहीं मिला है कि कोई भगत सिंह और चन्द्रशेखर आजाद भी थे, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिया। उनको लगता है कि आजादी सिर्फ एक परिवार ने दिलवाई है। समस्या की जड़ वहाँ है। हम देश को उसकी पूर्णता में स्वीकार करें और उसकी जनशक्ति को जोड़ें। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है :

अमंत्रं अक्षरं नास्ति, नास्ति मूलं अनौषधं।
अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः।।

इसका अर्थ है, कोई अक्षर ऐसा नहीं होता है, जिसमें किसी मंत्र में जगह पाने का पोटैंशियल न हो। कोई मूल ऐसा नहीं होता है, जिसमें औषध में जगह पाने का पोटैंशियल न हो। कोई इंसान ऐसा नहीं होता है, जो कुछ कर के समाज और देश को दे न सके। जरूरत होती है योजक की - योजकः तत्र दुर्लभः।

इस सरकार ने हर शक्ति को सवांरकर जोड़ने और जनशक्ति के भरोसे उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। स्वच्छता अभियान पर मैं हैरान हूँ। क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें आजाद हुए इतने साल हो गए हैं। हम महात्मा गांधी का नाम लेते हैं। गांधी जी को दो चीजें प्रिय थीं। वे कहते थे कि आजादी से पहले अगर मुझे कुछ पाना है, तो वह स्वच्छता है। गांधी जी की स्वच्छता की बात को लेकर हम देश के सामने आए। इतनी सरकारें आईं और इतने संसद सत्र चले, लेकिन क्या कभी संसद में स्वच्छता के विषय पर चर्चा तक हुईi यह सरकार आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। क्या स्वच्छता को भी हम

राजनीति के एजेंडे का हिस्सा बनाएंगेi आपमें से कौन है जो गंदगी में जीना चाहता हैi आप में से कौन होंगे, जो गन्दगी में जीना चाहता है। आपके इलाके में कौन होगा, जो गन्दगी चाहता है। इसे आप भी नहीं चाहते हैं, यहाँ वाले भी नहीं चाहते हैं और वहाँ वाले भी नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या हम मिलकर एक स्वर में समाज को इस पवित्र कार्य से जोड़कर गांधी जी के सपने को पूरा करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकतेi हमें कौन रोकता हैi

माननीय अध्यक्षा जी, इस अपार जनशक्ति को आगे लेते हुए इस बार एक चर्चा होनी चाहिए। यह तो सही है कि जब राष्ट्रपति जी के उद्बोधन पर चर्चा होती है और उस समय बजट भी आया होता है, तो उसमें बजट की बातें भी आ जाती हैं और राष्ट्रपति जी के उद्बोधन की बातें भी आ जाती हैं। जब बजट पर चर्चा होगी, तो वित्त मंत्री जी उस पर विस्तार से कहेंगे, लेकिन एक चर्चा आयी है कि बजट जल्दी क्यों लाया गया।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारा पूरा आर्थिक कारोबार कृषि पर आधारित है। ज्यादातर कृषि की स्थिति दीवाली तक पता चल जाती है। हमारे देश की एक कठिनाई है। हम अंग्रेजों की विरासत को ही लेकर चल रहे हैं। मई में बजट की प्रक्रिया से बाहर निकलते हैं। 1 जून के बाद हिन्दुस्तान में बारिश आनी शुरू हो जाती है। तीन महीने तक बजट का उपयोग होना असंभव हो जाता है। एक प्रकार से हमारे पास कार्य करने का समय बहुत बच जाता है। जब समय होता है, तब आखिरी दिनों में पूर्ति करने के लिए, जिसे हर सरकार जानती है कि दिसम्बर से मार्च तक किस प्रकार से बिल कटते हैं और रुपये कैसे खर्च हुए, ये दिखाये जाते हैं। अब हमें यह सोचना चाहिए, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ। अभी भी किसी को समझ में आता है कि क्या कारण था कि आज़ादी के कई वर्षों तक बजट शाम को पाँच बजे आता था। इस पर किसी ने सोचना नहीं, बस पाँच बजे चल रहा है, तो चल रहा है। यह क्यों चल रहा हैi पाँच बजे बजट इसलिए चलता था क्योंकि यू.के. की पार्लियामेंट की टाईम के हिसाब से हिन्दुस्तान में अंग्रेजों के जमाने से शाम को पाँच बजे बजट आया। हमने उसे ही चालू रखा। यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा, यदि हम घड़ी ऐसे पकड़ते हैं, तो इंडियन टाईम होता है, लेकिन घड़ी ऐसे पकड़ते हैं, तो लंदन टाईम होता है। यदि आपके पास घड़ी है, तो देख लीजिए। …(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : आपने इसीलिए अपनी घड़ी खोली।

श्री नरेन्द्र मोदी : जी हाँ क्योंकि कई लोगों को बहुत चीजें समझ नहीं आतीं, उन्हें पता नहीं चलता है। …(व्यवधान) जब अटल जी की सरकार आयी, तब बजट का समय बदला गया। इसलिए हमारा भी प्रयास है। जब आपकी सरकार थी, तब आप लोगों ने भी बजट के समय के संबंध में एक कमेटी बनायी थी। उसकी विस्तृत रिपोर्ट है। आप भी चाहते थे कि यह समय बदलना चाहिए। उन्होंने जो प्रपोजल दिया है, हमने उसी को पकड़ा है। लेकिन आप लोग इसे नहीं कर पाए क्योंकि आपकी प्रायरिटी अलग है। आप नहीं

चाहते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका प्रायरिटी में नम्बर कब लगेगाi इसलिए जो बातें आपके समय में हुई है, उन बातों को बड़े गर्व से आपको कहना चाहिए। उसका फायदा उठाइए। कहिए कि यह तो हमारे समय में हुआ था। अब यह भी आप भूल जाते हैं, लेकिन चलिए मैंने याद दिला दिया। आप इसका भी लाभ दीजिए। ...(व्यवधान)

रेलवे के संबंध में विस्तृत चर्चा बजट पर चर्चा के दौरान होगी। लेकिन हम एक बात समझें कि 90 साल पहले जब रेल बजट आता था, तब ट्रांसपोर्टेशन का एक प्रमुख मोड सिर्फ रेलवे ही था। आज ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी अनिवार्यता बन गयी है। इकलौता रेलवे ही नहीं है, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के कई प्रकार के मोड हैं। जब तक हम कंप्रिहेंसिवली ट्रांसपोर्ट - इस विषय को जोड़कर नहीं चलेंगे, तो हम समस्याओं से जूझते रहेंगे। अब इसलिए मुख्य धारा में रेलवे व्यवस्था भी रहेगी, उसमें प्राइवेटाइजेशन को कोई तकलीफ नहीं, उसकी स्वतंत्रता को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सोचने के लिए सरकार एक साथ कॉम्प्रिहेन्सिव, हर प्रकार के, mode of transport को देखना शुरु करे, यह आवश्यक है। हम जब से आए हैं, हमने रेलवे में बजट में बदलाव किया है। आप जानते हैं कि पहले बजट में हमारे गौड़ा जी ने बताया था कि करीब 1500 घोषणाएं हुई थीं और कौन मजबूत हैं, कौन हाउस में ज्यादा परेशान करता है, उनको ध्यान में रखकर, उनको खुश रखकर एक-आधी गोली दी जाती थी, वह भी ताली बजा देता था और अपने इलाके में जाकर बता देता था कि यह काम हो गया है। हमने देखा कि 1500 ऐसी चीजें हुई थीं, जिनका कागज पर ही मोक्ष हो गया था। ऐसा हम क्यों करते हैं, मैं जानता हूँ इससे हमें राजनीतिक दृष्टि से नुकसान होता है, लेकिन किसी को तो जिम्मा लेना पड़ेगा कि देश में जो गलत चीजें डेवलप हो चुकी हैं, उन्हें हम रोकें। ब्यूरोक्रेसी को ये चीजें सूट करती हैं। ऐसी चीजें उनको सूट करती हैं कि राजनेता ताली बजा दें और उनकी गाड़ी चलती रहे। मुझे नहीं चलानी है। देश के सामान्य नागरिक की आशा, आकांक्षाओं के लिए फैसले लेने हैं, अच्छे फैसले लेने का प्रयास है, अच्छी तरह कार्य करने का प्रयास है। इसलिए हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम इस काम को कर रहे हैं।

एक विषय नोटबंदी का आया, पहले दिन से यह सरकार कह रही है कि हम नोटबंदी पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोगों को लगता था कि टी.वी. पर कतार देखते हैं, कल कभी न कभी कुछ हो जाएगा, तब देखेंगे। आपको लग रहा था कि इस समय चर्चा करने से शायद मोदी फायदा उठा जाएगा और इसीलिए चर्चा के बजाय आपने टी.वी. बाइट देने में ही इन्ट्रेस्ट दिखाया। जिस वजह से चर्चा नहीं हुई। अच्छा है इस बार आपने थोड़ा बहुत स्पर्श किया है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record. Only the Prime Minister’s statement will go on record.

...(Interruptions) ...[*]

श्री नरेन्द्र मोदी : कितना बड़ा बदलाव आया है। अब मुझे विश्वास है कि जो बारीकी से चीजों का अध्ययन करते हैं, अब तक उनका ध्यान नहीं गया है तो मैं चाहूँगा कि उनका ध्यान जाए। मई, 2014 के पहले का वक्त आप देख लीजिए, वहां से आवाज उठती थी कि कोयले में कितना खाया, 2जी में कितना गया, जल करप्शन में कितना गया, वायु करप्शन में कितना गया, आसमान के करप्शन में कितना गया, कितने लाख गए, यही वहां से आवाज आती थी। यह मेरे लिए कितनी खुशी की खबर है कि जब वहां से आवाज आती थी कि मोदी जी कितना लाए। तब आवाज उठती थी कि कितना गया, अब आवाज उठ रही है कि कितना लाए। इससे बड़ा जीवन का संतोष क्या हो सकता है।...(व्यवधान) यही तो सही कदम है।...(व्यवधान)

दूसरा जो हमारे खड़गे जी ने कहा कि कालाधन हीरे-जवारात में है, सोने-चाँदी में है, प्रॉपर्टी में है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन यह सदन जानना चाहता है कि यह ज्ञान आपको कब हुआ¡ क्योंकि इस बात का कोई इंकार नहीं कर सकता कि भ्रष्टाचार का प्रारंभ नकद से होता है। उसकी शुरूआत नकद से होती है, परिणाम में प्रोपर्टीज होती हैं, परिणाम में ज्वैलरी होती हैं, परिणाम में गोल्ड होता है, लेकिन शुरूआत नकद से होती है। आपको मालूम है कि यही बुराइयों के केन्द्र में है, बेनामी प्रोपर्टीज हैं, जवाहरात हैं, गोल्ड है, चांदी है। जरा आप लोग बताइये कि 1988 में जब श्रीमान राजीव गांधी देश के प्रधान मंत्री थे, पंडित नेहरू से भी ज्यादा बहुमत इस सदन में आपके पास था, दोनों सदनों में आपके पास था। पंचायत से पार्लियामैन्ट तक सब कुछ आपके कब्जे में था। आप ही आप थे, दूसरा कोई नहीं था। वर्ष 1988 में आपने बेनामी सम्पत्ति का कानून बनाया। आपको जो ज्ञान आज हुआ है, क्या कारण था कि 26 साल तक उस कानून को नोटिफाई नहीं किया गया, क्या कारण था कि उसे दबा दिया गया? अगर उस समय उसे नोटिफाई किया होता तो जो ज्ञान आज आपको हुआ है, 26 साल पहले की स्थिति थोड़ी ठीक थी, देश के बहुत जल्दी साफ-सुथरा होने की दिशा में एक अच्छा काम हो जाता। वे कौन लोग थे, जिन्हें कानून बनने के बाद ज्ञान हुआ कि अब कानून दबाने में फायदा है?...(व्यवधान) वे किस परिवार...(व्यवधान) आप इससे बच नहीं सकते। आप किसी का नाम देकर बच नहीं सकते, आपको देश को जवाब देना पड़ेगा। जो ज्ञान आपको आज हुआ है और यह सरकार है, जिसने नोटबंदी से पहले पहला कदम उनके खिलाफ उठाया है, कानून बनाया है।

मैं आज इस सदन के माध्यम से भी देशवासियों को कहना चाहता हूं, आप कितने ही बड़े क्यों न हो, गरीब के हक का आपको लौटाना ही पड़ेगा और मैं इस रास्ते से पीछे लौटने वाला नहीं हूं। मैं गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। इस देश की गरीबी के मूल में...(व्यवधान)

---

[*] Not recorded.

देश के पास प्राकृतिक सम्पदा की कमी नहीं थी, देश के पास मानव संसाधनों की कमी नहीं थी, लेकिन देश में एक ऐसा वर्ग पनपा, जो लोगों का हक लूटता रहा, यह उसी का नतीजा है कि देश जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंच पाया। आप कहते हैं, कुछ लोग...(व्यवधान) उसकी जिनकी एजेन्सी होगी, वे बोलेंगे। ...(व्यवधान) एक बात मैं कहना चाहूंगा...(व्यवधान) हम यह जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को ...(व्यवधान) इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि एक समान्तर अर्थव्यवस्था डैवलप हुई थी और ऐसा नहीं है यह काम भी आपके संज्ञान में पहले भी आया था। यह विषय आप ही की सरकार की आप ही की कमेटियों ने भी आपको सुझाया था। जब इंदिरा जी राज करती थीं, तब यशवंतराव जी चव्हाण यह विषय लेकर उनके पास गये थे। तब उन्होंने कहा था कि क्यों भाई, क्या कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ना है।

आपका निर्णय गलत नहीं था, बल्कि चुनाव का डर था। हमें चुनाव की चिंता नहीं है, देश की चिंता है, इसलिए हमने यह निर्णय लिया है। ...(व्यवधान) यह बात निश्चित है, कोई इस बात से इंकार नहीं कर सकता है कि किसी भी व्यवस्था में कैश कितना है, चैक कितना है, यह कारोबार विकसित हो चुका है और एक प्रकार से जीवन का हिस्सा बन गया है। जब तक आप उसको गहरी चोट नहीं लगाओगे, तब तक स्थिति से बाहर नहीं आओगे। इसलिए हमने जो फैसले किए हैं, वे सही हैं। आपने किस प्रकार से देश चलाया हैi ऐसा लगता है कि कुछ दलों के दिलों दिमाग में चार्वाक का मंत्र उनकी जिंदगी में बहुत काम आ गया है। ...(व्यवधान) उन्होंने चार्वाक के ही मंत्र को लेकर ही काम किया है। तभी जा कर कोई अंग्रेजी कवि को उल्लेख कर के बड़े-बड़े व्यक्ति यह भी कह देते हैं कि मरने के बाद क्या है, क्या देखा हैi अब यह तो चार्वाक का तत्व ज्ञान है। मैं उस सदन में जाऊंगा, तब इसका उल्लेख बराबर डिटेल में करूंगा। लेकिन चार्वाक कहते थे -

> " यावत् जीवेत् सुखम् जीवेत् ऋणम् कृत्वा, धृतम् पीवेत् । भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमनम् कुतः ।। "

जब तक जीओ, मौज करो। ...(व्यवधान) चिंता किस बात की है, कर्ज लो और घी पीओ। भाई भगवंत मान, ये उस जमाने में संस्कार थे, इसलिए घी कहा, नहीं तो और कुछ पीने का कहते। ...(व्यवधान) उस समय ऋषियों के संस्कार थे तो उन्होंने घी पीने की बात कही थी। शायद आज का जमाना होता तो कुछ और पीने की चर्चा करनी पड़ती। लेकिन इस प्रकार की फिलॉसफी से, कुछ लोगों को लगता है कि जब अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी चल रही थी, तब आपने ऐसे समय में ऐसा निर्णय क्यों कियाi यह बात सही है। आप जानते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी हो और डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन बहुत जरूरी है, फिर भी वह कहता है कि पहले शरीर ठीक करना पड़ेगा। डायबटीज़ कंट्रोल करना पड़ेगा,

यह कंट्रोल करना पड़ेगा, सात-आठ दिन और मशविरा चलेगा, फिर बाद में ऑपरेशन होगा। जब तक वह स्वस्थ नहीं होता है, तब तक डॉक्टर ऑपरेशन करना पसंद नहीं करता है, चाहे कितनी भी गंभीर स्थिति हो। डीमॉनिटाइज़ेशन के लिए यह समय इतना पर्याप्त था कि देश की अर्थव्यवस्था तंदरुस्त थी। अगर दुर्बल होती तो हम यह कतई सफलतापूर्वक नहीं कर पाते। यह तब सफल हुआ है, जब अर्थव्यवस्था मज़बूत थी। दूसरा, ऐसा मत सोचिए कि हड़बड़ी में होता है। इसके लिए आपको मोदी का अध्ययन करना पड़ेगा। ...(व्यवधान) आप देखिए कि हमारे देश में साल भर में जितना व्यापार होता है, करीब-करीब उतना ही व्यापार दीवाली के दिनों में हो जाता है। 50 प्रतिशत दिवाली के दिनों में और 50 प्रतिशत साल भर में होता है। एक प्रकार से पूरा उद्योग-व्यापार, किसानी, सब काम दीवाली के आस-पास पीक पर पहुंच जाता है। उसके बाद नेचुरल लल पीरियड हमारे देश में हमेशा होता है। दीवाली के अलावा दुकानदार भी 15-15 दिन दुकान बंद कर के बाहर चले जाते हैं, लोग घूमने चले जाते हैं। यह प्रॉपर टाइम था जब कि सामान्य कारोबार ऊंचाई पर पहुंच गया था, उसके बाद अगर 15-20 दिन दिक्कत होती है और फिर 50 दिन में ठीक-ठाक हो जाएगा। मैं आप देख रहा हूँ कि जो मैंने हिसाब-किताब कहा था, उसी प्रकार से गाड़ी चल रही है। ...(व्यवधान)

आप जानते हैं, एक जमाना था इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट की मनमर्जी पर...(व्यवधान) एक समय था जब देश में इन्कम टैक्स अधिकारी मनमर्जी पड़े वहाँ जाकर धमकते थे और बाकी क्या होता था, पुराने इतिहास को मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। नोटबन्दी के बाद सारी चीजें रिकॉर्ड पर हैं, कहाँ से आया, किसने लाया, कहाँ रखा, अब उसमें से टॉप नाम टेक्नोलॉजी के द्वारा, डाटा माइनिंग के द्वारा निकाल दिये गये हैं। अब इन्कम टैक्स ऑफिसर को कहीं जाना नहीं है, सिर्फ एस.एम.एस. करके पूछना है कि जरा बताइए कि डिटेल क्या है। आप देखिए किसी भी प्रकार की अफसरशाही के बिना जिसको भी मुख्यधारा में आना है, उसके लिए एक अवसर प्राप्त हो चुका है और मैं मानता हूँ कि इससे क्लीन इन्डिया, जैसे स्वच्छ भारत का मेरा अभियान चल रहा है, वैसे ही आर्थिक जीवन में स्वच्छ भारत का अभियान भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।...(व्यवधान) बेनामी सम्पत्ति का कानून पास हो चुका है, नोटिफाई हो चुका है।

जैसा खड़गे जी ने कहा कि वहीं पर सब कुछ है, अच्छा सुझाव आपने दिया है, हम भी कुछ करके दिखायेंगे और जो भी सुन रहे हैं, वे भी समझें और इसके प्रावधान पढ़ लें कि कितना बड़ा कठोर कानून है। जिसके पास भी बेनामी सम्पत्ति है, उनसे मेरा आग्रह है, अपने चार्टेड एकाउन्टेंट से जरा पूछ लें कि आखिर वे प्रावधान क्या हैं। इसीलिए मेरा सबसे आग्रह है कि मुख्यधारा में आइये, देश के गरीबों का भला करने के लिए आप भी कुछ कन्ट्रिब्यूट कीजिए।...(व्यवधान) कभी-कभी लगता है कि यह निर्णय अचानक हुआ क्याi मैं जरा जानकारी देना चाहता हूँ, जिस दिन हमारी सरकार बनी, हमने कैबिनेट में सबसे पहला काम एस.आई.टी. बनाने का किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और लम्बे अरसे तक लटका पड़ा था कि विदेश के

काले धन के लिए एस.आई.टी. बनाओ। हमने बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस प्रकार से बनाई।...(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था :

> "… Since 1947, for 65 years, nobody thought of bringing the money stashed away in foreign banks to the country. The Government has failed in its role for 65 years." This court. feels that you have failed in your duty and so it gave an order for the appointment of the committee headed by former judges of this court. Three years have passed, but you have not done anything to implement the order. What have you done except for filing one report? You have done nothing…".

यह 24 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने उस सरकार को कहा है।...(व्यवधान)

SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): How much money have you brought? … (*Interruptions*)

श्री नरेन्द्र मोदी : वही तो मैं कह रहा था, वह जमाना था तब आवाज उठती थी, कितना गया, अब आवाज उठ रही है, कितना आया और आकर रहेगा, आता रहेगा।...(व्यवधान)

SHRI M.I. SHANAVAS: Nothing is brought. … (*Interruptions*)

श्री नरेन्द्र मोदी : आप देखिए एक के बाद एक, विदेश में जमा काले धन के खिलाफ नया कठोर कानून बनाया, प्रॉपर्टी जब्त करने की बात कही, इस बार भी बजट में एक नये कानून की बात कही गयी है, सजा भी 7 साल से 10 साल कर दी है। टैक्स हैवन जो थे मॉरीशस, सिंगापुर वगैरह, जो पुराने नियम आप बनाकर गये थे, हमने बातचीत की, उनको समझाया, उन्हें हमारी परिस्थितियाँ समझायीं, उसको हम ले आए। हमने स्विट्जरलैंड से समझौता किया कि अगर कोई भी हिन्दुस्तानी नागरिक पैसा रखेगा तो वे हमें रिएल टाइम इन्फर्मेशन देंगे तो उसका पता चल जायेगा।

<u>13.00 hours</u>

हमने अमेरिका सहित कई देशों के साथ इस प्रकार के समझौते किए हैं। जहां भी हमारा कोई भी भारतीय नागरिक, भारतीय मूल का व्यक्ति पैसे रखेगा तो उसकी जानकारी भारत सरकार को मिलेगी।

उसी प्रकार प्रॉपर्टी बिक्री में 20 हजार रुपए से ज्यादा नकद नहीं, इसका फैसला हमने लिया। हमने रियल एस्टेट बिल को पास किया। ज्वैलरी के मार्केट में भी एक प्रतिशत एक्साइज टैक्स डाला, क्योंकि चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना था, किसी को परेशान नहीं करना था। आप ही लोग हैं इस सदन में, इधर के हों या उधर के हों। मुझे चिट्ठियां आई हैं, जब हमने कहा कि दो लाख रुपए से ज्यादा की अगर

कोई ज्वैलरी परचेज करता है तो उसे पैन नम्बर देना होगा। मैं हैरान हूं। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देने वाले लोग मुझे चिट्ठियां लिखते थे कि पैन नम्बर मांगने का नियम रद्द कर दीजिए, ताकि लोग कैश मनी से सोना लेते रहें, गहने लेते रहें और काला बाज़ार चलता रहे। पर, हम टिके रहे। हमने उसे करके दिखाया। एक-एक कदम उठाया। मैं जानता हूं कि राजनीतिक फायदे के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर सकता, वरना तो आप पहले कर लेते। इसमें कठिनाई है, लेकिन, देश का भला करने के लिए निर्णय करने थे और गरीबों का भला करना था, इसलिए निर्णय किए।

दो लाख रुपए से ज्यादा के किसी सामान पर और दस लाख रुपए से ज्यादा महंगी गाड़ी पर एक प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स लगा दिया। हम 'इन्कम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम' भी लाए। अब तक इस स्कीम में सबसे ज्यादा पैसा लोगों ने डिक्लेयर किया। 1100 से ज्यादा पुराने कानून हमने खत्म किए। यहां नोटबंदी के संबंध में बताया गया, कोई कहता है 150 बार, कोई कहता है 130 बार, सब अलग-अलग आंकड़े बोलते हैं कि आपने इतने नियम बदले।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : 150 बार।

श्री नरेन्द्र मोदी : बहुत अच्छा याद रखते हैं।...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: 150 आदमी मर गये, 150 बार नियम बदले गए।...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह तो एक ऐसा काम था, जिसमें जनता की कोई तक़लीफ तुरन्त समझने के बाद हम रास्ता खोजने का प्रयास करते थे। दूसरा, जिन लोगों को सालों से लूटने की आदत लगी है, वे रास्ता खोजते थे और हमें वे रास्ते बंद करने के लिए कुछ-न-कुछ करना पड़ता था। लड़ाई का मौसम था। एक तरफ देश को लूटने वाले थे और एक तरफ देश को ईमानदारी की तरफ ले जाने का मोर्चा लगा हुआ था। लड़ाई पल-पल चल रही थी। 'तू डाल-डाल, मैं पात-पात' इस प्रकार से लड़ाई चल रही थी।

जो आप लोगों का बड़ा प्रिय कार्यक्रम है, जिसको लेकर आप बड़ी पीठ थपथपा रहे हैं, वैसे उसके लिए आपको हक़ नहीं है, क्योंकि जब इस देश में राजा-रजवाड़ों का शासन था, तब भी गरीबों के लिए राहत काम के नाम से योजनाएं चलती थीं। उसके बाद भी हिन्दुस्तान में 'फूड-फॉर-वर्क' के नाम से कई योजनाएं थीं। देश आज़ाद होने के बाद नौ प्रकार के अलग-अलग नामों से चली हुई योजना चलते-चलते उसे एक नाम दिया गया, जिसे मनरेगा कहते हैं। यह कई यात्राएं करके आया हुआ है। हर राज्य में, जहां कम्युनिस्टों की सरकार थी, उन्होंने भी पश्चिम बंगाल में किया था, जब शरद पवार की सरकार थी, उन्होंने भी इसे महाराष्ट्र में किया था, गुजरात में भी कांग्रेस की सरकार ने किया था। आजादी के बाद हर राज्य में किसी न किसी ने इस प्रकार के काम किए थे। यह कोई नई चीज़ नहीं थी, लेकिन नाम नया था। देश को

और आपको खुद को भी जानकर आश्चर्य होगा कि शांत रूप से इतने सालों से चली हुई योजना के बाद भी मनरेगा में 1035 बार परिवर्तन किए गए, 1035 बार नियम बदले गए। आप कभी अपने आईने में तो झांकिए। उस समय तो लड़ाई नहीं थी, इतने बड़े दबाव में काम नहीं करना था। पर, क्या कारण था कि मनरेगा जैसी योजना, जो एक लम्बे अर्से से चल रही थी, उसे भी लाने के बाद आपको उसमें 1035 बार परिवर्तन करने पड़े।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : वह एक्ट था।...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : नियमों में परिवर्तन किए गए, एक्ट तो एक बार हो गया।...(व्यवधान) एक्ट 1035 बार परिवर्तित नहीं हुआ है।...(व्यवधान)

SHRI ANANTHKUMAR: You listen to the hon. Prime Minister. We have listened to you.… (*Interruptions*) हमने सुना है आपको। आप भी शांति से सुनिए।...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : इसलिए आज मैं आपसे कहता हूं कि आपको 40 मिनट के बजाय पौने दो घंटे मिल चुके थे...(व्यवधान) मैं आपको काका हाथरसी के कविता की शब्द सुनाता हूं और मैं काका हाथरसी को याद करता हूं तो कोई इसे उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ न जोड़े।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: He is not yielding. बैठिए।

… (*Interruptions*)

श्री नरेन्द्र मोदी : क्योंकि उनके हर चुनाव में काका हाथरसी की बात तो चलती रहती थी।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: He is not yielding. प्लीज बैठ जाइए।

… (*Interruptions*)

श्री नरेन्द्र मोदी : काका हाथरसी ने कहा था - अंतर पट में खोजिए, छिपा हुआ है खोट और इन्होंने आगे कहा है - मिल जाएगी आपको बिल्कुल सत्य रिपोर्ट

आदरणीय अध्यक्षा जी, मैं एक बात की ओर ध्यान देना चाहता हूं। सरकार नियमों से चलती है, संवैधानिक जिम्मेवारियों के साथ चलती है। जो नियम आपके लिए थे, वह नियम हमारे लिए भी हैं, लेकिन फर्क कार्य-संस्कृति का होता है। नीतियों की ताकत भी नीयत से जुड़ी हुई होती है। अगर नीयत में खोट है तो नीतियों की ताकत जीरो छोड़ो, माइन्स में चली जाती है। इसलिए हमारे देश में उस कार्य-संस्कृति को भी समझने की जरुरत है। मैं यहां से जब भी कुछ बोलता हूं तो लोग कहते हैं कि यह तो हमारे समय था, यह तो हमारे समय था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं भी इसी पर थोड़ा खेलूं। आज मैं आपके मैदान में खेलना पसंद करुंगा।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा तो नहीं है कि आपको ज्ञान नहीं था। ऐसा थोड़े ही था कि आपको कल ही ज्ञान हुआ है। आपको जानकारी थी। महाभारत में इस प्रकार से कहा गया हैः

जानामि धर्मम् न च में प्रवृत्तिः
जानामि अधर्मम् न च में निवृत्तिः।

धर्म क्या है, यह तो आप जानते हैं, लेकिन वह आपकी प्रवृत्ति नहीं थी। अधर्म क्या है, वह भी जानते थे, लेकिन उसे छोड़ने का आपको सामर्थ्य नहीं था। मैं आपको बताता हूं कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क...(व्यवधान) अगर मैं इसके लिए कुछ भी कहूंगा तो वहां से आवाज उठाई गई कि यह तो हमने शुरू किया। मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूं। आप देखिए, वर्ष 2011 से वर्ष 2014, यानि इन तीन सालों में सिर्फ 59 गांवों में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगा और उसमें भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी का प्रावधान नहीं था। प्रोक्योरमेंट भी पूरी तरह से सेन्ट्रलाइज्ड था। इसका क्या कारण था, सब लोग जानते हैं। अब आप देखिए, हमने पूरी कार्य-संस्कृति कैसे बदली है, एप्रोच कैसे बदली है। इसके लिए सभी राज्यों को साथ में लिया। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानि स्कूल में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क मिलना चाहिए, अस्पताल में मिलना चाहिए और पंचायत घर में भी मिलना चाहिए। हमने इस प्राथमिकता को तय किया। हमने प्रोक्योरमेंट को भी डिसेन्ट्रलाइज्ड कर दिया और परिणाम यह आया कि इतने कम समय में अब तक 76 हजार गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लास्ट माइल कनेक्टिविटी के साथ पूरा हो गया।...(व्यवधान)

दूसरा, अभी यहां पर कल बताया जा रहा था कि आप लेशकैश सोसायटी या कैशलेश सोसायटी के लिए बोल रहे हैं। लोगों के पास क्या है, लोगों के पास क्या है, मोबाइल नहीं हैं¡ मैं हैरान हूं, मैंने तो वर्ष 2007 के बाद से जितनी चुनाव सभाएं सुनी हैं, आपके नेता गांव-गांव जाकर कहते हैं कि राजीव गांधी कंप्यूटर रिवोल्यूशन लाए, राजीव गांधी मोबाइल फोन लाए, राजीव गांधी ने गांव-गांव कनेक्टिविटी कर दी, आप ही का भाषण है। जब मैं आज कह रहा हूं कि उस मोबाइल का उपयोग बैंक में भी कनवर्ट किया जा सकता है तो आप कह रहे हैं मोबाइल फोन ही कहां है। यह समझ नहीं आ रहा है, भाई। ...(व्यवधान) आप ही कह रहे हैं कि हमने इतना कर दिया और जब मैं उसमें कुछ अच्छा जोड़ रहा हूं तो कहते हैं कि वह तो है ही नहीं। यह आप क्या समझा रहे थे, ऐसा क्यों कर रहे हैं¡

दूसरी बात, यह आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि पूरे देश के पास नहीं है। मान लीजिए कि चालीस पर्सेंट के पास है तो क्या हम चालीस पर्सेंट लोगों को इस आधुनिक व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में सबका सामूहिक प्रयत्न रहना चाहिए या नहीं¡ साठ पर्सेंट का, चलो बाद में देखेंगे, कहीं तो शुरू करें। इसका लाभ है। डिजिटल करेंसी को हम कम न आंकें। एक-एक एटीएम को संभालने के लिए एवरेज पांच पुलिस

वाले लगते हैं। करेंसी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, सब्जी और दूध के मोबेलाइजेशन के लिए जितना खर्च होता है, उससे ज्यादा उसके मोबेलाइजेशन में खर्च होता है। अगर हम इन बातों को समझें तो जो कर सकते हैं, सब नहीं कर पाएंगे, हम समझ सकते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं, उनको करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह नेतृत्व का काम होता है, चाहे वह किसी भी दल का हो। इससे लोगों का भला होने वाला है।

मुझे कोई बता रहा था कि एक सब्जी वाले ने इसे शुरू किया। कल ही मुझे कोई रिपोर्ट देकर गया। उसको पूछा कि तुम्हारा क्या फायदा है। वह बोला कि पहले क्या होता था, एक तो मेरे ग्राहक परमानेंट थे, मैं सबको जानता था। मान लीजिए कि 52 रुपए की सब्जी ली, तो फिर मैडम कहती थी कि पचास रुपए का नोट है, इसे ले लो, तो बोला कि मेरे दो रुपए चले जाते थे और मैं भी बोल नहीं पाता था। मैं हिसाब लगाता था साल भर में मेरे 800-1000 रुपए, रुपया - दो रुपया न देने में ही हो जाता था। भीम लगाने के बाद 52 रुपए है तो 52 रुपए मिलते हैं, 53 रुपए हैं तो 53 मिलते हैं, 48 रुपए 45 पैसे हैं, तो पूरे मिलते हैं। वह बोला कि मेरे तो 800-1,000 रुपए बच गए। देखिए, चीजें कैसे बदलती हैं। ...(व्यवधान) आप मोदी का विरोध कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपका काम भी है, करना भी चाहिए, लेकिन जो अच्छी चीज है, उसे आगे बढ़ाइए। मान लीजिए, यह गांव में नहीं है, अगर शहरों में है तो उसे आगे बढ़ाओ, उसमें योगदान करो, देश का भला होगा, इसमें किसी और व्यक्ति का भला नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि ऐसी चीजों में हम मदद कर सकते हैं, तो मदद करनी चाहिए।

कार्य संस्कृति कैसे बदलती है। रोड बनाना क्या हमारे आने के बाद हुआ। यह तो टोडरमल के जमाने से चल रहा है, शेरशाह सूरी के जमाने से चल रहा है। यह कहना कि यह तो हमारे जमाने से था, हमारे जमाने से था, कहां-कहां तक जाएंगे। लेकिन फर्क क्या है। पिछली सरकार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रतिदिन 69 किलोमीटर होती थी, हमारे आने के बाद 111 किलोमीटर होती है, यह फर्क है। ...(व्यवधान) हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नॉलाजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नॉलाजी से फोटोग्राफी होती है, मानिटरिंग होती है। हमने रेलवे में ड्रोन का उपयोग किया है। फोटोग्राफी करते हैं, काम का हिसाब लेते हैं कि कार्य संस्कृति में टेक्नॉलाजी की मदद से कैसे बदलाव लाया जा सकता है।

ग्रामीण आवास योजना, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए नामों को जोड़कर उसका जो उपयोग हुआ, वह हुआ, लेकिन फिर भी आपके समय में एक साल में 10,83,000 घर बनते थे, इस सरकार में एक वर्ष में 22,27,000 घर बने। नेशनल अर्बन रिन्युअल मिशन में एक महीने में 8,017 घर बने। हमारी योजना से 13,530 घर बने। पहले ब्रॉडगेज रेलवे की कमिशनिंग एक साल में 1500 किलोमीटर हुआ करती थी। पिछले साल यह बढ़कर 3000 किलोमीटर यानी डबल हो गई। ...(व्यवधान) इसलिए ये परिणाम अचानक नहीं आए। योजनाबद्ध तरीके से हर पल, हर चीज को मोनीटर करते-करते यही लोग, यही कानून,

यही मुलाजिम, यही फाइल, यही माहौल, उसके बाद भी बदलाव लाने में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। यह अचानक नहीं होता है, इसके लिए पुरूषार्थ करना पड़ता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है--

उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः।
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा:।।

उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं न कि मनोरथों से। सोए हुए सिंह के मुख में हिरण आकर प्रवेश नहीं करता, उसे भी शिकार करना पड़ता है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदया, कुछ मूलभूत परिवर्तन कैसे आते हैं। हम जानते हैं कि राज्यों के इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड डिस्कॉम सारे राज्य संकट में हैं। कभी हिन्दुस्तान में लाल किले से एक प्रधान मंत्री द्वारा इसकी चिन्ता की गई थी, इतनी हद तक हालत बिगड़ी हुई थी। पिछले दो सालों में बिजली उत्पादन में क्षमता बढ़ी। कन्वैंशनल एनर्जी को जोड़ा गया। ट्रांसमिशन लाइन को बढ़ाया गया। सोलर एनर्जी को लाया गया। 2014 में वह 2700 मेगावाट थी, आज हमने उसे 9,100 मेगावाट तक पहुंचा दिया। सबसे बड़ी बात डिस्कॉम योजना के कारण हुई। उदय योजना के तहत राज्य जब योजना सफल कर पाएंगे तो उनकी तिजोरी में करीब-करीब एक लाख 60 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा रकम बचने वाली है। राज्यों के साथ जोड़कर अगर भारत सरकार ने एक लाख 60 हजार करोड़ रुपये की घोषणा कर दी होती तो चारों तरफ कहा जाता कि वाह, मोदी सरकार ने इतना पैसा दिया। हमने योजना ऐसी बनाई कि राज्यों के खजाने में एक लाख 60 हजार करोड़ रुपये उदय योजना द्वारा बचत होने वाली है, जो उनके विकास में काम आने वाली है और वे ऊर्जा क्षेत्र के बोझ से बचने वाले हैं।

कोयला - आप जानते हैं कि जहां से कोयला निकलता था, उसके नजदीक नहीं दिया जाता था। क्योंi कहा गया कि रेलवे को थोड़ी कमाई हो जाए। हमने कहा, कमाल हो गया, रेलवे की कमाई के लिए इतना सब करें। हमने रैशनलाइज़ कर दिया, जहां नजदीक है, वहीं से कोयला मिलेगा, कोयले का खर्च हो, उस दिशा में प्रयास किया। उसके कारण कोयले में करीब-करीब 1300 करोड़ रुपये ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम हुआ है।

एलईडी बल्ब - हम यह नहीं कहते कि एलईडी बल्ब हम लाए। वैज्ञानिक शोध हुई, आपने भी शुरू किया। लेकिन आपके समय में एलईडी बल्ब करीब 300 रुपये, साढ़े तीन सौ रुपये, 380 रुपये में मिलते थे। एलईडी बल्ब से एनर्जी सेविंग होती है, हमने मिशन रूप में काम किया। पिछले आठ-नौ महीने से इस योजना को बल दिया गया है। इतने कम समय में हमने 21 करोड़ एलईडी बल्ब लगाने में सफलता पाई है और तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। अब तक जो एलईडी बल्ब लगे हैं, उसके कारण परिवारों में जो बिजली का बिल आता था, उसमें 11 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है। अगर किसी सरकार ने बजट में ग्यारह हजार करोड़ रुपये बिजली उपभोक्ताओं को देना तय किया होता तो अखबारों की हेडलाइन बन

जाती। एलईडी बल्ब लगाने मात्र से ग्यारह हजार करोड़ रुपये बिजली का बिल सामान्य जनों के घरों में कम हुआ है। जब कार्य संस्कृति अलग होती है तो कैसा परिवर्तन आता है इसका यह नमूना है। ...(व्यवधान) विपक्ष के नेता शिड्यूल कास्ट के बजट को लेकर भाषण कर रहे थे लेकिन बड़ी चतुराईपूर्वक वर्ष 2013-14 के आंकड़े के ऊपर बोलना अच्छा नहीं माना, वर्ष 2013-14 आता था तब अटक जाते थे। शिड्यूल कास्ट सब प्लॉन कुल आबंटन वर्ष 2012-13 37,113 करोड़ रुपये, वर्ष 2013-14 41,561 करोड़ रुपये, वर्ष 2016-17 38,833 करोड़ रुपये, 2016-17 40,920 करोड़ रुपये, 33.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस साल के बजट में 52,393 करोड़ रुपये है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: .... *

श्री नरेन्द्र मोदी : आपको शब्द सुनने की हिम्मत चाहिए, सत्य सुनने की हिम्मत चाहिए। ...(व्यवधान) यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली सरकार है। भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के समय किस प्रकार से काम किए जाते हैं। ...(व्यवधान) 17 मंत्रालयों की 84 योजनाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्र योजना के साथ जोड़ कर आगे किया। 32 करोड़ लोगों को 1,56,000 करोड़ रूपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्र योजना में दिया गया। उससे क्या लाभ हुआ हैi किस प्रकार से हर गली मोहल्ला में चोरी और लूट की व्यवस्था थी। इतनी बारीकी से हर जगह पर चोरी और लूट को रोकूंगा तो मेरे ऊपर कितना तुफान आएगा। मैंने गोवा में बोला था कि मैं ऐसे निर्णय करता हूं तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी मुझे मालूम है। ऐसे बड़े-बड़े लोगों को तकलीफ हो रही है और ज्यादा होने वाली है। उसके कारण मुझे अंदाज है कि मेरे ऊपर क्या-क्या जुल्म होने वाले हैं उसके लिए हम तैयार हैं। मैंने देश के लिए प्रण किया है इसलिए मैं कदम उठा रहा हूं। पहल योजना, हमारे यहां गैस सिलेंडर जाते थे और सब्सिडी मिलती थी जब उसको आधार योजना से जोड़ा तो उसका लिकेजेज करीब 26 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा लिकेज रुका। जिसकी वजह से हम डेढ़ करोड़ परिवारों को गैस का कनेक्शन देने में हम सफल हुए। ...(व्यवधान)

आप अध्ययन कर लीजिए। मैं जब सदन में बोलता हूं तो जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं।...(व्यवधान) पिछले ढाई वर्षों में गरीब आदमी के हक को छीनने का काम फर्जी राशन कार्ड वाले करते थे। गरीब को जो मिलना चाहिए, बिचौलिए अपने यहां फर्जी राशन कार्ड के ठप्पे रखते थे, माल चुरा लेते थे और कालाबाजारी में बेचते थे। जब से हमने टेक्नोलाजी का उपयोग किया, आधार का उपयोग किया, करीब 2 करोड़ 33 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए। इससे करीब 14 हजार करोड़ की रकम, जो बिचौलिए गरीब के हक की खाते थे, मुख्य धारा में आई और गरीबों की तरफ गई।

---

* Not recorded.

मनरेगा में आधार से पेमेंट दी जाती है। पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, करीब 94 परसेंट सक्सेस मिली है। इसका परिणाम यह हुआ है कि 7,633 करोड़ रुपए का लीकेज बच पाया है। यह एक वर्ष में नहीं, आने वाले वर्षों में भी बचने वाला है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, एनएसएपी, करीब 400 करोड़ रुपया, जिसका कोई लेनदार नहीं मिल रहा है, लेकिन पैसे जाते थे। ऐसी कुछ चीजें पाई गईं, जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ, वह बेटी विधवा भी हो गई और खजाने से धन भी जा रहा है। हम इन सबको रोकने की कार्य संस्कृति लेकर चले हैं। स्कालरशिप जैसी कई चीजें हैं। मैं मोटा अंदाज लगाता हूं, अभी तो शुरुआत है, हर वर्ष 49,500 करोड़ रुपए बिचौलियों के पास जाते हुए रुक गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि करीब 50,000 करोड़ रुपया जो गरीबों के हक का था, बिचौलिए खा जाते थे, करप्शन के नाम पर, लूट के नाम पर, उसे रोकने के लिए बड़ी हिम्मत लगती है, हमने करके दिखाया है।

अध्यक्ष जी, मैं कार्य संस्कृति का एक उदाहरण भी देना चाहता हूं। किसानों की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। हर वर्ष राज्यों के मुख्यमंत्री भारत सरकार को इस बात की चिट्ठी लिखते थे कि हमें यूरिया मिलना चाहिए। जब मैं भी मुख्यमंत्री था, लिखता रहता था, क्योंकि यूरिया पाने में बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। मैं आज बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि पिछले दो साल से किसी मुख्यमंत्री को यूरिया के लिए चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ी, कहीं यूरिया के लिए कतार नहीं लगी है, कहीं यूरिया के लिए लाठीचार्ज नहीं हुआ है। यह बात हम भूले नहीं, पुराने अखबार निकाल लीजिए, किसानों को यूरिया पाने के लिए कितनी तकलीफ होती थी। अब मुझे बताइए क्या नीम कोटिंग का ज्ञान हमें ही है, आपको नहीं थाi आपको था। 5 अक्टूबर, 2007 को यूरिया नीम कोटिंग की चर्चा ग्रुप आफ मिनिस्टर द्वारा प्रिंसीपली एप्रूव हुई। 5 अक्टूबर, 2007 से लेकर अब तक क्या हुआ, करीब छः साल, एक तो आपने कैप 35 परसेंट लगाई कि इससे ज्यादा नीम कोटिंग नहीं करनी है। जब तक 100 परसेंट नहीं करते हैं, तब तक उसका कोई लाभ ही नहीं होता है क्योंकि यूरिया चोरी होता है, कारखानों में चला जाता है, किसान के नाम पर सब्सिडी के बिल कटते हैं, लेकिन किसान को लाभ नहीं मिलता था। यूरिया का दुरुपयोग सिंथेटिक मिल्क बनाने में होता था, इसके कारण गरीब बच्चों की जिंदगी के साथ खेला जाता था। यूरिया को 100 परसेंट नीम कोटिंग किया। आपने निर्णय किया था, छः साल में आप 35 प्रतिशत का कैप लगाने के बाद 35 प्रतिशत तक नहीं पहुंच पाए, सिर्फ 20 प्रतिशत नीम कोटिंग की। हमने आकर इस बात को हाथ में लिया, आपका 6 साल और मेरा छः महीना, हिन्दुस्तान में 100 परसेंट यूरिया नीम कोटिंग कर दिया। इम्पोर्टिड यूरिया को भी नीम कोटिंग कर दिया। आपकी कार्य-संस्कृति और हमारी कार्य-संस्कृति में फर्क इतना है। नीम कोटिंग की बात आती है तो आप खड़े हो जाते हैं कि यह तो हमारे जमाने का है। मैंने आज आपके मैदान में खेलना तय किया है, मैं खेलकर दिखाता हूं कि आपका हाल क्या है। नीम कोटिंग का हमने अध्ययन करवाया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड रूरल ट्रांसफार्मेशन सैंटर ने एनालिसिस करके रिपोर्ट दी है। किसानों का कितना

भला हो रहा है, देखिए, धान के उत्पादन में पांच प्रतिशत वृद्धि, गन्ने के उत्पादन में 15 प्रतिशत वृद्धि। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसानों का इसके कारण कितना खर्चा बच रहा है।

अध्यक्ष जी, किस प्रकार से महामहिम राष्ट्रपति जी ने हम सबसे आह्वान किया है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ-साथ होने की दिशा में सोचने का समय आ गया है। इसे राजनीतिक तराजू से न तौला जाए। तत्कालीन हर किसी को थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन इस विषय पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। हर वर्ष पांच-सात राज्यों में चुनाव होते ही रहते हैं। एक करोड़ से ज्यादा सरकारी मुलाजिम कभी न कभी चुनावों में लगे ही रहते हैं। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अध्यापकों और प्राध्यापकों को चुनाव के काम में जाना पड़ता है, बार-बार चुनाव के कारण सबसे ज्यादा भविष्य की पीढ़ी को नुकसान हो रहा है। इसके कारण खर्च में भी बहुत बड़ी वृद्धि हो रही है। वर्ष 2009 के चुनाव में 1100 करोड़ का खर्च हुआ और 2014 के लोकसभा के चुनाव में 4000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस गरीब देश पर कितना बोझ पड़ रहा है।

अध्यक्ष जी, आज कानून व्यवस्था की दृष्टि से अनेक नई चुनौतियां आ रही हैं। प्राकृतिक संकटों के कारण सिक्योरिटी फोर्स की मदद लगती है। दुनिया भर में फैल रहा आतंकवाद और हमारे दुश्मन देश जिस तरह हरकतें कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्स को उसमें लगा देते हैं। इतना बड़ा काम बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी की ज्यादातर शक्ति चुनावी प्रबंधन में लगाई जाती है, उनको भेजना पड़ता है। हम इन संकटों को समझें। एक दीर्घदृष्टा के रूप में कोई एक दल इसका निर्णय नहीं कर सकता है, सरकार इसका निर्णय कतई नहीं कर सकती है, लेकिन अनुभव के आधार पर जिम्मेदार लोगों को मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना होगा, हमें रास्ता खोजना होगा। महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो चर्चा निकाली है, हमें उस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। उनके धन्यवाद के लिए हमें प्रयास करना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री एम.बी.राजेश (पालक्काड) : आपने एनपीए के बारे में कुछ नहीं कहा। ...(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी : स्टेट फंडिंग कर दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी: हमारे देश के ग्रामीण अर्थ कारण को मजबूत किए बिना देश का अर्थ कारण आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं हैरान हूं, विपक्ष के नेता को महामहिम राष्ट्रपति जी के संबोधन में दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, युवा, मजदूर के उल्लेख से भी परेशानी हुई। क्या इस देश में दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों का महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में स्थान नहीं होना चाहिए, उसे पीड़ा होनी चाहिए¡ मैं हैरान हूं कि ऐसी पीड़ा क्यों होती है।

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Why there is no mention of the Women's Reservation Bill in the Address?… (*Interruptions*)

श्री नरेन्द्र मोदी: हमने कृषि सिंचाई योजना पर बल दिया। आप देखिए, मनरेगा में कैसा मूलभूत परिवर्तन आया, आपने तीन साल में सिर्फ 600 करोड़ रुपया बढ़ाया था और हमने आकर दो साल में 11000 करोड़ रुपया बढ़ा दिया। हमने स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। हमने उसके अंदर जियो टैगिंग की व्यवस्था की है। हमने तालाब बनाने पर भी बल दिया है, क्योंकि सिंचाई सबसे बड़ी बात है। मत्स्य पालन के लिए भी छोटे-छोटे तालाब काम में आ सकते हैं। गरीब व्यक्ति कमा सकता है। उसके कारण हम करीब दस लाख से ज्यादा तालाब बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। पिछली बार भी हमने तालाब बनाने के लिए बल दिया था। इससे हमारे किसानों को एक बहुत बड़ा लाभ होने की संभावना है। जियो टैगिंग के कारण मौनीटरिंग की व्यवस्था है। इसका भी लाभ होगा।

स्पेस टेक्नोलॉजी में सैटेलाइट के अंदर बहुत चीजें होने के बावजूद भी हम उनका उपयोग नहीं कर पाये। हमने सैटेलाइट छोड़कर अखबारों में, सुर्खियों में जगह बनाने का प्रयास किया। इस सरकार ने लगातार भरपूर प्रयास किया है। हम उसे भी आगे बढ़ाने का काम करें।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना - फसल बीमा योजना पहले भी थी, लेकिन फसल बीमा लेने के लिए किसान तैयार नहीं था। फसल बीमा योजना पहले भी थी, लेकिन किसान के हकों की रक्षा नहीं होती थी। हम सब सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोग हैं। राजनीतिक दल के सिवाय भी समाज के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी है। इस सदन के सब लोग प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का अध्ययन करें कि हमारे इलाके के किसानों को कैसे मदद मिल सकती है। वे उसका फायदा उन तक पहुंचायें। पहली बार प्राकृतिक आपदा के कारण बुआई न हुई हो, तब भी वह बीमा का हकदार बना है। फसल काटने के बाद भी अगर पन्द्रह दिनों के अंदर कोई और आपदा आयी, तब भी वह फसल बीमा का हकदार बने, यह निर्णय छोटा नहीं है। ...(व्यवधान) इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि किसानों को यह जो लाभ मिला है, उस लाभ को हम उन तक पहुंचायें।

सॉयल हैल्थ कार्ड में राजनीतिक मतभेद हो सकता है। लेकिन आप अपने इलाके के किसानों को सॉयल हैल्थ कार्ड के बारे में समझाइये। इससे उनका फायदा होगा। उनकी लागत कम हो जायेगी। सही भूमि पर सही फसल से उपयुक्त लाभ होगा, यह सीधा-सीधा विज्ञान है। उसमें राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि इसमें छोटे-छोटे इंटरप्रिन्योर्स आगे आयें। वे खुद अपनी प्राइवेट लैब बनायें और खुद सर्टिफाइड लैब के द्वारा धीरे-धीरे गांवों में एक नये रोजगार का क्षेत्र भी खुले, उस दिशा में हमें काम करना चाहिए।

आदरणीय अध्यक्ष महोदया, यहां पर युवाओं को रोजगार देने के अवसर पर चर्चा हुई। मुद्रा योजना से करीब-करीब दो करोड़ से ज्यादा लोगों को बिना किसी गारंटी के धन दिया गया है। उससे वह खुद अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। अगर वह पहले से खड़ा था, तो उसमें एक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार

देने की ताकत आयी है। हम लोगों की यही सोच रही कि जब तक हम देश में रोजगार के अवसर नहीं बढ़ायेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हमारी नीतियां ऐसी होनी चाहिएं कि हर जगह रोजगार की संभावनाएं बढ़ें और हमने उस नीति को अपनाया। हमने स्किल डेवलपमैंट में बल दिया है। इसका लाभ है कि हमारे यहां कृषि क्षेत्र में अब प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना है। हम जब प्रधान मंत्री कृषि योजना लागू कर रहे हैं, तो क्या उस काम में लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। हमने प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा योजना के साथ पूर्वी भारत को गैस पाइप लाइन से जोड़ने की दिशा में बड़ा अभियान चलाया है। सैंकड़ों किलोमीटर की गैस पाइपलाइन लगने वाली है। क्या उसमें नौजवान को रोजगार की संभावना नहीं है। इसलिए विकास की वह दिशा होनी चाहिए, जिसमें नौजवानों को रोजगार मिले।

हमने अभी टेक्सटाइल और जूतों के क्षेत्र में अनेक इनीशियेटिव्स लिये हैं, जिसके कारण लोगों को नये रोजगार और नये-नये क्षेत्रों में रोजगार की संभावना हुई है। देश के छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इस बजट में भी बहुत महत्वपूर्ण फैसले किये गये हैं। छोटे-छोटे उद्योगों को जितना बल मिलेगा, उसके कारण हमारे देश में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। अगर हम जीरो इफैक्ट को अपने प्रोडक्शन का क्राइटीरिया रखें, तो हम दुनिया की मार्केट को भी कैप्चर कर सकते हैं। हमारे छोटे उद्योगकारों की एक्सपोर्ट करने की ताकत होती है। बड़े-बड़े उद्योगकारों में छोटे-छोटे पुर्जे लगते हैं, जो छोटे-छोटे कारखानों से मिलते हैं। हम इससे इंजीनियरिंग की दुनिया में मिरकेल कर सकते हैं। सरकार अभी नये बजट में जो योजनाएं लायी है, उनका लाभ 96 परसेंट उद्योगकारों को मिलने वाला है। चार प्रतिशत बड़े लोग बाहर रह गए, लेकिन जो 50 करोड़ रुपये से कम वाले करीब 96 प्रतिशत लोग हैं, उन सब को फायदा मिल रहा है और बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। उसके कारण रोजगार के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं बनने वाली हैं।

यहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात आई। मैं हैरान हूं, अपने सीने पर हाथ रखकर पूछिए। सर्जिकल स्ट्राइक के पहले 24 घण्टे में राजनेताओं ने कैसे-कैसे बयान दिए, कैसी भाषा का प्रयोग किया, लेकिन जब देखा कि देश का मिजाज अलग है तो उनको अपनी भाषा बदलनी पड़ी। मैं आपसे आग्रह करता हूं, यह बहुत बड़ा निर्णय था और इस निर्णय के बारे में कोई मुझसे पूछता नहीं है। नोटबन्दी के बारे में पूछते हैं कि मोदी जी, इसे सीक्रेट क्यों रखा। बोलते हैं कि कैबिनेट को भी नहीं बताया। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कोई नहीं पूछ रहा है।

भाइयो-बहनो, देश की सेना का जितना गुणगान करें,...(व्यवधान) हम अपने देश की सेना का जितना गुणगान करें, उतना कम है। ...(व्यवधान) इतनी सफल सर्जिकल स्ट्राइक की है।...(व्यवधान) मैं जानता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक आपको परेशान कर रही है।...(व्यवधान) सर्जिकल स्ट्राइक आपको परेशान कर रही है। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आपकी मुसीबत यह है कि पब्लिक में जाकर बोल नहीं पाते हैं और

अंदर पीड़ा अनुभव कर रहे हैं। यह आपकी मुसीबत है।...(व्यवधान) लेकिन आप मानकर चलिए कि यह देश, ...(व्यवधान) हमारी सेना इस राष्ट्र की रक्षा के लिए पूरी सामर्थ्यवान है, पूरी शक्तिवान है।...(व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मुझे विश्वास है कि इस सदन में संवाद हो, नए-नए शोध हों, नए-नए विचारों को रखा जाए, क्योंकि हम लोग ज्ञान के पुजारी हैं, विचारों का स्वागत करने वाले लोग हैं। जितने नए विचार मिलेंगे, किसी भी दिशा से विचार आएं, जरूरी नहीं है कि विचार इसी दिशा से आएं, किसी भी दिशा से विचार आएं, उत्तम विचारों का स्वागत है, क्योंकि हम सभी का मिलकर अल्टीमेट उद्देश्य है - अपने देश को आगे बढ़ाना। अल्टीमेटली हम सभी का उद्देश्य देश को बुराइयों से मुक्त कराना है । अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य है देश को नई उंचाइयों पर ले जाना। आज विश्व के अंदर एक अवसर आया है, ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं। आज विश्व की जो अवस्था है, उसमें भारत के लिए एक अवसर आया है, अगर हम इस अवसर का फायदा उठाएं, एक स्वर से, एक ताकत के साथ हम दुनिया के सामने प्रस्तुत हों तो मुझे विश्वास है कि हमारे पूर्वज जो सपना देखकर चले थे, उसको हम पूरा कर सकते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे समय दिया, सदन ने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आभारी हूं। मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी का ह्रदय से अभिनन्दन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप लोग बैठ जाइए, कल इस विषय पर बहुत अच्छे से चर्चा हुई है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, a number of amendments have been moved by Members to the Motion of Thanks. Shall I put all the amendments to the vote of the House together or any Member wants to move a particular amendment separately?

Shri Mahtab, do you want to press your amendments?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Yes. I want to press amendment No. 179 relating to the simmering discontent between Chhattisgarh and Odisha regarding Mahanadi. There is no mention about it by the Prime Minister. My appeal to the Prime Minister to consider the request from the State of Odisha relating to Mahanadi.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 179 to 183, 192 to196, 201 to 208 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you pressing your amendments?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Yes, Madam. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 140 to 173 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Jai Prakash Yadav, are you pressing your amendments?

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : जी हां, अध्यक्ष जी।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 1 to 29 moved by Shri Jai Prakash Yadav to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : बोलने का समय नहीं मिलेगा। No, I am sorry.

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, Shri Jyotiraditya M. Scindia, do you want to press your amendment?

… (*Interruptions*)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : जी हां, मैडम।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 381 moved by Shri Jyotiraditya M. Scindia to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

माननीय अध्यक्ष : नहीं, हर कोई नहीं बोलेगा।

…(व्यवधान)

13.48 hours

(*At this stage, Shri Jyotiraditya M. Scindia came and stood on the floor near the Table.*)

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Kodikunnil Suresh, are you pressing your amendments?

… (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Yes, Madam.… (*Interruptions*)

13.48 ½ hours

(At this stage, Shri Jyotiraditya M. Scindia went back to his seat.)

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 382 to 390 moved by Shri Kodikunnil Suresh to the vote of the House.

… (*Interruptions*)

The amendments were put and negatived.

13.49 hours

(*At this stage, Shri Jyotiraditya M. Scindia and Shri Mekapati Raja Mohan Reddy came and stood on the floor near the Table.*)

माननीय अध्यक्ष : बोलते नहीं हैं। अब हो गया न। देखिए, आप शांति से बैठोगे तो मैं सुन पाऊंगी। इस शोर में मुझे कुछ नहीं सुनाई देता। आप बैठते क्यों नहीं हो? सब लोग खड़े हों, ऐसा नहीं होता है। मैं नहीं सुनूंगी।

…(व्यवधान)

13.49 ½ hours

(At this stage, Shri Jyotiraditya M. Scindia and Shri Mekapati Raja Mohan Reddy went back to their seats.)

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, शोर में मुझे नहीं सुनना है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं हरेक का नाम ले रही हूं। पहले आप अपनी जगह पर जाइए। देखिए, आप शांति से बैठिए। मैं हरेक को पूछ रही हूं, लेकिन आप सब लोग हल्ला कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा और इसलिए गड़बड़ हो रही है। It is because of you only.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप शांति से बैठिए। मैं एक-एक का नाम लेकर पूछ रही हूं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आयेगा। इसलिए गड़बड़ हो रही है। It is because of you only. मैं शांति से एक-एक का नाम लेकर पूछ रही हूं। It is because of you only it happened.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Prof. Saugata Roy, are you pressing your amendments?

PROF. SAUGATA ROY: Yes. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : अभी बोलने का मौका किसी को नहीं मिलेगा, कल चर्चा हो गयी थी।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 174 to 178 moved by Prof. Saugata Roy to the vote of the House.

The amendments were put and negatived

माननीय अध्यक्ष : आप सभी बैठिए। आप सभी हल्ला कर रहे हैं। कल्याण जी बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी बैठ जाइए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : राज मोहन रेड्डी जी आप नम्बर बोलिए।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Kalyan Banerjee, I cannot hear.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपका नाम नहीं लिया, राज मोहन रेड्डी जी का नाम लिया है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप प्रोसिजर को समझिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कल्याण जी आपको क्या हो गया हैं। एक समर्थ रामदास के शिष्य कल्याण थे, उन्हें याद करें।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Mekapati Raja Mohan Reddy, are you pressing your amendment?

… (*Interruptions*)

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Yes. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 380 moved by Shri Mekapati Raja Mohan Reddy to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

13.52 hours

(*At this stage, Shri K.C. Venugopal and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

HON. SPEAKER: Shri Rajesh Ranjan, are you pressing your amendments?

SHRI RAJESH RANJAN (MADHEPURA): Yes.

HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 30 to 85 and 98 to 115 moved by Shri Rajesh Ranjan to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

… (*Interruptions*)

13.53 hours

(At this stage, Shri K.C. Venugopal and some other hon. Members went back to their seats.)

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shrimati Ranjeet Ranjan, are you pressing your amendments?

SHRIMATI RANJEET RANJAN (SUPAUL): Yes.

HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 133 to 142 moved by Shrimati Ranjeet Ranjan to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I shall now put all the other amendments which have been moved together to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I shall now put the Motion of Thanks on the President's Address to the vote of the House.

The question is:

> "That an Address be presented to the President in the following terms:--
>
> 'That the Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on January 31, 2017'."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: Now, the House stands adjourned to meet again at 3 o'clock.

13.55 hours

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen of the Clock.

<u>15.06 hours</u>

The Lok Sabha re-assembled at Six Minutes past Fifteen of the Clock.

(Shri Ramen Deka *in the Chair*)

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF PAYMENT OF WAGES (AMENDMENT) ORDINANCE, 2016 AND PAYMENT OF WAGES (AMENDMENT) BILL, 2017

HON. CHAIRPERSON: Now the House will take up item nos. 24 and 25 together.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move the following resolution:--

> "That this House disapproves of the Payment of Wages (Amendment) Ordinance, 2016 (Ordinance No. 9 of 2016) promulgated by the President on 28 December, 2016."

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Payment of Wages Act, 1936, be taken into consideration."

Mr. Chairman, Sir, first of all, the Payment of Wages Act was enacted in the year 1936. This Act of 1936 benefits the workers specially the unorganized workers who are more vulnerable for exploitation. In this respect, we want transparency, we want that exploitation of the workers should be stopped and further their wages should be properly ensured. Payment of statutory minimum wages is a social security measure and Employees Provident Fund and Health Insurance provided by the Employees State Insurance Corporation are other social security measures provided to workers.

Since long, one of the major demands of the trade unions is that payment of wages should be made to the workers in the form of cheques or it should be deposited in their bank accounts. I would like to submit that this Act regulates the

payment of wages to workers in any factory and in the Central sphere this Act regulates the payment of wages of workers in Railways, Oil Fields and 45 other establishments. As far as State Governments are concerned, appropriate Governments can also issue their notification. But at present, this Act applies to employed persons in respect of wages not exceeding Rs. 18,000 per month and this ceiling can be revised by the Central Government after every five years on the basis of NSSO Survey. In this regard, I have introduced a Bill in the Lok Sabha on 15.12.2016 to amend Section 6 of the Payment of Wages Act, 1936.

The reason why this Bill is brought is that the promulgation of the Ordinance was there. I introduced this Bill in the Parliament on 16th December, 2016; and after that, both the Houses were prorogued. The Payment of Wages (Amendment) Ordinance was promulgated on 28th December, 2016. Now, the Session has started. So, to replace this Ordinance, the Payment of Wages (Amendment) Bill, 2017 has been brought forward.

Sir, this is the only Amendment in section 6 of the Act. Earlier, the payment of wages to the workers was in the coin and cash and also in the bank account of the employee. But now, this Government wants transparency and more production of workers and wages. That is why we feel that payment should be made with the bank accounts by cheques. For this purpose only, this amendment has been brought.

Sir, it is the policy decision of this Government that transparency should be improved in the working class so that expenditure can be reduced. So, I am requesting all the hon. Members for consideration and passing of this Bill.

Thank you.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Hon. Chairman, Sir, I fully support this Bill; I fully support the contents of the Bill; and I also welcome the move made by the Government, especially the hon. Labour Minister.

But, Sir, I am totally opposing the way in which the Ordinance had been promulgated. It is a well-established principle in this House; and several times, we have discussed also in this House that an Ordinance can be promulgated only in extra-ordinary situations. What are the extra-ordinary situations? They are well-established and stipulated in article 123 of the Constitution. When both the Houses are not in Session, in an exigent condition or in extra-ordinary situation, the Government will be forced to or the Government has to promulgate an Ordinance. We have to consider and accept that situation. But unfortunately, article 123 is always being misquoted or misinterpreted so as to make the Ordinance of the law-making process by the Executive in our country.

Sir, article 123 does not even speak about replacement of an Ordinance by an enactment. Only by the precedents, conventions and customs of this House, an Ordinance is being replaced by a Bill. I do admit the fact that there is rule 71 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha. It is being said that there is a provision in the Rules of Procedure that an Ordinance can be replaced; and for this purpose, the procedure has to be followed. I do accept it. There are so many precedents also.

I would also like to state that an Ordinance is an independent legislation brought out by the Executive under article 123 of the Constitution. That means, it is the wisdom and authority being exercised by the Executive. They are taking the prerogative/right of the Parliament in making the Ordinance and are encroaching the area of the law-making provision of the Parliament, which is entrusted with the Parliament.

Sir, the Ordinance route of legislation is not good for a healthy democracy, and it is not the part and parcel of good governance. This Government has come to power on the basic slogan, and we are all remembering it, that 'good governance is

one of the biggest mottos of this Government.' So, 'Minimum Government and maximum governance' is the slogan made by the BJP led NDA Government. But here, the 'Ordinance route' of legislation seems 'maximum Government and minimum governance'.

So, the Government is moving in a reverse direction in pronouncing or promulgating Ordinances. So far, 26 Ordinances have been pronounced by this Government during these two and a half years, and 11 Ordinances have already been re-promulgated also. Re-promulgation of an Ordinance, as per the latest decision of the Supreme Court, is being described and stated to be impermissible. It is a fraud on the Constitution of India. There is a latest judgment of the hon. Supreme Court delivered on 2nd January regarding re-promulgation of an Ordinance. We would discuss it while taking up the next Ordinance.

Sir, I do concede that in certain extraordinary circumstances, definitely the Government will be forced or the Government has to go for the promulgation of the Ordinance in order to meet the situation. But here in this case, the Payment of Wages (Amendment) Ordinance, the hon. Minister has already cited that it was presented on 15th of December. The demonetisation declaration by the hon. Prime Minister took place on 8th November and as a part of the demonetisation the workers in this country, especially, the employees in the unorganised sector have faced so many difficulties in getting the cash either in coin or in currency as stipulated in Section 6 of the Payment of Wages Act, 1934. On 16th November, the House was summoned by His Excellency the President of India and the House was in Session from November 16 to December 16 and the demonetisation was declared on 8th November. The Government could very well come with a legislation or with a Bill to the House so that this impediment can be overcome by means of approach to the House with a proper form of legislation. Unfortunately, the Government has come on 15th December, 2016. It is because 16th was the day of proroguing the House or the House had to adjourn *sine die.* Just one day before the House adjourns, the Government has come up with a Bill, the Payment of

Wages (Amendment) Bill, 2016, and seeking amendment to Section 6. The Government was very well aware that within a short span of one day it was not possible for the Government to pass the legislation. Knowing fully, they had introduced the Bill on 15th of December. On 16th the House was adjourned sine die or the House was prorogued. On 28th December, the Government had issued an Ordinance. That is why I am saying that there were no extraordinary circumstances prevailing in our country. If there was any extraordinary situation prevailed in the country as far as the workers were concerned, I do concede that. Then the Government could have very well come to the House with a Bill during the Winter Session. Unfortunately, that was not being done in the Winter Session. So, I oppose the Ordinance route of legislation but at the same time I fully support the Bill and welcome the provisions of this Bill also.

This amendment in this Bill is with respect Section 6. As far as the original Act is concerned, only the coin or currency and even the cheque can be issued or even the salary or the wages can be deposited in the bank accounts also. But now a new provision is being brought into this Bill that the wages shall be paid in current coin or in currency or through the bank account or by a cheque in the bank account of the employee. A very important provision is there and I fully support this provision. That is the Section 6. I will read the Section:

> "All wages shall be paid in current coin or currency notes or by cheque or by crediting the wages in the bank account of the employee:"
>
> "Provided that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, specify the industrial or other establishment, the employer of which shall pay to every person employed in such industrial or other establishment, the wages only by cheque or by crediting the wages in his bank account.". "

I fully support this proviso because we know that in unaided schools and colleges or in the self-financing institutions or in the private hospitals in the

country, the nurses are being paid lower salary but in the account books the amount will be different. These nurses will be given Rs. 6,000 or Rs. 8,000 but in the book of account it will be Rs. 20,000. In case of self-financing institutions also, the same situation is prevailing in our country. In such a situation, if the appropriate Government is making a provision in the Payment of Wages Act, it should be compulsorily through a cheque or a bank account. Definitely this exploitation of the nurses and teachers can very well be prevented. That will be very beneficial to the workers. That is why I am supporting this proviso.

I would like to seek a clarification from the hon. Minister as to what is the criterion fixed for determining the appropriate governance in industrial establishments. My suggestion is that the Government of India may kindly have a rule making provision. There is no rule making provision in this Bill. You are requested to make a rule making provision by which such and such industrial establishments and institutions should have a specific provision.

Today, the hon. Prime Minister in his reply was taking about the digitalization and the cashless transaction. This is the best way by which cashless transaction can be promoted and, at the same time, transparency can be brought in so that exploitation can be avoided. So, a rule making provision should also be there in the existing Bill so that the State Government will be getting a direction. What is the direction? If these norms or criteria are being fulfilled, then a mandatory direction should be given. Payment of salary and payment of wages should be either through the bank account or through cheque or through other digital transaction. Then, definitely exploitation can be avoided and transparency can be put forth. Therefore, my suggestion to the hon. Minister is, kindly see in respect of this rule making provision in future also because unfortunately – I have gone through the Bill – there is no rule making provision. How these criteria or norms have to be fixed for making this legislation more effective?

Regarding the unorganised workers, I would like to say that the unorganised workers in the country are the big work force who are being exploited

like anything. There also, some stringent conditions have to be made. I fully support the Payment of Wages Act. The minimum wages have been increased. A considerable increase has been given to the minimum wages. That also I do support. The hospitals, unaided colleges, self-financing institutions are in the organised sector. But in the unorganised sector also, a big manner of looting or exploitation is being done. In order to avoid that, some stringent conditions have to be included in the Payment of Wages Act. Even though the unorganised workers, daily wage workers are being given either currency or coin, some record, some document should be there that their salary or the minimum wages have been given in a proper manner.

With these suggestions, once again I support the Bill in full, support and welcome the suggestion and also oppose the Ordinance route of legislation.

With these words, I conclude. Thank you very much, Sir.

HON. CHAIRPERSON : Motions moved:

> "That this House disapproves of the Payment of Wages (Amendment) Ordinance, 2016 (Ordinance No. 9 of 2016) promulgated by the President on 28 December, 2016."

> "That the Bill further to amend the Payment of Wages Act, 1936, be taken into consideration."

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : सभापति महोदय, आपने मुझे पेमेन्ट ऑफ वेजिज संशोधन विधेयक, 2017 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अधिनियम की धारा-6 में बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान हैं कि सभी मजदूरी चालू सिक्कों या करेन्सी नोटों में या चैक द्वारा कर्मचारी के बैंक खातों में मजदूरी जमा करके संदत्त की जायेगी। परंतु समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे औद्योगिक या अन्य स्थापन को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसका नियोजक ऐसे औद्योगिक या अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को या तो चैक द्वारा या उसके बैंक खाते में मजदूरी जमा करके मजदूरी का संदाय करेगा।

यह बिल्कुल स्पष्ट है और सन् 1936 में जब यह अधिनियम बना था, तब उसके पीछे कारण थे, वे स्थितियां आज भी हैं। मसलन कि जो नियोक्ता होते हैं, नियोक्ता पेमेन्ट में देरी करते हैं, कम वेतन देते हैं, कटौतियों के बारे में ब्यौरा भी नहीं देते हैं। जिस समय यह अधिनियम बना था, उस समय की बैंकिंग व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी, इतनी विकसित नहीं थी कि प्रत्येक क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर इसका लाभ उठा सके। समय की मांग को देखते हुए इस अधिनियम में संशोधन अनेक बार किये गये और सबसे अंतिम बार वर्ष 2005 में इसमें संशोधन किया गया था। समाज में नियोजक व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, जिसे हम निम्न वर्ग कहते हैं। जिसे वोटों की खातिर कहीं दलित कहा जाता है, कहीं अति दलित कहा जाता है, कहीं पिछड़ा कहा जाता है, कहीं अति पिछड़ा कहा जाता है। ये बहुत बड़ी संख्या में मजदूर के रूप में काम करते हैं। इनके संगठित नहीं होने के कारण ये लोग ज्यादातर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिस कारण ये लोग न तो अपनी लड़ाई लड़ पाते हैं, न अपनी बात ठीक ढंग से रख पाते हैं और न कोई कार्रवाई कर पाते हैं। इसके कारण कई तरह की वेतन विसंगतियों का इन्हें सामना करना पड़ता है।

मैं आदरणीय प्रधान मंत्री, आदरणीय श्रम मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, उस अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्तियों को उनकी मजदूरी और उनके परिश्रम का पूरा भुगतान मिले, इसके लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है। मैं इसका समर्थन करता हूं। समय-समय पर ट्रेड यूनियनों के द्वारा यह बात उठाई जाती रही है कि मजदूरों को मजदूरी का भुगतान बैंक खातों के माध्यम से किया जाना चाहिए, ताकि उनका जो शोषण होता है, उसे रोका जा सके। हाल ही में जन-धन योजना के अंतर्गत जो बैंक खाते खुले हैं, उन खातों में काफी बढ़ोतरी हुई है और काफी हद तक इस वर्ग के लोगों ने बैंक एकाउंट खुलवाये हैं। यदि हम श्रम मंत्रालय के आंकड़ों की बात करें तो करीब 55 लाख बैंक खाते वर्ष 2016 से जनवरी 2017 तक मजदूरों के इस वर्ग के खुलवाये गये हैं।मैं श्रम मंत्रालय से और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारी जो गति है, उसको और अधिक गतिशीलता के साथ में बनाए रखना चाहिए। इस अधिनियम को संशोधित करने के पीछे जो उद्देश्य है, वह वास्तव में काफी सराहनीय है।

सभापति महोदय, मैं चाय बागान क्षेत्र में गया था। मैंने देखा कि वहां पर मज़दूरों को जो मज़दूरी दी जाती है, वह केवल तीन सौ रूपये ही दी जाती है। उसको दो सौ रूपये दिए जाते हैं और एक सौ रूपये राशन के रूप में राशन के रूप में दिए जाते हैं। पूरा वेतन उसको नहीं मिलता है, इसके कारण से उसका शोषण होता है। भवन निर्माण के क्षेत्र में बहुत सारे मज़दूर लगे रहते हैं जो ठेकेदार के द्वारा काम करते हैं। उसको जो मज़दूरी दी जाती है, ठेकेदार उसको प्रतिदिन भुगतान नहीं करता है। सात दिन में उसको मज़दूरी दी जाती है, उमसें से भी दो दिन का वेतन बहुत सारे ठेकेदार मज़दूरों का काट लेते हैं। अगर वह सातों दिनों का वेतन देने की बात करता है तो उसको काम से निकालने की धमकी दी जाती है। ये बहुत सारे कारण हैं, जिनकी वजह से इस संशोधन बिल को लाया गया है। मैं केवल चाय बागानों की बात नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी जो मज़दूर काम करते हैं, नियोक्ता सही संख्या नहीं बताना चाहता है और इसलिए नहीं बताना चाहता है कि उसको ईएसआईसी का शेयर देना पड़ेगा और पी.एफ. का शेयर देना पड़ेगा। वह उस शेयर को देना नहीं चाहता है, इसलिए अगर उसके यहां पर मज़दूर काम करते हैं तो 20 के स्थान पर वह 10 मज़दूरों का ही काम उल्लेख करता है, दस का उल्लेख ही नहीं करता है, ताकि उसको इस क्षेत्र के शेयर न देने पड़ें। रेलवे के क्षेत्र में, माइंस में, पोर्ट पर बहुत बड़ी संख्या में ठेकेदारों द्वारा मज़दूर लगाए जाते हैं, उनका शोषण होता है। मैं इसी कारण से आदरणीय प्रधान मंत्री जी और श्रम मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि संशोधन विधेयक के माध्यम से जो संशोधन लाया गया है कि मज़दूरों को बैंक खातों के माध्यम से भुगतान किया जाएगा और इसके कारण से जो शोषण हो रहा है, जो विसंगतियां हो रही हैं, वे सारी की सारी समाप्त होंगी। जो नियोजन चोरी करते हैं, मज़दूरों का हक मारते हैं, समाज का हक छीनते हैं, देश का हक छीनते हैं, वे टैक्स की चोरी भी करते हैं, उस पर भी रोक लगेगी। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि धीरे-धीरे हमारा समाज और देश डिजिटल और अल्पनकदीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम से, जहां एक ओर मज़दूरों के लिए उनकी मज़दूरी का पूरा हक मिलेगा, वहीं इस व्यवस्था को लागू करने में हो सकता है कि प्रारंभ में कुछ अड़चनें आएंगी, लेकिन हमारा देश निश्चित रूप से विकास की ओर अग्रसर होगा।

मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, the Minister concerned has already piloted the Ordinance turned legislation. First, it was a legislation which turned into an Ordinance and then again it turned into legislation.

Sir, it is a queer situation that within a span of less than one month, the first legislation was brought. It was turned into an Ordinance and that Ordinance has been converted into legislation. I do not need to say what necessitated doing these kinds of hectic legislative activities. The Ordinance, as has been stated by my esteemed colleague, can be brought but it has to be brought in an extraordinary situation, but the situation did not warrant bringing of this Ordinance because it was brought on 15th December in the form of legislative document. Thereafter, on 21st December, the Cabinet Committee had decided to promulgate the Ordinance. On 28th December, the Ordinance was promulgated and on 3rd February again, it has been converted into legislation. So, it appears that it is a post-demonetization syndrome and the Government has been hell-bent upon carrying cashless economy as has been enunciated by this Government. There is no harm of cashless economy, and, we are not opposing this legislative document in principle. But we must support it with some riders because it is a post-demonetisation syndrome which I have stated. The Minister is well aware that due to the economic tsunami in the wake of demonetisation, the entire labour sector in our country has been severely jolted. Lakhs of workers have lost their jobs. The number of jobless workers has been increasing exponentially due to demonetisation that was adopted by this Government.

In pursuant to demonetisation, the Government, as a sign of changing goalpost, is adopting a cashless economy. Sometimes, they say it is a less cash economy. The fact is that it is a small legislation but it has a far reaching implication. You just stated in your commencing statement that Section 6 of the Payment of Wages Act, 1936 has been amended so that the employers pay the employees' wages in coin or currency notes by cheques or by crediting them into

the bank. Earlier to do the same, a written consent of the worker was required for paying the wages by cheque or by crediting it in their bank accounts. By inserting the amendment, the Government and your Ministry have turned null and void the consent of the worker of providing any written authorisation.

Dattatreya Ji, you were born in a labour family. May I ask you whether this measure will not snatch away the inherent right, the fundamental right of the workers? They will be able of either give consent or disallow their payment on their own consideration? Is it not a violation of the right of the common workers?

My second point is that in the amendment, the relevant Government, Centre or State, may specify certain industrial or other establishments where the employer should pay his employees only by cheque or crediting the wages in his bank account. I also moved a Statutory Resolution disapproving your Ordinance. I would also like to know what parameters have been fixed by this Government to identify, both by the Central and State Governments, and notify the industries because now the industry has been divided by notified or non-notified areas. You have said that 45 industries have been notified. Insofar as the State Government is concerned, are you going to conceive any model mechanism to be followed by the State Government?

I simply want to draw the attention of the hon. Minister on the stark reality that is being faced by the workers at present.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, I just finish it.

There is an inordinate delay in payment of salary through checks. Many units are yet to issue checks and this is giving workers a hard time. Some workers have been issued post-dated checks with a condition that they should not deposit these checks in banks without seeking permission from the management.

Hon. Minister, your step is appreciated and your goal is noble. But whether our country does have the requisite infrastructure for conducing such transactions in far flung areas? For example, if an employee is in Andaman, can you ensure

that the transaction could be done from Delhi by any electronic means? No, it cannot be done because that area does not have the requisite connectivity and facility.

Secondly, for long the trade unions have been demanding statutory provisions in respect of minimum wages. But after this legislation is passed, there may be some kind of problems which need to be dealt with, like, the employers will have to pay the legal minimum wage to their workers, which is higher than what the workers are already drawing. As a result of this, the employers would force their staff to put in overtime without paying anything for it whereas, according to the law, the payment of overtime is double the hourly rate. So, the employers may exploit their workers by making them work for 12 hours instead of eight and would not show their overtime hour on record. This needs to be taken note of. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. It is a small Bill.

… (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, after demonetization announcement the employees have not been paid overtime for last three months. This story repeats itself in all factories across all industries. … (*Interruptions*) Then, I also want to draw your attention towards tea plantation workers and *bidi* workers. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Dushyant Chautala.

… (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, I am finishing it in one minute only.

The hon. Minister visited Assam and announced that the Plantations Labour Act will be withdrawn. It has caused hue and cry among the tea garden workers. Sir, There are two components of wages to workers – cash and kind. The tea workers of Assam, West Bengal and other 13 States are under the state of distress after the announcement by the hon. Minister. The *bidi* workers on the other hand

are also being exploited by their employers. … (*Interruptions*) So, these are some of the issues which I want the hon. Minister to take note of. Thank you.

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : सभापति महोदय, आपने मुझे पेमेंट ऑफ वेजेज (अमेंडमेंट) बिल, 2017 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, बंडारू दत्तात्रेय जी मोदी जी की कैबिनेट में इस हाउस के सबसे इफिशिएंट मिनिस्टर हैं, जिन्होंने तीन सालों में सबसे ज्यादा बिल इस हाउस में पारित करके दिखाए हैं।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : वे हंस भी नहीं रहे हैं और रो भी नहीं रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला : सभापति महोदय, जहां पेमेंट ऑफ वेजेज की बात आती है तो सरकार द्वारा बहुत अच्छा कदम है कि सरकार ने चेक्स और बैंक ट्रांसफर्स के माध्यम से सैलरी देने की बात की है।

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जब हम चेक्स की बात करते हैं तो एक समस्या पूरे देश में देखने को मिली कि जब इम्प्लॉयर्स इम्प्लॉइज़ को चेक देते हैं तो पोस्ट-डेटेड चेक्स दिए जाते हैं और उसके माध्यम से 15-15, 20-20 दिनों तक इम्प्लॉइज़ अपनी तनख्वाह को अपने खातों में नहीं डाल सकता। क्या सरकार इस बिल के माध्यम से कोई ऐसा प्रावधान लाएगी, जिसके तहत पहली सप्ताह के अंदर की तारीख का ही बिल दिया जाएं अगर वह चेक बाउंस हो जाएगा तो उस इम्प्लॉयर के खिलाफ क्या कानूनी प्रावधान हैं, जो एक मेहनतकश इम्प्लॉयी की तनख्वाह को अपने पास दबाकर रखने का काम करता है, यह देश को बताने का काम सरकार करे।

मैंने जब सरकार के इस नए ऑर्डिनेंस बिल को पढ़ा तो पता चला कि केवल मात्र पांच प्रदेशों ने आज तक अपने प्रदेशों के अंदर लागू किया है। क्या आप देश को बताने का काम करेंगे कि कब तक देश के सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित क्षेत्र के अंदर इस बिल को इम्पलीमेंट करने का आदेश केंद्र सरकार देगी, क्योंकि ऑर्डिनेंस एक माध्यम है जहां आप फोर्सफुली एक लॉ को इम्पलीमेंट करते हैं। यहां पार्लियामेंट में एक हेल्दी डिसक्शन के माध्यम से हम इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। इसके साथ हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम प्रत्येक एम्पलाई के राइट्स को शेफगार्ड करें जो मेहनत करके अपनी आमदनी कमाने का काम करते है। आजकल बहुत से ऐसे एम्पलाइज़ हैं जो सात हजार रुपये या आठ हजार रुपये मिनिमम वेजेज से भी कम तनख्वाह लेकर डेली वेजेज पर काम करते हैं। खास तौर पर जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, चाहे वह रोड पर पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति हो, वह भी आज मिनिमम वेजेज से कम तनख्वाह लेकर काम करता है। क्या इस बिल के माध्यम से आप उनकी सैलरी को सेफगार्ड करने का काम करेंगे और जिस तरीके से बैंक ट्रांसफर की बात की जाती है, एक छोटा प्रश्न है कि अगर चेक बाउंस होता है या बैंक ट्रांसफर होता है, उस पर एक मिनिमम फीस लगती है, तो चेक बाउंसिंग की जो फीस होगी, क्या कानूनी

प्रावधान के माध्यम से वह पेनॉल्टी के तौर पर उस एम्पलाई से भरवाने का काम सरकार करेगी। इस पर थोड़ी स्पष्टीकरण दीजिए। मैं अपनी पार्टी की ओर से आपके इस बिल का समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. तापस मंडल (रणघाट) : थैंक यू चेयरमैन सर, तृणमूल कांग्रेस इस बिल के विरोध में नहीं है, लेकिन कुछ-कुछ हैं जिसके बारे में हम क्वैश्चन कर सकते हैं। क्योंकि यह जो बिल है, यह पहले ऑर्डिनेंस था and that was the 26th Ordinance promulgated by the Government since its inception. इन लोगों का और इस गर्वमेंट का गणतंत्र और लोकतंत्र पर कैसी आस्था है, विश्वास है, यह इनके काम से पता चलता है। अब देखिए मिनिमम वेजेज के बारे में इस बिल में कुछ नहीं है। सारे देश में अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में बहुत लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों को बहुत कम तनख्वाह मिलता है। यह जो मिनिमम वेजेज है, इसको बढ़ाना चाहिए। इसका प्रावधान इस बिल में नहीं है। इस बिल में यह नहीं कहा गया है कि हमारे पश्चिम बंगाल में बहुत सारे टी वर्कर्स और जूट वर्कर्स हैं, जिन लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। सुश्री ममता बंधोपाध्याय बहुत बात कह चुकी हैं और हमारे माननीय संसद सदस्यों ने भी यह मुद्दा बार-बार संसद में उठाया हैं, लेकिन गर्वमेंट का इस पर ध्यान नहीं है। इस मौके पर मैं फिर अपील करता हूं कि हमारे टी वर्कर्स और जूट वर्कर्स के लिए रुपये भेजे जिससे उनका जिंदगी अच्छी तरह से चल सके।

यह कानून वर्ष 1936 का था जो कि 80 साल पुराना है, जिसमें रुपया मिलने का एक ही तरीका था। They are paid through coins or cash. As per the new system, in addition to the existing mode of payment, they will get it into their accounts or by cheques. क्या इसमें जो एक्सप्लाईटेशन हो रहा है, उसमें कमी आएगीi यह मेरा सवाल है। If you want to ensure and maintain transparency in transaction mode, please make the payment through digital mode and do not go, again, for making of payment through cash or coins. यह नहीं होना चाहिए। यह हमारा कहना है। हमारा इस बिल पर जो कुछ है, वह मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन जो नहीं है इसके बारे में थोड़ा सा विचार करें। जो कंपनियां हैं, जो इंडस्ट्री है, वे लोग एक्सप्लायट करते रहते हैं। इसके बारे में क्या एक्शन लेना होगा, क्या आईन का मुद्दा उठाना चाहिए, इसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं है। इसके बारे में गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। They should take some stringent action against those who are violating the laws, and for this we would say that there should be provisions to set up a Commission or an institute that will look after and monitor the transparency in payment mode and if there is any discrepancy, then they can sort it out and take action according to law. यह हमारा कहना है।

यह जो बिल है, इसका हम स्वागत करते हैं। हमारे देश में इतने सारे श्रमिक हैं, आर्गनाइज्ड सैक्टर में, अनआर्गनाइज्ड सैक्टर में, उन लोगों पर ध्यान दीजिए। हमारी तनख्वाह बहुत है। हमारी सैलरी बहुत है, लेकिन जो आम आदमी है, जो गरीब है, जिनके लिए माननीय प्रधानमंत्री बात करते हैं, उनके लिए कोई नहीं है। उनके ऊपर ध्यान दीजिए, उनकी तनख्वाह बढ़ाइए। उनको जो आप अभी मिनिमम वेजेज दे रहे हैं, उसको भी बढ़ाइए। आपका भला होगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा और देश का भला होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Sir, good evening. Thank you very much for giving me the opportunity. We, the Telugu Desam Party, wholeheartedly support this Bill as this is a step further towards a cashless and digital economy.

Whenever we talk of minimum wages or this type of wages Bill, we usually remember the poor, uneducated, illiterate people who are employed in the organized and unorganized sector. I will mention a small example with regard to payment through cheque, which is not totally immune from frauds and misuses as payment through cheques can also be misused and abused. For example, an employer can pay an employee some amount of money though he is not eligible for that amount. Suppose, he has to pay Rs. 10,000, but the employer will intelligibly pay him Rs. 20,000 and Rs. 10,000 he can take back and he can claim that amount from the salaries account in the annual statements. So, there is a possibility of misuse and abuse of this provision also by the intelligent employers because we are *prima facie* dealing here mostly with illiterate, uneducated and ignorant people.

Whenever we are talking about unorganized sector or about illiterate, ignorant or uneducated people, then it always reminds us of Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) people. These are people who are most vulnerable in the society and these are people who are vulnerable to these types of cheats and abuses. I am very much doubtful as to how much tech-savvy they are; how far they can operate their bank accounts; how far they can deposit the cheques; and how far they can withdraw similar amount without being subjected to harassment? Hence, I have a small reservation about this Bill for the sector, who are underdogs of the society like SCs and STs.

For example, we have done privatization, globalization, liberalization where a lot of private organizations have come into the picture and a lot of private organizations have brought along with them a lot of skills with regard to evading taxes and saving money. इन दि प्रोसेस ये लोग बकरा बन जाएंगे। प्राइवेट आपरेटर्स के हाथ में ये लोग बकरा बन जाएंगे। Also, there is a normal *modus operandi* आजकल जो चल रहा है,

आउटसोर्सिंग एक फैशन हो गया है। गवर्नमेंट के अंदर भी फैशन हो गया है, प्राइवेट सैक्टर में तो यह है ही। गवर्नमेंट सैक्टर में हर चीज के लिए, for example, *safai karamcharis* are also being outsourced. सफाई कर्मचारी जब आउटसोर्स होता है, there, usually, *Safai Karamchari*, SCs/STs will go but the service provider will be somebody who is a very wealthy person. So, instead of paying them remunerative wages, he will take remunerative wages from the employer or from the industry. But the moment he pays to the actual worker, he pays only half of it.

My earnest request and my sincere appeal to the Minister is, in an anxiety and in over-enthusiasm, to digitise the economy, let us not ignore or forget those underprivileged, illiterate and uneducated people, who are not so much tech savvy in dealing with the banks. I myself being an educated MP, many times, err in dealing with the bank accounts.

Therefore, I support this Bill wholeheartedly on behalf of my Telugu Desam Party. But at the same time, we have to take care of certain lacunae and abuses which can always be there because we are dealing with unorganised sector, minimum wagers and daily wagers who are nothing but SCs/STs and illiterate people of society, who are the underprivileged and the underdogs of society. Jai Telugu Desam.

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Thank you, Chairman Sir, for allowing me to speak on the Payment of Wages (Amendment) Bill, 2017. I, on behalf of my Party, Biju Janata Dal, stand to support this Bill.

Under the 1936 Act, all wages must be paid either in coin or in currency notes or both. However, the employer may pay his employees' wages either by cheque or by crediting into the bank accounts after obtaining his written authorization. This Bill amends the 1936 Act to permit the employer to pay an employee's wages in three ways – in coin or currency notes, by cheque or by crediting the wages into his bank account. The Bill removes the requirement of obtaining written authorization for payment of wages by cheque through a bank account. This is a welcome move because, ideally, more payments in cashless mode will ensure more accountability. But the adverse consequences of foreseeing micro, small and medium enterprises to make cashless payments also need to be taken into consideration.

In the current situation, enterprisers prefer to pay in cash because maintaining payment registers become easier, the wages are paid instantly in cash and the employees sign in the register. When payments would be made through cheque, there might be a delay or keeping proper record of hundreds of workers is very difficult. Due to unavailability of cash in the past two months, we have witnessed mass reverse migration from the urban areas to the rural areas.

Only yesterday, hon. Minister of State for Planning, Shri Rao Inderjit Singh ji, in a reply to a question during the Question Hour in Rajya Sabha said that the overall unemployment is rising. He said, "the unemployment rate is five per cent generally. That is an alarming two per cent increase in two years". I believe, this problem will be aggravated in the said term by forcing enterprisers to go cashless. Many daily wage laborers do not have bank accounts and do not know how to operate them. The Government needs to consider this seriously and find out a way to counter unemployment and improve financial literacy.

Another amendment the Bill makes is to allow the Central or State Government to specify certain industrial or other establishments where the employer should pay his employees mandatorily by cheque crediting the wages in their bank accounts. The option of cash is completely absent here and the Government will use this provision to allow or disallow specific industries to change their way of payment.

The Government needs to give the rationale behind bringing this provision. This clause is a cause of worry because it gives excessive power to Government to dictate how the whole industry will function. The Government must inform the Parliament as to which industries will feature in the first list of notifications once this Bill is passed. I hope the Minister will answer my question.

I conclude my speech by once again expressing my support for the Bill. Thank you.

SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): Hon. Chairman, Sir, earlier an Act was there and it was passed in 1936. There were many amendments. In the last amendment it was finalized that payment can be done by coin or currency and if workers intend to get their wages through cheque or through bank they may get it after they give their authorization to that effect. Workers or employees should give their authorization to their employer that they intend to get their wages or salaries by this or that way.

I would like to know from the hon. Minister as to what is the urgent need to make this into a law by issuing an Ordinance instead of coming to the House with an amendment to the Bill. I would say that the earlier Act which provided for authorization should remain in the Bill. We will have no objection to this Bill if it provides for authorization from workers or employees who are interested to receive their wages or salaries by cheque or through bank. Otherwise, here the Constitution is being violated. Their consent is not being taken. We have our freedom of choice as to which way we receive our hard earned money. This is a matter of my choice, my freedom. I think the Government should think over this.

The Government should look into the matter that at the 45th Indian Labour Conference, the Government side, the workers' side and the employers' side decided that the minimum wage should be Rs.18,000 per month for all workers in the country. But this Rs.18,000 minimum wage is not being given anywhere. No Bill or no Act has been brought to the House to ensure payment of that minimum wage. But the Government is interested in snatching the freedom of choice of workers and employees. The intention of the Government is to curtail the rights of every individual, to curtail the rights of workers, to curtail the rights of employees. What are the reasons behind this, I would like to know.

If we see outside the Parliament House in the capital city of Delhi, so many workers, many child workers are there who are not getting proper education, who are not getting appropriate wages. We are not interested in taking a look at that. We are only interested in seeing that this Bill is passed. It is my request that the

Government should look into the matter, the freedom of choice of workers and employees should not be curtailed, authorization system should be there in the Bill.

With these words, I conclude.

16.00 hours

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Hon. Chairperson, just as many other Members have congratulated the hon. Minister, I too venture to congratulate him for bringing so many labour reforms during last two and a half years. I congratulate him and his team of officers headed by the Secretary.

We appreciate why the Ordinance had been introduced last month. The only reason could be to overcome the cash crunch. Now, it is quite reasonable that a Bill is replacing the Ordinance. There is no doubt that because of the rise of literacy and technology, digitalization is required. But I wonder, to what extent depositing these small employees' salaries will be resulting in 'cashless' or 'less cash' economy because in any case, any employee would be spending away his money latest by 20th of the respective month. Invariably he needs the cash. I do not think under any circumstances he can afford to keep the cash in the banks or anywhere else. Therefore, it serves very little purpose according to me because the salaried class is mostly middle class.

One important thing the Government should realize here is that out of 6.5 lakh villages that we have, only 50,000 villages have a proper banking systems. Out of more than 2,00,000 ATMs that we have, very few are located in the villages and the semi-urban areas. If you go by this digital payment, cheque payment etc., how can a common man or a middle class man or a small salaried person go without salary for the first few days? My only request is that this may be kept in mind while dealing with this.

The 'Payments Bank' concept in India is extremely primitive. So, I request the Ministry to kindly ensure that there is no hidden or invisible cause in the process of payments to these workers.

I would like to mention one more important thing. I worked as a Labour Secretary in the Government of Tamil Nadu. The salary slip is extremely important. Kindly ensure that the employer gives each employee the details of the salary and deductions by way of salary slip.

Demonetization has really ruined the rural economy. Quite a few Members have already expressed this. In fact, some of the ruling Members have also accepted it indirectly. But I request that remonetisation is not effective; there is still a gap. The people who are suffering in the process of demonetization or remonetisation are the poor, the weaker sections, farmers etc. Therefore, remonetisation could be done as soon as possible and it must be ensured that all ATMs have proper cash.

More than these reforms in labour, unless the simultaneous reforms are brought in the corporate sector as well as the electoral system, I am sure that the desired goals of this Government can never be achieved. So, whatever is being done should be done in a comprehensive manner. For example, the controlling of real estate, the hawala transactions and all that has to be done in a comprehensive manner because the rural economy is not yet ready for complete digitalization.

I have one more point. The unorganized sector should also be covered under this Act so that the benefit may go to the poorest of the poor. Thank you.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2017 सदन में लाया गया है। यह जल्दबाजी में लाया गया है। माननीय मंत्री जी स्वयं मजदूरों की समस्या से अवगत भी हैं और गरीबों की तकलीफ को जानते भी हैं। जो लोग मजदूरी का काम करते हैं, वे हमेशा चाहते हैं कि हमें शोषण की चक्की में न पीसा जाये। सदियों से गरीब, उपेक्षित, लाचार और बेबस को शोषण की चक्की में पीसा गया है। उनकी गरीबी का लाभ उठाया गया, उनकी अशिक्षा का लाभ उठाया गया और उनके मन में हमेशा हीनता की भावना भरने का काम किया गया, खास करके एससी/एसटी और ओबीसी में। जो गिट्टी तोड़ने वाला, मिट्टी काटने वाला, रिक्शा और ठेला चलाने वाला असंगठित मजदूर है, उसका बड़े पैमाने पर शोषण होता रहा।

सभापति महोदय, जब श्रम की प्रतिष्ठा होगी, तभी देश और राष्ट्र की प्रतिष्ठा होगी। श्रमशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए डॉ. राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि कलम और कुदाल, दोनों की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। कलम चलाने वाले अफसर, हम या बड़े लोग समझते हैं कि हम बाबू हैं और उसे जो व्यक्ति पानी पिला रहा है, वह सेवक है, नौकर है, चाकर है। ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों व्यक्ति ही श्रम करते हैं। एक पसीना गिराता है और दूसरा कलम चलाता है, इसलिए जब तक कुदाल चलाने वालों की प्रतिष्ठा नहीं होगी, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। हम मजदूर भले हो सकते हैं, असंगठित मजदूर भले हो सकते हैं, लेकिन मजदूरी करने वाला कभी मजबूर नहीं हो सकता है। उसकी मजबूरी का नाजायज लाभ लेने का हक न हमें है और न ही किसी और को है। इसलिए उन्हें न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। उनके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। वह चाहे चैक से पैसा ले, बैंक से पैसा ले या नकदी ले। आपको इतनी जल्दीबाजी क्या है, आप हर काम हड़बड़ाहट में कर रहे हैं। आप वर्ष 2019 से पहले सब काम कर लेना चाहते हैं। आपको यह सोचना पड़ेगा कि जो लोग गुरबत में रहते हैं, जो असंगठित मजदूर हैं, उन्हें हम कैसे लाभ पहुंचायें।

सभापति महोदय, यह बिल बहुत जल्दबाजी में लाया गया है, इसलिए इसे सपोर्ट करने का मन हमारा अभी नहीं बना है।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : सभापति महोदय, आपने मुझे मजदूरी संदाय संशोधन विधेयक, 2017 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

यह सरकार फैसले लेने की सरकार है। अभी जैसे जय प्रकाश नारायण यादव जी ने कहा कि वर्ष 2019 तक कितने सारे फैसले लिये जायेंगे। आपको खुश होना चाहिए कि यह सरकार हर विभाग में ज्यादा से ज्यादा फैसले ले रही है और सही काम कर रही है। इसके लिए आपको सरकार को शाबाशी देनी चाहिए, लेकिन आपको एक इन्डिसिसिव गवर्नमैंट की आदत हो गयी है। पिछली जो सरकार थी, वह कोई फैसला नहीं ले पाती थी। आपको वही आदत है, इसलिए फैसला लेने से तकलीफ हो रही है। ...(व्यवधान) यह सरकार फैसला लेने की सरकार है। हम लोग केवल कानून लाये ही नहीं हैं, बल्कि कई कानून खत्म भी किये हैं। अगर आपको याद है, तो हमने ग्यारह सौ कानून खत्म किये हैं। हमने बग्घी जैसे कई पुराने कानून खत्म किये हैं।

मुझे यह भी नहीं समझ में आ रहा कि जो लोग नोटबंदी के समय कह रहे थे कि गरीबों को तकलीफ हो रही है, वही लोग आज कह रहे हैं कि यह बिल आर्डिनैंस के मैथेड से क्यों लाया गया। यह आर्डिनैंस इसलिए लाया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को पैमेंट मिल सके। उसी तरह से हमारे एक मित्र ने कहा कि मिनिमम वेजेज नहीं हैं।

सभापति महोदय, मैं बंडारू दत्तात्रये जी को बधाई देना चाहूंगा कि इनके समय में केवल बारह महीने में ही तीन प्रमुख बिल्स आये हैं। मैं तापस मंडल जी को याद दिलाना चाहूंगा कि इस लोक सभा में मिनिमम वेजेज बिल आ चुका है और दस हजार रुपये का मिनिमम वेज बंडारू दत्तात्रये जी ने ही फिक्स किया था। इसके अलावा बंडारू जी के राज में महिलाओं को मातृत्व की जो सुविधाएं मिल रही हैं, वह भी अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्हें ओवर टाइम के साथ-साथ बहुत सारी सुविधाएं दी गयी हैं।

सबसे पहले यही फैसला करना चाहिए कि आप नोटबंदी के समर्थन में हैं या विरोध में हैं। अगर नोटबंदी में गरीबों को दिक्कत हुई है तो आपको सरकार को इस आर्डिनैंस के लिए बधाई देनी चाहिए थी। यह आर्डिनैंस लाकर सब मजदूरों को चैक से पैसा मिल जाये, इसकी व्यवस्था माननीय बंडारू जी ने की है। मैं इसके लिए इन्हें बहुत-बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं।

मैं सुन रहा हूं कि इस बिल को लेकर हर जगह चायबागान की चर्चा हो रही है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि चायबागान में मजदूरों को ज्यादा दिक्कत थी या मालिकों को ज्यादा दिक्कत थी, क्योंकि जिस तरह से नेता दिल्ली से कोलकाता तक घूम रहे थे, मुझे नहीं लगता है कि मजदूरों की दिक्कत थी। मालिक करोड़ों में खेलता है। अभी करिमुल हक जी को पद्मश्री दिया गया। उन्हें पद्मश्री क्यों दिया गया, क्योंकि वह चायबागान में अपनी पीठ पर मरीज को बांध कर मोटर साइकिल से पचास-पचास किलोमीटर जाता और मरीजों का इलाज कराता था। यह कितने शर्म की बात है कि जिन चायबागानों के

सारे मालिक अरबपति हैं, वहां एक छोटी-सी एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं है। हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा। मैं अपने सभी विपक्षी दलों से अनुरोध करूंगा कि वे इस बिल का समर्थन करें, क्योंकि इस बिल से सीधे मजदूरों को पेमेंट मिलना शुरू होगा और जितनी भी बीच की दलाली है, वह खत्म हो जाएगी। अभी बात हो रही थी कि अनओर्गेनाइज्ड सैक्टर में कांट्रेक्चुअल बहालियां हो रही हैं। किसी को पता नहीं चलता है कि कौन कितना पैसा ले रहा है और मजदूर को कितना पैसा दे रहा है। अगर मजदूरों को चैक के माध्यम से पैसा दिया जाएगा, तो हर व्यक्ति को पता चलेगा कि मुझे क्या मजदूरी मिल रही है और जो मजदूरी मिल रही है, वह जायज है या नहीं।

आर्गेनाइज्ड सैक्टर किसी दूरदराज के गांव में नहीं होता है या तो शहरों में होता है या कस्बों में होता है और वहां किसी को भी बैंक में पैसा लेने या देने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि यह सर्वश्रेष्ठ बिल है और माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी की सही निर्णय लेने की जो परम्परा है, वह जारी रहेगी। आप लोग उधार देते हैं और इनसोलवेंसी बिल हम लाते हैं। इसके साथ मैं आंध्र प्रदेश सरकार, उत्तराखंड, पंजाब, केरल और हरियाणा की सरकारों का बेहद आभारी हूं कि वे इस बिल को लाए हैं, लेकिन इस बिल की सबसे ज्यादा जरूरत उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में है, जहां लॉ एंड आर्डर की प्रॉब्लम है, जहां मजदूरों को उनका पैसा नहीं मिलता है।...(व्यवधान) सबसे ज्यादा आपके यहां ही दिक्कत है। लेबर को पूरी पेमेंट आपके यहां नहीं मिलती है।...(व्यवधान) आप कृपया तापस मंडल जी की बात सुनिए। इब्राहिम जी, आप मेरी नहीं, बल्कि अपने नेता की बात सुनिए। चायबागानों में बहुत दिक्कत है और इस कारण लॉ एंड आर्डर की स्थिति बहुत खराब है। ऐसा करने से कम से कम रास्ते में चोरी डकैती नहीं होगी और कर्मचारियों को उनके हिसाब से पैसा मिलेगा।

KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): Thank you Chairman, Sir, for giving me the opportunity. I realize that the time is very short. Without repeating any of the points, I would like to reiterate the stand of my Party that we have no disagreement with the financial inclusion. In fact, it was the vision of Shri Pranab Mukherjee when he was the hon. Finance Minister of the country. He had started the scheme of Swabhiman which included not just financial inclusion by way of opening bank accounts but in particular he emphasized on the bank branch reach especially in the rural areas. Today, no doubt all Parties should stand together to fight against exploitation of the labour force which is the backbone of this nation, no one can dispute that accountability and transparency must be a part of payment of wages to the labour class of this country but there are certain questions that this Government needs to answer to the people of the nation.

Firstly, for the last several years the unions have been asking that wages should be paid through bank accounts but this amendment to Section 6 has come at a time as yet another knee jerk reaction to demonetization. With due respect to my colleague who just spoke before me, it was brought in to help the employers because of the limits on the cash withdrawal due to which they could not pay wages in cash. Today, I ask the hon. Minister, who somebody said has brought the maximum legislation in the Parliament, why is it, Sir, that your Government had promised that 44 labour laws will be brought under four courts, one of which would be the wage court, which has till today not seen the light of the day?

Sir, 'Digital India and Cashless India' is a very good slogan. I come from Assam and the hon. Chairman also comes from Assam. So, I feel it is my privilege to bring to the notice of this House and the hon. Minister that today most of the tea gardens do not have banks and do not have ATM machines. Today they are depending on customer service providers who are going to the tea gardens for payments. As per a pilot project done in my district Cachar, it is taking at least three minutes to make one payment whereas when we made cash payments we could make 500 payments in 45 minutes.

It is impossible for a worker who works from 8 a.m. to 4 p.m. and six days in a week to go to a bank branch. You are actually going to encourage a new genre of middlemen who will then start playing between the labour, his wage and the access to it. So, it is my humble submission to the hon. Minister that yes we want that the labour of India should receive wages in bank accounts, but first please provide ATM machines and bank branches in villages.

Lastly, Premachandran Ji has said that thankfully the cheque payments and digital payments have not been made mandatory. I would like to know which are the industries where it will apply. It is my humble request that you give a broad guideline to it so that the law becomes predictable and truly accountable for the labour class.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदय, सबसे पहले मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि डिजिटल से बेहतर कोओपरेटिव सिस्टम की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। जब आप कोओपरेटिव सिस्टम लागू करेंगे और मजदूरों का शेयर बढ़ाएंगे, तो अच्छा होगा। जब मजदूर किसी पूंजीपति के पास या उनकी फैक्ट्री में काम करता है, उसकी मेहनत के आधार पर उसके शेयर को अगर आप डेवलप करेंगे, तो डिजिटल खत्म हो जाएगा। आप कोओपरेटिव सिस्टम को लागू कीजिए, ताकि मजदूर ज्यादा मेहनत करें। इससे बड़ी फैक्टरी वालों को भी फायदा होगा और मजदूर भी ज्यादा मेहनत करके अपने शेयर को बढ़ा सकेंगे।

मेरा दूसरा आग्रह है कि कुछ भी करने से पहले आप बिचौलियों को खत्म कीजिए। आउटसोर्सिंग करना सबसे ज्यादा घातक है। क्या आप सोचते हैं कि पहले चैक से पेमेंट नहीं की जाती थी। इंदिरा आवास योजना, जिसे आज प्रधानमंत्री आवास योजना कहा जाता है, इस योजना का भुगतान कैसे होता था। योजनाओं में चैक से पेमेंट करने के बावजूद भी घोटाले हुए हैं। यह एक कहावत है कि 'चोर के लिए ताला क्या और वकील के लिए कवाला क्या।' आप कानून बनाते जाएंगे, लेकिन उनका सही ढंग से पालन भी होना चाहिए। आप नोटबंदी लेकर आए हैं, लेकिन इसके बाद बैंक मैनेजरों ने बता दिया कि दुनिया के सबसे भ्रष्ट लोग हम हैं। भारत के बैंक मैनेजरों ने दुनिया में साबित कर दिया कि वे कितने भ्रष्ट हैं और अब इनकम टैक्स आफिसर्स इसे साबित करेंगे। यदि हम लोग अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मजदूरों के लिए स्कूल, मुफ्त पानी, बिजली, घर की कम्प्लसरी व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती है। हमें कम तनख्वाह मिलती है, लेकिन हमारे लिए एक व्यवस्था है। स्टेट में रहने के लिए बिजली फ्री देते हैं। मजदूर सबसे ज्यादा मेहनत करता है, तो उसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है।

मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में अस्पताल में जितने एम्बुलेंस कर्मचारी हैं, उन्हें बिचौलिए तंग कर रहे हैं। यहां स्वास्थ्य मंत्री ने बिचौलियों को एम्बुलेंस चलाने के लिए दे दी है और एम्बुलेंस चलाने वाले जो सरकारी लोग थे, उन्हें अलग कर दिया गया है। अब बिचौलिया तय करेगा कि किसे रखा जाएगा और कितना पैसा मंत्री को दूंगा और कितना पैसा कर्मचारी को दूंगा तथा कितना मुनाफा मैं रखूंगा। यदि सारा मुनाफा देश का पालिटिकल सिस्टम खा जाएगा, बिचौलिया खा जाएगा तो मजदूर को क्या मिलेगा।

अंत में, मैं मणिपुर, नागालैंड, असम से लेकर चायबागान के मजदूरों के बारे में कहना चाहता हूं जो कि चालीस सालों से परेशान हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आप जाकर देखिए। यह सही किया गया कि अधिक से अधिक एकाउंट्स खोल दिए हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपने बैंकों को क्यों नहीं खोला है। आप खाते खोलेंगे और बैंक की शाखाएं को नहीं खोलेंगे, तो उसका क्या फायदा होगा। आप चायबागान के मजदूरों के लिए अधिक से अधिक व्यवस्था करने की कोशिश कीजिए। न्यूनतम मजदूरी 18 हजार रुपए नहीं, बल्कि कम से कम 30 हजार से 32 हजार रुपए करने का काम करें।...(व्यवधान)

श्रम और रोज़गार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): महोदय, हमारे जिन माननीय संसद सदस्यों ने इस अमैन्डमैन्ट में भाग लेकर इसका स्वागत किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। Across the party lines, सभी पार्टियों ने इसका स्वागत किया है और ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है, जिसने इसका स्वागत नहीं किया है।

मजदूरों के हित के लिए अगर आपका और आपकी पार्टी का हमारी सरकार को ऐसा ही सर्पोट बना रहा, तो मजदूरों के लिए यह बहुत बेहतर रहेगा। यह मेरी आपसे पहली विनती है। इस विषय पर मैंबर्स के द्वारा हमसे पूछा गया कि हम इसे बिल के रूप में ना लाकर ऑर्डिनैंस के रूप में क्यों लाए हैं। मैं जानता हूँ कि किसी एक्स्ट्राऔर्डेनरी सिचुएशन में ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए। जैसा हमारे माननीय सांसद श्री रामचन्द्रन जी ने बताया था, मैं भी सभी सदस्यों को बहुत गौरव से बताना चाहता हूँ कि आज देश में जो मजदूरों की स्थिति है, उसमें उन्हें बेहतर तरीके से वेजेज कैसे दी जानी चाहिए। आपने पंद्रह तारीख को बिल पेश किया है। आप जानते हैं कि 16 तारीख को हाउस खत्म हो जाता है। एक दिन में यह बिल कैसे पास होगा। मैं इस विषय पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि यह हमारे मजदूरों के हित में है और बहुत सालों से मजदूर संगठनों की यह डिमांड भी है।

साथ ही साथ आज इस परिस्थिति में बैंकों और ए.टी.एम. की क्या आवश्यकताएं हैं, इस विषय को भी आप सब लोगों ने मान्यता दी है। इसी संदर्भ में हमने ज्यादा से ज्यादा मजदूरों के बैंक अकाउंट खोले, जिससे कि उनको थर्ड पेमेंट न हो। उन्हें कम पेमेंट होता है। उस पेमेंट में कट भी होता है और वह समय पर भी नहीं मिलता है। कई जगहों पर कांट्रैक्ट लेबर को काम करने के छह महीने बाद तक उसकी मजदूरी नहीं मिलती है। Labour is under concurrent list. कन्करेण्ट लिस्ट में सभी राज्य सरकारों की बहुत जिम्मेदारी होती है। इस विषय पर राज्य सरकारें जो कदम उठाती हैं, उनका वहाँ पर अमल किया जाता है। हम यह जो अमैन्डमैन्ट लेकर आए हैं, इसका पहली बार 1975 में अमैन्डमैन्ट किया गया था और बाद में 1976 में इसका बिल आया। ऐसा नहीं है कि मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ या इसको अपोज कर रहा हूँ, लेकिन जब इकोनॉमिक रिफार्म्स और गवर्नमैण्ट की पॉलिसीज़ को तेजी से चलाने की जरूरत होती है, तब सरकार अमैन्डमैन्ट लेकर आती है।

आप सभी लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट में अभी मैटरनिटी बेनीफिट बिल पैंडिंग है, उससे महिलाओं को बहुत लाभ होगा। यह राज्य सभा में पास हो गया है, लेकिन पिछले दो सैशनों में मैं मैटरनिटी बिल को पास नहीं करा पाया। इससे महिला मजदूरों को बेनीफिट मिल सकता है। मैंने इसे राज्य सभा में पास कराया है। पहले इसमें 12 हफ्ते का मैटरनिटी बेनीफिट मिलता था, लेकिन अभी आने वाले बिल में महिलाओं के लिए 26 हफ्ते के मैटरनिटी बेनीफिट का प्रावधान किया गया है। यह हाऊस ही बराबर नहीं चल रहा था, जिसके कारण मैटरनिटी बिल पास नहीं हुआ। इसे मैंने 15 तारीख को पेश किया था, यदि

16 तारीख को भी इस पर चर्चा हो जाती, तो यह बिल आधे घंटे में पास हो जाता। सभी लोगों ने इसका स्वागत किया है और इस पर अपने सुझाव भी दिये हैं, इसलिए मेरा मानना है कि प्रतिपक्ष को सभी चीजों को निगेटिव में नहीं देखना चाहिए, जिसे पॉजिटिव में देखना चाहिए, उसे पॉजिटिव में देखिए। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : Nothing will go on record. ... *

श्री बंडारू दत्तात्रेय : केवल दो-तीन चीजें हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने जो चैक और बैंक एकाऊंट के बारे में एप्रिहेंसन्स बताए हैं, अभी करेंसी नहीं है और कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। इससे छोटे-छोटे मजदूरों को तकलीफ होती है। कहीं बैंक नहीं है, कहीं एटीएम नहीं है, ऐसी सारी बातें आप लोगों ने बताईं। सेन्ट्रल स्फीयर में 45 इम्प्लॉयमेंट में नोटिफाई करके कार्रवाई करते हैं। राज्य सरकारों के पास 1709 इम्प्लॉयमेंट हैं। उनमें राज्य सरकारें नोटीफाई करके उन पर अमल कर सकते हैं, इसलिए राज्य सरकारों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी रहती है।

एक और अच्छा सुझाव है। अभी टैक्नोलॉजी मोड में काफी चेंजेज़ आ रहे हैं। मेरे पास अभी ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोविडेंट फण्ड ऑर्गेनाइजेशन में 4 करोड़ 30 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। उनमें अभी तक हमने 2 करोड़ 30 लाख लोगों का एकाऊंट खोला है। उनके ट्रांजैक्शंस बैंक एकाऊंट के माध्यम से हो रहे हैं। उनके पीएफ और सभी प्रकार के क्लेम सेटलमेंट एसएमएस के द्वारा हो रहे हैं। प्रत्येक मजदूर सीख रहा है। उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी हैं। उसमें माइग्रेंट वर्कर्स को भी लाभ मिल रहा है। इसलिए टैक्नोलॉजी मोड से जाने पर और कैशलेस ट्रांजैक्शन होने से, डिजिटल पेमेंट होने से उसका महत्त्व रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का भी यही लक्ष्य है। उनका भी लक्ष्य है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से मजदूरों को भी लाभ मिलेगा।

जैसा कि आपने मिनिमम वेज़ेज के बारे में पूछा था, इस सरकार के आने के बाद मैंने मिनिमम वेज़ को बढ़ाया। एग्रीकल्चर लेबरर्स को सी कैटेगरी में 300 रुपये बढ़ाकर उसे सेन्ट्रल स्फीयर में लागू किया। 42 प्रतिशत मिनिमम वेज़ रेज़ किया गया है, इसलिए मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ। इसमें भी मैंने केवल सेक्शन-6 में एक छोटी-सी बात इंसर्ट की है। जिससे एक्ट को पास किया जा सके, ताकि बाकी सारा जो एक्ट है, रजिस्टर्स हैं, इन्स्पैक्शन है या पेमेंट ऑफ सैलरी है, टाइम है, वह सारा वैसा का वैसा ही है। हमने उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन टी गार्डस के बारे में मैं असम की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मैं वहां डीमॉनीटाइजेशन के समय गया था। असम में 850 टी गार्डस हैं। डीमॉनीटाइजेशन के समय असम की सरकार ने सारे डी.एम्स को निर्देश दिया और सारे बैंक मैनेजर्स के साथ, जहां-जहां जो एस्टेट्स हैं, वहां जाकर सभी टी गार्डस वाले लोगों का अकाउन्ट खोलकर कैश को बैंक खाते में डालने का

---

* Not recorded.

काम किया है। जहां-जहां लोगों में दर्द है तो सरकार उसे बराबर कर सकती है। राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी भी होती है कि वह लोगों के अकाउन्ट खुलवाए। मैं बड़े हर्ष के साथ बताता हूं कि मेरी लेबर मिनिस्ट्री में मैने इस कार्य को आगे बढ़ाया है और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मैने कैम्प्स लगवाए हैं। डीमॉनीटाइजेशन के समय मजदूरों को उनका वेतन बराबर नहीं मिल पाने जैसी बातें न्यूज पेपर्स में आ रही थीं। तुरंत मोदी जी ने हमे मजदूरों की समस्याओं का निदान करने का आदेश दिया और मैने भी कहा कि आप सभी लोग मेरे मंत्रालय के सभी अधिकारी सारे राज्यों में जाकर, राज्य सरकारों के साथ मिलकर, बैंक ऑफीसर्स के साथ बैठकर जहां-जहां लेबर क्लस्टर्स हैं, जहां-जहां लेबर मार्केट्स हैं, वहां-वहां मैने स्पेशल ए.टी.एम्स लगवाए और मोबाइल ए.टी.एम्स वैन लगवायीं और मैने किसी भी मजदूर को तकलीफ न हो, ऐसा प्रावधान किया है। उसी समय हमने बैंक अकाउन्ट खुलवाने के लिए हमारे ई.पी.एफ.ओ. और ई.एस.आई.सी. ऑर्गनाइजेशन की मदद से करीब 14 लाख मजदूरों के बैंक अकाउन्ट खुलवाए। मैं खुशी से बताता हूँ कि आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारों ने सारे मजदूरों के बैंक अकाउन्ट खुलवाए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि राज्य सरकारें अगर आगे आएंगी तो हम इसके लिए और विशेष कदम उठा सकते हैं। जो बैंक खाते खुलवाए, उनकी संख्या 48 लाख है। आगे हम इतने अकाउन्ट खोलेंगे कि जिससे उसको ई.एस.आई.सी व ई.पी.एफ.ओ. का लाभ मिलेगा। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है और आप सभी लोगों ने इसका स्वागत भी किया है, लेकिन जैसा उन्होंने रूल्स के बारे में कहा है कि इसके लिए क्या रूल्स होंगे, राज्य सरकारों को आदेश देने के लिए क्या करेंगे, इस बारे में उन्होंने कहा है। इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम अपने अधिकारियों के साथ एक बार बैठेंगे। इसके लिए मैंने राज्य सरकारों के सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखकर मैने उनको बताया है, इसलिए इसमें अगर कुछ भी राज्य सरकारों को आदेश देना है तो हम राज्य सरकारों को आदेश देंगे।

मुझे विश्वास है कि मजदूरों को, उनके श्रम को हमें सम्मान देना चाहिए। इस बिल पर, इस एक्ट में अमेण्डमेंट करने से, मेरा यह विश्वास है कि हमारे डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर और दत्तोपंत ठेंगड़ी, जिन्होंने मजदूरों के लिए अपने जीवन का त्याग किया है। उन लोगों के लिए भी बराबर उनका होमेज होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ और जितने भी हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स ने भाग लिया, उन सभी लोगों को और उनके सजेशंस को भी ध्यान में रखकर आगे उस पर कार्रवाई करूंगा, इसलिए मैं आप सबसे एक बार और प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को पास कराने में आपकी सहायता के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: We have taken up the Bill in a very positive perspective and we are thankful to the hon. Minister for accepting the suggestion. The manner and the criteria by which industries and establishments will be

covered for having exclusive cheque transaction or the digital transaction, definitely the Government of India should take an initiative so that guidelines framed can be framed and sent to the appropriate Governments. Hence, I am thankful to the suggestion.

Another aspect is about what Kumari Sushmita Dev already stated, that is, 80 per cent of the rural India is not yet covered by the banking network. So, a provision must be made, especially in the area where labour force is there; in the tea gardens, the Government should take initiative in providing the ATM and banking facilities in the rural areas because 80 per cent of rural India is not been covered by the banking facilities. Such facilities should also be there. Then only, this Act will be very fruitful as far as workforce is concerned.

With these words, I conclude.

HON. CHAIRPERSON: Is it the pleasure of the House that the Statutory Resolution moved by Shri N.K. Premachandran be withdrawn?

The Resolution was, by leave, withdrawn.

HON. CHAIRPERSON: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Now, the hon. Minister may move that the Bill be passed.

SHRI BANDARU DATTATREYA: I beg to move:

"That the Bill be passed."

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

16.38 hours

**STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF SPECIFIED BANK NOTES (CESSATION OF LIABILITIES) ORDINANCE, 2016
AND
SPECIFIED BANK NOTES (CESSATION OF LIABILITIES) BILL, 2017**

HON. CHAIRPERSON: Now the House will take up item nos. 26 and 27 together.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move the following resolution:--

> "That this House disapproves of the Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Ordinance, 2016 (Ordinance No. 10 of 2016) promulgated by the President on 30 December, 2016."

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I beg to move*:

> "That the Bill to provide in the public interest for the cessation of liabilities on the specified bank notes and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

Hon. Chairperson, Sir, on the 8th of November, 2016, the hon. Prime Minister, on behalf of the Government, had announced that the high denominational currency of Rs.500 and Rs.1,000 subject to the exceptions that were carved out had ceased to be a legal tender. There were various rationales and reasons why the Government came to this conclusion. This action was taken under Section 22(2) of the RBI Act, under which the Central Board of the RBI can make a recommendation to the Government, and after consultation with the Central Board, the Government of India takes a particular decision.

The obvious intention was that we have seen the vices of large quantum of cash currency operating in the system. Compared to what is happening in the rest of the world, the volume of cash currency of cash currency in India was extraordinarily large. Cash currency in India was almost 12.2 per cent of India's

---

* Moved with the recommendation of the President.

GDP, which is extraordinarily high. Now this leads to a large number of transactions in cash which necessarily involves evasion of taxes and, therefore, a shadow economy or a parallel economy coming into existence. This also enables and facilitates crime, this also has the impact of being a facilitator as far as fake currency is concerned and also several kinds of anti-national offences like terrorism etc. survive on the strength of cash currency. Cash currency also creates an increased temptation for corruption in a society and the object was that we must move towards to a greater digitalized economy, compress the extent of cash component in the economy itself and, therefore, free the economy to the extent possible from these vices that I have mentioned.

The period under which it ceased to be a legal tender was from 8th of November, 2016 to 30th of November, 2016. The Prime Minister had also announced that on such terms and conditions this period would be extended to facilitate certain category of cases which the RBI had independently announced. In the case of either the Non Resident Indians who were living abroad or even Indian residents who were travelling abroad during that period, a window has been opened.

Now this having taken place, the next logical consequence of this that the RBI's commitment under Section 34 (i) of the RBI Act in order to pay to the holder of that currency shall cease to exist once that period is over. Additionally, under Section 26 (i) of the RBI Act, the guarantee given by the Government of India with regard to the payment of that amount also gets extinguished and it ceases to exist. It is, therefore, necessary that a parliamentary legislation to this effect be brought. I may mention that on two earlier occasions in 1946 and 1978, where similar steps had been taken, in the very first instance itself a parliamentary legislation had been brought either through an ordinance and subsequent ratification by Parliament.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Why was it not done this time?

SHRI ARUN JAITLEY: It is because there is power under Section 26 (ii) of the RBI Act also. That is also a legal power.

So, this time it has been done in two stages, that is, under Section 26 (ii) of the RBI Act, it ceases to be a legal tender and now the extinguishment of the currency and the liability itself has to take place. This Ordinance has been brought in view of this urgency in order to enable these things to happen and also permit that grace period. Once that period is over, except for limited purposes of research and historical value for which somebody can keep a limited amount of currency which is mentioned in the legislation, holding the currency itself would be an offence. The reason for making it an offence and the reason for extinguishing the currency is that once it ceases to be a legal tender, you cannot allow a parallel currency, which has ceased to be a legal tender, to operate in the market and it is for this reason that holding of that currency beyond the grace period itself will also amount to an offence. So nobody can hold it beyond the permissible limit which is required really for historical purposes or for collectors or for some research purposes that people want to keep the currency. This is the rationale behind bringing this Ordinance.

With these few observations, I commend this Bill to the august House for acceptance.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity.

Sir, in the Payment of Wages (Amendment) Ordinance of 2016, I have already made my observations regarding the ordinance route of legislation. So I need not repeat all those issues in this case also. Let the contents in respect of the ordinance route of legislation be a part of my speech even in this case also. As I spoke earlier, let us analyze whether this Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Ordinance of 2016 is within the parameters of article 123 of the

Constitution of India, whether the extraordinary situation as per article 123 of the Constitution is applicable to this Ordinance. Let us examine that point first.

Sir, in this case, as the hon. Finance Minister has already stated before this House, this Ordinance was promulgated on 31st December, 2016 for three main purposes.

Their first main purpose of promulgating this Ordinance was 'to withdraw the guarantee of the currency of denomination of Rs. 1000 and Rs. 500 under Section 2 (1) of the Reserve Bank of India Act.'

Their second main purpose of promulgating this Ordinance was 'to discharge the reliability of the Reserve Bank of India regarding the demonetised currency of Rs. 1000 and Rs. 500 under Section 34(1) of the Reserve Bank of India Act.'

Their third main purpose of promulgating this Ordinance and bringing this legislation was 'to fix a grace period for the legal tender of the currency for a particular period in certain cases or in certain extra-ordinary special circumstances.'

These were the three purposes for which this Ordinance had been promulgated by His Excellency, the hon. President of India.

Sir, as the hon. Minister has rightly said that all these issues or all these objectives have come into force as the aftermath of the announcement made by the hon. Prime Minister on 8th November, 2016. A Notification No. SO-3407(E), dated 8th November, 2016 was issued.

Sir, it is very clear that the hon. Prime Minister's announcement had come on 8th November, 2016 and on the same day, the Notification No. SO-3407(E) of the Ministry of Finance was issued.

Sir, subsequent to 8th November, 2016, this House was summoned on 16th November, 2016 and it was in Session till 16th December, 2016. My humble submission to the hon. Minister is that why he did not come to the House with a Bill for having legislative backing of this demonetisation process. Instead of

bringing the Bill, on 31st December, 2016, His Excellency, the hon. President had promulgated an Ordinance giving effect to the legislative backing to the demonetisation process by virtue of the Notification NO. 3407 on 8th November, 2016.

So, my simple question to the hon. Minister is, what prevented the Government from bringing a Bill before the Parliament. The Notification was issued on 8th November, 2016. The Government as well as hon. Finance Minister are well aware that these two provisions have to be dealt with, that is, (i) the guarantee, which is being prescribed under Section 26 (1) and (ii) the liability which is prescribed under Section 34 (1) of the Reserve Bank of India Act.

That means, the Government was deliberating avoiding the Parliament's scrutiny. To my belief or to my faith, the Government did not want to have a discussion during that time. That is why the Government did not come with a Bill. Instead of bringing a Bill before the House, the Government had gone for an Ordinance route of legislation. There itself, the intention of the Government would go to show that the intention of the Government was not good, not proper and not fair. I am not alleging it to be a *mala fide* intention but it was to avoid the Parliament. This is the way in which the Parliament is being dealt with. The legislative supremacy of the Parliament is being taken by this Government almost all the time.

From 16th November, 2016 to 16th December, 2016, the entire House was in turbulence only because of this demonetisation process and the demonetisation policy. Even at the fag end the previous Session, it may be recalled that we as the Opposition Benches became ready for a debate. We do accept that at the first instance, we were opposing the Government; we were creating turbulence in the House; and we were disturbing the proceedings of the House. We were demanding a discussion under rule 184 or under rule 56 but the Government was not heeding to accept this demand of the Opposition. Finally, the Opposition became ready for any type of discussion, be it under rule 193 or be it during Zero

Hour. The Opposition parties were willing to have a threadbare discussion in the House. But unfortunately, at that time, Government, the Treasury Benches and even the Ministers started obstructing the proceedings of the House demanding an apology from the Opposition first.

16.49 hours (Dr. Ratna De (Nag) *in the Chair*)

So, all the proceedings were obstructed. This was the type of stand taken by the Government at the fag end of the Winter Session. So, it was very clear and specific that the Government was avoiding a discussion in the House on demonetisation. It was because the Government was in utter defence as the sufferings and hardships of the people were too much. The Government could not sustain or even could not answer to the questions and the issues posed by the Opposition. That is why this Ordinance route of legislation has been selected by the Government. Otherwise, the Government could have very well come with a Bill before the House and have the legislation.

I would like to draw the attention of the hon. Finance Minister regarding this Ordinance. He is an exceptional luminary in the filed of law also. There are so many rulings given by the hon. Supreme Court. I would like to cite a latest ruling of the hon. Supreme Court in Krishna Kumar Singh versus State of Bihar. That ruling has come on 2nd January, 2017. This is the latest ruling on the promulgation of Ordinance. A Seven-Member Bench has held that the re-promulgation of Ordinance is impermissible and a fraud on the Constitution. Yes, I do accept that it is in respect of re-promulgation of Ordinance but though the Supreme Court Judgement is relating to re-promulgation of Ordinance, it is partly applicable to the promulgation of this Ordinance also as there is no valid ground for the issuance of Ordinance under Article 123 of the Constitution.

In the same case, the hon. Supreme Court held and I quote:

> "The Ordinance making power does not constitute the President or the Governor into a parallel source of law making or an independent legislative authority;"

It is very clear that the Governor or the President, as the case may be, can never be a parallel source of law making authority or can never be an independent legislative authority by issuance of Ordinances day-to-day. Further the Supreme Court Judgment stated:

> "Consistent with the principle of legislative supremacy, the power to promulgate ordinances is subject to legislative control. The President or, as the case may be, the Governor acts on the aid and advice of the Council of Ministers which owes collective responsibility to the legislature;"

This Supreme Court Judgment is a reminder to this Government which has issued 26 Ordinances out of which 11 Ordinances are re-promulgated.

My first point regarding the promulgation of Ordinance is that this is a reminder and a warning to this Government. The Ordinance route adopted by this Government to ratify the demonetization process on 8th November is not proper. I am sticking on to the Statutory Resolution. I am seeking the approval of the House to disapprove the Ordinance which was issued by the Government on 31st of December.

Madam, there are a lot of members who want to speak on demonetization. I am not going into the factual situation of demonetization and its further impact on the Indian economy. I would like to confine my point to some legal issues. I am sure the hon. Minister could very well substantiate the House about the legality of the Ordinance and the legality of the Bill in furtherance of the notification no. 3407 issued on 8th November.

My first point is regarding the legality. The demonetization of high denominated notes worth Rs. 1,000 and Rs. 500 through a notification is totally illegal. Hence, the Ordinance and the Bill are legally not sustainable. That is the first point which I would like to make. It is because the declaration ceasing the legal tender character of Rs. 1000 and Rs. 500 by virtue of a notification no. 26(2) of the Reserve Bank of India does not exonerate the Government or the Reserve

Bank of India from its guarantee under Section 26(1) of the Reserve Bank of India Act and the liability under Section 34(1) of the Reserve Bank of India Act. These are the very important three provisions we have invoked.

According to Section 26(2), demonetization was declared and notification no. 3407 was issued. Section 34(1) says about the liability of the Government to honour the bank currency which is being issued by the Reserve Bank of India. The guarantee is being given under Section 26(1). Now, the Government is accepting the legal impediment in demonetization process.

At the time of demonetisation, at the time of notification on 8th November, we have all said that it is illegal, it is improper because it is lacking a legislative backing. Since it is not being done by legislation, it is being through by a notification, it is not full, it is not complete and it is not legal also. This was the argument which was advanced by the opposition and by most of the Members belonging to the legal community also. But, unfortunately, the Government not even cared to hear it and there was no response from the Government and no discussion took place in the Parliament also.

Now, when you go through the present Bill, the present Bill is to replace the Ordinance. The aims and objects stated in the Bill by the Finance Minister speak against the Government's earlier position. I am going through the Aims and Objects of the Bill. In the Aims and Objects of the Bill, it is very clear. In the first para of the Aims and Objects, it is admitted that by invoking Section 26 (2) of the RBI Act, the Government issued notification number S.O. 3407(E), dated 8th November, 2016, declaring five hundred rupees and one thousand rupees as not legal tender. That is the first part of the Aims and Objects. In the next para it is said that Section 26 (1) of the RBI Act provides that every bank note shall be legal tender at any place and shall be guaranteed by the Central Government. You are issuing a notification under Section 26 (2) that five hundred rupees and one thousand rupees cease to be the legal tender. We do admit it. Section 26 (1) says, every bank note shall be legal tender at any place and shall be guaranteed by the

Central Government. Coming to the next para, Section 34 (1) of the RBI Act provides that RBI's liability is there for every bank note in circulation. So whichever note, currency issued by the Reserve Bank of India is in circulation, definitely the liability of the Central Government is there and the guarantee is there. It is the legal tender at any place. These are the provisions or these are the stipulations which are under Section 34 (1) and Section 26 (1) of the Reserve Bank of India Act.

Further, in Clause 2 (a) and (b) of the Aims and Objects, it is concluded by the hon. Minister that the legislative backing is required to discharge its liability by the RBI and also exonerate from the guarantee under Section 26 (1) and Section 34 (1). Here is my case and here is my point also.

What actually is the Government doing? First, you have issued a notification. First, you have issued an executive action by issuing a notification. Subsequent to the notification, you are coming to the Parliament to have legislation so that it becomes perfect, complete and legal. What does it mean? Normally, you should have come to the Parliament with a Bill, have the statute or have the legislation and on the strength of the legislation you can very well issue the notification. Instead of having the legislation, you are first issuing a notification under Section 26 (2) of the RBI Act. After issuing the notification, now you are coming before the House just to ratify the notification by which demonetisation was done. This is just like putting the horse behind the cart. It is absolutely not legal, not proper and not fair on the part of the Parliamentary procedure. That is the first point which I would like to make.

Also, I would like to say, Madam, without making appropriate legislative changes in Section 26 (1) and Section 34 (1), the notification under Section 26 (2) will never withstand because Section 26 (2) will become applicable only when circulation of money is being stopped or prohibited. So far, you have not prohibited circulation of money. Circulation of money under Section 34 (1) has not been prohibited. It is still there. From 8th November to 30th December, the

circulation of money is there. So, in toto, I would like to conclude that under Sections 26(1), 34 (1) and 26 (2), if you go through them, it is incomplete, improper and illegal.

17.00 hours

So, I would like to know this from the hon. Finance Minister.

Sir, what is the legal status of notes worth Rs. 1000 and Rs. 500 from 9th November to 30th December? It is because in between 9th November and 30th December, the notes were in circulation and usage of these notes was also being done. You can use the notes also. Only limited legal tender had been ceased and notes were still being used. So, I would like to know from the hon. Minister the legal status of these currencies during the period between 9th November and 30th December because the legal tender character is still alive at any place according to section 26(1) and the liability of the Government under Section 34(1) and also under Section 26(1) is still alive. When such a situation is there, what is the legal status of the currency during the period by which these two provisions are alive? No appropriate legislative changes have been made in those provisions. So, I would like to know the legal status regarding those currencies during those days. So, all the exercise you have done from 8th November to 30th December is improper.

I would like to say that Dr. Manmohan Singh, the then Prime Minister had made an eloquent speech in the Rajya Sabha. He has said that it is a legalised plunder.

Sir, I am not an economic expert and I am not a legal expert but I would like to say after going through all these issues that Dr. Manmohan Singh is wrong in saying that it is a legalized plunder. According to me, it is an illegalized plunder made by the Government regarding the demonetization of Rs. 500 and Rs. 1000 notes because there is no legal backing. I do accept that the legal backing will come only after passing this legislation. Otherwise, the legislative backing will never come forth as far as this Section 26(2) notification is concerned.

The second legal point which I would like to challenge is regarding Section 26(2) of the RBI Act.

Madam, I would like to read Section 26(2) of the RBI Act.

> "The Central Government may by notification in the Gazette of India declare that with effect from such date as may be specified in the notification, any series of bank notes of any denomination shall cease to be legal tender (save at such office or agency or the bank and to such extent as may be specified in the notification)."

Madam, this is Section 26(2).

HON. CHAIRPERSON: Please wind up.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, I am the mover of the Motion. I may be permitted to speak.

HON. CHAIRPERSON: You have spoken more than twenty minutes.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I have only two or three points. I am not going into the factual position of the entire issue. I have read Section 26(2).

Madam, I would like to draw the attention of the entire House to this issue. You have issued a notification under 3407(E).

Madam, what is the legal character of the currency of Rs. 1000 and Rs. 500 after 8th November, that is, after this notification? When notification 3407 was issued, at that moment, the currency of Rs. 500 and Rs. 1000 ceased. The legal tender character of the currency is absolutely lost and on the same day, you are issuing the subsequent notification 3408.

Madam, you may kindly go through these two notifications, 3407 and 3408. In 3408, you are saying that the legal tender character of the notes will be there for limited purposes. What are the limited purposes? The limited purposes are for hospital purposes, for air ticket, for rail ticket, for burial grounds and for foreign tourists. This limited purpose use of this currency is being allowed by means of notification 3408.

I am not reading these two notifications 3407 and 3408 because of paucity of time. Notification 3407 is issued under Section 26(2) and 3408 is also issued under Section 26(2). My definite question to the hon. Minister is this. Does Section 26(2) empower the Government in reviving the currency which has already been declared as not legal tender? So, my convinced point is that Section 26(2) is only giving or empowering the Government to declare the currencies which are in circulation as not legal tender.

You have killed me. After killing me or after my death, can my life be revived by the subsequent action? It is quite humanly impossible. You have already killed Rs.1000 note. You have already killed Rs.500 note. Subsequent to the killing of Rs.1000 and Rs.500 notes, how can you say that these Rs.500 and Rs.1000 notes will be used for hospital purposes? Is Section 26(2) empowering the Government? There is no such provision in Section 26(2) or in any of the provisions of the Reserve Bank of India regarding revival of the notes.

HON. CHAIRPERSON: Premachandran Ji, please conclude.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, this is my last point. These are all legal points. Let the House discuss these issues. I am not speaking anything out of the context.

The third point is, in the year 1978 and in the year 1946, as the hon. Minister has already cited, in these two years also, demonetization of Rs.10000, Rs.5000 and Rs.1000 notes took place. That was at the time of Atal Bihari Vajpayee and Lal Krishna Advani. The then Prime Minister was late Shri Morarji Desai. How had they demonetized the high denominated value of currency? At that time, it was done by means of legislation. Why had they done by means of legislation? In the year 1946, at the time of British India Government, and in the year 1978, you may kindly see that the demonetization was done by a legislation. Were the Morarji Desai Government or Atal Bihari Vajpayee and Lal Krishna Advani not aware of Section 26(2) of this Reserve Bank of India Act? Is Section 26(2) sufficient to have demonetization? That is why, the Supreme Court has gone

into the entire details of this 1978 Ordinance. I am sorry, about the 1978 Ordinance, I would like to quote one thing.

Madam, I am concluding with this point. I would like to quote Sections 3 and 4 of the Act of 1978. The name of the Act is, The High Denomination Bank Notes (Demonetisation) Act of 1978 issued by the then Janata Government in which Vajpayee Ji and L.K. Advani Ji were also the Ministers.

"Section 3, High denomination bank notes cease to be legal tender--On the expiry of the 16th day of January, 1978, all high denomination bank notes shall, notwithstanding anything contained in Section 26 of the Reserve Bank of India Act, 1934, cease to be legal tender in payment or on account at any place." This is Section 3.

"Section 4, Prohibition of transfer and receipt of high denomination bank notes--Save as provided by or under this Act, no person shall, after the 16th day of January, 1978, transfer to the possession of another person or receive into his possession from another person any high denomination bank note." So, the transfer is restricted. Circulation of currency is restricted. It is a comprehensive legislation made in the year 1978.

Madam, I am concluding. Instead of going for a legislation as done in the year 1978 and as done in the year 1946, the Government has directly gone for making a notification and the hon. Prime Minister, instead of the Finance Minister, instead of the Reserve Bank of India Governor, made an announcement to the public, to the nation, to the world that Rs.1000 and Rs.500 notes are declared as not legal tender. It is absolutely illegal. All the exercise they have done from 8th November to 30th December is not legal and having no legislative backing. Without legislative backing, this will not withhold. Also, the matter is under the consideration of the hon. Supreme Court. Without invoking this legislative process, how can this be done? That is the point I would like to ask the Government.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude your speech.

… (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, I am concluding my speech. … (*Interruptions*)

Why demonetization is done? … (*Interruptions*) According to my information, if the hon. Finance Minister is having sufficient knowledge about demonetization process, I am sure this notification will never come into existence because it is lacking legal ground and it is lacking legislation. … (*Interruptions*)

With these words, I conclude. Thank you, Madam.

HON. CHAIRPERSON: Motions moved:

> "That this House disapproves of the Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Ordinance, 2016 (Ordinance No. 10 of 2016) promulgated by the President on 30 December, 2016."

> "That the Bill to provide in the public interest for the cessation of liabilities on the specified bank notes and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : सभापति महोदया, भारत सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा इस देश में आजादी के बाद लिए गए सबसे बड़े निर्णय जिसमें इस देश की तकदीर और तस्वीर बदलने की क्षमता छिपी है, इस देश का भविष्य निर्माण करने की तस्वीर छिपी है, उस निर्णय का स्वागत करने के लिए मैं लाए गए इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

पूरे विश्व में प्रागैतिहासिक काल से लेकर जब करैंसी प्रचलन में आई, जब मानव सभ्यता का अभ्युदय हुआ, अभ्युदय के उस काल में धीरे-धीरे जब विनिमय की आवश्यकता पड़ी, विनिमय की उस आवश्यकता को बार्टर सिस्टम द्वारा किया जाता था। वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यक्ति आपसी लेन-देन करते थे। जैसे-जैसे मानव सभ्यता विकसित हुई, पशुधन से लेकर, चमड़ों के सिक्कों से लेकर, धातु के सिक्कों से लेकर, सोने और चांदी के सिक्कों से लेकर पेपर की करैंसी और डिजिटल करैंसी तक विश्व अब पहुंच चुका है। विश्व में जो मुद्रा का अविष्कार हुआ, मुद्रा का विकास हुआ, वह विनिमय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक माध्यम के रूप में हुआ था। लेकिन पिछले 70 सालों में जिस तरह इस देश में व्यवस्था चली, जो भारत किसी समय सोने की चिड़िया कहलाता था, अंग्रेजों के दमनकारी शासन के समय धीरे-धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था जिस तरह सिकुड़ी, अंग्रेजों के शासन समाप्ति के समय भी भारत आर्थिक रूप से जिस स्तर पर था, उस स्तर से उतरते हुए धीरे-धीरे जिस तरह पिछले 70 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था की दुर्व्यवस्था हुई, लगातार आरबीआई और अनेक आर्थिक संस्थाओं ने इस बात की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस बारे में बार-बार सरकार का ध्यान दिलाया गया कि एक माध्यम के रूप में जो मुद्रा प्रचलन में आई है, इस मुद्रा को अपने आप में एक वस्तु, कमोडिटी बना दिया गया है। यह इस देश की आर्थिक दुर्व्यवस्था का सबसे बड़ा कारण, जड़ है। इसमें प्रहार की आवश्यकता है। आरबीआई ने विभिन्न रिपोर्ट्स में इस बात का उल्लेख किया। अनेक इकोनॉमिस्ट्स ने भी बार-बार इस बात का उल्लेख किया कि जीडीपी में जिस तरह भारत में असंतुलन विश्व के परिप्रेक्ष्य में नेगेटिव तरीके से बढ़ रहा है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। बार-बार ध्यान दिलाए जाने के बाद भी 55 सालों तक जिस सरकार, पार्टी ने इस देश पर शासन किया, उस पार्टी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। देश की सरकारों ने इस बारे में कोई चिंतन नहीं किया। इस पर लगातार ध्यान दिलाने के बावजूद भी स्थिति बद से बदतर होती चली गई। आज देश के सामने यह प्रश्न खड़ा है। देश उन लोगों से प्रश्न करना चाहता है जब आपकी जानकारी में ये सारी चीजें थीं तो आपने कोई निर्णय क्यों नहीं लियाi माननीय प्रधानमंत्री जी नरेन्द्र मोदी की 8 नवम्बर की घोषणा के बाद देश की जनता के सामने यह स्पष्ट हो गया कि पूर्व की सरकारों के सामने प्राथमिकता देश का निर्माण और अर्थव्यवस्था नहीं थीं, बल्कि सत्तालोलुपता थी, सत्ता चलाना उनकी प्राथमिकता थी। सत्ता भी केवल एक परिवार के लिए थी और उन्होंने देश के सारे आर्थिक हितों को गिरवी रख दिया।

17.15 hours (Shri Prahlad Joshi *in the Chair*.)

सभापति महोदय, विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था की तुलना में हमारी अर्थव्यवस्था सिकुड़ती रही, देश में भ्रष्टाचार बढ़ता रहा, देश में भ्रष्टाचार के कारण कालाधन बढ़ता रहा, देश में कालेधन के कारण आतंकवादी गतिविधियों को प्रोमोशन मिलता रहा, देश में कालेधन की वजह से नक्सलवाद बढ़ता रहा। एक दर्दनाक स्थिति तब आई जब देश के 707 जिलों में से लगभग एक तिहाई जिले नक्सलवाद से प्रभावित हो गए जिसकी वजह से वहां के लोग पीड़ित, शोषित और दुखी होने लगे। देश में कालेधन के कारण अनेक प्रकार की अनैतिक गतिविधियां बढ़ने लगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ी, जिससे फेक करेंसी का मायाजाल देश में फैला। यह समय की मांग है कि टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार को काबू करने के लिए और इन सारी समस्याओं का निदान करने के लिए बड़े नोटों पांच सौ और एक हजार के प्रचलन को बंद किया जाए।

सभापति महोदय, जिस दिन हम सरकार में आए, वर्ष 2014 के चुनाव के समय भी माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि हम सत्तालोलुपता को मन में लेकर देश पर शासन करने के लिए नहीं आए हैं। विभिन्न मंचों से उन्होंने ये बातें की, सदन में भी पहली बार उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि हम केवल सत्ता के लिए नहीं आए हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए आए हैं और देश के गौरव की पुनर्स्थापना के लिए आए हैं।

सभापति महोदय, यह समय की आवश्यकता थी कि इस निर्णय को लिया जाए। आज प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय उन्होंने जिस बात का उल्लेख किया कि आप लोगों के संज्ञान में यह बात थी, लेकिन आप लोगों के लिए प्राइरिटी दूसरी थी लेकिन हमारे लिए प्राथमिकता कुछ है इसलिए हमने यह जानते हुए भी निर्णय लिया कि इस निर्णय से राजनीतिक नुकसान हो सकता है। हमारे लिए देश प्राथमिक है, हमारे लिए देश का निर्माण प्राथमिक है, देश के गौरव की पुनर्स्थापना आवश्यक है इसलिए इतना बड़ा और साहसिक निर्णय लिया। इस निर्णय के लिए पूरे सदन को माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए।

महोदय, पिछले दो दिनों से इस बारे में बात हो रही है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की चर्चा के समय पक्ष और विपक्ष के लोगों ने चर्चा की। मुझे लग रहा था कि चर्चा केवल डिमोनिटाइजेशन तक सिमट कर रह गई है। सभी लोगों ने इस बारे में चर्चा की। जब सरकार चर्चा करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रही थी, आज भी विपक्ष की संख्या बता रही है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के आकांक्षी नहीं है, वे चर्चा नहीं करना चाहते। पिछले दो दिनों की चर्चा में दो तरह के आक्षेप लगाए गए हैं। यह निर्णय यकायक लिया हुआ निर्णय है और एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया निर्णय है, दूसरा आक्षेप इस निर्णय के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को लेकर लगाए गए। यदि इस बात को एक व्यक्ति का निर्णय बताया जाए। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि यह एक दिन का निर्णय नहीं है।

मैं यह प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं कि आपको क्यों लगता है कि यह अकेले का निर्णय हैं। आपको क्यों लगता है कि यह राजनीतिक अपेक्षाओं से प्रेरित निर्णय हैं। आप लोगों ने इस बात का भी आक्षेप लगाया कि यह निर्णय पांच राज्यों में होने वाले चुनावों को दृष्टिगत रखकर किया गया हैं। आप लोगों ने इस बात का भी आक्षेप लगाया कि इस निर्णय की जानकारी देश के फाइनेंस मिनिस्टर को भी नहीं थी। मित्रो, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको मोदी के व्यक्तित्व को समझने की आवश्यकता है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसके लिए मोदी के अध्ययन की आवश्यकता है। यह एक दिन का निर्णय नहीं था। पिछले तीन साल के सरकार के निर्णयों, सरकार के कामकाज को देखें कि सरकार ने किस तरह पायदान से पायदान चढ़ते हुए निर्णय लिया है। यह निर्णय एकदम से स्पष्ट था। यह निर्णय एकदम सबके सामने था कि हम निश्चित रूप देश के पुनर्निर्माण की आकांक्षा और अपेक्षा लेकर आए हैं, किसी न किसी दिन इस निर्णय तक पहुंचना पड़ेगा।

सभापति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में 2014 में परिवर्तनकारी, युगांतरकारी सरकार बनी। सरकार के बनने के बाद 15 अगस्त, 2014 को पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने लालकिले की प्राचीर से इस बात की घोषणा की और यह बात कही कि हम जन धन खाते खोलेंगे। यह इस निर्णय के अनुक्रम में लिया गया पहला निर्णय था। हम इससे पहले एसआईटी की स्थापना पहली कैबिनेट में कर चुके थे। हमारा संकल्प था, हमने विश्वास व्यक्त किया था और यह बात हम देश की जनता के सामने लेकर गए थे कि देश से कालाधन समाप्त करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार करेंगे।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन धन खाते खोलने का निर्णय लिया कि आने वाले छः महीने में दस करोड़ खाते खोलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब यह निर्णय लिया तो विपक्ष के अनेक लोगों ने इस बात पर भी आलोचना की थी कि देश की बैंकिग व्यवस्था दस करोड़ खाते खोलने की स्थिति नहीं है और छः महीने में देश में ये खाते नहीं खोलेंगे। मैं अत्यंत गर्व के साथ आप लोगों के सामने यह बात कह सकता हूं क्योंकि हम सबकी जानकारी में है कि देश में 26 करोड़ खाते खुले हैं। देश के गरीबों को, गांव में बैठे लोगों को बैंक का एसेस मिला, उनमें बैंक तक पहुंचने की क्षमता पैदा हुई, वे बैंक के दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब हुए। इसके बाद सरकार इंश्योरेंस स्कीम लाई। देश की जनता के जीवन को सुरक्षित करने के पीछे यह भाव था कि हम देश की जनता को, देश के गरीबों को बैंक के साथ व्यवहार करने की आदत डालें, उनको बैंक के दरवाजे तक पहुंचाएं। हमारी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को तेजी से आगे बढ़ाया। आज कई लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंकों के माध्यम से हो रहा है। इसके पीछे भी यही मंशा थी कि देश की जनता को, गरीबों को, गांव में रहने वाले लोगों की बैंक के साथ व्यवहार करने की आदत बने और वे बैंक के साथ व्यवहार करें।

सभापति जी, अनेक बार इस सदन में मन की बात की चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात को देश के सवा सौ करोड़ लोग बहुत मन से सुनते हैं और विपक्ष के साथी भी अनेक बार इसे मन से सुनते हैं। मैं आपका ध्यान 27 मई, 2016 की मन की बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यह इंटरनेट पर उपलब्ध होगी, यूट्यूब पर भी उपलब्ध होगी, माननीय प्रधानमंत्री जी के एप पर भी उपलब्ध होगी। 27 मई, 2016 की मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी, उसमें क्लियर कट इंडीकेशन दी थी कि यदि देश से भ्रष्टाचार को मिटाना है, कालेधन को मिटाना है, इनसे उपजी सारी समस्याओं को हटाना है तो देश से बड़े नोट, 500 और 1000 रुपए के नोटों का एक बार सर्कुलेशन समाप्त करना पड़ेगा। यदि फेक करंसी को देश से समाप्त करना है, कालेधन से उपजी सारी समस्याओं को समाप्त करना है तो एक बार देश से इन नोटों को विदा करना पड़ेगा। यह साफ संकेत उन्होंने दिया था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आलोचना करने वाले लोग, इनके डीएनए में इस बात का समावेश है कि ये अपने प्रधानमंत्री की बात को भी सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि इनके यहां कथनी और करनी में अंतर रहा है। इनके यहां जो कहा जाता है और जो किया जाता है उसमें अंतर रहा है। इनके यहां हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। इनके डीएनए में इस बात का समावेश था, इसलिए इन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने इस बात पर विचार भी नहीं किया, वर्ना क्लीयर कट इंडीकेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। यूपीआई गेटवे की शुरुआत भी डिमॉनेटाइजेशन के स्टेप से पहले की गयी थी। भारत सरकार बेनामी प्रापर्टी पर जो कानून लायी है, उस पर भी इस सदन में काफी चर्चा हुई है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी उसका विस्तार से उल्लेख किया है। वह भी इस दिशा में आगे बढ़ाया हुआ एक कदम था।

सरकार इनकम डिस्क्लोजर की स्कीम लायी। इस स्कीम के माध्यम से लगभग 66-67 हजार करोड़ रुपया देश के करवंचकों ने, जिन्होंने कर को छुपाया था, डिक्लेयर किया, वह भी इसी दिशा में आगे बढ़ाया हुआ एक कदम था, एक सीढ़ी थी। इतनी सारी सीढ़ियों को चढ़ने के बाद अब हम एक लैंडिंग पर पहुंचे हैं। अभी हमें शीर्ष, लक्ष्य तक पहुंचना बाकी है। हम जो छत पर पहुंचे हैं, उस रास्ते में एक माध्यामिक पायदान, लैंडिंग स्टेप डिमॉनेटाइजेशन का आया है। इस डिमॉनेटाइजेशन स्टेप के बाद जितने भी आक्षेप लगाये गये, इस सदन में भी पिछले दो दिनों में जितने आक्षेप लगाये गये, वे सारे के सारे आक्षेप, जैसा मैंने कहा कि वे एग्जीक्यूशन को लेकर ज्यादा था। एक बात तय है कि ...(व्यवधान)

महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय कह रहा था कि जितने भी आक्षेप लगे, वे सारे आक्षेप एग्जीक्यूशन को लेकर थे। ...(व्यवधान) हम अभी कालेधन पर भी आयेंगे। ...(व्यवधान) देश का तो आ गया, लेकिन आपके पास छुपा हुआ हो, तो मुझे पता नहीं। ...(व्यवधान) जो आक्षेप लगाये गये, वे एग्जीक्यूशन को लेकर लगाये गये। एक बात स्पष्ट है कि इस सरकार की नीयत पर जैसे सवा सौ करोड़

देशवासियों को संदेह नहीं है, वैसे मेरे विपक्षी मित्रों को भी इस पर संदेह नहीं है कि सरकार की नीयत इसमें खराब थी। ...(व्यवधान) हो सकता है कि एग्जीक्यूशन की कुछ छोटी-मोटी समस्याओं को लेकर लोगों को डिमॉनेटाइजेशन के प्रौसैस में कष्ट हुआ है। मैं मानता हूं कि इन 52 दिनों में देश के 707 जिलों में, 4041 नगरों में, 6 लाख गांवों में बसी हुई 132 करोड़ जनसंख्या ने 88 प्रतिशत रोकड़ मुद्रा को बड़ी सहजता के साथ बैंकों में जमा कराया। वे जितनी सहजता के साथ इस डिमॉनेटाइजेशन के स्टेप के साथ खड़े रहे, उससे यह बात तय हो गयी है कि यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। इससे एक बात और स्पष्ट हो गयी है कि देश के कल्याण, पुनर्निर्माण और हित के लिए यदि साफ नीयत से कोई निर्णय लिया जाता है, तो इस देश की जनता तमाम कष्ट झेलकर भी साथ खड़े रहने को तैयार है।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने सुबह वर्ष 1857 की क्रांति का उदाहरण दिया। वर्ष 1857 की क्रांति से लेकर 8 नवम्बर या 31 दिसम्बर के पूरे कालखंड में जितने भी निर्णय साफ नीयत को लेकर किये गये हैं, उन सबमें देश की जनता ने एक साथ आगे बढ़कर सहयोग किया है। सरकार ने इस जनशक्ति की ताकत के बल पर माननीय प्रधान मंत्री, माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और माननीय वित्त राज्य मंत्री जी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया। देश की जनता ने इस निर्णय का स्वागत किया। मैं देश के 132 करोड़ लोगों को इस सदन के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं।

कल मेरे विपक्षी मित्रों ने कुछ इकोनामिस्ट्स को कोट करते हुए आक्षेप लगाये। आदरणीय खड़गे जी ने वाई.वी. रेड्डी साहब को कोट किया। मुझे पता नहीं कि उन्होंने वाई.वी.रेड्डी का बयान कहां से लिया था। वाई.वी. रेड्डी साहब, जो इस देश के एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं, उन्होंने डिमॉनेटाइजेशन के बारे में 25 नवम्बर को अपने स्टेटमैंट में लिखा है ।

उन्होंने 25 नवम्बर को अपने स्टेटमेंट में लिखा है:

> "…when economy saw a massive boom, has endorsed the decision taken by the Modi Government. Mr. Reddy termed the timing of the move "perfect."

उन्होंने इसे परफेक्ट टाइम बताया।

> "It is a historic moment. There is bound to be paradigm shift in the economic and political system. With the GST on the anvil, the system is ripe for a change. However, to take it forward, contract enforcement and judicial processes will have to play an active role."

उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक समय पर लिया गया ऐतिहासिक निर्णय है। इसी तरह से सी.आर. रंगराजन, जो आरबीआई के एक अन्य पूर्व गवर्नर हैं, जो वर्ष 1992 से 1997 तक इस आरबीआई के गवर्नर रहे, उन्होंने भी कहा है:

> "…a 'standard' prescription that was tried in the past, however, he added, that this time the Government was targeting those who accumulated money, who issue fake currency and those financing terrorism."

उन्होंने यह बात कही। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Gajendra Singh Ji, please conclude now.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: इसके अतिरिक्त यदि मैं दुनिया के इकोनोमिस्ट्स की चर्चा करूं तो प्रोफेसर एडगर एल. फिज़, जो दुनिया में इनफार्मल इकोनोमी के बड़े अध्येता माने जाते हैं, उन्होंने कहा:

> "It is ironic, that Government provides, virtually free of charge, the instrument most widely used to subvert both its revenue collection efforts and its laws defining prohibited economic activities."

उन्होंने यह बताया कि क्यों डिमॉनेटाइजेशन आवश्यक था, इसकी आवश्यकता को प्रमाणित करने का उन्होंने काम किया है। इसी तरह से मैं अनेक उदाहरण आपके सामने रख सकता हूं। इसके एग्जीक्यूशन के समय में जो छोटी-मोटी कठिनाइयां आईं, उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी नए परिवर्तन के लिए, किसी भी ट्रांसफार्मेशन के लिए एक कष्ट के दौर से गुजरना पड़ता है। जब हम लोगों को जन्म मिला था, तब भी हमारी माताओं को कष्ट हुआ होगा, लेकिन उस कष्ट से घबराकर हमारी माताओं ने हमें जन्म देने से रोका नहीं था। इस तरह के कष्टों से घबराकर या अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं से घबराकर यदि हमने यह स्टेप नहीं लिया होता तो आने वाली पीढ़ी हमें इसके लिए माफ नहीं कर पाती। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: सभापति जी, इसके बाद उपजी परिस्थितियों पर भी कुछ कमेंट्स किए गए, अनेक जगह से और अनेक तरह से उनके प्रत्युत्तर दिए गए हैं। यहां कहा गया कि किसानों को फसल बोने में परेशानी हुई, लेकिन जिस तरह के आंकड़े खेती के आए हैं, जिस तरह के आंकड़े एक्साइज कलेक्शन के आए हैं, जिस तरह के संकेत अर्थव्यवस्था से मिले हैं, उनसे स्पष्ट है कि इस स्टेप के बाद देश एक नए अध्याय की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरह से बैंकों में पैसा आया है, उनकी ऋण देने की क्षमता बढ़ी है और उससे देश के युवाओं को रोजगार के संसाधन मिलेंगे। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि डिमॉनेटाइजेशन का स्टेप जिस परिप्रेक्ष्य में लाया गया है, कालाधन और भ्रष्टाचार जिस तरह से त्रेतायुग के रावण और द्वापरयुग के कंस के रूप में इस देश में खड़े थे, उनको समाप्त करने के लिए, भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर कंस का वध करने तक जो समय लगा था, जो उद्विकास का एक प्रोसेस था, वह प्रोसेस पूरा हुआ है। जब यह प्रोसेस कम्पलीट होगी तो देश में सुनहरे सूर्य का उदय होगा।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Dr. Shashi Tharoor, your Party has got 25 minutes time and there are three speakers from your Party. Please keep that in mind and start your speech.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): That is not what I was told earlier, Sir. I was given a different assurance by the ...*

HON. CHAIRPERSON: Whatever is decided in the BAC, accordingly, the hon. Speaker has allotted the time, which I have brought to your notice.

DR. SHASHI THAROOR : We are counting on you to be fair, Sir.

The first question is, why is this Bill needed? It is needed because on the night of 8th November the Government or rather the Prime Minister in a 48-minute address, unilaterally and unnecessarily announced that some Rs.14 lakh crore worth of 500 and 1000 rupee notes amounting to 86.4 per cent of all the currency in circulation in India would be illegal as of midnight. In fact, three hours is what he gave our country to pull 86 per cent of the country's money out of circulation, and this in a country where cash has represented 98 per cent of all transactions by volume. Mr. Premachandran has already described why he thinks this is illegal.

Within days the real result of the Modi announcement became apparent – the severe disruption of normal economic activity. Since over 90 per cent of the financial transactions are made in cash and over 85 per cent of our workers in our country are paid in cash, the everyday economy was ground to a standstill in the last two months of the year.

The Government wants to get credit for its bold move but what inept implementation, Mr. Chairman! It made a mockery of the initial shock and awe with which the announcement was greeted, the appalling lack of elementary planning unleashed anarchy on the economy and created insecurity and anxiety amongst people. Not nearly enough new currency had been printed. So, the banks did not have even a fraction of what was enough to meet the consumer demand for new notes.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

They did not have the new notes and so they restricted withdrawals to small amounts of cash that were insufficient for most people. This is also illegal, Mr. Chairman, though my friend the hon. Mr. Premachandran did not mention it. My question is, under which provision of the law can an Indian citizen be denied access to his own account? Can the Finance Minister name one country in the world that disallows people from withdrawing money from their own bank accounts?

It is clearly a mask, Mr. Chairman, for the Government's inefficiency in not printing enough notes. Thirty days after the Prime Minister's speech, only 30 per cent of the currency in circulation had been restored. The RBI told the Public Accounts Committee on January 18 that it was up to 60 per cent; the SBI estimates it may go up to 70 per cent by the end of February; the Economic Survey claims it will all be back by the end of March. But I do not think so because the rate of printing of Rs.500 notes has been falling well below the target, and going by the rate at which the printing presses are functioning it is going to take, I suspect, another five or six months to remonetise the entire banking system. Anyway whenever that cash system is fully restored, it is very clear that the Prime Minister's 'bear with me for 50 days' was yet another *jumla.*

There is even more inefficiency than that. When the Government started printing notes it did not print enough quantity of the smaller notes. So, if you we were lucky enough to get a Rs.2000 note, no one could make change for it for you. And even more inefficiency was reflected with the ATMs. It never occurred to the Government to realize that if you want to put the new notes into the existing ATMs, they should be the same size as the old notes. They made them a different size and they would not fit into the ATMs, and then they had to scramble to hire 50,000 engineers across the banking system to recalibrate the ATMs.

More seriously, Mr. Chairman, the lack of cash reduced both consumption and the demand. I feel sorry for my friend the Finance Minister because he was proud, rightly so, that we were briefly the fastest growing economy in the world.

Now we can no longer say that. Because a booming economy that boasted the highest growth rates in the world has suddenly become a cash scarce economy and the result was of course that production went down in all sectors. Small producers could not get working capital; some businesses even have had to shut down; many daily wage workers who are of course a majority of the labour force in our country lost their jobs because firms did not have the cash to pay them.

The Economic Survey, published by the Finance Ministry, itself states that demonetization is, "An aggregate demand shock, an aggregate supply shock, an uncertainty shock and a liquidity shock". It says, "The cash crunch must have affected the informal economy". The informal economy accounts for nearly half the overall GDP and 80 per cent of the employment economy and inevitably it runs on cash.

Unemployment has now shot up to a five-year high. According to the All India Manufacturers Organisation (that is AIMO), micro and small scale industries and traders have incurred 60 per cent job losses and 47 per cent revenue losses because of demonetization. Not only are the SMEs shutting down, according to AIMO, medium and large infrastructure companies which they have surveyed have reported a 35 per cent drop in employment and 45 per cent drop in revenues. AIMO estimates even higher losses of jobs and revenue as of the end of March. Real estate, construction and infrastructure which provide the maximum employment in our country after agriculture are set to lose over one lakh jobs over the next year. Rs. Eight lakh crore construction industry which employs 4.5 crore people has virtually ground to a halt with a drop of 80 to 90 per cent in revenues. There has even been an inventory pile-up because, of course, there is no consumer demand.

Hon. Chairperson, please have a look at the indicators of the economy. Sales, cash flow, trader's income, production, employment were all down in November and December 2016. That is why our former Prime Minister Dr. Manmohan Singh estimated that the GDP of our country will shrink by 1 to 2 per

cent for the fiscal year. Local industries, like footwear in Agra, garments in Tirupur, rubber in Kerala and transport everywhere, absolutely slowed down and in many cases work had to be suspended for lack of money.

The informal financial sector-the rural moneylenders who provide loans amount for 40 per cent of our total lending, that infrastructure has almost collapsed. In fact, rural India is in bad shape. The fishing industry depending entirely on cash sales of freshly caught fish is deeply affected. This is even affecting coastal security as I pointed out during Question Hour this morning because the number of boats going out to sea has been so severely reduced because of demonetization that we have fewer eyes and ears looking for suspicious activities in our maritime waters. Traders are losing perishable stocks; farmers are dumping their produce. There was another question today in Question Hour about that. In fact, there has been a study by economists at the Indira Gandhi Institute for Development Research which in late November established that the deliveries of rice to rural wholesale *mandis* were 61 per cent below usual levels; soyabeans were down by 77 per cent; maize was down by 30 per cent; the winter crop could not be sown on time because no one had cash for seeds and therefore the harvest may well be 25 per cent lower.

As I said, hon. Chairperson, we have another crisis when it comes to my own State of Kerala because rural banking has been severely affected. The distinct character of our rural banking sector is the major role of the cooperative sector, particularly primary cooperative societies which are much more vibrant in Kerala than elsewhere. It is because over 70 per cent of the deposits in primary agriculture cooperatives in India come from Kerala. Over 70 per cent of the non-agricultural loans and advances made in India are made in Kerala; over 15 per cent of the agricultural loans and advances in India are disbursed in Kerala. But the Reserve Bank of India prevented all the 370 Central District Cooperative Banks and 93,000 primary agriculture credit societies in the country from depositing or converting old notes after November 8 and the result has been particularly

damaging for my State. I want to say that it is not just the question of one State, but it shows certain thoughtlessness towards the realities of our rural economy. Dairy, agriculture and as I said, fishing have all been severely affected.

Tourism may not seem very important to some people but for us in Kerala it is a huge contributor to our GDP. It is also vital for employment across the country. But foreigners were given a lot of inconvenience because of demonetization; tourists were returning from Agra without seeing the Taj because their notes were not accepted at the ticket window; travel plans had to be curtailed. Tourism prevails by word of mouth. How will you bring back the trust of foreigners who spread the word of their harrowing ordeals in demonetizing India?

The Economic Survey has already lowered the growth rate projection to 6.5 per cent; the IMF has come down from 7.6 to 6.6 per cent; the CMIE says it will be only 6 per cent for the next five years. I know the Finance Minister has made a lot of claims about India's growth. I would say he and the Prime Minister have belied the expectations of the people of India.

What is interesting is that the Modi Sarkar itself has accepted that demonetisation has had a severe negative economic impact because in the list of achievements mentioned in *The Economic Survey* released on the 31st January by the Chief Economic Adviser, they have mentioned Aadhar, GST, FDI, UPI, but there is no mention of demonetisation. In fact, Aadhar, GST, and FDI are all Congress initiated programmes. So, I want to accept the Prime Minister's invitation this morning that we will happily take credit for the few good achievements of this Government.

The Modi Sarkar also accepts – and I am quoting from Chapter III of *The Economic Survey* – that demonetisation resulted in slowing growth; demonetisation reduced demand, cash, and private wealth; it reduced supply, liquidity and working capital, disrupted supply chain, increased uncertainty – and I am still quoting – job losses; decline in farm income; social disruption, especially

in cash incentive sectors. So, I would commend to the Finance Minister Chapter III of his *Economic Survey* as my indictment of his Government.

The Prime Minister has been talking about the surgical strike on black money, corruption, terrorism, and counterfeiting but it is very clear that these objectives have not been met. A surgical strike is always precisely targeted but here the collateral damage is so extreme that the pain inflicted has outweighed any tangible gain. But what was the gain? Let us take black money for example. The estimate was that many people – rather than attract the attention of the law enforcement authorities and the tax authorities – would not return their money but would destroy their black money. Various agencies estimated that around 25 per cent to 30 per cent of the specified bank notes would not be deposited by the stipulated date. On November 23rd, the Attorney-General of India – no less – told the Supreme Court that the Government expected that SBN worth Rs. 4 lakh crore to Rs. 5 lakh crore would be rendered worthless on account of not being deposited. But what happened?

It seems that our black money holders have found creative ways of laundering their money and the result is that most of the estimated black money in circulation – these Rs. 4 lakh crore to Rs. 5 lakh crore – that the Attorney-General mentioned has flooded into the banks. It seems that some well placed friends of the Ruling Party may well have been allegedly tipped off because the well-connected were clearly able to unload their money; none of them seemed terribly troubled by the November 8th announcement. We do not know, of course, how much has come in because the Reserve Bank has not given official figures but it has been widely reported that by the end of December, 95 per cent to 97 per cent of the money in circulation has already reached the banking system. If that is so, after leaving out the small amount being held by the Central Banks of Nepal and Bhutan and by NRIs, it looks like utmost you would have two per cent or three per cent of all the demonetised specified bank notes undeposited. We can forget about the primary objective of cleansing the economy of black money. In fact, the RBI

Governor has himself conceded that there is no impact at all of demonetisation on the RBI's balance-sheet and there may be no liability write-off at all. The Bill's purpose is to extinguish the liabilities of the RBI but none have been reduced.

As we all know, all cash is not black money and all black money is not cash; most of it has been invested in real estate and other property, gold and jewellery, investments abroad, and round-tripping that has seen the money return to India's stock market as foreign investment from countries like Mauritius. The Prime Minister, this morning asked, 'Yes, that is true but when did you know it?' Let me say that we have always known it. This Party and the UPA Government have openly said it. I have myself said that in two different black money debates in this very House in the last six years. So, the fact is that the Government should also have known it. So, why did they make a scheme that only touches such a small proportion of the black money assets that those people are holding?

Worse, in the six weeks after demonetisation, the Income Tax Department announced that it had seized Rs. 500 crore in unaccounted cash; strikingly, Rs. 92 crore of that black money happened to be in new notes! So, what is going on? We are finding cases of corrupt officials including bank managers being caught red-handed in illegal transactions. Some bank managers were sitting in their banks from nine a.m. to five p.m., telling people they had no money; but from five p.m. to 9 a.m., they were giving money out the back door, to those who could launder it. I want to say that though I am by no means tarnishing all the bank managers for the sins of a few, the fact is, Mr. Finance Minister, that in your drive against corruption, you have created new forms of corruption.

Black money continues to be generated clearly; it has merely changed colour and shape. Black money has become white by way of pink. And of course Rs. 2,000 notes will take up less space in the launderer's brief-case than the Rs. 1,000 notes did. We all know that we can withdraw notes, we have withdrawn in the past series of notes saying that those before 2005 were made illegal in 2014. You do not need to demonetise for such an exercise. You print new notes and

phase out the old. If you are going to print new notes then you have to have strong security features enmeshed with the design in order to prevent counterfeiting. But it seems the Government has missed the opportunity to put indelible security features in the new notes it has launched post-demonetisation because there is no new water mark, no new security thread or fibre, no new latent image and certainly no nano-chip as BJP supporters were boasting on whatsapp. So, will a mere change of colour and size make them safe?

Shockingly, RBI has admitted that three different versions of the 500 rupee note had been printed in haste. If all the three versions are authentic, is that not going to confuse the public and make it easier for counterfeiters to get away with their own fake versions?

Still, Mr. Chairman, how big a problem is this counterfeiting, the Prime Minister mentioned it on November 8 but if you look at the statistical facts of the Indian Statistical Institute Kolkata under the supervision of the Government's own National Investigation Agency, the estimate of fake currency notes in circulation is only 400 crores or roughly 0.03 per cent of the currency withdrawn. It also indicated that the ability of banks to prevent these notes being deposited was limited because of sudden deadlines, sudden announcements, short deadline, lots of money flooding in, the bank tellers had to do it manually. They did not have the time. So, the result, it seems according to anecdote anyway, is that there has been a lot of fake currency slipping through into the banking system and becoming legitimised. So, far from hurting counterfeiters, demonetisation may have helped fake currency by being exchanged for new notes. That is the consequence on counterfeiting.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

DR. SHASHI THAROOR: Mr. Chairman, please be reasonable.

HON. CHAIRPERSON: I am quite reasonable. Your Party has got 25 minutes. There are two more speakers to speak.

DR. SHASHI THAROOR: We will all be brief, Sir.

On terrorism, let me just say, there are a lot of studies.… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You have already taken 20 minutes.

… (*Interruptions*)

DR. SHASHI THAROOR : A number of studies show that there is no causal relationship between the number of terrorist strikes on Indian soil and the absolute levels of currency in circulation. In any case, we are all seeing reports about terrorists being caught, arrested or shot in Kashmir possessing brand new currency notes. So, how are the terrorists are being affected? Instead who has the Government hit? Housewives! Housewives who have salted away their savings in biscuit or *atta* tins, are the ones whose money had to come out and be put in the bank when even their husbands did not necessarily know how much they have saved. Then the stories of individual tragedies have been mentioned in this House; hospitals turning away patients who only had old notes, children suffering, middle-class wage earners unable to buy medicines for the sick. Sir, 115 people reportedly dying after collapsing in bank queues, committing suicides, hitting each other, murdering each other, and other demonetization-related events. There is even a report in one of today's papers that demonetization has led to an increase in domestic violence cases. So, the people at the bottom of the economic pyramid have been the real victims of this policy. I do want to say, Mr. Chairman, we have been restricting weddings in the wedding season to Rs.2.5 lakh each, but it seems if you were a BJP leader you have no difficulty in celebrating a lavish wedding even after demonetization.

The goal posts have been shifting. Reserve Bank has issued 138 notifications in the first 70 days. Then I stopped counting. Even the Reserve Bank employees and officers have complained about operational mismanagement which has dented the RBI's autonomy and reputation beyond repair. The Governor of the RBI has been reduced to a lamb and he is silent. It is the silence of the lambs.

I just want to stress finally, Mr. Chairman, the goal posts are shifting and we are getting new objectives. The Finance Minister talks about expanding the tax net but look at the cost at which this tax net is going to be expanded. The Prime Minister talked about cashless economy; no cash in the banks, no cash in the ATMs, no cash with the people. That is the kind of cashless economy we have.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

DR. SHASHI THAROOR: The fact is, he has shifted the definition to less cash economy, I agree. Over 90 per cent of our retail outlets do not have card reader.… (*Interruptions*) The facts are very clear. Only 6 per cent of the Indian merchants and retail outlets accept digital payments. We are not a society in which unfortunately digital transactions can be done without impediments. The problem is, therefore, we need a very-very significant digital infrastructure before we can do all this. Our Prime Minister and Finance Minister are trying to build the penthouse without building the foundations first… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Before Prof. Saugata Roy speaks, a reference which was made by Dr. Shashi Tharoor regarding the Marshall may be expunged. He referred something about Marshall, which should be expunged.

DR. SHASHI THAROOR : Oh that was before I spoke. You cannot count that time.

HON. CHAIRPERSON: I am not counting it. I have only expunged that. ... [*]

Only Saugata Roy Ji's speech will go on record now. There is a time constraint. You should understand this. You cannot do like this. Madam Speaker has allotted time according to the decision of the BAC. Shashi Tharoor Ji please conclude now. I am allowing him. Please sit down.

DR. SHASHI THAROOR: Sir, the mike was off when I made my earlier point.

The illegality of the entire exercise has been raised by my colleague, Shri Premachandran. The fact is that the Gazette Notification No.2652 by the Joint Secretary under Section 26(2) of the Reserve Bank of India Act,1934, nowhere

---

[*] Expunged as ordered by the Chair.

gives the Government power to freeze bank accounts through limits on cash withdrawals; nowhere gives the Government power to disrupt normal banking operations and impose mandatory disclosure requirements, such as, identity cards. So, the fact is that there is a real question as to whether the contract, "I promise to pay the bearer" can be legally repudiated by the Government in this way. I must say that the hon. Finance Minister, who is also a lawyer, should explain to us as to why this is being done and on what legal basis it is being done. I would also like to know as to why the minutes of the RBI decision on 8th November, 2016 have not been placed in the public domain. I would also like to know as to why only four independent Directors attended the meeting out of 21 Directors in the RBI. I think officials took the decision.

HON. CHAIRPERSON: Thank you. Now, Prof. Saugata Roy Ji. Now, only Prof. Saugata Roy Ji's speech will go on record.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on The Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Bill, 2017. Sir, earlier when the Bill was introduced in the Lok Sabha, I had opposed the introduction of the Bill and I had spoken on that. I had also given a statutory resolution disapproving the ordinance, but since Shri Premachandran's name was first, he has spoken elaborately on the same. Dr. Shashi Tharoor has also spoken elaborately opposing the Bill.

Now, I will put my comments only in two parts. One is the legal part. This is a Bill which is to give legal shape to the decision announced by the Government on 8th November, 2016 announcing demonetization. The operative part is that on and from the appointed day, notwithstanding anything contained in RBI Act, 1934, the specified bank notes which have ceased to be legal tender in view of the notification by the Ministry of Finance, etc., issued under sub-Section 2 of the Section 26 of the RBI Act, 1934, shall cease to be liabilities of the RBI under Section 34 and shall cease to have the guarantee of the Central Government under sub-Section 1. This is the operative part. The legal liability of the Reserve Bank will cease and the guarantee of the Central Government will cease.

Now, what is the RBI Act? The RBI Act is very clear. The RBI Act says in 26(1):

> "Subject to provisions of sub-Section 2, every bank note shall be legal tender at any place in India in payment or on account of the amount expressed therein, and shall be guaranteed by the Central Government."

This is important. Section 2 of RBI Act says:

> "On recommendations of the Central Board the Central Government may, by notification in the Gazette of India declare that any series of bank notes of any denomination shall cease to be legal tender."

18.00 hours

Section 34(1) which says:

> "The liabilities of the issue Department shall be an amount equal to the total of the amount of currency notes of the Government of India and bank notes for the time in circulation."

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, now it is 6 o'clock and if the House agrees, I extend the time of the House till 7 p.m.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

PROF. SAUGATA ROY: The main point is that the Government is saying that because the Central Government had issued a notification on the advice of the Reserve Bank, that is why, the notes were cancelled and now that is being legalized. My question to the Finance Minister is this. Where is it written in the RBI Act, 1934, that the Government of India will ask the RBI to hold a central board meeting? It is written that on the recommendation of the central board, the Central Government may. So, the Central Government will issue a notification only when the RBI Board advises it. Now where is it written in this law that the Central Government will ask the RBI Board to hold a meeting to approve the decision? That is why, this whole law is *ultra vires*. There is no provision in the law of the Central Government advising the RBI Board. The RBI Board can take a decision. After it takes a decision, it can ask the Central Government to issue the notification. The Minister has not replied to this.

So actually what the Bill is doing is to withdraw the guarantee of the Central Government. Besides that it is giving a grace period to those people who were outside the country and therefore they could not deposit their notes earlier.

Now they are saying that there will be a fine of Rs. 10,000 for the people who will hold notes above a certain number. I do not know what the necessity is of punishing people just because they are holding some notes. In any case, they are not legal tenders any more. If somebody gives a wrong declaration, the fine is

up to Rs.50,000. Why are you so severe on false declaration? Why is it so important? The Minister has not cleared this conception of ours. That is why, I think the law was unnecessary and the Ordinance was uncalled for. Instead of going through the round about route of RBI, the Government after receiving the recommendation of the RBI Board could have straightaway issued an Ordinance.

Having said this, the Minister will move to pass the Bill. That raises the basic question. I intently heard the Prime Minister when he spoke in the House today. But I have received no reply that what was the rationale for demonetization. The Government has said that it is to prevent counterfeit notes (FCIN). It is to prevent terror money. It is to prevent terrorist groups. Now as has been estimated, the counterfeit notes are only 0.028 per cent of the total amount in circulation. Total amount in circulation is roughly over Rs.17 lakh crore, out of that, Rs.15.44 lakh crore have been demonetized and terror money is only Rs.400 crore. So, to get Rs.400 crore out of the system, to cancel Rs.15.44 lakh crore is absurd, ridiculous and meaningless.

Secondly, they say that this is to curb black money and corruption. Now according to all available estimates, the total amount of black money which is in the form of currency notes is six per cent. The people who have black money do not keep it as such. Excepting a small change, they convert it to either gold or jewellery or they convert it into real estate land, buildings or they keep it abroad.

Now, this Government has been a singular failure in spite of enacting a law to bring back black money from abroad. The Prime Minister had promised before elections that they will bring back all the black money and that they will deposit Rs. 15 lakhs in the account of every Indian. They have singularly failed to do that. That is why, they are now resorting to demonetisation.

Yesterday, I mentioned that this is the most heartless, reckless and wayward step that any Government could think of. I do not know whether the Finance Minister will be able to reply to my point. I do not know if he was aware that demonetisation was taking place. The story in Delhi is that he came to know

only on the afternoon of 8th November after it was all decided. Now he is left holding the baby and so, he has to pass the Bill. I do not blame him. I have no personal angst or animus towards him. I am saying that he is holding a baby which is already gasping.

Today, in one stroke of pen, you have demonetised notes worth Rs. 15.44 lakh crores. The Prime Minister said dramatically in Goa मुझे सिर्फ पचास दिन दे दीजिए। And tears were coming from his eyes. Why? It was because people were crying. Thousands and lakhs of people were on roads queuing up and not getting money. Many stories have been told how people were not able to get treatment in hospitals, how people were refused admission in nursing homes and how people's marriages had to be cancelled. I am not going into the stories. Shri Kalyan Banerjee yesterday described how an old lady was given a sackful of coins in exchange of money because they was nothing else available. Cash crunch was bound to be there. I do not know if the Finance Minister will be able to reply.

Sir, if you take in the form of notes, notes numbering 2300 crore were demonetised. Now, what is the capacity of the four Printing Presses at Nasik, Dewas, Mysore and Salboni in West Bengal? They can print at the most notes numbering 300 crores per month. So, it will take a minimum of seven-and-a-half months for the cash crunch to go.

The Government did a very clever thing. I know it. In the meeting of the Standing Committee on Finance, we asked the Reserve Bank Governor – naturally, the Minister was not there – two straight questions and told him to please answer us. We asked Shri Patel as to how much money in thousand and five hundred rupee notes have been deposited till 30th December, 2016 out of Rs. 15.44 lakh crores deposited. Till date, the Government is evading the answer. In our meeting, the Reserve Bank Governor said that they are still counting and it was raised here, in this House that people are being deprived.

We read the Constitution. Tell me, under what article of the Constitution can the Government restrict me from raising my own money from the banks.

This is a violation of Article 300A because right to property was formally under Article 31 and now, it has gone to Article 300A. It is a violation of our rights. We asked the Reserve Bank Governor to tell us as to when the situation will be normal and we will be able to raise our own money from the banks. The Reserve Bank Governor could not reply. So the Government is left with no replies.

Again, I want to ask the hon. Finance Minister. As I said, I have all respect for him. He is holding somebody else's baby – I do not know. But I want to ask him as to which are the major countries of the world which have demonetised their money, their currency to drive out black money. Name one major country, like the USA, England, France, Germany, Sweden, Norway, and Brazil, which has done this. Gorbachev did demonetisation in 1991 and his Government fell. The countries which were already going bust, like Myanmar, Ghana, Nigeria, Venezuela, and Zaire demonetised their currencies. Who gave the bright idea to the Government that we must demonetise to get rid of the black money? This is the question which is eluding me. I have tried to read every statement, every article by every economist, right from Amartya Sen to Pranab Bardhan, UCLA, Berkeley to Pronab Sen, the Government's former Chief Economist to Larry Summers, who was President Obama's main Economic Adviser, and not one economist of repute excepting those on the pay of the Government had supported demonetisation as a means to fight black money.

Mr. Chairman, Sir, you are from rural Karnataka. Aren't you? क्या आपके वहां आर्थिक ढांचे को तहस-नहस नहीं कर दिया हैं। हम रोज़ लोगों को देखते हैं, खड़ा होना छोड़ दीजिए, केवल नए नोट प्रिंट करने में 20 हज़ार करोड़ रूपये का खर्चा होगा। क्या बोगस नोट से यह भी नहीं होता। कैलिब्रेशन भी नहीं होता है। सर, आज मैं सुबह एनेक्स में पैसा उठाने के लिए गया था। One ATM did not work and there was no cash. Then, I wanted to take out Rs. 5,000. A notice came saying there are no Rs. 100 and Rs. 500 notes, so not possible. Therefore, ultimately I had to press Rs. 4,000 and then these Rs. 2,000 notes came. Where will I change them? I cannot buy any small thing. This is the condition. सर, पचास दिन की बात नहीं है। ...(व्यवधान) सर, यह देखिए, इसमें यह मंगल यान है, गांधी जी का चश्मा है।

...(व्यवधान) This is the condition that we have been put to. It is not so funny. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Shri Nishikant Dubey is on a point of order.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, सौगत बाबू बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन यह "कौल एण्ड शकधर " है, जिसमें स्पीकर के डायरेक्शन नंबर 65(1) एण्ड 55(1) है। अभी तीन-चार बार उन्होंने जिस चीज़ का ज़िक्र किया है। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please quote the rule.

SHRI NISHIKANT DUBEY: It is under General Directions by the Speaker 55 (1) and 65 (1) of Kaul and Shakdher. It says: "The proceedings of a Committee are treated as confidential and it is not permissible for a Member of the Committee or anyone who has access to those proceedings to communicate, directly or indirectly, to the Press or any other person, any information regarding the proceedings, including the Report or any conclusion arrived at finally or tentatively before the Report is presented to the House." अभी उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है और इसलिए मेरा कहना है कि उन्होंने स्थायी समिति के बारे में कहा है, उसको एक्सपंज कर दीजिए और जनरल डायरेक्शन 55(1) और 65(1) को फॉलो करना चाहिए। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I will examine it and give the ruling.

प्रो. सौगत राय: सर, मैं मान लेता हूँ कि निशिकांत जी ने जो बताया है, वह सही बताया है। Proceedings of a Committee should not be communicated outside. If you heard me properly, I did not say that the RBI ... (*Interruptions*) प्लीज़ बीच में मत बोलिए, पहले सुनिए। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Prof. Saugata Roy, you please continue your point. I will examine it and take a decision. You continue. Why are you replying?

PROF. SAUGATA ROY: I can just remind me politely Sir that on 19th of January, 2017, I saw a statement in *The Times of India* from Shri Nishikant Dubey where he has supposed to have said that Dr. Manmohan Singh bails out Urjit Patel. This is from Shri Nishikant Dubey. ... (*Interruptions*) So, don't tell me all these things. He said that Dr. Manmohan Singh had bailed out Urjit Patel.

श्री निशिकान्त दुबे : मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।...(व्यवधान) उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है।...(व्यवधान) रूल 355 में।...(व्यवधान) आप उनको कहिए कि वह जो रिपोर्ट है, जो पेपर की कटिंग है, वह उसको ऑथेन्टिकेट करें कि वह मेरा स्टेटमेंट है। यदि वह मेरा स्टेटमेंट होगा तो मुझे जो कहेंगे, जो सजा मुझे यह हाउस देगा, मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ।...(व्यवधान) नहीं तो उनको कहिए कि वे भुगतने को तैयार रहें।...(व्यवधान) नियम 355 में मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है।...(व्यवधान) उनको कहिए कि वे टाइम्स ऑफ इन्डिया की वह कॉपी यहाँ दे दें।...(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY: If the ruling party Members disturb me like this, how can I speak?

HON. CHAIRPERSON: Prof. Saugata Roy, I asked you to continue. Whatever points he has raised, I said that I would examine and decide. I am telling you to please continue your speech. Don't reply to him. Whatever you have quoted, I would examine it and take a decision. … (*Interruptions*)

श्री निशिकान्त दुबे: महोदय, उसके बाद इन्होंने मेरे बारे में कहा है।...(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Why are you disturbing? You sit down.

PROF. SAUGATA ROY : I am almost on conclusion. I know that this stratagem of the ruling Party is continuing since yesterday when Shri Mallikarjun Kharge of the Congress was speaking. Several times, similar objections were raised by the same person. This is a stratagem to derail the Members of the Opposition from speaking. We shall not be cowed down by such strategy. … (*Interruptions*) My five minutes have been wasted. मुझे वे 5 मिनट लौटा दीजिए। मुझे 50 दिन नहीं, मुझे 5 मिनट चाहिए, वह मुझे लौटा दीजिए।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

PROF. SAUGATA ROY: Here the Finance Minister is there. Again I would humbly say that you have shifted your goal post from black money, now it is digital India. What digital India, Sir? In a country where there are five and a half lakh villages, you have got only 1.36 lakh bank branches, you have got 2.18 lakh ATMs, 40 per cent of them do not work; and 40 per cent of them do not have cash. You are subjecting the poor people to this. I mentioned yesterday that by taking

away cash from the society, you are breaking the backbone of the society. Please believe me. Migrant workers from Bengal have gone to Kerala to work as masons, all of them have come back. Migrant workers from Bengal who work in the jewellery trade in Delhi, Mumbai, Surat, they have all come back because they are not getting any salaries. … (*Interruptions*)

श्री सी.आर. पाटील (नवसारी) : एक भी वापस नहीं आया है।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

PROF. SAUGATA ROY: I don't know that Shri Dilip Gandhi is a big jeweler. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Already your Party time is over. Whatever time was allotted, the same has been utilized. Please conclude.

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: By taking out cash from the economy, you have destroyed the small men, the artisans, the workers, those who work in MSMEs. You have put the people who sell perishable goods, the vegetable vendors and the housewife who puts her small savings a little away into tremendous difficulty. You have caused the death of 150 people. I will not blame Shri Arun Jaitley for this. The blame for this should go to the man who announced the decision. But in this House you did not have the heart to even offer condolences to these people. This is what demonetisation is all about. … (*Interruptions*)

Sir, we are talking of the technicalities of the Bill. I can go on speaking on my Statutory Resolution. But who will give back those 150 lives which were lost due to this cruel and reckless step of demonetization in order to help the electoral prospects of the Ruling Party? This was the worst decision taken since Independence. … (*Interruptions*)

Sir, I repeat again that the people of India would reply to this very cruel step. They will vote with their feet against this step. That is why, I oppose this Ordinance.

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity. I rise to support the Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Bill, 2017. The Bill was earlier promulgated in the form of an Ordinance. The Ordinance was necessitated because of the decision taken by the Government of India on 8th November, 2016 to cancel denomination of Rs. 500 and Rs. 1,000 currency notes and to remove them from circulation and also to deposit such notes in banks or post offices by 30th December, 2016.

This action was taken to check running of a parallel economy by anti-social elements. It was felt by the Government that such notes are declared illegal. The demonetization step has been strengthened by this Bill. It will facilitate a proper merger of our shadow economy with the formal one. The hon. Prime Minister had announced on 8th November, 2016 that Rs. 500 and Rs. 1,000 notes will hereafter stand null and void. In fact, this move was welcomed by several parties as it strengthened India's attack on corruption, money laundering and financing of terrorist activities.

Our hon. Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu has suggested to the Government to demonetize Rs. 500 and Rs. 1,000 notes long back. I thank the Government for accepting his suggestion. Of course, this has caused some inconvenience to the common man. The Reserve Bank of India has instructed all the banks to recalibrate the ATMs for the issuance of new currency notes. Actually, the thrust was for promoting a transparent, corruption-free and cashless economy. Demonetization issue has caused a setback for the terrorist groups.

Sir, I may be permitted to mention here that in a letter to the hon. Prime Minister dated 12th October the hon. Chief Minister of Andhra Pradesh Shri N. Chandrababu Naidu pointed that since most parallel economy transactions are done by using Rs. 500 and Rs. 1,000 currency notes, demonetizing them will make it difficult for hoarders to do large cash transactions and significantly reduce black money in the system. Demonetization would leave currency hoarders with no

option, though the same is much more difficult to enforce. I thank the NDA Government for accepting his suggestion.

Our Telugu Desam Party strongly welcomed the Government's move to check corruption and deal with terrorist groups. Our Chief Minister has strongly advocated for demonetization. In the light of the problems faced by the common man, the TDP offered few suggestions.

We need circulation of Rs. 200 and Rs. 500 notes instead of Rs. 2,000 notes in order to curtail black money and provide people with sufficient small denomination notes.

Surcharges on electronic transactions should be removed in order to encourage cashless, transparent and accountable society, as suggested by the hon. Chief Minister of Andhra Pradesh Shri Chandrababu Naidu.

For embracing a cashless culture through awareness, the Government must initiate awareness campaigns to explain the purpose behind demonetization. Measures should also be taken by the banks to educate people on best practices, on how to avail better banking facilities and on e-transactions, etc., while they are made to wait in queues. The Government must strive for a permanent change in the mindset of the people, and have them cultivate an interest in card/credit transactions over cash.

The Government should print Rs. 100 notes and Rs. 500 notes in sufficient number so that people can have easy access to money.

Sir, I once again lend my whole-hearted support to the Bill. Thank you.

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak. Though my preference was to speak in my sweet mother tongue Malayalam yet I would try to speak in English itself.

HON. CHAIRPERSON: Okay.

DR. A. SAMPATH: Sir, let me quote from the Statement of Objects and Reasons of the Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Bill, 2017. It starts with the words: "In order to eliminate the unaccounted money and fake Indian currency notes from the financial system, the Government, on the recommendations of the Central Board of the Reserve Bank…"

Today, our hon. Prime Minister addressed this House. While replying to the debate on the Motion of Thanks on the President's Address, he said that 'it was a surgical strike. If it is a surgical strike, how can we discuss it in the Union Cabinet, how can we share advance information?' Here, the Government of India says that the decision was taken by the Reserve Bank of India. But the Reserve Bank of India, according to my information, filed an affidavit before the hon. Supreme Court of India that this decision was taken by the Government of India.

So, we would like to know, whose child is this. Who is responsible for this action? The demonetization was declared by the hon. Prime Minister on the night of 8th November 2016. On 11th November, 2016, our hon. Finance Minister told the media that 'there will not be any cash crunch at all.' I am quoting his own words.

Again, our hon. Prime Minister while addressing a rally told the nation that 'everything will be solved by 30th December, 2016. He is saying said: "अच्छे दिन आ रहे हैं।" सर, कौन-से अच्छे दिन हैं

He said that 'if everything is not solved by 30th December, 2016, you hang me'. That was what he told. Neither my party CPI(M) nor myself supports the capital punishment. No. You are one of my best friends… (*Interruptions*) Of course, we are against the capital punishment.

Sir, now, the people say: "हल के बदले कार्ड नहीं चल सकते।". Here, we all experience the difficulty. If you go to the branch of the State Bank of India located in the Parliament House, you would always find that the serve is down. Of course, I would like to pay homage to more than 140 poor people, Indian citizens who have sacrificed their lives standing the queues before the ATMs trying to get some pieces of paper… (*Interruptions*) I am addressing the hon. Chairman and not you… (*Interruptions*) Oh yes, my beloved friend is sitting there… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Sampathji, please address the Chair.

DR. A. SAMPATH : Sir, I would be very precise and specific. I would only consume the time that you allot me. But at the same time, Clauses 4, 5, 6, 7 and 8 are very important. There is a penal provision in Clause 7, which says:

> "Whoever contravenes the provisions of section 5 shall be punishable with fine which may extend to ten thousand rupees or five times the amount of the face value of the specified bank notes involved in the contravention, whichever is higher."

Sir, the Bill contains penal provision. Your heart will be with me, Sir, I know because I can read your lips. This Bill should have been discussed in the Standing Committee. The prerogative of the Standing Committee is snatched away by the Executive. It is a pity. It is a substitute for the Ordinance. When did that Ordinance come? The Ordinance came in order to bypass the Parliament. Our Parliament was in Session in November and December also. The demonetisation came into effect from 8th of November. Now, it is February 7. Here, what has happened? More than Rs. 14 lakh crore was become useless due to denomination of Rs. 1,000 and Rs. 500 notes. I would like to know after the recalibration whether the amount has been pumped to that extent of Rs. 14 lakh crore. The Government has not demonetised 100 rupee note. The Government has not demonetised 50 rupee note. The Government has not demonetised 20 rupee note. The Government has not demonetised 10 rupee note.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

DR. A. SAMPATH : Yes, Sir. I am going to conclude. It was just like giving Rs. 2,000 note to the poor people. What to do with this Rs. 2,000 note? If the intention of the Government is to help the online transactions, let it be frank. Tell the truth. If you want to help the e-wallet companies, tell the truth to the nation. In India, only 53 per cent of the urban areas and only 9 per cent of the rural areas have the broadband connectivity. I will cite my personal experience. I would like to share it. There is no political thing. I was in Gujarat as part of a Parliamentary Committee. In the Jamnagar Airport, within a radius of ten kilometers, can anybody tell me how many ATMs are there? I went here and there, from pillar to post with this card.… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair and conclude within half-a-minute.

DR. A. SAMPATH: Sir, it was a war upon the people. … (*Interruptions*) It was nothing else but a war upon the people. Even the hospitals did not accept the money. Everybody knows as to what has happened to the brother of a Union Minister. I am not mentioning his name. We all respect him. What has happened in that hospital, we all know that. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Thank you. You say one sentence and complete it.

DR. A. SAMPATH: Yes, Sir. If the Government tomorrow bans the mother from feeding her children the breast milk, from the very next day onwards the baby food companies will flourish in this nation. You can help the baby food companies. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Y.V. Subba Reddy. Only Subba Reddy's speech will go in record.

SHRI Y.V. SUBBA REDDY (ONGOLE): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Specified Bank Notes (Cessation of Liability) Bill.

Sir, we really wonder why this Ordinance was not brought before the announcement of demonetization that is before 8th November, 2016. We wonder whether it is Constitutional to deny any customer from withdrawing his own money from a bank without a law made in this behalf by the Parliament.

Everybody thought that the Government made all the preparations for replenishing the entire demonetized currency and that the entire exercise would hardly disrupt the economy beyond two weeks. It was under this impression, our Party pledged support for the Government's initiative to eliminate black money and terror. But things were completely different with long queue where the poor, particularly the women were standing for hours together just to exchange Rs. 2,000. More than 100 people perished. The economy was very severely disrupted.

The Center for Monitoring of Indian Economy has said that new investments proposals have actually fallen over 50 per cent since November 8, 2016. Within the quarter ended December, the fall in investment activity is even more evident if one looks at the pre and the post-demonetization periods. While 227 new investment proposals worth Rs. 81,800 crore were announced during the quarter till 8th November, only 177 investment proposals worth Rs. 43,700 crore came in between 9th November and 31st December. In the October-December quarter of 2016, new investment proposals are valued at Rs. 1.25 lakh crore compared with an average of Rs. 2.36 lakh crore worth of new investments registered per quarter in the preceding nine quarters that the NDA Government has been in power.

According to the latest IMF estimates, India is estimated to grow at 6.6 per cent in 2016, a full percentage point lower than what was forecast earlier.

The Government has not made any attempt so far to estimate the economic losses caused by the demonetisation programme. So far, only Rs. 9.2 lakh out of Rs. 15.44 lakh crore have been remonetised. It is difficult to have a comprehensive strategy for economic revival without a reasonable estimate of the output and employment loss caused by the currency withdrawal.

Even today, nobody knows how much of Rs. 15.54 lakh has come back. The rumour outside is that more than Rs. 16 lakh crore has come back in the banking system. We really wonder as to what was the benefit of this exercise which turned out so disruptive.

The Government has been often quoting statistics to show that there are very few income tax payees in India. This is mainly because we are a very poor country. About 62 per cent of people are dependent on agriculture; they cannot pay any income tax as they are perennially in distress. There are millions of people in unorganised sectors such as vegetable, fruit, milk and newspaper vendors who hardly earn enough for their bread. Then, there are millions and millions of rural artisans like goldsmiths, blacksmiths, toddy tappers, weavers, animal rearers whose incomes can never bring them into tax net. No wonder, we are continuously ranked below 130 in terms of human development index among nations by UNDP.

Yes, definitely, there are black sheep. But, demonetisation of 86 per cent of currency in circulation without adequately preparing for remonetisation is not the best strategy to eliminate black money and to fight terror. Thanks to the non-violent nature of our people who have mastered the art of silent suffering, the Government got away with this.

India has been a heavily cash dependent economy with cash-GDP ratio of 10.6 per cent. In another populous country, China, which is indeed very developed compared to India, with four times the GDP of India, the cash-GDP ratio is as high as 9.1 per cent. As per various estimates, about 92 per cent of rural economy operates in cash and about 75 per cent of country's population lives in

rural India with only two lakh ATMs for the whole country and just 50,000 rural branches of commercial banks in a country with 5.5 lakh villages.

Digitalisation is a slow process. It requires huge effort in terms of creating enabling infrastructure and preparing for a billion and a quarter people of this ancient country. It may take at least a decade of sustained effort.

Even now, some of the rural branches of banks do not have currency and they are not making payment on demand. So, I would request the hon. Finance Minister to increase rural bank branches and also deploy some mobile ATMs and mobile banks in the rural areas.

With this, I conclude. Thank you, Sir.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Thank you, Sir. I stand on behalf of my party to speak on this specified banks note issue. A lot has been said by all my senior colleagues. So, I would not repeat any of the technical issues but I would like to ask four or five pointed questions to the hon. Finance Minister.

My first question is this. Demonetisation normally is done when there is extremely high inflation. So, the Government constantly is very happy and is proudly saying that the inflation is really low at five per cent. Then, what was the real reason for demonetisation? This is my first technical question.

Secondly, the idea of demonetisation is to have smaller notes, not larger notes. In this Government, they have removed thousand rupee and five hundred rupee notes and introduced two thousand rupee notes. Then, eventually, they have reintroduced five hundred rupee notes. So, what is the logic of this entire exercise that you have done? The reason given by this Government for this entire exercise is removing of black money, counterfeit notes and making sure that the terrorist activity goes down. Let us take one point at a time. One aim is reducing corruption. Truly, do you believe that by this one intervention, corruption in India has really gone down?

A lot has been said about banks. Some of the banks have very responsibly done the work. But there are a lot of banks where, we have seen there is a high level of corruption even during exchanges of notes. So, has this demonetisation really served the purpose of what you are looking for in corruption?

My second point is of counterfeit notes. Even Dr. Saugata Roy extensively talked about it. If it was such a small exercise, have you really achieved hundred per cent in removing counterfeit notes? It is because in the media, we have all seen that fake currency notes are back again into the system.

This is my point number 3. Did the naxalite and the actions of terrorism really reduce, the action in Jammu and Kashmir? Everybody knows that winter is the time when all the activity truly goes down. Has it gone down now? So, is it

really connected to this? Is there any database proof that demonetization has reduced all these risks?

I have another point which is already raised earlier. How much money really has come back? It was raised earlier also and now what I hear from the media is what I want to know because most of our information about demonetization is that very less information has come from the Government and more information has come from the media. Some of it probably could be speculation but if we get clarifications, I think, all of India would have a clear idea what is really going on because unfortunately, we always sought that all financial issues like this were all issues addressed by the RBI. Since the demonetization, the RBI Governor probably has opened or made a statement only once. So, we really do not know whether the RBI is run by the Government in the Finance Ministry or by the PMO. Or is it really an independent body? I think we really need to know this because RBI is an exceptionally independent body which has had a great stature in the last 65 years since Independence. So, it is a very important and a relevant body which deserves to have its own independence and all the year it has managed to have its own identity away from the Government while working with the Government. So, kindly, you could tell me about this.

Sir, in this cash to cashless issue, do you want to make it a cashless economy or a less cash economy? Whatever you want, I do not think any of us are against it. There are a lot of *pidits.* For example talking about health issues, whether this side or that side, nobody disagrees on good health. Of course, we all want good health. If you are going to eradicate corruption, we are happy to do it but I think if we could debate it, deliberate it, we could come out with better solutions. So, if you are looking for a cashless society or a complete digital India and since it is concerned with cash, have you got an economist's behaviourial plan which over a period of time will give you solutions for this?

My point no. 5 is about digital economy that you keep talking about. It is a welcome step. But do we have cyber laws for it? Do we have a regulator for it?

Do we have rules for it? Do we have grievance mechanism for it? There was an article about ATMs. A lot has been said about recalibration of ATMs here. There was an article about the software that the Indian ATMs have. They have a Windows X software in every ATM in India and now, what we really need is Windows XP which is what the entire globe is using. Today, Microsoft is not willing to support the hackers in the Windows X. So, if we are using Windows X, Microsoft is not willing to take. If it is really so, what is the plan for all the ATMs that you are looking for from the security point of view? If you could kindly clarify about that, and about the transaction fees, whether we like it or not, today, once we all go digital, it is all going to come at a cost.

Sir, you talk about digitizing India. We are very happy if it is so. Even in Parliament, we do not have wi-fi. If you sit here, I agree, mobile does not work out of security reasons but wi-fi does not work even in Indian Parliament. So, if it is not going to work here, how is it going to work in all of India? So, I think that is the first thing. We have to first implement it here before we talk about doing it for the entire country.

I have one last point which is not raised by anybody. It is the concern about the District Cooperative Banks. I have met the hon. Finance Minister and also the hon. Prime Minister regarding this issue.

Sir, I think the only point we really need to say is that in this entire demonetization, one section of society which was completely left out and shown mistrust towards is the District Cooperative Banks. These are banks who live within the rules and regulations of RBI. The Finance Ministry controls each one of them. After demonetization, all the money that was collected for three full days was not accepted. Still that issue is not addressed.

My only pointed question about DCC banks to the hon. Finance Minister is this. After demonetization, since the money was not accepted, a lot of banks - especially in the State which I represent, which is Maharashtra, Pune District Bank, Satara District Bank - have been checked by the RBI. Their books have

been changed. There are no counterfeit notes there. There is no hanky-panky there. I am not saying this. The RBI and all the people who inquired from the Finance Ministry are saying this. So, why is this kind of treatment being given to the District Co-operative Banks? They are not owned by anybody. They are owned by the farmers.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRIMATI SUPRIYA SULE: This is my last point. I will just wrap it up.

In the hon. Finance Minister's Budget speech also, the only point that he made was that a lot of his projects for rural India are going to be implemented through the District Co-operative Banks. So, if during demonetization so much mistrust is shown to the District Co-operative Banks, how will they be able to distribute all the projects which are the hon. Finance Minister's dream projects? They are going to be implemented by the District Co-operative Banks.

But because of the mistrust, today the farmers are feeling nervous about the District Co-operative Banks. They are owned and run by them. They are financially sound. Especially, I am selectively talking about my State. He has every right to get a report of every State. Even it is the same in Kerala. It is the same in Gujarat. So, we urge the hon. Finance Minister not to treat our District Co-operative Banks disdained because one of the most of the most affected is the District Co-operative Banks.

Sir, even in Karnataka where you come from, those District Co-operative Banks are affected.

So, I urge you to include us in everything because the corruption has come from private banks and not from District Co-operative Banks. So, I request him to make sure that we get a fair treatment.

There is one last point. When this demonetization was done in 1978, the Ordinance was immediately brought in. Why is the delay of so many weeks? So, there is something that looks a bit greyer. So, the hon. Finance Minister clarify all

our doubts and give the country a real direction and the honest truth behind this demonetization. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: Now, Shrimati Ranjeet Ranjan.

Your Party has got three minutes time. You complete it at least within five minutes.

SHRIMATI RANJEET RANJAN (SUPAUL): Sir, please give me 10 minutes.

HON. CHAIRPERSON: No, you take only five minutes.

SHRIMATI RANJEET RANJAN: Thank you so much.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): ...*

HON. CHAIRPERSON: Venugopal Ji, ... * . I am sorry. You cannot intervene. I am talking to her. You cannot intervene. I am sorry.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You please continue.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Only Shrimati Ranjeet Ranjan's speech will go on record.

*...(Interruptions) ...***

HON. CHAIRPERSON: I am sorry, you cannot intervene like this.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You are casting aspersion on the Chair. You are throwing aspersion on the Chair. I am sorry.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please continue.

… (*Interruptions*)

---

* Expunged as ordered by the Chair.
** Not recorded.

HON. CHAIRPERSON: I am sorry. I have told whatever I wanted to tell her. Whatever is the direction of the Speaker, I have told her.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please continue.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

SHRI K.C. VENUGOPAL: No, I am not sitting.… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please continue your speech.

SHRI K.C. VENUGOPAL: ... *

HON. CHAIRPERSON: ... *

* Expunged as ordered by the Chair.

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री नहीं हूं और न ही मैंने बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स पढ़ी है। कुछ प्रश्न हैं, यदि नोटबंदी सरकार का एक अह्म स्टेप था तो निश्चित तौर से उसे एक औरत के रूप में देखना पड़ेगा, मैं एम.पी से पहले महिला हूं। गांवों में लोग मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। पी.एम. साहब कह रहे थे कि इंदिरा जी ने डिमोनिटाइजेशन क्यों नहीं किया। मोरारजी देसाई जी ने किया, उसके बाद किसी ने नहीं किया, इसके लिए चालीस बार कमेटियां बैठीं, लेकिन इन चीजों के बारे में बात हुई। आपके पीएम ने इसलिए नहीं किया, क्योंकि उनको वोट की राजनीति करनी थी। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

श्रीमती रंजीत रंजन : यहां उनके भाषण से यही लग रहा था। 'भाइयो -बहनो' के बारे में कहेंगे तो मुझे आपका ही पी.एम. बोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी ने वोटिंग के लिए किया था। मैं यह जरूर कहूंगी सौ बेईमान बच जाएं लेकिन जो लीडर होता है, वह पहले ईमानदार को बचाता है। 125 डेथस हुई हैं, क्या यह उनका अनुभव था या आपकी अनुभवहीनता ने नोटबंदी करवायी। आज नोट बंदी के कारण 125 करोड़ लोगों में 120 करोड़ लोग जिनके पास कैश सिर्फ उतना ही होता है जिससे वह अपने बाल-बच्चे पाल सके, अपनी बेटियों की शादी कर सके, अपने बेटे को सैटल कर सकें। मुझे समझ नहीं आया कि एनपीए का कालाधन था या बेनामी संपत्ति में कालाधन था। मैं नहीं कह रही कि यह कालाधन नहीं था, लेकिन यह कैसे कालाधन था।

यहां माननीय सदस्य बैठे हैं, पुरुष सदस्यगण बैठे हैं, अगर उनकी वाइफ वर्किंग भी होगी तो दो रुपए अपने घर को सेव करने के लिए जमा करती होगी। 2008 में माननीय मनमोहन सिंह जी अपने देश की आर्थिक स्थिति को तभी मजबूत रख पाए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति के पास कैश होता है। यह वह क्राइम वाला कालाधन नहीं है। वैसे ही घर में जब एक पति कहता है कि मेरा बिजनेस ठप्प हो गया है, इसलिए मुझे घर गिरवी रखना पड़ेगा तो पत्नी या मां के रूप में महिला कहती है कि मेरे पास तुम्हारे ही पैसे चुराए हुए पड़े हैं, फिक्र मत करो घर बच जाएगा। क्या यह कालाधन हैं¡ हमारे देश में बहुत बड़ी कुरीति दहेज है। खासकर यूपी, बिहार और बंगाल में दस हजार रुपए कमाने वाला व्यक्ति एक टीचर से अपनी बेटी का ब्याह करता है तो कहता है कि मुझे दस लाख देने हैं। सारी पेमेंट चैक से डाल दी, महिलाओं ने भी डाल दी है। माननीय प्रधानमंत्री और सरकार, जब तिलक लगता है तो क्या आप चैक देंगे, क्या उस लड़के को देंगे¡ क्या उस बेटी की शादी कराएंगे¡ अगर आप कुरीतियों को खत्म नहीं कर सकते तो कोई राइट नहीं था। इंदिरा जी ने वोटिंग के लिए नहीं किया। मैं उदाहरण दूंगी कि आपने वोटिंग के लिए क्यों किया। 15 लाख स्विस बैंक से तो आए नहीं, अब क्या करें¡ आपकी तो जुमलों की सरकार है, उसे कैसे खत्म करें, ऐसा करते हैं कि खेत में आग लगा देते हैं। कैसे¡ जब खेती गंदे नाले के पानी से खराब हो रही होती है तो किसान क्या करता है, मेड़ काटता है और गंदे नाले के पानी को बंद करता है। आपने क्या किया,

गंदे नाले के पानी को बंद कर देंगे तो फाइनेंस कैसे होगा। ... * पैसा कहां से देगाi ... * हमें पैसा कहां से देगाi ... * को लंदन में सेफ कर दिया। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Please expunge the names mentioned by the hon. Member.

श्रीमती रंजीत रंजन : लेकिन लोगों को तो बताना है कि हम कालाधन लाने के प्रयास में हैं, पूरे देश को लाइनों में खड़ा कर दो, फिर एक बार लोगों को मूर्ख बनाओ। ...(व्यवधान) लोगों को गुमराह करो, देखो हम तो कालाधन लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए स्टैंडअप इंडिया, लेकिन कहां, लाइनों में खड़े हो जाओ, सुसाइड कर लो और मंत्री जी कहेंगे कि यही चोर हैं, जो लाइनों में खड़े हैं।...(व्यवधान) यह मैं नहीं कह रही हूं, आपके मिनिस्टर ने कहा है। ...(व्यवधान)

मैं आपसे पूछती हूं कि जब आप दर्जी के पास कपड़े सिलवाने जाते हैं तो दर्जी क्या करता है, पहले नाप लेता है या कपड़े सिलता है। दर्जी पहले नाप लेता है और फिर कपड़े सिलता है। आपने पहले नोटबंदी की और फिर एटीएम का नाप लेते फिर रहे थे, इसलिए लोग लाइनों में खड़े हुए थे। ...(व्यवधान)

आपके सामने कालाधन था, इसे हम भी स्वीकार करते हैं। मैं एक अर्थशास्त्री का उदाहरण देती हूं, उन्होंने कहा कि आपकी आंखों के सामने बैंक में अपना कालाधन डाल दिया, जो कम से कम ब्लैकमनी कहलाता था, आज वह व्हाइट मनी कहला रहा है। कैसेi बड़े उद्योगपति, जिनके 2000 एम्पलाइज़ हैं। मैं बहुत पढ़ीलिखी नहीं हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है लेकिन लोग कह रहे हैं और यह फैक्ट है। प्रोफेसर अरुण जी ने भी कहा कि उन्होंने छः महीने की तनख्वाह अपने एम्पलाइज़ को दे दी। अब एम्पलाइज़ मोदी जी से तो कहने जाएंगे नहीं, क्योंकि मोदी जी उनके पेट को भोजन नहीं दे रहे हैं, उनका बॉस भोजन दे रहा है। अगर उनकी 20,000 या 50,000 रुपए तनख्वाह है और 6,000 रुपए एडवांस दे दिए तो सारे पुराने नोट ढाई लाख, ढाई लाख करके तो जमा कर दिए और जो नए नोट आएंगे, उसे मालिक अपने पास रख लेंगे। उनका अंदाजा है कि कम से कम ढाई से तीन लाख करोड़ रुपए आपकी नजरों के सामने बैंक में व्हाइट हो गए और आप कहते हैं कि हम जन-धन एकाउंट से निकालेंगे। मैं पूछती हूं कि कैसे निकालेंगे। मैंने भी दो लाख जमा किए हैं। क्या कर लेंगे, मेरे पैसे जमा थे। मेरी बेटा स्पोट्र्स पर्सन है, उसे क्रिकेट के मिलते हैं। उसने दो लाख रुपए रखे थे, जमा कर दिए। आप क्या चैक करेंगे।

आप जन-धन एकाउंट की बात करते हैं। मैं एक उदाहरण देती हूं। मुझे गांव के एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास एक व्यक्ति एक करोड़ लेकर आया और गांव के मुखिया को कहने लगा कि एक करोड़

---

* Expunged as ordered by the Chair.

व्हाइट करना है, 80 लाख मुझे दे देना, 20 लाख सैट कर दो। सारे गांव के लोग बैठ गए और कहने लगे कि 20 लाख हमें मिल जाएंगे और 80 लाख उसे देना है, सारा गांव मान गया। मिनिस्टर साहब, गांव के लोग बेईमान नहीं होते हैं। जब इतना करप्शन है तो लोग कहते हैं कि मुझे जन-धन योजना में 5,000 मिल रहा है, 80 लाख निकालकर दे देंगे, 20 लाख हम सब बांट लेंगे। जन-धन अकाउंट में ऐसे व्हाइट हो गया और आप कुछ नहीं कर पायेंगे। आप कह रहे हैं कि टैक्स पदाधिकारी ...(व्यवधान) 18 लाख बैंक्स के अकाउंट्स की जानकारी लेंगे। लेकिन आप उद्योगपतियों और बैंकों की ऑडिट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास इतने कर्मचारी नहीं हैं। आपने नये तरीके के दो भ्रष्टाचार दिखाये हैं। एक बैंक भ्रष्टाचार और दूसरा आप इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर राज को शुरू कर रहे हैं, उससे सिर्फ लोगों को त्राहिमाम् करना है।

सभापति महोदय, मेरा लास्ट में मंत्री जी से एक प्रश्न है। मुझे नहीं लगता कि यह डिसीजन फाइनेंस मिनिस्टर का था और न ही आरबीआई का था, क्योंकि उस दिन पीएम ने एनाउंसमैंट करके वही काम किया, जो आरबीआई गवर्नर करता है। फाइनेंस मिनिस्टर के बजट की जो स्टेटमैंट थी, वह सब 31 दिसम्बर को दे दी गयी थी। मैं यह कहूंगी कि जिसने भी किया, सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या काला धन आया या फेक करेंसी आयीi क्या करप्शन ब्लॉक से खत्म हो गयाi... * पुलिस वाला गाड़ी पकड़ता है, तो क्या घूस लेनी बंद हो गयीi यह नोटबंदी से कैसे बंद हुआ, यह मुझे समझ में नहीं आया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जब वह नहीं लगा ...(व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रही हूं। डिजिटल पैमेंट के बारे में कहा जाता है। ...(व्यवधान) जे.पी. मॉर्गेन वर्ल्ड का नम्बर वन बैंक है। वह अपनी सिक्योरिटी पर दो हजार करोड़ रुपये खर्च करता है। तीन साल पहले उनके बैंक्स हैक हो गये। ...(व्यवधान) हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या प्लान हैंi ...(व्यवधान) साइबर कोर्ट में हमारे पास जज नहीं हैं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया आप सब बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

SHRIMATI RANJEET RANJAN: You please sit down. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Ranjeet Ranjanji, please address the Chair.

… (*Interruptions*)

श्रीमती रंजीत रंजन: आपके पास साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या प्लान हैंi हमारे पास साइबर कोर्ट में जज नहीं है, इस बारे में आपका क्या प्लान हैंi बैंक के सर्कुलर में अगर आपका एटीएम हैक होता है और

* Expunged as ordered by the Chair.

आपके पैसे कोई निकालकर ले जाता है तो बैंक 90 परसेंट तक उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इस बारे में आपकी क्या प्लानिंग हैं¡ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों की समाप्ति) बिल, 2017 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। यह बिल अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मैं समझता हूं कि आज अगर इस बिल की मैरिट पर बात की जाये, तो उसमें नोट के जो भी विमुद्रीकरण हुए हैं, उनमें सब सैक्शन वन सैक्शन 34 ऑफ दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 का है और सैक्शन 26 है, जिसमें आरबीआई का एक उत्तरदायित्व होता है कि जिसके पास वह नोट रहेगा, उसे उन्हें --

'I promise to pay the bearer the sum of two thousand rupees, one thousand rupees or five hundred rupees.'

आरबीआई गवर्नर की एक गारंटी रहती है कि पे करने की जिम्मेदारी हमारी है और उसकी गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है। अगर एक नोटीफिकेशन हुआ और 8 नवम्बर को भारत के प्रधान मंत्री जी ने फैसला लिया। वह फैसला किन परिस्थितियों में किया गया, स्वाभाविक है कि प्रधान मंत्री जी और उससे पूर्व भी नेताओं ने भ्रष्टाचार, कालेधन, जाली मुद्रा और आतंकवाद के फंडिंग की चिंता की थी। यह चिंता केवल मोदी जी या हमारी सरकार की नहीं थी, बल्कि पूरे देश की चिंता थी। जम्मू-कश्मीर में फंडिंग हो रही थी। वहां छः-छः महीने से स्कूल बंद थे, बच्चे अपने घरों में कैद थे। वहां रोज पत्थरबाजी हो रही थी, आतंकवाद की घटनाएं हो रही थीं। मैं आश्चर्यचकित हूं कि सदन में ऐसी चर्चा की जा रही है, जैसे नोट के विमुद्रीकरण का फैसला देश के हितों पर कहीं कुठाराघात कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि उस फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर वैली के सारे स्कूल्स खुल गये। आज वहां पत्थरबाजी बंद हो गयी, आतंकवाद की घटनाएं बंद हो गयीं हैं। इसके बाद भी इस साहसिक फैसले की आलोचना हो रही है।

<u>19.00 hours</u>

सभापति जी, अभी मेरी बहन बोल रही थी कि अगर सारा पैसा ब्लैक से व्हाइट हो गया, बैंक से एक्सचेंज हो गया, जनधन एकाउण्ट से एक्सचेंज हो गया, लोगों ने ज्वेलरी खरीद ली। इस तरीके से जो ब्लैक पैसा व्हाइट करने का प्रयास किया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने कहा है कि आठ नवम्बर के फैसले के बाद अगर ब्लैक मनी से किसी ने सोने की खरीदारी की है या खातों में पैसा जमा किया है, तो उनके खिलाफ आगे कार्रवाई होगी, हम उन्हें छोड़ने नहीं जा रहे हैं। इस बात को समझ लीजिए।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please wait for a moment. Now, it is 7 o'clock. If the House agrees, then we will continue till this Bill is passed.

… (*Interruptions*)

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: Please continue.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): There are 2-3 speakers there and Shri Gaurav is also there to speak. Anyway, you have allotted five hours in the BAC.

HON. CHAIRPERSON: Accordingly, I am giving chance to speak.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I am ready to sit. I do not bother about it, but do not be in a hurry. When other people are not speaking, then give chance to people who want to speak.

HON. CHAIRPERSON: I am giving it to everybody. Whatever list you are giving, I am giving it to everybody.

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Sir, you are very liberal. … (*Interruptions*)

श्री जगदम्बिका पाल: मैं वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा कि इस फैसले के बाद आरबीआई और सरकार की दो जिम्मेदारियां थीं। …(व्यवधान) इस बिल को लाने का मुख्य रूप से उद्देश्य यही है। Section 34 (i) of the RBI Act, 1934 provides that :

> "(1) The liabilities of the Reserve Bank shall be an amount equal to the total of the amount of the currency notes of the Government of India and bank notes for the time being in circulation. Since the Reserve Bank cannot discharge its liabilities on its own for such notes, it is necessary, by law, to discharge such liabilities.".

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विमुद्रीकरण के बाद खुद अपनी लायबिल्टीज को डिसचार्ज नहीं कर सकती है, इसलिए इसके लिए कानून बनाना आवश्यक है। यह लेजिस्लेशन का एक मैंडेटरी पार्ट है। दूसरे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 में सेक्शन 26 और सेक्शन 34 के लिए कानून लाने की बात की गयी है। It provides that : "Every bank note shall be guaranteed by the Central Government."

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गारन्टी ली है।

"Though the legal tender character of the specified bank notes has ceased by the aforesaid notification issued by the Government of India, it is necessary, by law, to withdraw the said guarantee …".

आठ नवंबर के बाद वह करेंसी लीगल टेंडर नहीं रह गयी। अभी थरूर साहब बोल रहे थे - इल्लीगल, मैं कहना चाहता हूं कि लीगल टेंडर नहीं रह गया और इल्लीगल हो गया, दोनों में बहुत फर्क है। इस बात को समझना चाहिए। यह फैसला कोई पहली बार नहीं हुआ है। जिस समय देश आजाद हुआ, सबसे पहली बार वर्ष 1946 में विमुद्रीकरण का फैसला हुआ, जब 500 रुपये, 1000 रुपये और 10,000 रुपये नोट्स के विमुद्रीकरण का फैसला लिया गया था। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि अचानक फैसला लिया गया, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गयी, कैबिनेट को भी जानकारी नहीं दी गयी, मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 1970 में प्रत्यक्ष कर की जांच में वांचू कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने उस समय कहा था कि इस देश में काला धन को लाने के लिए निश्चित रूप से एक ही उपाय यह है कि नोट का विमुद्रीकरण किया जाए। आप वांचू कमेटी रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। उस कमेटी की रिपोर्ट में यह बात कही गयी थी, लेकिन वह बात लीक हो गयी, जिसके कारण जिन लोगों के पास ब्लैक मनी थी, उन लोगों ने उसे बाहर जमा कर दिया या किसी अन्य तरह से अपने पैसे का इंतजाम कर लिया। इसलिए यह स्वाभाविक है। मैं बधाई दूंगा कि वांचू कमेटी रिपोर्ट के बाद जब वर्ष 1970 में विमुद्रीकरण का फैसला लेने की बात आई और वह लीक हो गयी तो वह सफल नहीं हो पाया।

शायद पहली बार इस सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका असर पूरे देश पर पड़ा और यह बात कहीं से लीक नहीं हो सकी, जिसके कारण इस फैसले की सफलता सुनिश्चित हुई। फिर वर्ष 1977 की बात आई, उस समय भी जिस तरह से 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट्स के बारे में फैसला हुआ। समय-समय पर ऐसे फैसले होते रहे। आज इस फैसले के संबंध में विपक्ष की ओर से जिस तरह के भाषण हो रहे हैं, मुझे लगता है कि आप अपने मनमोहन सिंह जी की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने 500 रुपये की नोट के विमुद्रीकरण का फैसला लिया था। खड़े होकर कांग्रेस पार्टी कहे कि उस समय 2005 में जब नोट पर तारीख नहीं लिखी जाती थी, उस समय के सारे नोटों का उन्होंने विमुद्रीकरण किया। उसके बाद आज अगर काला धन या जाली मुद्रा या जिस तरीके से आतंकवादियों को फंडिंग की जाती थी, मैं आज कहता हूं कि जिस दिन यह फैसला प्रधान मंत्री ने लिया है, उस दिन के बाद कम से कम इस देश में हवाला या जिस तरीके से ब्लैक मनी था, तत्काल प्रभाव से ब्लैक मनी इस देश में ऑब्सलीट हो गई। कम से कम उनको इस सरकार को बधाई देनी चाहिए कि आज कम से कम जाली मुद्रा कहीं नहीं है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं।

अब कहीं कहते हैं कि कहीं फेक करेंसी पकड़ी जा रही है या कहीं कैसे नयी करेंसी आ गई। मैं कहता हूं कि जिस तरीके से यह देश जिन चुनौतियों से जूझ रहा था, उन चुनौतियों के बाद करेंसी कहां पकड़ी जाती थी, लेकिन आज इस फैसले के बाद जिस तरीके से हमारी सरकार की जो एजेंसीज हैं, यदि कहीं पर इस तरह की करेंसी जेनरेट करने का प्रयास हो रहा है तो वे जिस तरीके से तत्काल प्रभाव से पकड़ रहे हैं, अगर कहीं करेंसी जेनरेट होने की बात हो रही है और वह किस तरीके से जनरेट हो रही है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं कि उसमें बैंक के लोग हैं या कौन लोग हैं, लेकिन आज जहां भी जेनरेट हो रही है तो यह भी हमारी सरकार की देन है कि वे लोग तत्काल पकड़े भी जा रहे हैं। आज पूरा देश देख रहा है कि आज उसी पार्टी के मिनिस्टर के यहां कितनी बड़ी नयी करेंसी मिली। वे जवाब दें कि अगर 175 करोड़ रुपये की करेंसी एक मंत्री के घर में मिली तो कैसे मिली? हम तो इस सरकार को बधाई देंगे कि अब कहीं भी ब्लैक मनी या फेक करेंसी जेनरेट होगी तो शायद अब इस देश में मोदी जी की सरकार के रहते हुए वह नहीं चल पाएगी। इसलिए आज ब्लैक मनी का जिस तरह से फैसला लिया गया, उसके बहुत फायदे हैं, ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, अभी तो मैंने बोलना शुरु किया है। मैं अपनी पार्टी का दूसरा स्पीकर हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज जो फैसले हुए हैं, उनके फायदे हैं कि आज इस देश को कम से कम यह मालूम हो गया कि किसके पास कितना पैसा है। इसका पूरा ब्यौरा सरकार के पास हो गया। आज हमारी बहन कह रही थीं कि अगर हमारी घर की बहनें, मां और बहू पैसा जमा करती हैं कि यह पैसा उनके कठिन समय में काम आएगा। इसके लिए मैं उनको बधाई दूंगा कि अगर ढ़ाई लाख रुपये तक स्त्री धन के रूप में आज जमा करने की छूट दी गई है तो मैं समझता हूं कि यह देश किस तरह से आगे बढ़ा है। अगर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएं तो हमारे शायद 90 प्रतिशत घरों में ढ़ाई लाख नहीं था, अगर इससे ऊपर छूट दी गई तो उसके कारण बताकर वे लोग पैसा जमा कर सकते थे। इसी तरीके से जो तमाम लोग कहते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि बार बार यह कहा जा रहा है कि 16 लाख करोड़ करेंसी थी और उसमें से 14.5 लाख करोड़ तो जमा हो गये और छोटे नोट थे, करीब करीब 97 प्रतिशत करेंसी उसमें आ गई तो वह ब्लैक मनी कहां है? मैं कहना चाहता हूं कि आर.बी.आई. की रिपोर्ट की एक सच्चाई है कि पूरे देश में जो 500 और 1000 के नोट थे, वे 9026 करोड़ नोट थे। उन 9026 करोड़ रुपये में से 2203 करोड़ रुपया बाजार में सरकुलेशन में था। यह आर.बी.आई. की रिपोर्ट है कि यानी एक तिहाई करेंसी पूरे देश में सरकुलेशन में थी।

खड़गे जी, दो तिहाई करेंसी कहीं तिजोरियों में थी या कहीं तहखानों में थी। वह करेंसी कहीं पर भी सरकुलेशन में नहीं थी। अगर आज पूरा पैसा बैंक में जमा हो गया है तो मैं समझता हूं कि सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि अगर वह पैसा जो कहीं सरकुलेशन में नहीं था, तहखाने या तिजोरियों या

लोगों ने अपने घरों में रखा था, अगर आज वह चैस्ट में आ गया, बैंक में आ गया तो निश्चित तौर से आने वाले दिनों में इस पैसे का सरकुलेशन होगा जिससे ब्याज की दरें सस्ती होंगी और लोगों की बैंक की ई.एम.आई. कम होगी। लोगों के मकान सस्ते हो गये। रियल एस्टेट में मकान सस्ते हो गये। मैं केवल प्वाइंट्स कह देता हूं। आज उससे फायदा होगा। केवल 24 प्रतिशत नोट प्रचलित थे। अब यह फैसला लिया गया है कि तीन लाख रूपये से ऊपर एमाउंट का कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है, अगर वह होगा तो 100 प्रतिशत पेनाल्टी लगेगी। जब फाइनैंस मिनिस्टर ने बजट प्रस्तुत किया तो उन्होंने तमाम बातें कही। लगतार जो टैक्स की चोरी होती रही है, अब टैक्स की चोरी नहीं होगी। हमारे पास एनपीए बढ़ रहा था, बैंक्स इंवेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन नहीं दे पा रहे थे, लेकिन आज बैंकों के पास इतना पैसा आया गया है कि आने वाले दिनों में निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी ढांचे में होगा। लोग आवश्यकता महसूस करते हैं कि हमारे रोड्स, ट्रेन्स और हाइवेज हों या हमारा इनलैंड वाटरवेज हो, इसतरह से ये सब काम होंगे। हमारे रूपये की कीमत भी बढ़ी है। ...(व्यवधान)

सबसे मुख्य बात यह थी कि हम देश को भ्रष्टाचार, काला धन और जाली मुद्रा से मुक्त करेंगे, उसमें यह फैसला भी होगा। हमारे इस योजना से आतंकवाद और काले धन में कमी आयी है और टैक्स कलैक्शन में बढ़ोतरी हुई है। आठ तारीख के फैसले के बाद, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, आपकी अपनी नगरपालिका की बात हो या गवर्नमेंट की बात हो, लोगों ने वहां पैसा जमा किया है। टैक्स कलैक्शन में 14.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। आज लोगों ने नियमानुसार पैसा जमा करना शुरू किया है, अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुयी है, सस्ते दर पर ब्याज मिल रहा है, लोक कल्याणकारी योजनायें बनीं हैं, रोजगार में वृद्धि हुयी है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कौशलेन्द्र कुमार जी।

जगदम्बिका जी, आप कृपया कंक्लूड करके बैठ जाइए। आप दो वाक्य बोल कर बैठ जाइए। कौशलेन्द्र जी आप थोड़ी देर के लिए रूक जाइए।

श्री जगदम्बिका पाल: सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं बिल को सपोर्ट करता हूं। धन्यवाद

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदय, आपने मुझे अति लोक महत्व के विषय पर विनिर्दिष्ट बैंक नोट, (दायित्वों की समाप्ति) विधेयक 2017 पर चर्चा में सदन में भाग लेने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदय, सरकार द्वारा जल्दी में लिए गए नोटबंदी के फैसले को उदाहरण के तौर पर हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने अच्छा कहा और पूरे देश में मैसेज गया कि नोटबंदी के कई फायदे हैं। लेकिन नोटबंदी की व्यवस्था पर उन्होंने भी सवाल उठाए और आज पूरा सदन उस सवाल को उठा रहा है। नोटबंदी को

आनन-फानन में लाया गया और खासकर आरबीआई को भी विश्वास में नहीं लिया गया था। इतना भी है कि शायद वित्त मंत्री जी को भी पता नहीं था और यह घोषणा हो गई। बाद में पता चला कि आरबीआई की बैठक 8 नवम्बर को हुई थी।

महोदय, आप किसी भी नोट को देखें, उस पर लिखा होता है - 'आरबीआई धारक को उक्त रकम अदा करने का वचन देता है।' सरकार ने आरबीआई को अपने वचन से मुकरने के लिए बाध्य किया है। देश की जनता का आरबीआई से भरोसा उठता जा रहा है। आरबीआई की बदौलत देश की वित्तीय रकम की देखभाल की व्यवस्था चलती है और नोटबंदी की वजह से भारत के सभी नागरिकों का विश्वास आज टूटा है। इसकी जिम्मेदारी सरकार की गलत नीतियों की वजह से है। प्रश्न उठता है कि नोटबंदी जायज है, अगर कालाधन वापिस आएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, नकली नोट का प्रचलन समाप्त हो जाएगा। मैं समझता हूं कि आज माननीय मंत्री जी को बताना चाहिए कि कितना काला धन बाहर आया है। पूरा देश इस बात को जानना चाहता है। पांच सौ के और एक हजार के कितने नोट हमारे पास थे और आज कितने हैं, यह भी बताने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि जब तक सदन को इन बातों का उत्तर नहीं देंगे, तब तक हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे।

मैं समझता हूं कि सरकार का यह कदम अनुमान पर आधारित है, सच्चाई पर नहीं। वैसे ही आज के दौर में विश्व व्यापी मंदी है और हमारे देश में भी मंदी का दौर है। लगातार उद्योग-धंधे बंद हो रहे हैं और लोगों का पलायन हो रहा है। इस तरह से इन बातों का असर देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ा है। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जो छोटे-छोटे उद्योग-धंधे बंद पड़े हैं, लोगों का पलायन हो रहा है, वे घरों में बैठे हैं। पैसा लेने के लिए एटीएम के बाहर लम्बी-लम्बी कतारें लगी हैं। एटीएम के बाहर लाइनों में लगे करीब 125 लोगों की मृत्यु हुई है। मृत लोगों के परिवार वालों को कुछ न कुछ मुआवजा देने की जरूरत है। कैशलेस की व्यवस्था की बात प्रधानमंत्री जी ने भी कही है। मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन कैशलेस की व्यवस्था आज पूरी तरह से संभव नहीं है। गांव में एटीएम नहीं हैं, गांव में बैंक नहीं हैं, कई चीजों का सवाल है। जिस तरह से एटीएम में पैसे की कमी के कारण लाइन लगी, लोगों की मृत्यु हुई, उसी तरह से आप कैशलेस की व्यवस्था करेंगे, तो निश्चित रूप से गांव के इलाकों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): Sir, we appreciate any step taken by any Government to curb, to unearth black money. Let me remind them the words of the Father of the Nation Mahatma Gandhiji who had said:

> "Recall the face of the poorest and the weakest you have seen in your life and ask yourself if the step you contemplate is going to be of any help to him."

Before taking up any step, they should ask themselves whether it is going to help the poor or not. I would just want to ask the BJP Government one question. By taking up this policy of demonetization, show me one poor person or a common man who has been benefited by it. Now, if we go by the statistics provided by the NITI Aayog, the gap between the poor and the rich is widening. During 2000, one per cent of the population had 37 per cent of the wealth of the country. It has increased to 49 per cent during 2014. That means, about two per cent to three per cent of the population has or had the chance of having the black money or the unaccounted money. To curb that unaccounted money or the black money of the two to three per cent of the population, they have put the 97 per cent of the population into difficulty.

As you know, the nine transactions out of ten in India, whether in rural area or in a metro, is through cash. A policy which is implementing a cashless society or transactions through a debit card or credit card or e-payment, is going to be difficult overnight. I am not going into the difficulties faced by the farmers, labourers and also the common man. All this has been discussed for the last three months. The major objective of the Government is to have a cashless society. It would mean that transactions would be through bank instrument or debit card or credit card or plastic money. The main intention is also to carry a very little liquid cash. If that is the intention, why has the Government printed Rs.2000 notes? If you carry a Rs.2000 notes, you can easily carry Rs.50,000 in your hands. If you have to carry those many notes of Rs.100, Rs.500 or Rs.1000, your pocket will

become bulky. So, the Government is talking about a cashless society but it is helping the rich people carry more money in their pockets.

The NRIs come home once a year or once in two years. They might be in possession of some old notes of Rs.500 or Rs.1000. The NRIs from Kerala coming home are being asked to exchange their old notes at RBI Madras and other places but not in Kerala. There is an RBI office in Trivandrum but it has not been allowed to exchange old notes. I would request the Government to change that.

As regards the usage of credit and debit cards, by way of levying service charge you are giving more money to the bankers. You are actually indirectly looting the poor people by asking them to use credit and debit cards more and more and thereby making them pay service charge. The Government has to take care of these things when it goes ahead with this decision.

Thank you, Sir.

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे स्पैसिफाइड बैंक नोट्स (सिसेशन ऑफ लाइबिलिटीज़) बिल, 2017 पर बोलने का मौका दिया। मुझे नहीं लगता कि इस देश के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, जो काले धन के नाम पर इस पूरे प्रोसेस का विरोध करेगा। जहाँ इस देश की 94 प्रतिशत आबादी आज कैश में ट्रांजैक्शन करती है, वहाँ 86 परसैंट करन्सी जो मार्केट के अंदर थी, उसको सरकार ने एक ऑर्डीनैण्स के माध्यम से बंद कर दिया। यह साफ तौर पर यह साबित करता है कि, सरकार को इस सदन पर विश्वास नहीं था। आप खुद उठाकर देखिए कि आठ तारीख को प्रधानमंत्री ने इस देश में डीमॉनीटाइजेशन अनाउंस किया। उसके आठ दिन बाद ही लोकसभा का विंटर सेशन था। अगर सरकार चाहती तो यह जो बिल वह आज यहाँ लाई है, यह विंटर सेशन का पहला बिल होता और इस सदन की सहमति से हम उस बिल को पारित करते, मगर सरकार की यह मंशा थी कि इससे सीक्रेसी लीक होती और कहीं न कहीं जो काले धन को स्टोर कर के रखने वाले लोग है, वे अपने उस पैसे को ठिकाने लगाते।

सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने इकोनौमिक सर्वे - 2017 इस सदन में रखा। इसमें सरकार कहती है कि जी.डी.पी. की ग्रोथ स्लो हुई है, किसानों को दिक्कत आई है और प्राइवेट सैक्टर की वैल्थ

डिक्लाइन हुई है, जबकि इकोनौमिक सर्वे इनका ही डॉक्युमैण्ट है। आज सरकार खुद कह रही है कि उसने इस देश के अंदर इतनी दिक्कतें देखी हैं, जिनकी वजह से आज इकोनौमी को नुकसान हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि आर.बी.आई. की जो लास्ट अपडेट थी, वह बता रही है कि साढ़े बारह लाख करोड़ रुपया हमारे बैंकों में आया। सुबह जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आर.बी.आई. के नोटिफिकेशन में 150 नए ऑलट्रेशन किए गए हैं, तो आर.बी.आई. को इस देश को यह भी बताना चाहिए था कि 50 दिनों के बाद कितना पैसा उनके खातों में आया है। रिपोर्ट्स तो चौदह लाख छियासी हजार करोड़ रुपए की जगह पंद्रह लाख प्लस पैसा बता रही हैं। सरकार कहती थी कि .23 परसैंट करन्सी फेक है। सरकार को यह तो बताना चाहिए था कि उसने इस देश में डीमॉनीटाइजेशन के बाद कितनी नकली करन्सी पकड़ने का काम किया है।

सभापति महोदय, अब मैं आपको डिजीटलाइजेशन के संबंध में बताना चाहूँगा। आज इस देश के अंदर लगभग 35 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है। 27 परसैंट आबादी वह है, जिसको इंटरनैट के बारे में कुछ नहीं पता है। गाँवों में 93 परसैंट वे लोग है, जिन्होंने आज तक किसी तरह का डिजिटल सोर्स इस्तेमाल नहीं किया है। आप बताइए कि इन 50 दिनों के अंदर ऐसे लोगों को कितनी दिक्कतें आई होंगी।

मैं आपके सामने एक आँकड़ा रखूँगा। मैं अपने संसदीय क्षेत्र हिसार की बात कहता हूँ। वहाँ टोटल एटीएम्स में से रूरल सेक्टर में 126 एटीएम्स हैं। वहाँ पर 21 लाख 77 हजार टोटल एकाऊंट होल्डर हैं, यह मुझे बैंक मैनेजर ने बताया है। जिन लोगों को डेबिट काड्‌र्स इश्यु किये गये हैं, उनकी संख्या 12 लाख है। उनमें से 10 पर्सेंट ऐसे लोग हैं, जिन्होंने आज तक अपना डेबिट कार्ड और ऑनलाइन एकाऊंट यूज़ करके देखा होगा। यह जरूर एक एप्रिसिएबल स्टेप है कि आज लोगों को सिखाने का काम कर रहे हैं कि आप डिजिटलाइजेशन की ओर जाइए। बुजुर्ग लोग, जिनको वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए भी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, क्या आपके अधिकारी उन तक पहुँच कर डिजिटलाइजेशन का मतलब सिखाने का काम कर रहे हैंi

सभापति जी, मैं एक उदाहरण दूँगा। वित्त मंत्री जी भी यहाँ पर बैठे हैं। मैंने उनको लगातार पत्र लिखा कि मेरे आदर्श ग्राम मखण्ड में एक बैंक-ब्रांच खोल दें। आप उन लोगों के बारे में सोचिए, जो 50 दिनों में छः किलोमीटर दूर जाकर अपने पैसे बदलवाकर आए।

झज्ज़र जिले में एक गांव- दुल्हेड़ा है। वहाँ पर नौ गांवों के लिए एक बैंक की ब्रांच है। मैंने मैनेजर से बात की, तो वह कहता है कि हमारा जो चेस्ट है, वह इस ब्रांच के लिए तीन लाख रुपये डेली देता है। सिर्फ तीन लाख रुपये। नौ गांवों की कुल आबादी 25 हजार से ज्यादा है। उस हिसाब से एक आदमी के हिस्से में दो हजार रुपये भी नहीं आते हैं।

माननीय सभापति : Shri Dushyant ji, Please conclude now.

श्री दुष्यंत चौटाला: क्या इस तरह से हम इस देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि देश के अंदर एक लाख से ज्यादा गांव हैं।

माननीय सभापति : Please conclude now.

श्री दुष्यंत चौटाला : सभापति महोदय, मैं एक लाइन में अपनी बात कहकर समाप्त करूँगा।

माननीय सभापति : ठीक है, कृपया आप एक लाइन में अपनी बात समाप्त करें।

श्री दुष्यंत चौटाला: सरकार को अब कदम उठाना चाहिए कि ग्रामीण लेवल पर डिजिटाइजेशन से ज्यादा बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रांग करे। यह एप्रिसिएबल है कि आपने पोस्ट ऑफिसेज़ को भी बैंक्स का रूप दिया है। ऐसे और इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो वेस्ट हो रहे हैं, उनको भी आप बैंकिंग सेक्टर में शामिल कर इसे आगे ले जाने का काम करें।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): माननीय सभापति महोदय, हर सरकार और प्रधानमंत्री चाहता है कि वह देश में एक ऐसी विरासत छोड़कर जाए ताकि भविष्य में उनको याद किया जाए। आज मैं यह कहना चाहता हूँ कि डिमोनेटाइजेशन इस सरकार की एक ऐतिहासिक भूल है। आज सुबह प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत सोच-समझकर डिमोनेटाइजेशन का निर्णय लिया, समय का अध्ययन करते हुए लिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि वह किस प्रकार का अध्ययन थाi जब गांवों में दो वर्षों तक सूखा था, जब सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, जब किसानों को उचित एमएसपी नहीं मिल रहा है, तो एक व्यक्ति के निर्णय ने देश में ऐसा प्रभाव छोड़ा, जिससे 125 लोग मर गये, जिसके कारण जीडीपी में एक पर्सेंट की गिरावट आयी। आज हम देख रहे हैं कि जो युवा प्रधानमंत्री के उस सपने को याद कर रहा था कि हर वर्ष दो करोड़ की संख्या में नौकरियाँ मिलेंगी, आज वह युवा मनरेगा की लाइन में खड़ा है। आज इस सरकार के इस अहंकारी निर्णय ने इस देश को डुबाया है। सरकार के पास भी यह जानकारी थी कि यदि डिमोनेटाइजेशन को लागू करना कितना मुश्किल है।

सरकार के पास वर्ष 2012 की सीबीडीटी की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में वर्ष 1946 और वर्ष 1978 की मुद्रा नीति का अध्ययन किया गया था और उस समय सरकार की रिपोर्ट में भी लिखा गया है कि उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने एक पब्लिक लेक्चर में कहा था कि डिमोनेटाइजेशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिन लोगों के पास बड़ी मात्रा में कालाधन है, उनको वे छोटे-छोटे रकम में बदलकर सिस्टम में डाल देंगे। आईटी डिपार्टमेंट में अभी उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ये सारी जानकारियाँ होने के बावजूद आपने क्या तैयारी कीi आपके विद्वानों ने आपको जानकारी दी कि पिछले दो बार हुए डिमोनेटाइजेशन से फायदा नहीं हुआ। आपके ही पूर्व आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि लोग छोटी-छोटी रकम में इसे तोड़कर डाल देंगे। इससे अर्थव्यवस्था खराब होगी। इसके बावजूद आपने क्या तैयारी कीi यह सरकार कहती है कि थोड़ी पीड़ा तो होनी चाहिए, थोड़ा दर्द तो सहना चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि देश का गरीब ही बली का बकरा क्यों बनेi यदि किसी को बार-बार पीड़ा सहनी पड़ी, तो सिर्फ देश के किसानों, गरीबों और नौजवानों को ही क्यों सहनी पड़ी, जो दो वर्षों से सूखे से ग्रस्त है, प्रत्येक वर्ष दो करोड़ नौकरियों का जिसका सपना पूरा नहीं हुआi

यदि आज उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की बात करें, जहाँ पर चार करोड़ की आबादी है, वहाँ पर केवल 90 एटीएम हैं, तो उस उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में डिजिटल इंडिया कहाँ से आएगाi आज लोगों का विश्वास उठ चुका है और खासकर आर.बी.आई. से। आर.बीआई. और सरकार के बीच में हमेशा एक ऐसा संबंध होता है, जिसमें थोड़ा विचार-विमर्श में डिफ्रेंस होता है और यह डिफ्रेंस ऑफ ओपीनियन अच्छी बात है। पहले भी सरकार ने आर.बी.आई. गवर्नर द्वारा कोशिश की थी कि रेट को कम कर दें, ताकि बैंक का इन्ट्रेस्ट रेट कम

हो जाए, लेकिन आर.बी.आई ने स्वतंत्र रूप से सोच-समझकर सरकार की बात नहीं सुनी। मैं यह नहीं कह रहा कि यह सरकार या उस समय आर.बी.आई. के गवर्नर गलत थे, लेकिन यह बात सही है कि अगर आर.बी.आई. स्वतंत्र रहे तो भारत की इकोनॉमिक व्यवस्था ठीक रहेगी, लेकिन आज की इस सरकार ने जिस प्रवक से आर.बी.आई. के हाथ को मरोड़कर यह नोटिफिकेशन लायी है, वह गलत है

आज लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम संविधान को हम सम्मान दे रहे हैं। संविधान के आर्टिकल 19 में लिखा है कि सरकार ऐसा कोई भी निर्णय नहीं ले सकती, जिससे फेण्डामेंटल राइट 19(1) डी, राइट टू मूवमेन्ट, 19(1) जी राइट टू ट्रेड, आर्टिकल 21 लाइवलिहुड, ये फेण्डामेंटल राइट्स हैं तो सरकार ने आज कौन से नियम द्वारा इन फेण्डामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया हैi आज लोग शहर से नौकरी छोड़कर अपने गाँव वापस जा रहे हैं।

आज मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि कौन से नोटिफिकेशन के द्वारा, उन्होंने देश के गरीब के पैसे पर ही लिमिट तय कर दी। जो लिमिट कभी 4000 रुपये से 4500 रुपये, फिर कभी 10000 रुपये, फिर वापस 2000 रुपये, तो ये किस प्रकार की सर्जरी कर रहे हैं। यह सर्जरी वह सर्जरी है, जब मरीज हॉस्पिटल में जाता है कहता है कि अपेन्डिक्स की सर्जरी करानी है और डॉक्टर गलती से अपेन्डिक्स की जगह पूरे हार्ट की सर्जरी कर देता है। आज इस प्रकार की सर्जरी इन्होंने की है। बात काले धन की थी, बात अमीर लोगों की थी, जिन लोगों के पास कालाधन है, लेकन इसमें पीड़ा हमारे गाँव के गरीब को हुई, गाँव के युवाओं को हुई, मध्यम वर्ग को हुई। उन्होंने क्या सोचा था कि अभी जेटली साहब हमारा पैसा ले रहे हैं, पर बजट में कुछ मिलेगा। बजट में सरकार एक ऐसी सोशल वैल्फेयर स्कीम लाएगी, जिससे कुछ मिलेगा, लेकिन बजट में क्या आया। बजट में ऐसे लोगों को सामाजिक कल्याण से इन्होंने खुश किया है।

माननीय सभापति : गौरव जी अब आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री गौरव गोगोई : सर, अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। आपका सम्मान करते हुए कि आपने मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दी, एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि लोग यहां पर महाभारत की बहुत कथाएं बार-बार कहते हैं। महाभारत में एक कथा थी। एक व्यक्ति थे धृतराष्ट्र, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, तब धृतराष्ट्र को पता था कि अन्याय हो रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आज भी इस सरकार को पता है कि 125 लोग मरे हैं, उनके परिवार ने कुछ खोया है। आज किसान का टमाटर सड़क पर है, लेकिन यह सरकार सुन नहीं रही है। अपनी पब्लिसिटी के लिए अपनी पीट को इतनी जोर से थपथपा रही है कि लोगों का दर्द नहीं सह रही है, इसीलिए मैं इस तुगलकशाही सरकार से कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की आवाज को सुनने की आदत डालो,

माननीय सभापति : श्री राजेश रंजन जी।

श्री गौरव गोगोई: लोगों की पीड़ा और लोगों के दर्द को सुनने की आदत डालो। आज जहां आपको इस देश को आगे लेकर जाना था, आपको एक ऐतिहासिक मैन्डेट मिला था, इस ऐतिहासिक मैन्डेट को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके सांसद भी जानते हैं, यू.पी. में भी आपके सांसद जानते हैं कि डीमॉनीटाइजेशन का क्या प्रभाव है।

माननीय सभापति : श्री राजेश रंजन जी प्लीज कन्टिन्यू।

श्री गौरव गोगोई: मैं आपके सांसदों से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता के आप प्रतिनिधि हैं। अगर आपकी सरकार ने कुछ गलत कदम उठाया है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : गौरव जी आगे की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति महोदय, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझको जानने के लिए नरेन्द्र मोदी जी को पहले जानना होगा। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से उनके बारे में अमर्त्य सेन साहब, रघुराम राजन जी, गोविन्दाचार्य जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी, मनमोहन सिंह जी, अरविन्द जी इस तरह से दुनिया के कोई भी अर्थशास्त्री अभी तक नरेन्द्र मोदी जी को क्यों नहीं जान सके, यहाँ तक कि ... *ने स्पष्ट रूप से अपने बयान में कहा कि गरीबी पर सबसे बड़ी चोट है यह नोटबंदी, यह ... * ने खुद अपने बयान में कहा और नरेन्द्र मोदी जी को...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री राजेश रंजन : पेपर में है, वह मैं आपको पढ़ा दूंगा। दुनिया जानती है।...(व्यवधान) मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बाबासाहेब अम्बेडकर जी या अन्य लोगों ने...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No cross talks please.

… (*Interruptions*)

श्री निशिकान्त दुबे: सभापति महोदय, इन्होंने राष्ट्रपति जी के बारे में जो कहा है, उसे एक्सपंज करना पड़ेगा। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I will examine it.

… (*Interruptions*)

श्री निशिकान्त दुबे: रूल 352 के अनुसार वह राष्ट्रपति जी का नाम नहीं ले सकते। वह डिबेट को इनफ्लुएंस नहीं कर सकते, यह रुल 352 कहता है।

HON. CHAIRPERSON: I will examine it and take a decision. Please sit down.

… (*Interruptions*)

श्री राजेश रंजन : महोदय, मेरा कहना है कि क्या प्रधान मंत्री जी को सिर्फ सहवाग समझ पाये, क्या प्रधान मंत्री जी को सिर्फ फिल्मिस्तान के कलाकार समझ पाये? इस दुनिया के सभी अर्थशास्त्री और क्या रघुराम राजन जी हमारे वित्त मंत्री जी के सबसे नजदीकी नहीं थे। क्या डा.मनमोहन सिंह के पास वित्त मंत्री जी नहीं जाते थे, उन्होंने क्यों नहीं समझा। मेरा कहना यह है कि बाबासाहेब अम्बेडकर ने छोटी करेंसी की वकालत की थी। पांच सौ और हजार रुपये के नोट से नीचे के छोटे नोट लाने और दस सालों में करेंसी को चेंज करने की बात कही थी। क्या आपने कभी इस बात पर चर्चा की कि देश में दो हजार रुपये का नोट लाने की आपको क्या आवश्यकता महसूस हुई? जब बाबासाहेब अम्बेडकर, जयप्रकाश जी या लोहिया जी जैसे व्यक्तियों ने छोटी करेंसी को आम आदमी की जरूरत बताया था तो उसे क्यों नहीं अपनाया गया?

---

* Expunged as ordered by the Chair.

इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष कमजोर था, जैसा इन्होंने कहा कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो सब देखते रहे, लेकिन कृष्ण उसकी लाज बचाने के लिए आए थे। लेकिन आज जब देश में चीरहरण हुआ तो कोई कृष्ण नहीं था, इसलिए महाभारत नहीं हुआ, यदि कोई कृष्ण पैदा हुआ होता तो भारत में दोबारा महाभारत होता, क्योंकि विपक्ष में कोई कृष्ण नहीं था।

दूसरी बात वित्त मंत्री जी मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे जानना चाहूंगा कि फेक करेंसी के बारे में आपका क्या कहना है। जो फेक करेंसी लोगों ने जमा कर दी, जिसे मशीन से चैक नहीं किया गया, जिसकी आपने जांच नहीं की, यदि आप आज जांच करेंगे तो जो पैसा जमा किया जा चुका है, उसका कुछ नहीं होना है। यह फेक करेंसी या तो आप जलायेंगे तो देश का घाटा होगा। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, इस बारे में आपने कुछ नहीं कहा। पेटीएम के बाद यदि आपने छः महीने में अपना एप बना लिया होता। पेटीएम जैसे एप के द्वारा जो दुनिया में भारत के पैसे को भेज रहे हैं, यदि वह न किया होता तो आज भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति कुछ और होती।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आठ नवम्बर की रात को पूरे देश के उद्योगपतियों ने क्या किया, जिनकी कंपनियों में दो सौ, तीन सौ या चार सौ मजदूर थे, उन्हें हजार मजदूर दिखाकर छः महीने का एडवांस मनी दे दिया, जिससे आठ लाख करोड़ रुपये का घाटा हुआ, आप उसकी जांच कैसे करेंगे।

इसके अलावा जो म्युचुअल स्टाक सील कर दिया गया, सामान उनके घर में रह गया और टोटल पैसे का 30-35 परसैन्ट लेकर पूरे ब्लैक मनी को व्हाइट किया गया, इसके बारे में आप इस दुनिया को क्या बतायेंगे कि यह कैसे होगा। मेरा कहना यह है कि आपने नोटबंदी की, निश्चित रूप से क्रांति की।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

… (*Interruptions*)

श्री राजेश रंजन : वित्त मंत्री जी, मेरा आपसे दो आग्रह है कि इस नोटबंदी के पहले यदि आपने इस राजनीतिक सिस्टम पर चोट की होती, जो हो सकता है आपके मन में होगा, हो सकता है कि प्रधान मंत्री जी ऐसा आगे करें या न करें, मैं नहीं जानता। आज सबसे ज्यादा ब्लैक मनी कहां है, सबसे ज्यादा ब्लैक मनी चुनाव के सिस्टम में होता है। क्या हमारी रैली कैशलैस हो रही हैं, क्या ढाई लाख रुपये में कहीं कोई शादी हो सकती है? वित्त मंत्री जी मैं आपसे दिल से पूछना चाहता हूं कि क्या वर्ल्ड में कोई शादी इतने पैसे में हो सकती है?

इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि जो रैली दो सौ, तीन सौ और चार सौ लोगों की हो रही है, क्या यह सही है, आज डालर में वोट खरीदे जाते हैं, क्या यह सही है? मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बेनामी सम्पत्ति का मतलब सिर्फ सोना, चांदी या जवाहरात नहीं है। बेनामी सम्पत्ति का मतलब एजूकेशन माफिया,

मैडिकल माफिया, धर्मगुरू, बड़े-बड़े पदाधिकारी और पोलिटीकल सिस्टम में सबसे ज्यादा करप्शन है, उसे आप कैसे कंट्रोल करेंगे?...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Now, Adv. Joice George.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Only Adv. Joice George's speech will go on record.

…(Interruptions)… *

* Not recorded.

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Sir, much has been said about demonetization and its affects on the people. The most affected people are the poor people, the plantation labourers and the agricultural labourers. The poor people are at the receiving end. I do not want to elaborate on this issue as much has been said about all these things. I will only confine to one point regarding its impact on the cooperative movement in Kerala and of course, all over India.

As you know, through a Constitution amendment, all the cooperative societies have been conferred constitutional status. But, in spite of that, by this denotification and the subsequent notifications issued for the purpose of implementing this demonetization, the right of cooperative societies has been taken away. The central cooperative societies and the district cooperative banks have been recognized under the RBI Act. The District cooperative banks and cooperative societies have licence to operate under the RBI also. They are all functioning under the licence of cooperative banks. But, despite all these legal constitutional recognition, these district cooperative banks were banned from transactions after demonetization. Due to that, cooperative banks are at the receiving end and they are suffering and struggling for their survival and existence also.

I urge upon the hon. Finance Minister to consider these aspects and lift a ban on district cooperative banks and primary cooperative banks and permit them to do banking transactions as permitted under the law.

Finally, for whom is this digitalization? Of course, this is not for the poor. This is not for plantation labourers and agricultural labourers. This is not for the downtrodden and the marginalised. This is only for helping the corporate, those who are the violators. With this, I conclude.

वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : सभापति महोदय, इस अध्यादेश और बिल के संबंध में सभी राजनैतिक दलों के माननीय सांसदों ने अपने विचार रखे हैं। मैं उन सब का आभारी हूँ। कायदे से तो यह चर्चा पिछले सत्र में होनी चाहिए थी। लेकिन इस बिल के माध्यम से इस सदन को यह चर्चा करने का अवसर मिला है। यह लोकतंत्र के लिए और चर्चा की दृष्टि से सदन के लिए भी एक अच्छा कदम है। डीमॉनिटाइज़ेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके लाभ क्या हैं, कुछ लोगों ने कहा है कि उसकी तकलीफ क्या है, इन सभी विषयों पर उत्तर के दौरान मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पूर्व श्री प्रेमचन्द्रन और श्री शशि थारूर ने कुछ कानूनी विषय इस संदर्भ में उठाए हैं। उनका कहना यह है कि सरकार पहले एक नोटिफिकेशन ले कर आई, आज ऑर्डिनेंस या बिल ले कर आ रही है और यह प्रक्रिया कानून के विपरीत है।

यह सच है कि इस देश में डीमॉनिटाइज़ेशन का यह तीसरा उदाहरण है। सन् 1946 में जब हुआ था, तब ब्रिटिश हुकूमत थी। वह डीमॉनिटाईज़ेशन इसलिए सफल नहीं हुआ कि उसमें कुछ अपवाद कर दिए गए थे। जो उस वक्त रॉयल्टीज़ थे, उनके पास जो करंसी थी, उनके संबंध में। कई लोगों ने, जो उनके पास साधन थे, उस रास्ते के माध्यम से अवैध को वैध करने का प्रयास किया। सन् 1978 के साथ तुलना की जाती है, तब भी ऑर्डिनेंस लाया गया था। सन् 1978 में और सन् 2016 में बुनियादी अंतर है। सन् 1978 में जो हाई डिनॉमिनेशन करंसी थी, वह केवल 80 करोड़ रूपये ही थी। जब मोरारजी भाई की सरकार ने यह निर्णय किया, तो वह निर्णय केवल 80 करोड़ रूपये को डीमॉनिटाइज़ करने की दृष्टि से किया गया था। उस डीमॉनिटाइज़ेशन में फिज़िकल डिपॉसिट होता था, उसकी तसवीरें भी आज मौज़ूद हैं। लगभग 20% फीसदी करंसी वापस नहीं आई थी। उस वक्त करंसी की जो दर थी, जो हाई डिनॉमिनेशनल थी, वह दस हज़ार रूपये का नोट तक होता था और जब भी उसका ट्रांस्ज़ैक्शन करना होता था नोट के पीछे हस्ताक्षर करने होते थे। इस बार सरकार ने 08 नवंबर, 2016 को जो कदम उठाया है, वह सैक्शन - 26(2) के तहत यह ऑर्डर पास हुआ था।

Since Mr. Premachandran raised this question, I will just briefly touch upon this in English so that he is able to follow it. I respectfully completely disagree with his interpretation. His interpretation is based on not reading two phrases in Section 26. He makes out a case that under Section 26(1), every bank note shall be a legal tender and the Government of India will guarantee it. He further says that therefore what you have done under a notification could not undo this absolute character of Section 26(1).

If you turn back to Section 26(1), it starts with the most crucial phrase:

> "Subject to provisions of sub-section (2), every bank note shall be a legal tender at a place in India and in payment or on account of amount expressed therein and shall be guaranteed by the Government of India."

So the crucial words are that Section 26(1) is subject to the provisions of Section 26(2). When it is subject to the provisions of Section 26(2), the provisions of Section 26(2) will prevail. Section 26(2) itself says:

> "On the recommendations of the Central Board, the Central Government may by notification in the Gazette of India declare with effect from such date as may be specified that any series of bank notes of any denomination shall cease to be a legal tender."

So if after receiving the recommendation of the Central Bank, the Government of India decides that a currency ceases to be a legal tender. Then that cessation of legal tender is an order that can be passed under Section 26(2) and to that extent, 26(2) will prevail over Section 26(1) because Section 26(1) is subject to the provisions of Section 26(2).

On the 8th of November, 2016, after receiving the recommendation of the Reserve Bank of India Central Board, the Government of India through a decision of the Union Cabinet took a decision that high denominational currency of Rs. 500 and Rs. 1000 shall cease to be a legal tender. Now this cessation took place on the 8th of November and a facility was given. It is because when it ceases to be a legal tender, you cannot transact in it except to the limitation provided which I will deal with separately which is the second argument of Mr. Premachandran. So it ceases to be a legal tender and you cannot go and buy goods. You cannot hire services as far as this high denominational currency is concerned.

But then the liability of the Reserve Bank to pay on demand continued to remain. The guarantee of the Government of India that the Reserve Bank will pay you will continue to remain. That is why, with effect from 10th of November, 2016 -- 9th being a holiday – people queued up to bank to deposit this currency in their accounts so that they could get exactly the same credit in their accounts for

the amounts of currency that they deposited. Now this facility of deposit was granted till the 30th of December, 2016.

Post 30th of December, 2016, what happens to this order of cessation? Now this limited facility in the grace period continues and the Reserve Bank had to announce on such terms and conditions which they announced that people who were not in India either NRIs or residents of India who had gone outside the country, they will be given a guarantee period. Now there would be some currency which is left over. No economy in the world survives with that ceased currency to operate in the market.

So, when Prof. Saugata Roy asks as to what is the harm if I keep large quantities of demonetised notes with me, the harm is that if we went by your suggestion, it would be anarchic in character because India would then have a non-legal tendered currency parallely operating in the market. And no economy in the world allows possession of a parallel economy or a parallel currency which can operate in the market. That is why, the only currency which can operate in the market is the currency which the Reserve Bank of India has authorised.

Therefore, once that grace period is over, this currency which is left over then has to cease to exist. That is the reason why this Ordinance is brought in where the first limb of the Ordinance is that on the high denominational currency now, the liability of the Reserve Bank will cease to exist. Consequently, under Section 26(1) when the liabilities cease to exist, the guarantee given by the Government of India will also cease to exist. That is the first purpose of this Ordinance.

This Ordinance, therefore, let alone being in conflict with the 8th November notification, is a natural corollary or a consequence in a series of events which is to follow.

The third limb is about the possession of this currency except to the extent it is permitted for some antique value, or for some Collector or for some historical or scientific research. That currency, only in those numbers like five or ten notes,

are permitted to be kept. Possession of the rest will be an offence for which you can be penalised because if you keep large quantities, then you are allowing the existence of a parallel currency in the currency market which is something which cannot be allowed.

The second legal argument which is raised is, once it ceases to be a legal tender, then in the month of November, how did you allow the ceased currency to operate for various goods or services like medicines or payment at hospitals and railway stations, and under what power did you do it as it has ceased to be a legal tender. There again, Shri Premachandran does not read the whole Section 26(2). Section 26 (2) says that it shall cease to be a legal tender. Then there is a subsequent amendment to the law which was brought in 1951 to the Reserve Bank of India Act, 1934 which says: "Save at such office or agency of the bank and to such extent as may be specified in the notification."

So, the extent to which it ceases to be a legal tender under Section 26(2) can also be specified in the notification and that is why, the second notification which you referred to says that this cessation of legal tender has taken place except to the extent that for hospitals or for paying your toll or for buying medicines or specified purposes like payment at railway stations, and you can use it upto a specified date. This variation is something which is permissible in Section 26(2).

So, with respect of Shri Premachandran, his two legal submissions are completely based on ignoring the existence of two phrases. First, it is subject to the provisions of sub-section (ii) in Section 26(1) and second, it is to the extent as may be specified for the extent of cessation of a legal tender itself can be specified.

Sir, the third legal argument is what Shri Shashi Tharoor raised. I have heard it from various spokespersons of the Congress Party. Shri Tharoor's argument is that there is no provision in the RBI Act and that this is my money, it is my bank account, how can I be restrained and where is the power under the RBI Act to have a graded restraint which gradually has been relaxed from time to time.

This power of the Reserve Bank is contained in Section 35 (A) of the Banking Regulation Act, 1949. Shri Tharoor is not present here. Somebody may inform him so that he does not use this argument again. Section 35 (A) says: "Power of the Reserve Bank to give directions – where the Reserve Bank is satisfied in public interest, in the interest of banking policy or to prevent affairs of a bank being conducted in any such manner or to secure proper management, etc. it is necessary to issue directions to banking companies, generally or to any banking company in particular, it may from time to time issue such directions as it deems fit and the banking companies or the banking company as the case may be shall be bound to comply with these directions."

So, in case it is in public interest, this could be a general direction to all banks, it could be in the interest of banking policy, it could be in relation to a particular bank when its activities are prejudicial to the conduct of business. Let us forget demonetisation. Suppose a particular bank is sinking and there is a run on that bank, the Reserve Bank under Section 35 (A) passes directions so that to prevent the run on the bank that this is the limited nature of withdrawals that can be made during one month or two months. Such innumerable directions have been issued. … (*Interruptions*) It has been done in dozens of cases. I cannot understand why this argument is being raised for the last three months when a clear power under Section 35 (A) is there.

Now, how did the system operate in this case? India is a unique example and that is why I respectfully disagree with the large number of economists. Those economists have all survived and built their models on the basis of societies, firstly which are tax compliant; secondly of societies where the percentage of cash currency in relation to the GDP is extremely limited, where the percentage of high denominational currency is very modest.

India is one example where high denominational currency is 86 per cent of the total currency. And 86 per cent of the total currency being high

denominational, that is Rs. 500 and Rs. 1,000 notes, is something exceptional. It does not compare with comparable models anywhere in the world.

Secondly, you have economies between two to six per cent of their GDP is the paper currency. India is amongst the highest in the world where the ratio of paper currency to the GDP is 12.2 per cent.

Thirdly, when Member after Member speaks on the virtues of cash currency – I must say this is a great disappointment – that in 2017 where technology is taking the world in one direction, we are still giving virtues of dealing in cash and dealing excessively in cash. Cash has a lot of vices. Parents will always check a little child from dealing too much in cash because we know that cash has its vices.

Let us not forget that any cash economy where a lot of cash operates in the system, the first thing that happens is that cash is anonymous. So, nobody knows whose cash is being transacted in the economy.

I think Shri Rajesh Ranjan made a valid point जब उन्होंने कहा कि राजनीति में कौन-सा पैसा आ रहा है। वे ठीक कह रहे थे। आज इस देश की क्या व्यवस्था रही हैं। व्यवस्था यह रही है कि अगर मुझे जाकर सम्पत्ति खरीदनी है तो एक स्वाभाविक आचरण था कि इतना कैश में दीजिए, इतना चेक में दीजिए। अगर मेरा व्यवसाय है तो इतना कच्चे में होगा और इतना पक्के में होगा।

20.00 hours

चुनाव के लिए पैसा लेने जाएंगे तो किस रंग का पैसा मिलेगा, यह वही है, जिसे अभी यादव जी ने बताया और गोगोई जी चले गए, लेकिन जब यह हो रहा था तो उन्हीं का उदाहरण ले लूं तो धृतराष्ट्र 70 साल तक देखते रहे...(व्यवधान) The Indian normal was that business and transactions are to be conducted in this manner. What does the Prime Minister do? Does he say, let me accept this normal; there are great virtues in cash. आपने कहा कि इससे गरीब को क्या लाभ होता है। The hon. Member, who spoke last asked, what is the advantage to the poor? Cash economy creates an unfair advantage against the poor because the wealthy and the tax evader gets an unjust enrichment because he has been dealing in cash. The man who deals in cash obviously does not pay taxes. When

he does not pay taxes, the State is poorer. I presented the Budget a few days ago: We have to borrow lakhs and crores of rupees: Every State Government has to borrow lakhs and crores of rupees because we indulge in deficit financing because we know the kind of taxes that the State Governments are getting and the kind of taxes that the Central Government is getting is only a miniscule fraction of what we are entitled to. That is because of cash economy, and that is because of the fact that for 70 years the very thought that you have been posing has promoted cash economy, which saw the virtues of cash economy. From property to business to lifestyles to luxury to elections, cash economy had polluted every stream of the system. ...(व्यवधान) देखिए फार्मर्स की चिंता आप मत कीजिए, फार्मर्स अपनी चिंता स्वयं कर लेंगे। आज जब आपने कहा कि किसान को बहुत नुकसान हुआ है, तो मैं आपको बतला दूं कि फार्मर्स के ऊपर तो टैक्स लगता नहीं है और कभी लगने वाला भी नहीं है। फार्मर अपना पैसा चाहे घर में रखे, चाहे जेब में रखें, चाहे बैंक में रखे, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला, इसलिए किसान के पास जो साधन थे, उसका असर नहीं हुआ, तो आपने किसान का केवल नारा बना लिया और इसका असर यह हुआ कि जब डिमॉनेटाइजेशन का असर नवंबर व दिसंबर महीने में पीक पर था तो इस साल रबी की फसल पिछले साल की तुलना में सात परसेंट ज्यादा सोइंग हो गई। How is it that the *rabi* sowing this year was seven per cent more than last year? ...(व्यवधान) नहीं-नहीं, बारिस के अलावा खाद भी चाहिए होती है, लेबर भी चाहिए होती है और बीज भी चाहिए होता है।

अध्यक्ष जी, हम एक बार इसकी व्यवस्था समझ लें। इसमें किसान का नारा मत दें, क्योंकि किसान के ऊपर टैक्स नहीं लगता है और लगने वाला भी नहीं है तो किसान का बहाना ब्लैक मनी को जस्टीफाई करने के लिए मत दीजिए। किसान के पास जो पैसा है, वह व्हाइट मनी है, क्योंकि वह टैक्स से मुक्त है और इसीलिए किसान के ऊपर इसका असर नहीं हुआ, क्योंकि किसान चाहे उसको जेब में रखे, घर में रखे, किसी अलमारी में रखे या बैंक में रखे, उसकी अर्थव्यवस्था पर इस वजह से असर नहीं होने वाला है। इसका असर उस पर होने वाला है, जिसको बैंकिंग माध्यम से अगर ट्रांजेक्शन करता है, तो टैक्स अधिक देना पड़ता है। बैंक्स के अंदर साधन अधिक आते हैं, जब बैंक्स के अंदर साधन अधिक आते है, तो बैंक्स की क्षमता उस पैसे को ऋण के रूप में देने के लिए बढ़ती है। When banks are loaded with money, the capacity of banks to lend for growth also increases. But if the money is existing outside the banking system, banks are not in that position.

जो ये डिपाजिट्स आए हैं, ये लो कॉस्ट डिपाजिट हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि इसका असर होगा। जब लेंडिंग के लिए पैसा ज्यादा आएगा, लो कॉस्ट डिपाजिट आते हैं तो थोड़ी ब्याज दर भी कम होती है। ब्याज दर कम होने से आम नागरिक को भी लाभ होता है और उद्योग को भी लाभ होता है। जब सारा ट्रांजैक्शन बैंकिंग व्यवस्था में आ गया तो राज्य को जो टैक्स मिलता है, उसकी भी संख्या बढ़ेगी, केन्द्र को जो टैक्स मिलता है, उसकी भी संख्या बढ़ेगी। इससे बेहतर आप इसका क्या उदाहरण चाहते हैं।

मेरे पास नवंबर और दिसंबर के आंकड़े आए। स्वाभाविक था कि डिमोनेटाइजेशन का असर था, कुछ क्षेत्रों में स्क्वीज़ था। हम केवल नारे के रूप में कहते रहे। Shri Shashi Tharoor spoke at length as to how tourism has declined. But curiously more people flew into the country in November and December by air as compared to the previous months. ...(व्यवधान) देखिए, कृषि की सोइंग बढ़ गई। ...(व्यवधान) एयर ट्रैवेल बढ़ गया। इस प्रकार का नारा दे देना कि फलां संस्था ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग 40 परसेंट कम हो गया, 60 परसेंट कम हो गया। मैन्युफैक्चरिंग का बेस्ट इंडेक्स क्या होता है - मैन्युफैक्चरिंग का बेस्ट इंडेक्स होता है कि एक्साइज ड्यूटी कितनी मिली। दिसंबर के महीने के राज्यों के वैट के आंकड़े मैं देख रहा था। Except two main States, in every major State – and the impact of demonetization in December was more than in November because in November some exceptions existed for old currency, in December they did not exist - why is it that in the month of December the Excise collection of the Central Government went up and the VAT collection of the States went up except two major States? West Bengal is one of them, Delhi is the other one. So, in each one of your Congress-ruled States also the VAT collections went up. But Shri Shashi Tharoor will say there was a 40 per cent and 50 per cent decline. If there was a 40 per cent decline in manufacturing, there should have been a 40 per cent decline in excise Duty collection and there should have been a corresponding decline in VAT collection.

Sir, it is true that there are sectors which can be adversely impacted. The perishables can be impacted, some luxury goods can be impacted, some items of deferred purchases can be impacted and that is a short term impact. But at the end of the day, please understand as to what is the long term object of this exercise. If you go in for a lesser cash economy, you are transacting through banks. यह गलतफहमी न रहे कि यह डिजिटल केवल अमीरों का है। चौटाला जी ने कहा कि गांव में बैंक नहीं हैं। इसी

बहाने नीति बदल रही है। ...(व्यवधान) बैंक्स की लगभग सवा लाख ब्रांचेज हैं। उसके अतिरिक्त कोई लाख-सवा लाख बैंकिंग कोरेस्पांडेंट हैं, जो गांव-गांव जाते हैं, दो लाख दस हजार एटीएम मशींस हैं। अब उसका असर आप देखिए। सरकार ने निर्णय लिया, हमने वर्ष 2015 में पेमेंट बैंक्स क्रिएट किए। पेमेंट बैंक्स के बाद हर टेलिकॉम कंपनी पेमेंट बैंक बन गई। मैं एक कंपनी के उद्घाटन कार्यक्रम में गया। उनके पांच लाख स्टोर्स ओवर नाइट पैसा रिसीव करने वाले बन जाएंगे। पोस्ट आफिसेज, जिनका काम समाप्त हो चुका था, जो खाली पड़े रहते हैं, आज एक लाख पचहत्तर हजार पोस्ट आफिसेज, जिनकी गांव-गांव तक रीच है, पांच लाख जिनके पोस्ट मैन हैं, लिटरली जिसको बैंकिंग ऐट डोर स्टेप कहते हैं, पोस्ट मैन लेकर जाएगा। एक सप्ताह पहले पोस्टल बैंक हम लोगों ने इनोगरेट कर दिया। ...(व्यवधान) जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, यहां कहा गया कि क्रैडिट कार्ड केवल अमीरों का है। मैं क्रैडिट कार्ड में नहीं जाता लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था देखिए। इस देश में हम वास्तविकता से कितना दूर हैं, कल्पना कीजिए कि बाजार में कितने कार्ड हैं।...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: तीन करोड़ हैं।...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : 75 करोड़ कार्ड हैं।...(व्यवधान)

Mr. Saugata Roy, you are behind times. There are 75 crore cards. यह बात सच है कि उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कार्ड को केवल एटीएम मशीन पर इस्तेमाल करते हैं। तीन करोड़ क्रैडिट कार्ड हैं, बाकी डैबिट काड्र्स हैं।...(व्यवधान) इसके अलावा जितने ऑल्टरनेटिव ऐप्स आए हैं, ई-वॉलेट्स आए हैं और भारतीय कम्पनियों के आए हैं, आप 'भीम' का इस्तेमाल कीजिए।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, no cross-talk, please.

श्री अरुण जेटली : इसके अलावा जो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है कि केवल दुकानदार जो ऐस्टैबलिशमैंट है, उसके पास मोबाइल के ऊपर एक इक्विपमैंट फिक्स्ड है। आप अपना आधार नम्बर लीजिए। आपका बैंक एकाउंट उसके साथ लिंक्ड होगा। वह एमाउंट लिखेगा कि कितनी पेंमैंट करनी है। आप अंगूठा लगाइए, पेमैंट ट्रांसफर हो जाएगी। यह आधार सिस्टम है जो ऑपरेट हुआ। आपको लगता है कि क्या हम समय से इतना पीछे हैं कि आज इस टेक्नोलॉजी के युग में और आधार की यह जो टेक्नोलॉजी है, दुनिया के किसी और देश में नहीं हुई। इसका पूरा प्रयोग भारत में हुआ। ...(व्यवधान)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): I fully agree with you. But let me say that… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Karunakaran, he is not yielding. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: Mr. Karunakaran, the trouble with the Marxists is that they think that the poor people will vote for them, and therefore, India must remain in poverty… (*Interruptions*)

The problem with you Marxists is that you want to celebrate poverty… (*Interruptions*) Let us be very clear… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Karunakaran, please sit down.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except the speech of the hon. Finance Minister.

…(Interruptions) … *

SHRI ARUN JAITLEY: I can assure you that you must be the only Marxist Party in the world, which is advocating the virtues of cash. No Marxist anywhere in the world would do that… (*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN: I would request you, Mr. Finance Minister. Can you say that there is any country in the world where a citizen who deposits his money, there is restriction in withdrawing his money? Can you find out any such nation?… (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: Such orders have been passed earlier also under Section 35A of the Banking Regulation in India. Let us forget any other country.

Therefore, Sir, it was necessary. During the re-monetization period, once we are clear that we have to move towards a greater digitized economy, a lesser cash economy, quantum of cash would gradually come down, India will gradually expand into a digitized economy, why can the workmen not be paid by a digitized manner? If they are paid by a digitized manner, their entitlement to social security will increase. Today, a management will pay the workmen only by cash and then save itself the onerous responsibility of social security.

* Not recorded.

You should actually have been supporting this measure, which will go a long way to help the workmen.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: इसमें दो राय नहीं है, लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि देहात में किसानों की यह समस्या है। छोटे किसान, स्मॉल, मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं। जो पेरिसेबल गुड्स लेकर जाते हैं, उनको आज भी कैश की आवश्यकता है। आप कहेंगे कि आप ब्लैक मनी रखने वालों के लिए लीड कर रहे हैं, यह बात नहीं है, यह हो सकता है कि यह आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो, लेकिन फिलहाल आपने अचानक इकोनॉमी पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है जिसे लोग फेस कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगाi जब छोटे किसान मंडी में अपना धान लेकर जाते हैं तो उनके पास सफिशिएंट पैसे सारे किसानों को देने के लिए नहीं होते। उस समय यह दिक्कत आती है। आप कहेंगे कि उसके पास ब्लैक मनी है और व्हाइट मनी है। उसकी क्या हालत होगी, आपको कोई न कोई रास्ता दिखलाना होगा।

श्री अरुण जेटली : खड़गे जी, ब्लैक मनी को जस्टिफाई करने के लिए तरह तरह के कारणों का आविष्कार न करें। मैंने पहले ही कहा किसानों का सहारा लेना बंद करें क्योंकि किसान के पास जो पैसा होता है वह व्हाइट होता है क्योंकि किसान के ऊपर टैक्स नहीं लगता, चाहे किसान कैश दे या चेक दे, उसके पास दोनों ऑप्सन है। कैश पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहा है, लेकिन प्रयास यही है कि कैश की संख्या कम हो और लोग डिजिटाइज्ड हों और चेक इकोनॉमी को अपनाए। स्कूल की फीस होती है, इसे क्यों नहीं डिजीटल से ट्रांसफर होनी चाहिए, स्कूल टीचर्स को तनख्वाह मिलती है, वेतन एक मिलता है और लिखवाया दूसरा जाता है। यह होता है कि नहीं होताi हम इस व्यवस्था को समाप्त करें। मैंने जितने भी क्षेत्र बतलाए, अगर इन क्षेत्रों में सुधार होता है तो राष्ट्रीय दल का दायित्व होता है कि उसकी मदद करे न कि कैश इकोनॉमी का गुणगान करने लग जाए और यह कहे कि इसको चलने दो क्योंकि बहुत तकलीफ हो रही है।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: How are you going to solve it? That is the problem.… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please listen to his reply.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Adhir Ranjanji, please sit down.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. Nothing will go on record except hon. Finance Minister's reply.

… (*Interruptions*)… [*]

SHRI ARUN JAITLEY: Let me clarify two or three things. This decision required a lot of courage, broad shoulders and a lot of stamina even to take the criticism. The fact that the leadership lacked and that is the reason why it has not happened for seven decades. Obviously, every leader was scared of the consequences. The consequences will only be in the short run but in the long run if India can come out of this system, you should all have been in the forefront to support this particular change because this change is morally and ethically a correct change. … (*Interruptions*)

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): That is why, we are asking for cost benefit analysis.

SHRI ARUN JAITLEY: The cost benefit analysis is, if India goes, the people who will suffer the most from this are those who manage to be evaders under the earlier system, who will now come under the tax net, those are the people who are going to be affected. It was an unjust enrichment in favour of the evader. Now, there is a fascinating argument being raised and some of the members raised it as to how much money has come in. The fact is that a lot of money has come in.… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Adhir Ranjanji, please sit down.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You are not allowed. Please sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, we made an amendment to the Income Tax Act that those who have made these deposits and will voluntarily declare it under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, will have to pay a certain amount of tax. It is obvious that after the amendment to the Income Tax Act that we made, the tax impact comes to about 60 to 65 per cent because you get 25 per cent back now and

---

[*] Not recorded.

25 per cent back at a later stage after four years. If you do not make use of that scheme until 31st of March… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No cross talking.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down; it is not fair.

… (*Interruptions*)

श्री अरुण जेटली: अगर 31 मार्च के बाद पकड़े जाएंगे तो 80-85 फीसदी टैक्स लगेगा। केवल बैंक में पैसा डाल दिया, गंगा जी का स्नान हो गया और सारा पैसा व्हाइट हो गया, इस प्रकार की सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बैंक में पैसा डालने का असर यह हुआ कि जो पैसा टैक्सेशन और बैंकिंग सिस्टम के बाहर घूमता था, आज बैंकिंग व्यवस्था में आ गया है, उस पैसे की गुमनामी समाप्त हो गई। उसका मालिक कौन था, आज पता चल गया और अब उस मालिक को टैक्स देना पड़ेगा। यह गलतफहमी मत मानिए कि जो पैसा आ गया, वह व्हाइट मनी हो गया। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

… (*Interruptions*)

श्री अरुण जेटली: अभी अधीर जी तर्क दे रहे थे, उनको जानकारी बहुत कम रहती हैं, इसलिए मैं बता दूं। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

… (*Interruptions*) … *

श्री अरुण जेटली: मैं बता दूं कि इसके तहत वह पकड़ा जाएगा, जिसका पैसा कानूनी आया है। 18 लाख ऐसे लोग एक महीने में डिटेक्ट हो गए, जिनकी इनकम प्रोफाइल और डिपोजिट मैच नहीं करता है। इससे पहले हम आईडीएस स्कीम लाए थे, जिसमें हमने कहा था कि आप 50 परसेंट डिपोजिट कीजिए, फौरन ब्लैक मनी की स्कीम लाए कि 60 परसेंट पर डिपोजिट कीजिए। अब अधीर जी कह रहे हैं कि आपने एक सुविधा दे दी।

अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने क्या किया था। 50 परसेंट, 60 परसेंट और 85 परसेंट हमने किया है और इससे हजारों करोड़ रुपए सिस्टम में आए। 1996 में आप वीडीआईएस स्कीम लाए। मैं आज दावा करता हूं कि यह टैक्स इवेडर के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा और बोनान्जा था। 1996

* Not recorded.

की स्कीम में आपने कहा कि एसेट्स की वैल्युएशन दस साल पहले 1986 के रेट से की जाएगी और 30 परसेंट टैक्स दे दीजिए। जब 1996 में 1986 की दस साल पुरानी वैल्युएशन पर 30 परसेंट देना था तो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्सेशन आठ परसेंट बना। यह आप लोगों की योजना थी और आज आपको लगता है कि हम 60 परसेंट, 80 परसेंट ले रहे हैं तो बड़ी रियायत कर रहे हो। उस योजना में किसी ने कैश पैसा जमा नहीं कराया। उस योजना में अधिकतर डिक्लरेट्स हाउस वाइव्स और माइनर चिल्ड्रन थे। क्यों, क्योंकि उनके नाम पर जो इम्मूवेबल प्रापर्टी थी या ज्वैलरी थी, पुरानी डेट की वैल्युएशन लेकर लोगों ने टैक्स जमा करा दिया। यह आपका ट्रैक रिकार्ड था।

मैं आज आपको चुनौती देता हूं, खड़गे जी, अभी मैं बैठ जाता हूं और आप बता दीजिए कि आपकी दस साल सरकार चली, एक कदम ब्लैक मनी के खिलाफ आपकी सरकार ने उठाया हो। ...(व्यवधान) अगर एक कदम उठाया हो, तो मैं बैठकर आपको आधा घंटा सुनने को तैयार हूं। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please maintain order in the House.

… (*Interruptions*)

श्री अरुण जेटली : सभापति महोदय, वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी बनाओ, लेकिन 26 मई, 2014 तक आपने उसे नहीं बनाया । जब मोदी जी सरकार बनी, तब उसका पहला निर्णय एसआईटी बनाने का था। दूसरा निर्णय था कि हम लोगों ने, आज यह कहा गया कि इमूवबल प्रापर्टी और ऐसेट्स पर आप क्या कर रहे हैं सारा पैसा सोने और इमूवबल प्रापर्टी में हैं, तो आपने उसके खिलाफ भी कुछ नहीं किया। अब मैं बताता हूं कि हमने क्या किया हैं

Demonetization is not the only step that we have taken. We constituted the SIT. Since 1996, these Double Taxation Avoidance Treaties were under re-negotiations with Mauritius. Every time MPs, like Mr. Salim, used to say, recall the treaty. Since 1996, it was not done. In the year 2016, all the three treaties provided for a facility for round tripping and the Indian money was coming back and no tax was to be paid. The first was Mauritius, the second was Cyprus and the third was Singapore. These were the mother of all round tripping exercises. It is our Government which has withdrawn and re-written all the treaties. You did not do any step in this direction. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Nothing will go on record except the Finance Minister's reply.

...(Interruptions) ...[*]

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, we brought in a harsh black money law for foreign assets. People, who have been detected in this Panama issue, in the HSBC and Liechtenstein accounts -- each one of them has been investigated and prosecutions were launched in respect of each one of them. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Adhir Ranjan Ji, it is unfair.

… (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: Mr. Mohd. Salim, you must know the legal procedure and I think it is time for you also to rise above slogans and you are a very seasoned parliamentarian. It is because the suggestion you are making, if not implemented properly, will help the tax evader, and I will show you how. All cooperation treaties internationally have a particular clause. We have now undertaken negotiations at G-20. The G-20 has agreed, that is, 90-95 per cent of the global economy, that the information on the assets held by members of one country, citizens in another will be provided. We have signed the FATCA agreement with the US which not only applies to the US but all other countries who are signatories to FATCA that any expenditure undertaken by Indian citizens outside and vice-versa in real time will be informed. We have now entered into an agreement with Switzerland which was the mother of all secrecy wherein from 2019, the details with effect from 2018, will be provided. India and Switzerland will mutually agree with each other. So, we have entered into each one of those agreements including our earlier agreements. There is one condition and the condition is that the disclosure of identity of the account holder cannot be made at the investigation stage. It can only be made to a court when a criminal prosecution is filed. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Adhir Ranjan Ji, please sit down.

… (*Interruptions*)

[*] Not recorded.

SHRI ARUN JAITLEY: Mr. Chowdhury, do not indulge in names dropping. Just because you know five names, you are just dropping the names. What did you do in this regard? The whole country should be angry with you for not having done anything. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Adhir Ranjan Chowdhury Ji, please sit down.

SHRI ARUN JAITLEY: When a populist demand is made to disclose the names, the names can be disclosed only when the case is filed in the court. If we breach that agreement, future cooperation will stop and the tax evader will benefit. So, do not give the suggestion that without filing a prosecution in court, disclose the name. Now, I will give you an example.… (*Interruptions*) So, all names of prosecutions, which have been filed, are now in public domain. Now, I will give you an example of how the UPA functioned. When Mr. Rajiv Gandhi was the Prime Minister, they passed a law on benami property.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप कितनी बार बोलते हैं...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : वर्ष 1988 से नियम नहीं बनाए। हमने कानून बदला, नियम बनाए और उसमें पहले नोटिसिस भी चले गए।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप वर्ष 1999 से 2004 तक क्या कर रहे थें...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाएं। जेटली जी की बात के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है। आप बैठ जाएं।

…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: It is not going on record.

...(Interruptions) ...[*]

श्री अरुण जेटली : महोदय, जितने कदम इस सरकार ने उठाए हैं और नोटबंदी का भी जो कदम उठाया गया है, यह कोई सरल निर्णय नहीं था। यह विषय उठा कि आरबीआई को भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। आरबीआई के साथ जो कंसल्टेशन थी, वह फरवरी, 2016 में आरम्भ हुई। यह कोई एक दिन का निर्णय नहीं था। इसकी तैयारी भी बहुत पहले से की जानी थी। आरबीआई और भारत सरकार की सीरीज़ आफ मीटिंग्स होती थीं। एक स्टेज ऐसी आई कि सप्ताह में एक बार मीटिंग होती थी, क्योंकि इसमें गोपनीयता

[*] Not recorded.

आवश्यक थी और निर्णय लेने की एक प्रक्रिया थी। आरबीआई ने जो करेंसी अप्रूव की, वैकल्पिक करेंसी छापनी शुरू की। मई, 2016 में आरबीआई बोर्ड ने उसे रिक्मेंड किया। उसके डिजाइन्स सरकार ने और आरबीआई ने उस वक्त अप्रूव किए, इसलिए यह कदम पूर्व निर्धारित था। अब निर्णय करने के बाद 8 तारीख को घोषणा की गई, वह कानूनी प्रक्रिया थी। यह इतना सरल निर्णय नहीं था। This is the largest currency replacement anywhere in the world. Sir, 86 per cent currency is to be replaced. Everyday the RBI was injecting new currency.… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please listen now.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, everyday the RBI was injecting a certain amount of liquidity into the market. Obviously, there is bound to be a lot of rush on the first few days and thereafter it came under control. अभी शशि थरूर जी यहां नहीं हैं। The ATM operates on the size of the note, on the weight of the note and on the thickness of the note. So, his argument is, you should have brought in the same weight, the same size exactly to the nearest measure as the original currency was. Now, if the currency is different, you will have to reactivate the ATMs accordingly. It is a manual exercise. It takes some time. But I must say that the whole country patiently cooperated with us, despite the fact that such an exercise took place. The only people troubled were the Indian Opposition, not the people of India. The Opposition was confined only to Parliament and not on the streets.… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Suresh Ji, please sit down. It is not going on record. Please sit down.

…(Interruptions) …[*]

SHRI ARUN JAITLEY: Now, some fascinating figures have come in. The Government of India and the Reserve Bank can only print Rs.300 crore in a day. After all, if almost Rs.10 lakh crore has been replaced in a period of less than three months… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. Venugopal Ji, please listen.

---

[*] Not recorded.

… (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: Therefore, there have been days. … (*Interruptions*). Sir, the printing of currency notes will depend on the value of currency. If it is Rs.2000, there will be 'x' value and if it is Rs.1000, it will be a lesser value. But everyday what the Reserve Bank is printing is several thousand crores. Let us not be under the impression that we invent a 300 crore figure and then keep highlighting the fear because that is the reason why the Reserve Bank has succeeded in keeping the liquidity into the market. Slowly but surely, they have provided adequate liquidity into the market and this has been coupled also by a movement towards digitalization, which has also helped in this regard.

Sir, Mr. Shashi Tharoor relied on some part of the Economic Survey. Economic Survey is an objective document. It is prepared by the Chief Economic Advisor. The Document itself says that there would be some short term impact but in the medium term and long term it will expand the size of GDP and make Indian economy far bigger and cleaner. That is what the Economic Survey says. Like, Shri Premachandran does not read the inconvenient part of Section 26, Shri Shashi Tharoor does not read the inconvenient part of the Economic Survey and just reads the first-half of the sentence and says my whole argument is based on misreading half the sentence itself.

There have been arguments which have been raised with regard to the district cooperative banks. Some of these banks are regulated by NABARD and not by the Reserve Bank directly. Even during the demonetization period, for some period of time deposits were prohibited. But they were earlier being injected liquidity by NABARD itself so that they could carry on their operations. Now, with every restriction, which the Reserve Bank has lifted, except Rs.24,000 withdrawal a week – all other restrictions have been lifted with regard to the banking system – the same provision applies as far as the District Cooperative Banks are concerned. They have now come at par with banking system in their operations.

Sir, having said this, I do believe that there are large number of long term advantages as far as Indian economy has of demonetization. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: It is unfair. He is replying to all your questions.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

SHRI ARUN JAITLEY: The quantum of currency that RBI must have received must be very large. It is much larger than the size of the Congress Parliamentary Party, so it will take some time. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I have already explained as to why this Ordnance is necessary in order to give the legal effect to the decision. With these observations, I commend this Bill to the House for acceptance. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri N.K. Premachandran ji.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Mr. Chairman, Sir. The point which I have stated is regarding the legal impediments of demonetization. The hon. Minister has answered to my two legal points. I have read both the provisions of the Section 26-clause 1 and Section 26-clause 2.

I do partially agree with the hon. Minister in respect of the provisions of sub-Section 2. I fully concede with the hon. Minister that the legal tender character of the currency which has already been demonetized will be subject to clause 2. Definitely, clause 2 will provide it.

Then, my question is regarding the second part of clause 1 which says 'and shall be guaranteed by the Central Government'. Is it also subject to the provisions of sub-section (2)? If that be the case, why is the hon. Minister and the Government coming for a legislation so as to withdraw the guarantee of the currency demonetised by means of a notification 3407? My point is that if the guarantee of the Central Government is also subject to the provisions of sub-section (2), definitely the Government need not come with a legislation; the notification itself is sufficient. When the Government comes out with a legislation or a Bill, what does it infer? It infers that legislation is a must so as to give effect to the demonetisation process. That is the first point which I want to reiterate. I do partially agree with the part of the statement made by the hon. Minister that it is subject to the provisions. The legal tender character is okay.

Regarding the second point which I have raised, I fully agree with the saving clause incorporated by 1951 amendment. That amendment is the saving clause. It reads " ... to such extent as may be specified in the notification." The point in dispute is 'which notification'. Is it the notification 3407 or 3408?

SHRI ARUN JAITLEY: Both.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : No.

Notification 3407 is here. It says 'to the extent specified below.' There are three points. There is not stated the limited purpose of use of the demonetised

currency in notification 3407. I fully agree with the Minister that if this limited purpose of use is incorporated in notification 3407, definitely, that will have the legal validity, but unfortunately, instead of incorporating the provisions of limited purpose of use in notification 3407, a subsequent notification is issued, that is, notification 3408. I agree that it was issued on the same day. They themselves felt that they had committed a wrong because by notification 3407, they had already declared it as non-legal tender. That is why, I am raising the same question. How can a dead person be given life? Already, the life of one thousand rupee and five hundred rupee currency was already lost. That is why, my suggestion is that they should have incorporated the conditions in the notification 3407 itself.

HON. CHAIRPERSON: At the beginning itself, you have raised this point. Now, you have to ask the clarification. Please be brief.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Yes, Sir. I will be brief.

Though I am conceding to the hon. Minister regarding the first legal point which I have made, I still stand by my second point.

Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister to 'the specified period' mentioned in the Bill. I have given a notice of amendment in the morning, but it could not come because of paucity of time. My point is regarding the grace period. Clause (b) states the grace period for submission of notes. Again, it is being specified by the Government of India by means of a notification. Sir, being the Chairperson, you are the protector of the parliamentary procedure. My point is that even at this juncture, the Parliament is not having the authority to specify the period by which the legal tender character can be extended for special purposes.

HON. CHAIRPERSON: Do you want to withdraw your Resolution?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, I could not refer to other points.

Sir, the point is that the hon. Minister is saying that the entire Opposition except two parties had supported demonetisation immediately after the announcement.

HON. CHAIRPERSON: Now, it is over. Please take your seat.

Do you want to withdraw your Resolution?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, let me complete.

Sir, hon. Finance Minister says that the entire Opposition except two political parties had supported the declaration made by him. When did the opposition come? The opposition came after they came to know that this entire exercise was done without proper planning, without precaution and without proper arrangements to mitigate the sufferings and hardships of the people because of demonetisation. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Premachandranji, it is over now.

Do you want to withdraw your Resolution or not?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, my point is that the operation is a success, but the patient is dead.

With these words, I commend my Resolution.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That this House disapproves of the Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Ordinance, 2016 (Ordinance No.10 of 2016) promulgated by the President on 30 December, 2016."

The motion was negatived.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That the Bill to provide in the public interest for the cessation of liabilities on the specified bank notes and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 4 Exchange of specified bank notes

HON. CHAIRPERSON: Shri Adhir Ranjan Chowdhury, are you moving amendment Nos. 1 and 2 to Clause 4?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: I beg to move:

"Page 2, lines 22 and 23,--

omit ", subject to such conditions as may be specified, by notification, by the Central Government"." (1)

"Page 2, *after* line 23,--

insert "(*ia*) a person of Indian origin who makes a declaration that he was outside India between the 9th November, 2016 to 30th December, 2016; or"." (2)

My argument is that the person of Indian origin should be given the opportunity by extension of depositing the banned notes because 'people of Indian origin' means they have their relatives and they are the natives of our country. So, they should not be discriminated.

HON. CHAIRPERSON: I shall now put amendment Nos. 1 and 2 to Clause 4 moved by Shri Adhir Ranjan Chowdhury to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. CHAIRPERSON: Shri K.C. Venugopal, are you moving amendment No. 3 to Clause 4?

SHRI K. C. VENUGOPAL: I beg to move:

"Page 2, *after* line 23,--

insert "(*ia*) a citizen who was hospitalized due to serious illness between the 9th November, 2016 to 30th December, 2016; or"." (3)

Sir, here, as per the provision, the citizens of India who make a declaration that they were outside India between the 9th November, 2016 and 30th December, 2016 subject to such condition, as may be specified by notification by Government of India, has given some relaxation.

My point is that those who are in serious illness and bed-ridden may also be given this provision. That is my amendment.

HON. CHAIRPERSON: Now, I shall put amendment no. 3 to Clause 4 moved by Shri K. C. Venugopal to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That clause 4 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5 **Prohibition on holding, transferring or receiving specified bank notes**

HON. CHAIRPERSON: Shri K. C. Venugopal, are you moving amendment nos. 4 and 5 to Clause 5?

SHRI K. C. VENUGOPAL: Yes, I am moving my amendments because the Ministries cleverly deviating the demonetization to digitization. He is avoiding all our questions.

I beg to move:

"Page 2, line 43,--

for "not more than ten notes"

substitute "not more than hundred notes"." (4)

"Page 2, line 45,--

for "not more than twenty-five notes"

substitute "not more than two hundred notes"." (5)

HON. CHAIRPERSON: I shall now put amendment Nos. 4 and 5 to Clause 5 moved by Shri K. C. Venugopal to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

Clauses 6 to 13 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. CHAIRPERSON: The hon. Minister may now move that the Bill be passed.

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

"That the Bill be passed."

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That the Bill be passed"

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet again on Wednesday, February 8, 2017, at 11 a.m.

20.50 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, February 8, 2017/Magha 19, 1938 (Saka).